आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत – सशक्त भारत

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

स्वावलम्बन Swavlamban

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार

डॉ. वीरेन्द्र कुमार,
माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री रामदास अठावले
माननीय सामाजिक न्याय
और अधिकारिता राज्य मंत्री

सुश्री प्रतिमा भौमिक
माननीय सामाजिक न्याय
और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री ए. नारायणस्वामी
माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

सत्यमेव जयते

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
की
वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–-110003
www.disabilityaffairs.gov.in

विषय–सूची तालिका

अध्याय / खंड	शीर्षक	पृष्ठ
1.	परिचय	7
2.	सिंहावलोकन	9
3.	सांविधिक संरचना	12
4.	राष्ट्रीय नीति – 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए ''अधिकारों को साकार करने के लिए'' इंचियोन कार्यनीति	15
5.	विभाग के अधीन सांविधिक निकाय	18
5.1	भारतीय पुनर्वास परिषद	18
5.2	मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन	28
5.3	राष्ट्रीय न्यास	31
6	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	39
6.1	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	39
6.2	नेशनल हैंडिकैप्ड फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन	43
7.	राष्ट्रीय संस्थान	51
8.	विभाग की योजनाएं	81
8.1	दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) / जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)	81
8.2	सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद / फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	85
8.3	छात्रवृत्ति योजनाएं	90
8.4	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)	96
8.4.1	दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन	97
8.4.2	दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)	97
8.4.3	सुगम्य भारत अभियान	102
8.4.4	ब्रेल प्रेसों की स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता संवर्धन हेतु सहायता की योजना	108
8.4.5	जागरूकता सृजन और प्रचार योजना	109
8.4.6	दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों तथा मामलों पर अनुसंधान	113
8.4.7	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र	114
8.4.8	निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन योजना	115
8.4.9	केंद्रीय तथा राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण	115
8.4.10	देश के पांच क्षेत्रों में बधिरों के कॉलेज	116
8.4.11	राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर	117
8.4.12	भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर	118
8.5	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधियां	119
9.	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	121
10.	विभाग की नई पहलें और विशेष उपलब्धियाँ	123

अनुबंध

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य	125
2.	कोविड–19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश	127
3.	जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्य वार जनसंख्या	130
4.	अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना के कार्यान्वयन का विवरण	131
5.	सफलता की कहानियां	132
6.	राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठयक्रमों (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि) का विवरण	141
7.	7(क) डीडीआरएस के तहत प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	148
	7(ख) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में डीडीआरएस के तहत जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां	149
	7(ग) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां	150
	7(घ) वर्ष 2020–21 के दौरान डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण	151
8.	8 (क) डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य पद	158
	8 (ख) वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान सहायता प्रदत्त डीडीआरसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या और उन्हें जारी की गई राशि	159
	8 (ग) वर्ष 2021–22 के दौरान डीडीआरसी को जारी सहायता अनुदान का विवरण	160
9.	पिछले 3 वर्षों के दौरान (31.12.2021 तक) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एडिप योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित किए गए शिविर, उपयोग की गयी निधियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण	161
10.	एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/ सीआरसी/ एलिम्को/ राज्य निगमों/ डीडीआरसी/ एनजीओ/डीडीआरसी आदि) को एडिप योजना के तहत जारी की गई निधियां	163
11.	एडिप योजना के अंतर्गत माननीय सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित विशेष शिविरों का ब्यौरा	164
12.	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एडिप योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों/ वीओ/डीडीआरसी और राज्य निगमों आदि को एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान।	171
13.	वर्ष 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया सहायता अनुदान	176
14.	वर्ष 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों बाधामुक्त वातावरण, सुगम्य भारत अभियान, समेकित पुनर्वास केंद्रों को सहायता (सीआरसी) जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और दिव्यांगजनों की पहचान और उनके सर्वेक्षण/सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) आईडी के लिए संस्थानों/संगठनों को जारी सहायता अनुदान	177
15.	वर्ष 2021–22 के दौरान सिपडा के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु सहायता अनुदान	187
16.	दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तुलनात्मक राज्य वार स्थिति	188

अनुबंध

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
17.	17(क) पिछले सात और चालू वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में जारी की गई राशि	190
	17(ख) छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निजी और स्वैच्छिक संगठनों को प्राप्त दस लाख रूपए तक के आवर्ती/गैर–आवर्ती एकबारगी सहायता अनुदान का विवरण	191
18.	वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की सूची	192
19.	पहचान किए गए पदों की सूची में प्रयोग की गई संक्षिप्त शब्दावली	195
20.	दिव्यांगजनों के साथ बेहतर संवाद के लिए मार्गदर्शिका	196

पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08.12.2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्नों स्टेकहोल्डरों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच और नजदीकी समन्वय स्थापित करने के साथ ही दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.2 विभाग को आवंटित कार्य

1.1 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली के अनुसार विभाग के लिए आबंटित कार्य अनुबंध–1 पर दिए गए हैं। विभाग को मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।

1.2 **विजन** : एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.3 **मिशनः** अपने विभिन्न अधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण स्थापित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे उपयोगी सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन गुजार सकें।

1.4 **उद्देश्यः** अपने उद्देश्य (विजन) को पूरा करने एवं मिशन को सफल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयास करता है;

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र निदान तथा उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के अधिप्रापण में सहायता शामिल है;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास;

(iii) आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण;

(iv) पुनर्वास व्यावसायिकों/कर्मियों को तैयार करना।

(v) आंतरिक कार्य–दक्षता/संवेदनात्मकता/सेवा प्रदायगी में सुधार; और

(vi) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1.5 विभाग की प्रमुख प्रतिबद्धताएं :

(i) **सतत् विकास लक्ष्य** : भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और सतत् विकास लक्ष्य का एक पक्षकार (पार्टी) है। विभाग ने अपने नवीनतम कानून नामतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जो 4 अप्रैल, 2017 को प्रभावी हुआ, को यूएनसीआरपीडी के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप इन्हें अपने राष्ट्रीय कानून के साथ समेकित किया है।

(ii) **समावेशन एवं बाधामुक्त वातावरण** : समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभाग ने मुख्यतः निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और आईसीटी इको सिस्टम में दिव्यांगजनों के लिए एक बाधामुक्त वातावरण के निर्माण पर अपना अधिकतर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए, विभाग ने एक ओर दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने और दूसरी ओर सार्वजनिक भवनों, परिवहन और आईसीटी को सुगम्य बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा।

(iii) **सामाजिक मॉडल** : दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए चिकित्सीय उपाय हेतु पहले से ही दिव्यांगता को चिन्हित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोखिम वाले मामलों को पहले से ही चिन्हित करना

तथा और जीवन के प्रारम्भिक स्तर पर उपयुक्त पुनर्वासन करने से दिव्यांगता गंभीरता कम होती है तथा यह परिवार और समाज पर इसके बोझ को कम करती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, विभाग द्वारा 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रारम्भिक पहचान और उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। ये केंद्र दिव्यांग बच्चों की स्कूल जाने में तत्परता को बढ़ावा देने में भी मदद करेंगे।

(iv) **दिव्यांगजनों का पुनर्वास** : पूर्व वर्षों में, दिव्यांगजनों के पुनर्वासन का केंद्र बिंदु अधिक या कम शारीरिक दिव्यांगता केंद्रित था। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभाग ने सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु अपने केंद्र बिंदु को बौद्धिक, विकासात्मक और मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वासन पर विशेष महत्व देते हुए पुनः स्थापित किया है।

(v) **दिव्यांगता–केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तनः** विभाग मानसिक–सामाजिक दिव्यांगता (मानसिक रोग) की घटनाओं में वृद्धि से चिंतित है। सक्रिय उपचार के अलावा, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को समान की मुख्यधारा में पुनः एकीकृत करने के लिए अक्सर पुनर्वासन की आवश्यकता होती है। इस विचार पर ध्यान देने के लिए, विभाग ने मध्य प्रदेश, सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संस्थान मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, जो सफलतापूर्वक उपचारित किए गए हैं, को मुख्य धारा में लाने के लिए पुनर्वासन प्रोटोकॉल आधारित समुदाय का विकास करने के अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के प्रति कार्य करने का लक्ष्य रखता है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल–सीहोर राजमार्ग के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में, एनआईएमएचआर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पुराने जिला पंचायत भवन', सीहोर में प्रदान किए गए एक अस्थायी आवास में कार्य कर रहा है।

(vi) **संस्कृति, मनोरंजन, अवकाश और खेल गतिविधियाँ** : विभाग ने यह स्वीकार किया है कि दिव्यांगजनों के लिए समर्थकारी वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है ताकि वे खेल सहित जीवन के प्रत्येक कदम पर श्रेष्ठ होने में समर्थ हों, इस उद्देश्य से कि खेल गतिविधियों में, दोनों स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दिव्यांगजनों को भाग लेने में बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक दिव्यांगता खेल केंद्र (सैंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स) को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें इनडोर और आउटडोर दोनों खेलों हेतु विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं तथा लगभग 300 दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं।

1.6 दिव्य कला शक्ति : दिव्यांगजन सभी क्षेत्रों में चाहे वे शिक्षा, खेल, साहित्य, संस्कृति हो, में श्रेष्ठ हो सकते हैं और वे अपने अंतर्निहित सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें उपयुक्त अवसर तथा वातावरण प्रदान किया जाए।

1.7 चुनौतियां

दिव्यांगजनों के प्रति सामान्य जनता की अनुभूति में एक अभिवृत्तिक परिवर्तन लाना विभाग की एक सबसे बड़ी चुनौती रहा है। अतः जागरूकता पैदा करना सामान्य जनता की सोच को बदलने केवल मानसिकता को बदलने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है की दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण बनाने के निर्माण हेतु डिजाइनिंग, योजना और निष्पादन स्तर पर सुगम्यता मानकों के संवर्धन को आत्मसात करें। दिव्यांगजनों के लिए समर्थक वातावरण के निर्माण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल (मैचिंग) संसाधनों का प्रयोग करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है।

अभिकथन

विभाग की वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिर्पोट में विधिक फ्रेमवर्क संस्थागत अवसंरचनात्मक को सशक्त बनाने और कार्यक्रम आधारित सहायता के माध्यम से दिव्यांगता क्षेत्र में की गई प्रगति शामिल है। राज्य सरकारें, सिविल सोसायटी संगठन, दिव्यांगजन और अन्य स्टेकहोल्डर इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार रहे हैं।

सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है)। कुल दिव्यांगजनों में से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें दृष्टि, श्रवण, वाक और गतिविषयक दिव्यांगताएं, मानसिक रूग्णता, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगताएं), बहु–दिव्यांगताएं तथा अन्य दिव्यांगताएं शामिल हैं।

2.1.1 दिव्यांगता के प्रकार

यद्यपि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण अनुबंध–3 पर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार, उनकी संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :–

दिव्यांगजनों की श्रेणी–वार संख्याः जनगणनाः 2011 के अनुसार			
दिव्यांगता का प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	महिला
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रूग्णता	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,885,93 (55.89%)**	**1,18,264,01 (44.11%)**

2.1.2 आवासीय क्षेत्र के आधार पर दिव्यांगजनों का वर्गीकरण नीचे दिये अनुसार हैः–

आवास के आधार पर दिव्यांगजनों की जनसंख्या भारत, 2011'			
निवास	व्यक्ति	पुरूष	महिला
शहरी	81, 78,636 (30.51%)	45,78,034	36,00,602
ग्रामीण	1,86,31,921 (69.49%)	1,04,08,168	82,23,753
कुल	**2,68,10,557**	**1,49,86,202**	**1,18,24,355**

'स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

"यदि मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं,
तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की कोशिश करूंगा,
चाहे मेरे पास शुरुआत में ऐसा न हो।"

– महात्मा गांधी

2.1.3 दिव्यांगजनों का शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	व्यक्ति	पुरूष	महिला
निरक्षर	1,21,96,641	56,40,240	65,56,401
साक्षर	1,46,18,353	9,34,835	52,70,000
(i) साक्षर परंतु प्राथमिक से नीचे	28,40,345	17,06,441	11,33,904
(ii) प्राथमिक परंतु मिडिल से नीचे	35,54,858	21,95,933	13,58,925
(iii) मिडिल परंतु मैट्रिक / माध्यमिक से नीचे	24,48,070	16,16,539	8,31,531
(iv) मैट्रिक/माध्यमिक परंतु स्नातक से नीचे	34,48,650	23,30,080	11,18,570
(v) स्नातक और उससे ऊपर	12,46,857	8,39,702	4,07,155
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,88,593**	**1,18,26,401**

'स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

2.2 दिव्यांगजनों की कार्य करने की स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 36 प्रतिशत दिव्यांजन कार्य कर रहें हैं (पुरूष–47 प्रतिशत तथा महिलाएं–23 प्रतिशत) दिव्यांग श्रमिकों में से 31 प्रतिशत कृषि संबंधी मजदूर हैं। 15–59 वर्ष के आयु समूह में पचास प्रतिशत दिव्यांगजन संख्या कार्य कर रहे हैं जबकि 14 वर्ष से कम आयु समूह में 4 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे कार्य कर रहे हैं।

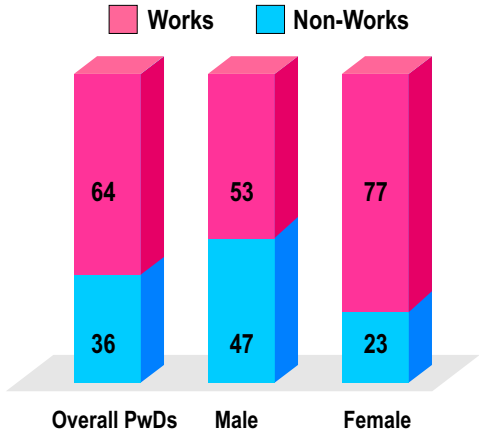

2.3 भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना, 2021 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और वे जनगणना, 2021 में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शामिल दिव्यांगताओं की सभी 21 श्रेणियों के आंकड़ें प्राप्त करने के मानदंडों को संशोधित कर रहे हैं। विभाग ने इस संबंध में अपने विचार पहले ही भारत के रजिस्ट्रार जनरल को दे दिए हैं।

2.4 वर्ष 2021–22 के दौरान विभाग की प्रमुख गतिविधियां

(i) कोविड–19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए डीओपीटी ने समय–समय पर परिपत्र जारी कर दिव्यांग कर्मचारियों को रोस्टर ड्यूटी से छूट दी है। इस संबंध में नवीनतम परिपत्र 31.01.2022 को जारी किया गया था, जिसमें इस तरह की छूट को 15.02.2022 तक या अगले आदेश तक, या इनमें जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया था।

(ii) विभाग ने 04.01.2018 को निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। सिकल सेल रोग सहित रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता के आकलन के संबंध में इन दिशानिर्देशों में 03.08.2021 को संशोधन किया गया था। अब यह विनिदष्ट किया गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की समय–समय पर तीन वर्ष के अंतराल पर समीक्षा की जाएगी, जबकि पहले एक वर्ष निर्धारित किया गया था। हालांकि, 80 प्रतिशत से अधिक स्कोर के साथ गंभीर दिव्यांगता वाले रोगियों में, स्थायी प्रमाण पत्र जीवित रहने के सबूत के अधीन जारी किया जाएगा।

(iii) विभाग ने दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त के परामर्श से और कार्य की प्रकृति और प्रकार को ध्यान में रखते हुए, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के प्रावधान से सरकारी प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित सेवाओं को दिनांक 18.08.2021 की अधिसूचना के माध्यम से छूट दी है:–

क. भारतीय पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पद

ख. दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पद

ग. भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के अंतर्गत सभी श्रेणियों के पद।

इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 34 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के दायरे से केंद्र सरकार के सशस्त्र पुलिस बलों, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स के लड़ाकू कर्मियों के सभी श्रेणियों के पदों को छूट देने के लिए 18.08.2021 को अधिसूचना भी जारी की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार सशस्त्र पुलिस बलों के लड़ाकू कर्मियों के सभी श्रेणियों के पदों को छूट दी गई थी, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 और साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत जो सेवा के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के दायरे से छूट दी गई थी।

2.7 बजट आवंटन और व्यय

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए विभाग के लिए बजट अनुमान 1171.77 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 1044.31 करोड़ रुपये था। 2021–22 में वास्तविक व्यय (31.01.2022 की स्थिति के अनुसार) 540.81 करोड़ रुपये है।

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (रू. करोड़ में)
2018-2019	**1070.00**	**1070.00**	**1017.56**
2019-2020	**1204.90**	**1100.00**	**1016.18**
2020-2021	**1325.39**	**900.00**	**861.63**
2021-2022	**1171.77**	**1044.31**	**540.81**
			(31.01.2022 की स्थिति के अनुसार)

सांविधिक ढांचा

3.1 संबद्ध संवैधानिक प्रावधान

3.1.1 भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करता है।

3.1.2 संविधान का भाग –III सभी नागरिकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैंः समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं, तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.3 संविधान के भाग–IV में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये लागू नहीं कराए जा सकते हैं, तथापि इन्हें देश के प्रशासन में यथा मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों से राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना अपेक्षित है। ये वास्तव में भविष्य की विधायिकाओं और कार्यपालिकाओं के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों के स्वरूप हैं। अनुच्छेद 41 में दिव्यांगता के मामलों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः–

''अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कहा गया हैः

''राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की परिसीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांगता तथा अन्य अपात्र आवश्यकता के मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।''

3.1.4 इसके अलावा, अनुच्छेद 243–घ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–ब की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वयन के बारे में है, क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में दिव्यांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत हैं :

अनुच्छेद 243 घ की 11वीं अनुसूचीः ''दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण'' (प्रविष्टि सं 26)।

अनुच्छेद–243 ब की 12वीं अनुसूचीः' ''दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण'' (प्रविष्टि सं 09)।

3.2 विभाग द्वारा अभिषासित विधायन

विभाग दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं और दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नलिखित विधायनों से संबंधित है :–

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

(ii) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999.

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

3.2.1 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को आर सी आई अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और मॉनीटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। उक्त अधिनियम के अनुसार, इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण, और

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचारसंहिता को निर्धारित करना।

3.2.2 स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु न्यास अधिनियम, 1999 राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999, संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रत रूप से और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवारों में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक हो।

3.2.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी, 2016) सरकार ने संसद के माध्यम से दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

3.2.3.1 19 अप्रैल, 2017 से यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में निम्नानुसार 5 श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत विभिन्न विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिज्ञात की गई हैं:

(i) शारीरिक दिव्यांगता :

- गतिविषयक दिव्यांगता सहित, कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, एसिड आक्रमण पीड़ित
- दृष्टि दिव्यांगता (केवल अंधता और निम्न दृष्टि)
- श्रवण दिव्यांगता (केवल बधिर और ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति)
- वाक् और भाषा दिव्यांगता

(ii) बौद्धिक दिव्यांगता सहित, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, ऑटिज्म सपैक्ट्रम विकार

(iii) मानसिक मंदता (मानसिक रूग्णता)

(iv) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता

(v) गंभीर तंत्रिका संबंधी दशाएं जैसे पार्किसन रोग, बहु–स्केलेरोसिक

(vi) रक्त विकार जैसे कि हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, सिकल कोशिका रोग

(vii) बहु–दिव्यांगताएं

3.2.3.2 इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिष्चित करने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) इसने दिनांक 15 जून, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली अधिसूचित की। इन नियमों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने एवं इसे प्रदान करने की प्रविधि, समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति, राष्ट्रीय निधि के उपयोग एवं प्रबंधन के तरीके आदि को निर्दिष्ट करने के साथ–साथ निर्मित वातावरण, यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए सुगम्यता मानकों का प्रावधान किया गया है।

(ii) इसने दिनांक 04 जनवरी, 2018 को किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता की सीमा के मूल्यांकन के लिए दिशा–निदेश अधिसूचित किए। इन दिशा–निदेशों में मूल्यांकन की विस्तृत प्रक्रिया के साथ–साथ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 15 जनवरी, 2018 को परिपत्र जारी किया है।

(iv) विभाग ने आकलन बोर्ड द्वारा उच्च सहायता आवश्यकताओं की मांग करने वाले बैंचमार्क दिव्यांगजनों के आकलन के लिए नियमों को निर्दिष्ट करने के लिए ओर साथ ही ऐसे बोर्ड की संरचना के लिए दिनांक 08 मार्च, 2019 को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली को अधिसूचित किया है।

(v) समय–समय पर राज्यों को अधिनियम की धारा 101 के संदर्भ में नियम तैयार करने के लिए सलाह दी जाती है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमावली अधिसूचित की है।

विभाग ने दिनांक 08.11.2017 की अधिसूचना द्वारा दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का चार बार अधिवेशन हुआ ।

3.2.3.3 विभाग की नई पहलें :

I. दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय

(i) वर्ष 2015–16 में तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण संस्थान (एनआईएसएच) को राष्ट्रीय पुनर्वास एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की घोषणा की थी। तदनुसार, विभाग ने शुरू में एनआईएसएच को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तथापि, पुनर्विचार करने पर प्रस्तावित विश्वविद्यालय का स्थान हरित क्षेत्र तिरुवनंतपुरम, केरल से बदलकर कामरूप जिला, असम (गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित) कर दिया गया है क्योंकि एनआईएसएच एक राज्य स्तरीय संस्थान है जो केवल श्रवण दिव्यांगता का कार्य देखता है और इसे तकनीकी रूप से ऐसे एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में अपग्रेड करना पूर्णतया व्यवहार्य नहीं था जहां पर सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के अध्ययन तथा पुनर्वास विज्ञान सहित विभिन्न प्रकार के विषयों की आवश्यवकताओं को पूरा किया जा सके। राज्य सरकार ने 50 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने की वचनबद्धता दी है ।

(ii) विभाग ने अब संसद के एक अधिनियम के माध्यम से कामरूप जिले, असम में दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। व्यय विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थल विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एडुएशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) को नियुक्त किया है

दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को सुश्री अंजली भावड़ा, भारत सरकार के सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय नीति, 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए ''अधिकार को वास्तविक रूप प्रदान करना'' की इंचियोन कार्यनीति

4.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

दिव्यांगजन देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हों तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं। इस बारे में सरकार ने, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जिसे 10 फरवरी, 2006 को प्रकाशित किया गया ।

4.1.1 दिव्यांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(i) दिव्यांगता रोकथाम

(ii) पुनर्वास उपाय

(क) षारीरिक पुनर्वास कार्यनीतियां :

- शीघ्र पहचान और उपचार
- काउंसलिंग (परामर्श) एवं चिकित्सा पुनर्वास
- सहायक यंत्र
- पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास

(ख) दिव्यांगजनों की शिक्षा

(ग) दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास

- सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार
- निजी क्षेत्र में वेतन (वेज) आधारित रोजगार
- स्व–रोजगार

(iii) दिव्यांग महिलाओं के लिए प्रावधान

(iv) दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान

(v) बाधामुक्त वातावरण

(vi) दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना

(vii) सामाजिक सुरक्षा

(viii) गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन

(ix) दिव्यांगजनों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन

(x) अनुसंधान

(xi) खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

(xii) दिव्यांगजनों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तद्नुसार, इस नीति के अंतर्गत प्रमुख उपाय क्षेत्र हैं: रोकथाम, शीघ्र निदान, और उपाय, पुनर्वास कार्यक्रम; मानव संसाधन विकास; दिव्यांगजनों की शिक्षा; नियोजन; बाधारहित वातावरण; सामाजिक संरक्षण ; अनुसंधान; खेल; मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

4.1.2 राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया हैं :

(i) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।

(ii) स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधित्व वाली दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।

(iii) नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास; शहरी विकास; युवा कार्यक्रम और खेल; रेलवे; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; श्रम; पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और शिक्षा मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; सार्वजनिक उपक्रम; राजस्व; सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भी पहचान की गई है।

(iv) पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

(v) दिव्यांगजनों के लिए, केन्द्र स्तर पर मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी संबंधित सांविधिक जिम्मेवारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वायन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

4.1.3 विभाग ने उपर्युक्त नीति की समीक्षा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, यूएनसीआरपीडी और दिव्यांगता के प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक नए नीति दस्तावेज का सुझाव देने के लिए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मुख्य समिति के तहत नई राष्ट्रीय नीति के मसौदे का सुझाव देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, टास्क फोर्स ने 25 अक्तूबर 2021 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर विचार करने की सिफारिश की है। सदस्यों ने मसौदा नीति पर अपना सुझाव प्रस्तुत कर दिया है और मसौदा नीति पर मुख्य समिति द्वारा विचार किया गया है।

4.2 दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी)

संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयार्क में 30 नवंबर और 1–2 दिसंबर, 2020 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स (यूएनसीआरपीडी) पर राष्ट्रों का 13वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। हमारे विभाग की ओर से न्यूयार्क में भारत के स्थायी मिशन ने एक वक्तव्य दिया जिसमें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। भारत उन कुछ पहले देशों में से एक है जिन्होंने कन्वेंशन की पुष्टि की थी। इसके परिणामस्वरूप भारत ने 30 मार्च, 2007 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप यह देश में 3 मई, 2008 से लागू हो गया है। कन्वेंशन में प्रत्येक राष्ट्र के निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण दायित्व हैं :

(i) अधिवेशन के प्रावधानों का कार्यान्वयन,

(ii) कन्वेंशन के साथ देश के कानूनों का सामंजस्य, और

(iii)देश की रिपोर्ट तैयार करना।

4.2.1 सरकार ने नवंबर 2015 में देश की अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा विचार किया जा चुका है। दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी कन्वेंशन पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने जिनेवा स्थित यूएनएचआरसी मुख्यालय में 02–03 सितंबर, 2019 को देश की पहली रिपोर्ट पर विचार किया। डीईपीडब्ल्यूडी सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कि समिति के सदस्यों द्वारा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष यह बयान दिया।

4.3 इंचियोन रणनीति दिव्यांगजनों के एशिया प्रशांत दशक, 2013–22 पर कार्य समूह का छठा सत्र 24–25 सितंबर, 2020 के दौरान वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। भारत इस कार्यदल का सदस्य है। डॉ प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, ने सत्र में उपस्थिति दी और देश की प्रगति के बारे मे बताया उन्होंने सितंबर, 2020 में विभाग द्वारा शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन पर भी एक प्रस्तुति दी।

4.4 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभाग की प्रमुख पहलः

(i) ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से विभाग ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 8 अक्टूबर, 2020 को 'मानसिक स्वास्थ्य – कोविड–19 से परे दृष्टि' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किया गया एवं ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक, प्रो क्रेग जेफरी ने सम्मेलन की सह–अध्यक्षता की। सम्मेलन ने दोनों देशों में मानसिक स्वास्थ्य मामलों विशेष रूप से कोविड–19 महामारी से उत्पन्न मामलों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

(ii) चिली सरकार के साथ सहयोग : दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग पर चिली सरकार के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच सहयोग के व्यापक क्षेत्रों को शामिल करते हुए मसौदे को बाद में चिली सरकार के साथ तैयार और साझा किया गया है। नई दिल्ली स्थित चिली, के दूतावास के परामर्श से समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय

5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों तथा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विनियमन और मॉनिटरिंग करता है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देती है, तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करती है। इसे नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के अनुरूप बनाने के लिए और इसे व्यापक आधारित बनाने के लिए संसद द्वारा अधिनियम को 2000 (2000 की संख्या 38) में संशोधित किया गया।

(i) 719 संस्थानों और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल और पीएसवाई.डी. स्तर के आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गई है।

(ii) केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 4908 पेशेवर और 9195 कार्मिक पंजीकृत थे और सीआरआर में यह कुल संख्या 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 1,75,711 हो गई है।

5.1.1 परिषद की प्रमुख गतिविधियाँ (2021–22)

I. दूरस्थ शिक्षा सेल :

(क) नामांकन की स्थितिः शैक्षणिक सत्र 2020–21 के दौरान 08 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों नामतः टीएनओयू, चेन्नई; यूपीआरटीओयू, प्रयोगराज; वाईसीएमओयू, नासिक; एनएसओयू, कोलकाता; बीएओयू, अहमदाबाद; एमपीबीओयू, भोपाल; यूओयू, हल्द्वानी; बीआरएमओयू, हैदराबाद में बीएड विशेष शिक्षा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड पाठ्यक्रम में कुल 2537 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है ।

(ख) बी.एड. स्पेशल एड.–ओडीएस मानदंडों, 2015 में संशोधनः परिषद ने मौजूदा बी.एड. स्पेशल एड. –ओडीएस मानदंडों, 2015 में संशोधन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ताकि इसे यूजीसी –ओडीएल / ऑनलाइन विनियम, 2020 के बराबर बनाया जा सके। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के कुलपति प्रो ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से क्रमशः 16 दिसंबर, 2020, 14 जून, 2021 और 12 अक्टूबर, 2021 को विशेषज्ञ समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई थीं। बैठक के दौरान आरसीआई के सदस्य सचिव डॉ सुबोध कुमार और अन्य विशेषज्ञ सदस्य भी उपस्थित थे। बीएड एसपीएल–ओडीएल, 2021 के अंतिम मानदंड तैयार कर लिए गए हैं। इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 से कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को परिचालित किया जाएगा।

(ग) एनएसओयू, कोलकाता में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से एमएड एसपीएल एड (एचआई और आईडी) का शुभारंभः परिषद ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए एनएसओयू, कोलकाता में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से एमएड एसपीएल एड (एचआई और आईडी) कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है।

II. सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम :

(क) तृतीय पक्ष मूल्यांकनः पिछले 04 वर्षों के वास्तविक और वित्तीय आंकड़ों में जीआईए स्वीकृत, कार्यान्वयन एजेंसियों, लक्षित समूह, स्वीकृत और आयोजित बैचों सहित सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम के संचालन के संबंध में, लगभग 12,910 लाभाथयों के ब्यौरे और उनके विवरण जैसे विभाग, लिंग, संपर्क विवरण, संपर्क संख्या आदि शामिल हैं, जो तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत किए गए हैं। एनआईईएलआरडी, नई दिल्ली ने जनवरी, 2021 में उक्त योजना के संबंध में तीसरे पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) "सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम" के लिए संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी करनाः डॉ वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार ने 9 नवंबर, 2021 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी में परिषद द्वारा विकसित इन–सर्विस प्रशिक्षण मॉड्यूल के 05 संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किए हैं। कार्यक्रम के दौरान सुश्री अंजली भावड़ा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई, श्रीमती तारिका रॉय, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, डॉ सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई; डॉ उमा तुली, पद्मश्री, पूर्व सीसीपीडी, भारत सरकार, श्री मुकेश गुप्ता, मुख्य समन्वयक, जेडसीसी, उत्तरी क्षेत्र अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों के 110 प्रमुखों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

III- समुदाय आधारित समावेशी विकासः

(क) भारत सरकार ने भारत में दिव्योंगता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त विकास को शामिल करने के लिए 22 नवंबर, 2018 को ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामाजिक सेवा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। डीईपीडब्लयूडी की ओर से, परिषद ने दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के लिए मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एक सीबीआईडी कार्यक्रम विकसित करने की पहल की है।

(ख) पिछले 02 वर्षों में बैठकों की एक श्रृंखला होने के बाद, आरसीआई ने भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ देश का पहला योग्यता आधारित 06 महीने का सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने समुदाय के भीतर पुनर्वास और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों को पुनर्वास और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक दक्षताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक दक्षताओं को विकसित करने के लिए तैयार करना और समावेशी वातावरण बनाना है।

(ग) तदनुसार, परिषद ने कार्यक्रम अवलोकन, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, सुविधाप्रदाता मार्गदर्शिका चरण–I, सुविधाप्रदाता मार्गदर्शिका चरण–II, सुविधाप्रदाता मार्गदर्शिका चरण–III, हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षकों के लिए व्याख्यात्मक नोट्स विकसित किए हैं और अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बंगाली में पूरा हो गया है। उपर्युक्त सामग्री को परिषद की वेबसाइट पर सभी हितधारकों द्वारा आसानी से पहुंच के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक मुक्त शिक्षा संसाधन के रूप में अपलोड किया गया है।

(घ) सीबीआईडी कार्यक्रम में दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक 11 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक में प्रोफेसर नाथन ग्रिल और प्रो लिंडसे गेल, प्रोफेसर सुजाता भान, डॉ वर्षा घाटू और श्री संदीप ठाकुर, आरसीआई ने भाग लिया, बैठक के दौरान सभी दस्तावेजों को संकलित करने और सीबीआईडी दस्तावेजों का अंतिम मसौदा आरसीआई को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(ड.) सीबीआईडी कार्यक्रम के विकास के बारे में सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई को अवगत कराने के लिए कोर ग्रुप की बैठक 28 जनवरी, 2021 को सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और अवलोकन, सुविधाप्रदाता गाइड चरण –I, II और III, प्रशिक्षकों के लिए व्याख्यात्मक नोट्स, कार्यक्रम गाइड और संदर्भ सामग्री, कार्यक्रम को रोलआउट करने के लिए कार्य योजना जैसे सभी दस्तावेजों को अनुमोदित किया गया था और फरवरी, 2021 के अंत तक कार्यक्रम को रोलआउट करने का निर्णय लिया गया था।

(च) भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीमती अंजली भावड़ा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड के माध्यम से डीईपीडब्ल्यूडी, आरसीआई और मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों की बैठक 7 मई, 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अगस्त, 2021 तक कार्यक्रम को रोलआउट करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया था।

(छ) सभी सीबीआईडी दस्तावेजों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आरसीआई के सदस्य सचिव, डॉ सुबोध कुमार की अध्यक्षता में 10 मई, 2021 को विशेषज्ञ सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी। सीबीआईडी दस्तावेजों के अनुवादित संस्करण को प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा को अंतिम रूप दिया गया था।

(ज) उक्त कार्यक्रम के लिए ई–सामग्री के विकास, उपयोग/उपयोग किए जाने वाले वेब एप्लिकेशन, कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन, सीबीआईडी कार्यक्रम को रोलआउट करने के लिए प्रोफार्मा के विकास जैसे तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए श्रीमती अंजली भावड़ा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ सदस्यों और निदेशकों, एनआई की बैठक 12 मई, 2021 को आयोजित की गई थी।

(झ) प्रशिक्षण सामग्री को माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

द्वारा 19 मई, 2021 को वर्चुअल रूप से जारी किया गया था। श्री कृष्ण पाल गुर्जर, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अंजली भावड़ा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और आरसीआई की अध्यक्ष, महामहिम, माननीय बैरी ओ'फैरेल, नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त, महामहिम, श्री मनप्रीत वोहरा, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त, प्रोफेसर डंकन मस्केल, कुलपति, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, मेलबोर्न विश्वविद्यालय के डॉ (प्रो) नाथन ग्रिल्स, डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव, डॉ प्रबोध सेठ, डीईपीडब्ल्यूडी के निदेशक श्री केवीएस राव, आरसीआई के सदस्य सचिव डॉ सुबोध कुमार, डीईपीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक, जनरल काउंसिल, आरसीआई के सदस्य, सीबीआईडी में शामिल विशेषज्ञ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

(ञ) एनआई के निदेशकों, एनआई के साथ बैठक 19 मई, 2021 को श्रीमती अंजली भावड़ा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी ताकि एनआई की तैयारियों की समीक्षा की जा सके ताकि उनके संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों में सीबीआईडी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनआई की तैयारियों की समीक्षा की जा सके।

(ट) सीबीआईडी कार्यक्रम के संयुक्त प्रमाणन के लिए विज्ञापन को अंतिम रूप देने और प्रदर्शन करने के लिए आरसीआई के सदस्य सचिव डॉ सुबोध कुमार की अध्यक्षता में 24 मई, 2021 को विशेषज्ञ सदस्यों और निदेशकों, एनआई के साथ बैठक आयोजित की गई थी। गहन विचार–विमर्श के बाद विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया।

(ठ) सीबीआईडी कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रवेश अधिसूचना और व्यय को अंतिम रूप देने के लिए आरसीआई के सदस्य सचिव, डॉ सुबोध कुमार की अध्यक्षता में 1 जून, 2021 को विशेषज्ञ सदस्यों और निदेशकों, एनआई के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

(ड) तेलुगु और ओडिया भाषा में सीबीआईडी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए विशेषज्ञों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आरसीआई के सदस्य सचिव, डॉ सुबोध कुमार की अध्यक्षता में 3 जून, 2021 को विशेषज्ञ सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी।

(ढ) माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 7 जून, 2021 को एमएसजे एंड ई, डीईपीडब्ल्यूडी और आरसीआई के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी जो प्रवेश अधिसूचना (हिंदी और अंग्रेजी) के मसौदे को अंतिम रूप देने, सीबीआईडी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किए जाने वाले अस्थायी शीर्षवार व्यय और सीबीआईडी कार्यक्रम के पहले दो बैचों को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को वजीफा प्रदान करने के लिए थी। बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि डीईपीडब्ल्यूडी पहले दो बैचों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत सहायता अनुदान देने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

(ण) परिषद ने पद्मश्री श्रीमती उमा तुली, पूर्व, सीसीपीडी, भारत सरकार की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति का गठन किया है, जो सीबीआईडी कार्यक्रम के संचालन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों/प्रख्यात गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त सभी 52 प्रस्तावों की जांच करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से 21–24 जून, 2021 को आयोजित की गई थी। प्रत्येक संगठन को दिए गए अंकों के साथ–साथ स्क्रीकनिंग समिति की सिफारिशें और चयन के लिए पैरामीटर अनुमोदन के लिए अध्ययक्ष, आरसीआई को प्रस् तुत किए गए। स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर 8 लाख रुपये प्रति बैच की वित्तीय सहायता के साथ कार्यक्रम के पहले दो बैचों का संचालन करने के लिए और दिव्यांग उम्मीदवारों को 700 /– रुपये प्रति माह और सामान्य उम्मीदवारों को 500 / – रुपये प्रति माह वजीफा देने के लिए 16 प्रशिक्षण संस्थान का चयन किया गया है । सभी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को निबंधन एवं शर्तों के साथ अनुमोदन आदेश भी जारी कर दिया गया है।

(त) उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रवेश दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी के साथ सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम की बैठक, मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण, सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्री–लॉन्च कार्यशाला 6 जुलाई, 2021 को आरसीआई में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के दौरान राष्ट्रीय निधि के जीबी की बैठक, डीईपीडब्ल्यूडी, प्रशिक्षण संस्थान के लिए निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने, सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान को अनुमोदन जारी करने, प्रवेश

अधिसूचना जारी करने, उम्मीदवारों के अनंतिम चयन, कक्षाओं की शुरुआत आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए समय–सीमा को अंतिम रूप दिया गया था।

(थ) डीईपीडब्ल्यूडी ने 16 संगठनों के माध्यम से सीबीआईडी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 14 जुलाई, 2021 को आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांनगजनों के लिए निधि के शासी निकाय की 5 वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार 20,000 रुपये प्रति बैच की दर से 20,000 रुपये प्रति छात्र की दर से सीबीआईडी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद को 3,02,08,000 /– रुपये का जीआईए जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है और दिव्युंग छात्रों को 6 महीने की पूरी अवधि के लिए प्रति माह दिव्यांषग छात्रों को 700 रुपये और 500 रुपये की दर से वजीफा दिया है।

(द) परिषद ने 26 जुलाई, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से 16 आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में देश भर से सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहले बैच के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

(ध) 23 जुलाई, 2021 को आयोजित सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनरों को तैयार करने के लिए 06 दिनों की अवधि के लिए विषय–वस्तु को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक, सम्मेलन कक्ष, आरसीआई में वर्चुअल मोड के माध्यम से। बैठक के दौरान मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए सामग्री के साथ अनुसूची को अंतिम रूप दिया गया।

(न) 16–23 अगस्त, 2021 को मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से वर्चुअल मोड के माध्यम से 06 दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि प्रशिक्षकों को अपने प्रशिक्षण संस्थान में सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार किया जा सके। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों सहित कुल 12 मास्टर ट्रेनरों को सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चिह्नित विषयों पर व्याख्यान देने के लिए कार्यक्रम में शामिल किया गया था। सभी 16 अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों के कुल 40 प्रतिभागियों को कार्यक्रम के पाठ्यक्रम कामकाज में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया था।

(प) वर्तमान में नामांकित 427 छात्र प्रशिक्षुओं के लिए नामांकन संख्या एनबीईआर द्वारा आवंटित की जाएगी और परीक्षा निर्धारित परीक्षा की योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(फ) डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार ने सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच का वर्चुअली उद्घाटन किया और 30/10/2021 को अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों, संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत की।

मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली (आरसीआई) के पहले समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) पाठ्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (एमएसजेई) डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा 30 अक्टूबर, 2021 को किया गया था।

(ब) परिषद द्वारा जारी प्रवेश अधिसूचना के अनुसार, सभी प्रशिक्षण संस्थानों ने सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है और 16 सितंबर, 2021 से कक्षाएं शुरू कर दी हैं। सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच में नामांकन की प्रशिक्षण संस्थान वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण संस्थान (एस)	अनुमोदित प्रवेश संख्या	पहले बैच में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या	सामान्य / ओबीसी / एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की संख्या	दिव्यांग जन उम्मीद वारों की संख्या
1.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	40	27	19	08
2.	राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	40	17	16	01
3.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकन्दराबाद, तेलंगाना	40	39	38	01
4.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा	40	37	37	00
5.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड	40	06	06	00
6.	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), बी टी रोड, बोनहुगली	40	19	17	02
7.	दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र मंडी, हिमाचल प्रदेश	40	22	21	01
8.	राज्य पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसआईआरटीएआर), रोहतक	40	29	29	00
9.	आकांशा लायंस इंस्टींट्यूट ऑफ लर्निंग एंड इंपावरमेंट, रायपुर, छत्तीसगढ़	40	17	15	02
10.	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद, गुजरात	40	30	27	03
11.	बेथानी सोसायटी, शिलांग, मेघालय	40	33	29	04
12.	सीबीएम बेंगलुरु	40	30	19	11
13.	होली क्रॉस सर्विस सोसाइटी, त्रिची, तमिलनाडु, त्रिची	40	28	25	03
14.	हरबर्टपुर क्रिश्चियन अस्पताल, हरबर्टपुर, उत्तराखंड	40	29	27	02
15.	स्नेह – शिक्षण एवं अधिकारिता संस्थान, नागदा, मध्य प्रदेश	40	35	35	00
16.	शिशु सरोथी, गुवाहाटी, असम	40	29	28	01
नामांकित छात्रों की कुल संख्या		**640**	**427**	**388**	**39**

(म) डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार ने भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अधिकारियों और सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई और आरसीआई के सदस्य सचिव के साथ एक बैठक की, जिसमें 17/11/2021 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन के लिए आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई।

IV. पुनर्वास में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईआर):

(क)शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए वार्षिक अकादमिक गतिविधि कैलेंडर: सभी प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों की अकादमिक और परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, एनबीईआर ने राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों यानी एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई, एनआईईपीएमडी के परामर्श से सभी प्रमाण पत्र और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक शैक्षणिक गतिविधि कैलेंडर विकसित किया है, चेन्नई, एनईपीवीडी, देहरादून, आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली। परिषद ने अपने परिपत्र संख्या 25–15/एनबीईआर(एआईओएटी)/आरसीआई/2016 दिनांक 13 मार्च, 2021 के माध्यम से इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 से कार्यान्वयन के लिए परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

(ख)केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए प्रमाण पत्र और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश: डीएड स्पेशल ईडी (आईडीडी) डीएड स्पेशल ईडी (एचआई) डीएड स्पेशल ईडी (वीआई) डीएड स्पेशल ईडी (एमडी) डीएड स्पेशल ईडी (सीपी) डीएड स्पेशल ईडी (डीबी) डीआईएसएलआई, डीटीआईएसएल में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से माध्यम से 2021–2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पात्र उम्मीदवारों की राष्ट्रीय सूची एनबीईआर के 30 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। कुल 9921 सीटें भर चुकी हैं।

(ग)शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए प्रमाण पत्र और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में सीधा प्रवेश: एनबीईआर, आरसीआई ने अपने परिपत्र संख्या 5–20/ एनबीईआर (प्रवेश)/आरसीआई/2016 दिनांक 27 अगस्त, 2021 के माध्यम से सी.सी.सी.जी., सी.सी.आर.टी., डी.सी.बी.आर., डी.पी.ओ., डीआरटी, डी.एच.ए. आर.ई.एम.टी. डीएचएलएस, डीईसीएसई (एचआई), डीईसीएसई (आईडी), डीवीआर (आईडी), डीसीई (वीआई) पाठ्यक्रम (एस) के लिए सीधा प्रवेश के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2021–22 में कुल 521 सीटें भरी गई हैं।

V. आरसीआई अनुमोदित संस्थान के प्रमुखों के साथ इंटरैक्टिव सत्र :

परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मान्यता, सीआरआर, सीआरई के तहत पंजीकरण और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए आरसीआई के सदस्य सचिव डॉ सुबोध कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 29 सितंबर, 2021 को इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया है। सत्र में आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों, पाठ्यक्रम समन्वयकों, संकाय सदस्यों (ओं) और आरसीआई अधिकारियों सहित 480 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने मूल्यांकन, सीआरई, सीआरआर आदि जैसे विभिन्न मामलों में तेजी लाने के लिए परिषद द्वारा किए गए सुधारों की सराहना की है।

VI- आरसीआई की सूचना पुस्तिका का विमोचन:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता के माननीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 9 नवंबर, 2021 को आईआईसी, नई दिल्ली में आरसीआई की सूचना पुस्तिका जारी की।

VII- एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यशाला और दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई के अनुमोदित मानव संसाधन कार्यक्रम (एस) पर इसके प्रभाव और प्रभाव: परिषद ने सचिव की अध्यक्षता में 1 फरवरी, 2021 डीईपीडब्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यभक्षता में दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई के अनुमोदित मानव संसाधन कार्यक्रम (एस) पर एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके प्रभाव और प्रभावों की कार्यशाला आयोजित की है। इस बैठक में देश भर के जाने माने विशेषज्ञों ने भाग लिया। समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी।

5.1.2 विशेषज्ञों की समिति की बैठकें:

(i) डीएड स्पेशल शिक्षा (वीआई) पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए और यह पता करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम (2016) और एनईपी (2020) के प्रावधानों के अनुसार सिद्धांत घटक में कम दृष्टि वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ व्यावहारिक होने के लिए इसे पर्याप्त रूप से व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्यव से पाठ्यक्रम में क्या शामिल करने, हटाने, संशोधित करने की आवश्यकता है दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) एसआर मित्तल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शारीरिक दिव्यांगता (वीआई, एलवी) में पाठ्यक्रम के विकास के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

(ii) एनईपी 2020 के अधिदेश के अनुसार विशेष शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए टीईआई की मान्यता के लिए आरसीआई और एनसीटीई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के सदस्य सचिव के साथ 1 मार्च 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। विशेष शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले टीईआई के लिए विनियम दोनों संगठनों के बीच परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

(iii) डीएड स्पेशल ईडी (वीआई) पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए और यह पता करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम (2016) और एनईपी (2020) के प्रावधानों के अनुसार सिद्धांत घटक में कम दृष्टि वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ व्यावहारिक होने के लिए इसे पर्याप्त रूप से व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से पाठ्यक्रम में क्या शामिल करने, हटाने, संशोधित करने की आवश्यकता है दिनांक 04 मार्च, 2021 को डॉ.वर्षा गाथू की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शारीरिक दिव्यांगता (एचआई और स्पीच डिसऑर्डर) में पाठ्यक्रम के विकास के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

(iv) डीएड स्पेशल ईडी (वीआई) पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए और यह पता करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम (2016) और एनईपी (2020) के प्रावधानों के अनुसार सिद्धांत घटक में कम दृष्टि वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ व्यावहारिक होने के लिए इसे पर्याप्त रूप से व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्यप से पाठ्यक्रम में क्या शामिल करने, हटाने, संशोधित करने की आवश्यकता है दिनांक 08 मार्च, 2021 को डॉ.जयंती नारायण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकासात्मक दिव्यांगता (आईडी, एएसडी, एलडी) में पाठ्यक्रम के विकास के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई थी। पाठ्यक्रम संरचनाओं को तीन दिव्यांगताओं के रूप में बदलने के लिए शामिल किया जाना है।

(v) देश के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ पुनर्वास विशेषज्ञों की बैठक 20 मई, 2021 को आरसीआई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं पर विचार–विमर्श और सिफारिश करने के लिए बुलाई गई थी।

i. आरसीआई के सीआरआर में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में पंजीकरण के लिए एम्स से नैदानिक मनोविज्ञान में पीएचडी पर विचार करने के लिए डॉ एंजेला एन जोसेफ द्वारा दायर याचिका

ii. एम्स, नई दिल्ली में प्रदान की गई नैदानिक मनोविज्ञान में पीएचडी की डिग्री को आरसीआई की अनुसूची में शामिल किया जाएगा

iii. पोस्ट मास्टर डिप्लोमा इन लर्निंग डिसेबिलिटी (पीएमडीएलडी) शुरू करने की मंजूरी

(vi) अभिसरण के बाद डिप्लोमा / डिग्री / मास्टर स्तर पर विशेष शिक्षा में नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास की स्थिति की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक 27 मई, 2021 को प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) एसआर मित्तल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।

(vii) विकासात्मक दिव्यांगता (आईडी, एएसडी, एलडी) में डीएड और बीएड के लिए पाठ्यक्रम के विकास की स्थिति की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक का कार्यवृत्त 01 जून, 2021 को डॉ.जयंती नारायण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था।

(viii) डीएड, बीएड और एमएड स्तर पर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों में कोर पेपरों के विकास के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक 04 जून, 2021 को प्रो. (सेवानिवृत्त) एसआर मित्तल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। डीएड, बीएड और एमएड स्तर पर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के मुख्य पत्रों का निर्णय लिया गया था और इसके विकास के लिए सदस्यों के बीच मुख्य पत्र वितरित किए गए थे।

(ix) अभिसरण के बाद विभिन्न दिव्यांगता विशेषज्ञताओं में डीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक 07 जुलाई, 2021 को प्रो.(सेवानिवृत्त) एसआर मित्तल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। तीन नए डिप्लोमा के लिए नामकरण को डीएड विशेष शिक्षा (वीआई), डीएड विशेष शिक्षा (एचआई), डीएड विशेष शिक्षा (आईडीडी) के रूप में तय किया गया था और प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 35 प्रति बैच कर दिया गया था।

(x) आरसीआई के सदस्य सचिव डॉ सुबोध कुमार की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जुलाई, 2021 को आरसीआई के डीएड (एचआई), बीएड (एचआई) और एमएड (एचआई) पाठ्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा के ए और बी स्तर की सामग्री को शामिल करने के संबंध में 08 सितंबर, 2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन के संबंध में विशेषज्ञ समिति की एक बैठक हुई। संशोधित कार्यवृत्त में उल्लिखित सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था जो परिषद के अधिकार क्षेत्र में थे।

(xi) प्रो.(सेवानिवृत्त) एसआर मित्तल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 अगस्त, 2021 को अभिसरण के बाद विभिन्न दिव्यांगता विशेषज्ञताओं में डीएड विशेष शिक्षा (एमडी) पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई और निर्णय लिया गया कि डीएड विशेष शिक्षा एचआई, वीआई, आईडीडी के सभी तीन पाठ्यक्रमों को आरसीआई द्वारा बहु दिव्यांगताओं में कार्यक्रम के विकास के लिए सभी विशेषज्ञों के संदर्भ में परिचालित किया जाएगा।

(xii) अभिसरण के बाद विभिन्न दिव्यांगता विशेषज्ञताओं में पीएफ डीएड विशेष शिक्षा (एमडी) पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 10 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ समिति की एक बैठक हुई।

(xiii) दिनांक 03 सितंबर, 2021 को प्रोफेसर एम.जयराम की अध्यक्षता में विभिन्नम मुद्दों पर विचार–विमर्श और सिफारिश करने के लिए वर्चुअल मोड में आयोजित ऑडियोलॉजी और स्पीच–लैंग्वेज पैथोलॉजी में कार्यक्रमों पर एक कोर समिति की बैठक बुलाई गई थी:

i. 'डेगल्यूटोलोजी और स्वेलोइंग विकार' में परास्नातक कार्यक्रम के संस्थान

ii. बंगलौर विश्वविद्यालय में एनईपी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दा

iii. वाक् और श्रवण के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन

iv. ऑडियोलॉजी और स्पीच–लैंग्वेज पैथोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित अन्य मुद्दे

(xiv) अभिसरण के बाद विभिन्न दिव्यांगता विशेषज्ञताओं में पीएफ डीएड विशेष शिक्षा (एमडी) पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक कोर–समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एसआर मित्तल और श्रीमती एल.वी. जयश्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 8 सितंबर, 2021 और 9 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी, जो एमडी की उप–समिति द्वारा तैयार किए गए 07 विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की गई थी।

(xv) एनईपी, 2020 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ की एक बैठक 23 सितंबर, 2021 को प्रोफेसर एसआर मित्तल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें एनसीटीई से प्राप्त अनुरोध पर चर्चा करने के लिए एनसीटीई से प्राप्त अनुरोध पर चर्चा करने के लिए 2030 तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करने और विभिन्न शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रमों में आरपीडी

अधिनियम 2016 का प्रावधान दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित सामग्री को शामिल करने के मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

(xvi) एनईपी 2020 के अनुसार विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के संरेखण और आरसीआई और एनसीटीई के बीच समझौता ज्ञापन के तौर–तरीकों के लिए एक बैठक सदस्य सचिव, आरसीआई और एनसीटीई के सदस्य सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में 21 अक्टूबर, 2021 को आरसीआई में शाम 4.00 बजे आयोजित की गई।

(xvii) एनसीटीई द्वारा निम्नलिखित मसौदा एजेंडा पर चर्चा की गई थी:

i. एनईपी 2020 के अनुसार, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में केवल तीन कार्यक्रम अर्थात् चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम, दो वर्षीय बीएड कार्यक्रम और एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम कराए जाने है। इसलिए आरसीआई द्वारा वर्तमान में पेश किए गए कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के प्रावधानों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है जैसा कि एनसीटीई द्वारा विकसित किया गया है। यह ध्यान में रखा गया था क्योंकि धीरे–धीरे सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को 2030 तक परिवर्तित किया जाना है।

ii. एनईपी 2020 के अनुसार मानकीकरण और संस्थागत सुधार किए जाने हैं। एनसीटीई इस बात पर चर्चा करना चाहता था कि विशेष शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में इन्हें कैसे शुरू किया गया है या शुरू करने का प्रस्ताव है.

iii. सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों की सामग्री को छात्रों के लाभ के लिए साझा किया जाना चाहिए।

iv. विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रवेश अर्हताएं, न्यूनतम मानक आरसीआई द्वारा एनसीटीई के परामर्श से आरसीआई की आवश्यकता के अनुसार 20–30 प्रतिशत लचीलेपन के साथ तैयार की जाएं। बीएड और डीएड (विशेष शिक्षा) में संशोधन एनसीटीई द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं और स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

v. आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षकों की आवश्यकता /मांग और आपूर्ति के संदर्भ में राज्य या दिव्यांगता–वार किए गए अनुसंधान अध्ययन।

(xviii) डॉ वर्षा गाथू की अध्यक्षता में आरसीआई दोपहर 2.30 बजे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 नवंबर, 2021 को अभिसरणित डी.एड.विशेष शिक्षा (एचआई) पाठ्यक्रम में आईएसएल को शामिल करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। तदनुसार सुझाए गए परिवर्तनों को डी.एड. विशेष शिक्षा (एचआई) पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था।

(xix) समावेशी शिक्षा के लिए 5 दिन और 15 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए विषयवार सामग्री को अंतिम रूप देने और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिव्यांगता के संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष स्कूल की स्थापना के लिए मानदंडों और दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए श्रीमती अलोका गुहा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से.एक बैठक 19 नवंबर, 2021 को शाम 4.00 बजे आरसीआई में आयोजित की गई।

(xx) विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में पुनर्वास पेशेवरों के पैनल में शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने और सभी 11 समितियों में विशेषज्ञों का चयन करने के लिए श्री सोहन पाल की अध्यक्षता में आरसीआई में 25 नवंबर, 2021 और 30 नवंबर, 2021 को आरसीआई में विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों/कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास /समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई।

तदनुसार, समिति के सदस्यों ने पेशेवरों / कामकों की विभिन्न श्रेणियों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए 11 विशेषज्ञ समितियां तैयार की हैं:

i. प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स.

ii. ऑडियोंलोजिस्टऑ, स्पीच लैंगवेज पेथेलाजिस्टि, हियरिंग एड और ईयर मोल्ड तकनीशियन, स्पीच और हियरिंग तकनीशियन

iii. नैदानिक मनोवैज्ञानिक और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक

iv. श्रवण बाधिता और वाक् और भाषा दिव्यांगता

v. दृष्टिहीन और निम्न दृष्टि के क्षेत्र में विशेष शिक्षक / अभिविन्यास और गतिशीलता विशेषज्ञ

vi. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष शिक्षक (बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार)

vii. बहु दिव्यांगताएँ (सेरेब्रल पाल्सी और बहरापन)

viii. पुनर्वास परामर्शदाता, व्यावसायिक सलाहकार, प्लेसमेंट अधिकारी, रोजगार अधिकारी और पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता

xi.. भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल)

x. पुनर्वास प्रशासक, समुदाय आधारित पुनर्वास कर्मी, बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता, पुनर्वास इंजीनियर,तकनीशियन और देखभाल करने वाले।

xi. समावेशी शिक्षा

(xxi) समावेशी शिक्षा के लिए 15 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए विषय–वार विषय–वस्तु को अंतिम रूप देने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिव्यांगता के संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष स्कूल की स्थापना के लिए मानदंडों और दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए श्रीमती आलोका गुहा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 दिसंबर, 2021 को आरसीआई में एक बैठक आयोजित की गई।

5.1.3 राष्ट्रीय कार्यशाला:

गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय संगोष्ठी: आरसीआई द्वारा 28–29 दिसंबर, 2021 को एनईडीएफआई कन्वेंशन सेंटर, गुवाहाटी, असम में "एनईपी –2020 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास को बदलना" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार द्वारा सम्मानित अतिथि श्री केशव महंत, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार, श्री जिष्णु बरुआ, मुख्य सचिव, असम सरकार, श्रीमती अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और आरसीआई के सदस्यर सचिव डॉ सुबोध कुमार, डीईपीडब्यूरी डी के संयुक्त सचिव डॉ. प्रबोध सेठ, मिजोरम के लोक निर्माण विभाग की राज्य आयुक्त श्रीमती वंदीलाला सेलो की उपस्थिति में किया गया । संगोष्ठी में देश भर के 89 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जैसे कि राज्य मुक्त और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति (एस), पीडब्ल्यूडी के लिए राज्य आयुक्त, मुख्य समन्वयक, जेडसीसी और दिव्यांगता क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ प्रख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया।

संगोष्ठी के दौरान, दिव्यांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों ने 06 चिन्हित विषयों पर विचार–विमर्श किया गया और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और एनईपी, 2020 में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन को बदलने के लिए आरसीआई गतिविधियों और कार्यक्रमों को संरेखित करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए आवश्यक सिफारिशें कीं।

5.1.4 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, परिषद ने 649 सतत् पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रमों और 1–5 दिनों की अवधि की कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन को मंजूरी दी है और 115348 लाभार्थियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। सीआरई कार्यक्रमों की स्थिति, स्वीकृत कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन और इसके लाभार्थियों का उल्लेख निम्नानुसार है:

महीना	2021-22			
	सीआरई कार्यक्रम	लाभार्थियों की संख्या	कार्यशाला / सम्मेलन / संगोष्ठी	लाभार्थियों की संख्या
जनवरी, 2021	14	923	13	2000
फरवरी, 2021	3	90	17	2350

महीना	सीआरई कार्यक्रम	2021-22 लाभार्थियों की संख्या	कार्यशाला / सम्मेलन / संगोष्ठी	लाभार्थियों की संख्या
मार्च, 2021	8	240	19	2600
अप्रैल, 2021	3	75	10	2100
मई, 2021	1	30	14	2700
जून,2021	14	420	215	41375
जुलाई, 2021	2	80	34	6000
अगस्त, 2021	3	105	121	24050
सितंबर, 2021	1	100	53	9250
अक्तूबर,2021	7	340	48	7800
नवंबर,2021	2	100	13	2450
दिसंबर,2021	18	5400	16	4770
कुल	**76**	**7903**	**573**	**107445**

5.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी)

5.2.1 सिंहावलोकन

(i) सीसीपीडी का कार्यालय निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 57 (1) के तहत स्थोापित किया गया था और वर्तमान संदर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74(1) के तहत स्थापित किया गया है ।

(ii) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे; उन कारकों की समीक्षा करेंगे जो दिव्यांगजनों के अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और उपरोक्त अधिनियम की धारा 75 (2) के अनुसार उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे;

(iii) मुख्य आयुक्त भी अपनी प्रेरणा से अपने प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा दिव्यांगों के अधिकारों से वंचित होने या कार्यान्वयन न करने या नियमों, उप–कानूनों, विनियमों के कार्यकारी आदेशों, दिशा–निर्देशों या निर्देशों आदि से संबंधित शिकायतों पर विचार कर सकते हैं, जो दिव्याांग व्यक्तियों के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए किए गए या जारी किए गए हैं और इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के पास ले जा सकते हैं । मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं ।

5.2.2 स्वप्रेरणा से लिए गए मामले :

सीसीपीडी का कार्यालय अधिनियम के विभिन्न उपबंधों जैसे रोजगार में आरक्षण, प्रवेश, प्रेस, मीडिया में रिपोर्ट किए गए दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव के उदाहरणों को लागू न किए जाने के बारे में स्व प्रेरणा से कार्य करता है और संबंधित प्राधिकारियों के साथ चर्चा करता है। इस तरह की सक्रिय पहलों ने न केवल दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा की है, बल्कि विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डरो) को भी संवेदनशील बनाया है और दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की है।

(i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 के तहत मुख्य आयुक्त–

(क) स्वयं या अन्यथा, किसी भी कानून या नीति, कार्यक्रम तथा प्रक्रिया–विधियों के प्रावधान का पता लगाएंगे, जो इस अधिनियम के असंगत है तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे।

(ख) स्वयं या अन्यथा, दिव्यांगजन के अधिकारों के अपवंचन अथवा ऐसे मामलों के लिए जिसमें केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा की जांच करेंगे तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष ले जाएंगे।

(ग) दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे।

(घ) दिव्यांगजनों के अधिकारों के उपयोग को रोकने वाले कारकों की समीक्षा करेंगे तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे।

(ड.) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों तथा संधियों का अध्ययन करेंगे तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे।

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे तथा उसका प्रचार करेंगे।

(छ) दिव्यांगजन के अधिकारों की जागरूकता का प्रचार करेंगे तथा उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षा उपायों का प्रचार करेंगे।

(ज) इस अधिनियम और दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए योजनाओं कार्यक्रमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे।

(झ) दिव्यांगजनों के लाभार्थ केंद्र सरकार द्वारा सुपुर्द की गई निधियों के प्रयोग की मॉनिटरिंग करेंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य क्रियाकलापों का निष्पादन करेंगे।

(ii) मुख्य आयुक्त इस अधिनियम के तहत अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के दौरान किसी भी मामले पर आयुक्तों से परामर्श करेंगे।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) की धारा 77 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से मुख्य आयुक्त की शक्तियां सिविल न्यायालय के समान हैं, जो सिविल प्रक्रिया –विधि संहिता, 1908 के तहत एक न्यायालय में निहित हैं, जबकि निम्नलिखित मामलों के संबंध में मुकदमें की सुनवाई करते हुए वह :

(क) गवाहों को बुलाकर उपस्थित होने को कह सकते हैं;

(ख) किसी भी दस्तावेज का पता लगाना तथा समक्ष रखने को कहना

(ग) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या प्रतिलिपि को मांगना

(घ) शपथ पत्र पर सबूत प्राप्त करना; और

(ड.) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए अधिकार–पत्र (कमीशन) जारी करना।

(iv) मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अधीन एक न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और चौथे अध्याय XXVI के उद्देश्य के लिए एक सिविल न्यायलय के रूप में माना जाएगा।

5.2.3 राष्ट्रीय समीक्षा बैठक :

आयुक्तों के कार्य के समन्वयन और दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से, सीसीपीडी कार्यालय प्रतिवर्ष राज्य आयुक्तों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित करता है। राज्य आयुक्त अपने कार्य और उनके द्वारा की गई पहलों और वर्ष के दौरान दिव्यांगता के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हैं। कोविड–19 के कारण वर्ष 2020 और 2021 में राष्ट्रीय समीक्षा बैठक (एनआरएम) नहीं आयोजित की जा सकी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022 की समाप्ति से पहले इसे बुलाने की योजना बनाई जा रही है।

(i) **निधियों की मॉनीटरिंग** : अधिनियम की धारा 75 (i) के तहत सीसीपीडी का एक महत्वपूर्ण कार्य केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लाभ के लिए वितरित की गई निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करना है।

(ii) **सार्वजनिक भवनों/स्थानों का एक्सेस ऑडिट** : सीसीपीडी के कार्यालय ने सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी कार्यालय भवनों, अस्पतालों, स्टेडियमों, बाजार स्थानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टॉप, धार्मिक स्थानों आदि की एक्सेस ऑडिट करने की पहल की और यह सुनिश्चित किया कि दिए गए समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं।

(iii) **शिकायतों का निवारण** : दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 75 के तहत, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) को दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा करने और उनके अधिकारों के अपवंचन से संबंधित उनकी शिकायतों को दूर करने और उचित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियम उप–कानूनों आदि को लागू नहीं करने के संबंध में कदम उठाने का अधिदेश दिया गया है। सीसीपीडी कार्यालय दिव्यांगजनों द्वारा न्याय मांगने के लिए एक केंद्र बिंदु है। जब भी उन्हें किसी उपयुक्त सरकारी निकाय या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इस कार्यालय की ओर रुख करते हैं।

(iv) सितंबर, 2998 में अपनी स्थापना के बाद से सीसीपीडी के कार्यालय में कुल 39215 मामले दर्ज किए गए हैं और दिसंबर, 2021 के अंत तक 39036 मामलों का निपटारा कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 366 मामले दर्ज किए गए और पिछले वर्ष के बैकलॉग सहित 293 मामलों का निपटारा किया गया। उपरोक्त मामलों/शिकायतों में मुख्य आयुक्त/आयुक्त की सिफारिश को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

(v) **शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई** : कोविड 19 के कारण शिकायतकर्ता और प्रतिवादी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना संभव नहीं था। इसलिए सीसीपीडी कार्यालय जून 2020 से वेबेक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल हियरिंग का आयोजन कर रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक कुल 174 मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया गया।

5.2.4 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

(i) वर्ष 2019 के दौरान आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 को शीघ्र लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिवों से आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को शीघ्र लागू करने, राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन और राज्य आयुक्त कार्यालयों को सुदृढ़ करने और संबंधित राज्यों में इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का अनुरोध किया गया है।

(ii) उपरोक्त के अलावा, दिव्यांगजन केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, होटलों, एयर पोर्ट्स, प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों, सिनेमा, ऑडिटोरियम, मेट्रो रेल, एयरलाइंस, प्राइवेट/पीएसयू बैंकों, एम्स अस्पतालों, तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों, पासपोर्ट कार्यालयों को दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता और बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए समान अवसर नीतियों के पंजीकरण और शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के लिए निर्देशित किया गया ।

(iii)उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों द्वारा सीसीपीडी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले समान अवसर नीति के दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और इन दिशानिर्देशों के आधार पर विभिन्न संगठनों से प्राप्त नीति की संवीक्षा की जा रही है।

5.2.5 आरपीडब्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत दिव्यांयगजनों के लिए सुगम्यता के मानकों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए सुसंगत दिशानिर्देशः

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अनुसार, केंद्र सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से, दिव्यांलगजनों के लिए सुगम्य4ता के मानकों को निर्धारित करने वाले नियम बनाएगी। आरपीडब्ल्यूडी नियमों की धारा 16 में कहा गया है कि केंद्र सरकार नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर अधिसूचित सुगम्यता मानकों की समय–समय पर समीक्षा करेगी। इस प्रकार, 11 मंत्रालयों/विभागों ने अपनी जानकारी प्रस्तुत कर दी है और आवश्यक परामर्श पहले ही 08 मंत्रालयों/विभागों को प्रदान किया गया है।

5.3 ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास ।

5.3.1 परिचय

राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है जिसका नाम है ''ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999'' ।

राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों–कानूनी और कल्याण के निर्वहन के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समितियों के माध्यम से कानूनी संरक्षकता प्रदान करने के लिए कानूनी र्कतव्यों का निर्वहन किया जाता है। योजनाओं के माध्यम से कल्याण कर्त्तव्य का निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और सशक्तिकरण शामिल हैं। अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए दिव्यांगजनों के समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूरी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय न्यास प्रतिबद्ध है।

5.3.1 संगठनों का पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ दिव्यांगजन संघ जो ऑटिजम, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहुत दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे है। जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या पब्लिक चौरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के अधीन और निःशक्त अधिनियम 1995 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित राज्य में पहले से ही पंजीकृत किए गए हैं वे राष्ट्रीय न्यास में फॉर्म ई, (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को भरने पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त) उचित रूप से मोहर लगाकर संगठन के मुखिया से हस्ताक्षर कराकर ऑनलाइन फॉर्म भरने के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकते हैं। न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए न्यास के साथ ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक है।

5.3.2 राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) की कुल संख्या 637 है। 01.04.2021 से 31.12.2021 तक पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की कुल संख्या 138 है। राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर आरओ की राज्य वार और जिले वार सूची देखी जा सकती है।

(i) कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति

i. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 में स्थानीय स्तर की समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगजनों के लिए दी जाने वाली संरक्षकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। संरक्षकता एक आवश्यकता आधारित सक्षम प्रावधान है।

ii. एक संरक्षक वह व्यक्ति होता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा लेता है जिसके लिए उसे संरक्षक नियुक्त किया जाता है। संरक्षक व्यक्ति की ओर से तथा उसके प्रतिपाल्य (वार्ड) संपत्ति के संबंध में सभी कानूनी निर्णय लेता है।

iii- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति एक विशेष स्थिति में हैं क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी, वे हमेशा अपने स्वयं के जीवन का प्रबंधन करने या अपनी बेहतरी के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, उन्हें किसी को अपने पूरे जीवन में कानूनी क्षेत्रों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहु दिव्योंगता के मामलों में, सक्षम तंत्र और / या वैज्ञानिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण केवल सीमित संरक्षकता की आवश्यकता हो सकती है, जो ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता की अलग–अलग डिग्री के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है।

iv- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानीय स्तर की समिति को नियम 16 (1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए नियम 16 (2) के तहत फॉर्म बी में अभिभावकों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनके हितों की निगरानी और रक्षा के लिए तंत्र भी प्रदान करता है.

देश में पिछले 7 वर्षों के दौरान, योजना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के माध्यम से 19718 सत्यापित कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति की गई है। वर्ष 2021–2022 (दिसंबर, 2021 तक) में, 3866' सत्यापित कानूनी अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से नियुक्त किया गया.

'अस्वीकरणः – उपरोक्त आंकड़ा योजना प्रबंधन प्रणाली से दिसंबर 2021 को है। यदि किसी मामले की समीक्षा की जाती है तो यह स्थानीय स्तर की समिति के निर्णय के अनुसार बदल सकता है.

(ii) स्थानीय स्तर की समिति (एलएलसी)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 के तहत देश के प्रत्येक जिले में 3 वर्षों की अवधि या जब तक निम्नलिखित सदस्यों का बोर्ड द्वारा पुनर्गठन नहीं किया जाता है तब तक एक स्थानीय स्तर की समिति का गठन करना अपेक्षित है–

- संघ के या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला न्यायाधीश या जिले का जिला आयुक्त के रैंक से कम ना हो;
- राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि तथा निःशक्तजन अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में परिभाषित एक दिव्यांगजन।

स्थानीय स्तर की समिति का कार्य कानूनी संरक्षकों की स्क्रीनिंग, नियुक्ति, निगरानी करना और उन्हें हटाना है । एलसीएस जागरूकता सृजन, अभिसरण (कन्वर्जन्सज) और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 717 एलएलसी का गठन किया गया है, जिसमें एलएलसी के अध्यक्ष के रूप में डीसी / डीएम हैं।

(iii) राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी)

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को पूरा करने, राज्य स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन और संबंधित राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय/संपर्क के लिए राष्ट्रीय न्यास के एक प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास संस्थागत गतिविधियों के संचालन के लिए निधियां प्रदान करता है जैसे पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी), राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलएलसी) की बैठकों के आयोजन, डाक्युमेंटेशन/रिपोर्टिंग, समन्वयकों के लिए मानदेय, विविध गतिविधियां । इस समय देश में 28 एसएनएसी हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान एसएनएसी को 41.57 लाख रुपये की राशि जारी की गई। सभी राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएएनएसी) की व्यापक सूची राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iv)राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)

प्रत्येक राज्य/यूटी सरकार से राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) गठित करने का अनुरोध किया गया है। दिव्यांगता को देखने वाले राज्य सरकार के सचिव समिति के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी समिति का संयोजक होता है। अब तक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन किया गया है।

5.3.3 वर्ष 2021–22 के दौरान शुरू की गई नई/संशोधित योजनाओं के तहत स्वीकृत योजनाएं, मुख्य विशेषताएं और परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

(i) दिशा (0–10 वर्ष की आयु वालों के लिए प्रारम्भिक उपाय और स्कूल तैयारी योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी योजना है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभिक उपाय करने हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को एक दिन में प्रातः 8 बजे और सायंकाल 6 बजे के बीच में न्यूनतम 4 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय देख–भाल की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसमें दिव्यांगजनों के लिए केन्द्र में देखभाल प्रदाता और आया सहित विशेष अनुदेशक अथवा प्रारम्भिक उपाय थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशेनल थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए।

देश में पिछले 7 वर्षों के दौरान 3822 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 115 दिशा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इसमें वर्ष 2021–22 के दौरान 30 दिशा केन्द्रों के माध्यम से लाभान्वित 234 लाभाथी शामिल हैं। इसमें वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान जारी की गई 83.67 लाख रुपये की राशि शामिल है।

(ii) विकास (10 + वर्षीय के लिए दिवस देखभाल योजना)

यह 10 वर्ष और उससे ऊपर की के दिव्यांगजनों के लिए दिवस देखभाल योजना है, मुख्य रूप से अन्तर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढाने हेतु यह दिवस देखभाल योजना है क्योंकि वे उच्चतर आयु वर्गों में संक्रमण काल के जाने की स्थिति में होते हैं। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को उनकी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए सहायता करता है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों को एक दिन में (प्रातः 8 बजे और सांयकाल 6 बजे के बीच में) न्यूनतम 6 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय–देखभाल की सुविधा दी जानी चाहिए। दिवसीय देखभाल केन्द्र एक माह में न्यूनतम 21 दिनों के लिए खुला रहना चाहिए।

देश में पिछले 7 वर्षों के दौरान 6212 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 124 विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 33 विकास केंद्रों के माध्यम से 547 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस योजना के तहत अब तक 2157.04 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान जारी की गई 169.63 लाख रुपये की राशि शामिल है।

(iii) दिशा–सह विकास योजना (डे केयर)

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। परियोजना धारकों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर, 42 परियोजना धारकों को 1.4.2018 से विलय दिशा–सह–विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गई थी।

देश में पिछले 4 वर्षों के दौरान 4271 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाले 42 दिशा–सह–विकास केंद्र हैं। इसमें वर्ष 2021–22 के दौरान लाभान्वित 968 लाभार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 1750.74 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान जारी की गई 320.18 लाख रुपये की राशि शामिल है।

(iv) समर्थ (राहत रेस्पाइट देखभाल योजना)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फँसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एंव निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगों को राहत (रेस्पाईट) गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। इस योजना के तहत सभी आयु वर्गों के लिए, व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

देश में पिछले 7 वर्षों के दौरान 1781 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 45 समर्थ केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 13 समर्थ केंद्रों के माध्यम से 160 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस योजना के तहत अब तक 1011.40 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान 90.98 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

(v) घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और जीवनभर न्यूनतम देखभाल सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। योजना देशभर में सुनिश्चित गृह व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करती है, स्वतंत्र और गौरवपूर्ण सहायता प्राप्त रहन–सहन को प्रोत्साहित करती है तथा चिरस्थायी आधार पर देख–भाल सेवाएं उपलब्ध कराती है।

देश में पिछले 7 वर्षों के दौरान 1550 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 50 घरौंदा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 22 घरौंदा केंद्रों के माध्यम से 275 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 1664.83 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान 219.60 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

(vi) समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई सहमति और योजना की नियमावली पर आधारित, इन क्षेत्रीय कार्यालयों को 01 अप्रैल, 2018 से विलय की गई समर्थ–सह घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गई थी।

देश में पिछले 4 वर्षों के दौरान 926 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाले 12 समर्थ–सह–घरौंदा केंद्र हैं। इसमें वर्ष 2021–22 के दौरान 223 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाले 13 केंद्र शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 617.95 लाख रुपये की राशि जारी की जा

चुकी है। इसमें वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान 174.26 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

(vii) बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक इंटरऐक्षन और अभिनव परियोजना योजना)

यह स्कीम राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को ऐसी गतिविधियां शुरू करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित हों। योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, संवेदीकरण, दिव्यांगजनों का सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। राष्ट्रीय न्यास प्रतिवर्ष प्रत्येक पंजीकृत संगठन के लिए अधिकतम 4 समारोहों को को प्रायोजित करेगा। प्रत्येक पंजीकृत संगठन को एक वर्ष में या तो समुदाय, शैक्षिक संस्थानों या चिकित्सा संस्थानों के लिए कम से कम एक समारोह को संचालित करना चाहिए।

इस योजना के तहत देश में पिछले 7 वर्षों के दौरान 126 पंजीकृत संगठनों (आरओ) को मंजूरी दी गई है। अब तक 1.28 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(viii) 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है और इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। इस योजना के तहत, 1 लाख रुपये का बीमा कवर है, जिसमें ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारात्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन शामिल हैं। उपचार किसी भी अधिकृत चिकित्सक / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से लिया जा सकता है। यह प्रतिपूत के आधार पर है। यह योजना पूरे देश में 700 से अधिक पंजीकृत संगठनों के माध्यम से चल रही है जो ऑनलाइन आवेदन भरने में दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करते हैं। उपर्युक्त शर्त वाला कोई भी व्यक्ति नाममात्र शुल्क का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकता है। 2021–22 से, योजना के तहत नवीकरण हमारे पोर्टल के माध्यम से माता–पिता / अभिभावकों द्वारा स्वयं किया जा सकता है।

नामांकन / नवीकरण शुल्क उन दिव्यांगजनों के लिए नहीं लिया जाता है जिनके पास प्राकृतिक माता–पिता के अलावा कानूनी अभिभावक हैं।

वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान, 109753 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। कुल 13447 दावों का निपटान 630.24 लाख रुपये है। वर्ष के दौरान व्यय 612.07 लाख रुपये (दिसंबर, 2021 तक) है। वर्तमान में, यह योजना मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

5.3.4 संपर्क –'जरूरत के समय में योजना'

नेशनल ट्रस्ट ने 1–11–2019 को संपर्क – 'जरूरत के समय में' योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों को प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि के मामले में 100 दिनों की अवधि के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है, जो प्रत्येक कार्यक्रम के पहले दिन से शुरू होगा। संपर्क योजना को सुपर साइक्लोन से प्रभावित ओडिशा के 10 जिलों और पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में लागू किया गया था। वर्तमान में, संपर्क योजना महाराष्ट्र के 3 जिलों, गुजरात के 9 जिलों, ओडिशा के 9 जिलों और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में चक्रवात 'तोकते' और 'वाईएएएस' के कारण कार्यान्वित की जा रही है। योजना की 100 दिनों की अवधि 8–11–2021 को समाप्त हो गई। तथापि, योजना की अनूठी प्रकृति के कारण, जिसके लिए पंजीकृत संगठनों, माता–पिता/अभिभावक और क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के बीच बहुत प्रचार और समन्वय की आवश्यकता होती है, योजना को 16–2–2022 तक बढ़ाया जाता है।

5.3.5 बोर्ड की बैठकें और वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

(i) इस अवधि के दौरान, नेशनल ट्रस्ट ने 27 सितंबर, 2021 को 88 वीं बोर्ड बैठक और 20 दिसंबर, 2021 को नेशनल ट्रस्ट की 89 वीं बोर्ड बैठक सुश्री अंजलि भवरा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और नेशनल ट्रस्ट की अध्यक्षता में आयोजित की।

(ii) राष्ट्रीय न्यास की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 28 सितंबर, 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सुश्री अंजलि भावड़ा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास और डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव की अध्यक्षता में हुई। श्री निकुंज किशोर सुंदरे, जेएस एंड सीईओ, बोर्ड के सभी सदस्यों और 383 हितधारकों / पंजीकृत संगठनों (आरओ) ने बैठक में भाग लिया। वार्षिक प्रतिवेदन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बोर्ड के सदस्यों ने राष्ट्रीय ट्रस्ट की गतिविधियों, विशेष रूप से कोविड–19 के दौरान किए गए कार्यों और कोविड–19 के दौरान अपनी गतिविधियों को हमेशा की तरह जारी रखने के लिए नेशनल ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। खुले सत्र में प्रतिभागियों द्वारा कई सवाल उठाए गए, जिन्हें नेशनल ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया।

सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, नेशनल ट्रस्ट 28 सितंबर, 2021 को 21 वीं एजीएम को संबोधित करते हुए

5.3.6 अन्य गतिविधियाँ

(i) डिजिटल सर्वोत्तम प्रथाओं और पूर्वोत्तर शिखर सम्मेलन पर राष्ट्रीय सम्मेलन–

राष्ट्रीय ट्रस्ट ने 7 अगस्त, 2021 को बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूआईडीडी) के लिए वर्चुअल आधार पर 'डिजिटल सर्वोत्तम प्रथाओं और पूर्वोत्तर शिखर सम्मेलन पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। अपनी तरह के पहले में, शिखर सम्मेलन का आयोजन देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों पर ध्यान केंद्रित करके किया गया था। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ (आजादी का अमृत महोत्सव) का जश्न मनाते हुए, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और क्षेत्र में राष्ट्रीय ट्रस्ट की योजनाओं और गतिविधियों के फुटफॉल को बढ़ाना था। कन्वेंशन में राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) और क्षेत्र के संगठनों, पेशेवरों और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) ने भाग लिया।

(ii) शिक्षण एवं अधिगम सामग्री (टीएलएम) किटों का वितरण–

राष्ट्रीय न्यास ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद से शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) किट खरीदी थी और दिशा, विकास, समर्थ और घरौंदा आदि नामक केंद्र आधारित योजनाओं के लाभाथयों को वितरित की थी। इन किटों के उपयोग पर एक बैठक 26 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद के सहयोग से आयोजित की गई थी.

(iii) जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में नेशनल ट्रस्ट की गतिविधियों के विस्तार पर बैठक –

जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 से बाहर रखा गया था। हाल ही में, अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में जोड़ा गया था। इसलिए, 31 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में माननीय उपराज्यपाल, जम्मू–कश्मीर के सलाहकार, डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव, जेएस एंड सीईओ, नेशनल ट्रस्ट, डीडीजी–डीईपीडब्ल्यूडी, एसडब्ल्यू, जम्मू–कश्मीर के सचिव, डीएम, सीएमओ, डीएसडब्ल्यूओ, गैर–सरकारी संगठनों, माता–पिता/अभिभावक और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के पेशेवर मौजूद थे। बैठक में 268 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और क्षेत्र में राष्ट्रीय ट्रस्ट की गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप विकसित करना था.

(iv) "संपर्क–आवश्यकता की घड़ी में" पर राष्ट्रीय सम्मेलन"–

इस योजना पर जेएस एंड सीईओ, नेशनल ट्रस्ट की अध्यक्षता में 12 और 13 अक्टूबर, 21 को दो दिवसीय वर्चुअल नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया गया था, जिसमें योजना से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। राष् ट्रीय न् यास के बोर्ड सदस्यों, श्री मृत् युंजय झा, उप सचिव, डीईपीडब्ल्युडी, एनआईईपीआईडी के पेशेवरों, श्री पंकज मारू, समन्वयक और पूर्व एसएनएसी मध्य प्रदेश ने भी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया और डीईपीडब्ल्यूडीकी योजनाओं और कार्यक्रमों, यूडीआईडी कार्ड जारी करने, निरामय योजना, टीएलएम किट आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में बताया। ओडिशा के बोर्ड सदस्य डॉ. आशीष कुमार, जहां पहले चरण में योजना लागू की गई थी, ने योजना की प्रशंसा की और कहा कि यह योजना बहुत फायदेमंद साबित हुई.

(v) कवर न किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण के लिए गैर–सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए उप–समिति की बैठक –

अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जैसे कवर न किए गए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ पंजीकरण करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर काम करने के लिए बोर्ड सदस्यों की एक उप–समिति ने वर्चुअल रूप से 16 दिसंबर, 2021 को बैठक की। बोर्ड के सभी सदस्यों, राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) और कुछ सरकारी अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया.

(vi) हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के विभिन्न समूह से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक –

क. 7 मई, 2021 को राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) के साथ।

ख. 17 मई 2021 से 11 जून, 2021 तक एक या दो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ।

ग. 7 सितंबर, 2021 को इंडिया / 75 के लिए 'एसिसटिव लिविंग प्रोग्राम ऑफ एडल्ट पर्सन्स विद इनेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूआईडीडी) पर।

घ. 14 सितंबर, 2021 को इंडिया /75 के लिए 'अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग फोर चिल्ड्रन विद एडल्ट पर्सन्स विद इनेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूआईडीडी) पर।.

ड. पंजीकृत संगठनों और विभिन्न योजनाओं के परियोजना धारकों के साथ नामतः दिशा (0 से 10 वर्षों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना), विकास (10 वर्षों के लिए डे केयर योजना), समर्थ (राहत देखभाल आवासीय योजना) और घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर, 2021 तक आयोजित की गई।

च. 6 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर, 2021 तक 5/6 राज्यों के साथ आयोजित।.

(vii) बैठकों / सेमिनारों में राष्ट्रीय ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया ।

क. जेएस एंड सीईओ, नेशनल ट्रस्ट ने 22 नवंबर, 2021 को आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, एसएनएसी छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन और उसमें भाग लिया

ख. कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने निम्नलिखित सेमिनारों / बैठकों में भाग लिया।

- राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी), तमिलनाडु द्वारा आयोजित 1 अप्रैल, 2021 को विश्व डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म दिवस पर वर्चुअल बैठक।
- 17 मई 2021 से 24 जून 2021 तक प्रत्येक राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएएसी) द्वारा आयोजित एक राज्य / केंद्र शासित संघ क्षेत्रवार वर्चुअल बैठक।
- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून ने 23 और 24 जुलाई 2021 को 5 वें उत्तर–पूर्व भारत फैशन वीक (एनईआईएफडब्ल्यू) 2021 का आयोजन किया।
- शुभाशीष शिक्षा विकास सेवा संस्थान, एसएनएसी–रायबरेली द्वारा 18 से 20 सितंबर, 2021 तक सामुदायिक आधारित पुनर्वास पर राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया गया।
- पंजीकृत संगठन (आरओ), बेथनी सोसाइटी शिलांग द्वारा 18 नवंबर, 2021 को राज्य स्तरीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया।
- गुवाहाटी, असम में 28–29 दिसंबर, 2021 को "एनईपी–2020 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास को बदलना" पर भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी।

ग. उप निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने निम्नलिखित संगोष्ठी / बैठकों में भाग लिया –

- राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी), आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित 2 अप्रैल, 2021 को विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस पर वर्चुअल बैठक।
- 23 और 24 अप्रैल, 2021 को तपन पुनर्वास सोसायटी, एसएनएसी हरियाणा द्वारा वर्चुअल बैठक "जागरूकता अभियान" का आयोजन किया गया।
- इंडियन नेशनल पोर्टेज एसोसिएशन (आईएनपीए), चंडीगढ़ द्वारा "आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और एनईपी 2020 को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमीडिया दृष्टिकोण के माध्यम से प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रथाओं में उत्कृष्टता के लिए क्वेस्ट" पर 3 मई, 2021 को आयोजित वर्चुअल बैठक।
- शुभाशीष शिक्षा विकास सेवा संस्थान, एसएनएसी–रायबरेली द्वारा 18 से 20 सितंबर, 2021 तक सामुदायिक आधारित पुनर्वास पर राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया गया।
- पंजीकृत संगठन (आरओ), बेथनी सोसाइटी शिलांग द्वारा 18 नवंबर, 2021 को राज्य स्तरीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया।

(viii) राष्ट्रीय न्यास स्थापना दिवस

नेशनल ट्रस्ट ने 30 दिसंबर, 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया। कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राष्ट्रीय ट्रस्ट के दैनिक कामकाज पर चर्चा की गई थी और राष्ट्रीय ट्रस्ट की गतिविधियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए योजना बनाई गई थी.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई)

6.1 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)

एलिम्को एक अनुसूची ''ग'' लघुरत्न श्रेणी–II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य के लिए नही) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप), के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। निगम ने 1976 में कृत्रिम सहायक यंत्रों/उपकरणों का निर्माण शुरू किया था। वर्तमान में, इसके भुवनेश्वर (उड़ीसा), जबलपुर (मप्र), बेंगलुरु (कर्नाटक), मोहाली (पंजाब) और उज्जैन (मध्यप्रदेश) में स्थित पांच सहायक उत्पादन केंद्र (एएपीसी) हैं। निगम के नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी में पांच विपणन केंद्र भी हैं।

6.1.2 उद्देश्य

देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति तथा वितरण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित करना है। निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित मूल्य पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना है।

6.1.3 वित्तीय विशिष्टताएं

वित्त वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान निगम ने पिछले वर्ष 2020–21 में 275.87 करोड़ के कारोबार की तुलना में 208.42 करोड़ रुपये (अनंतिम)का कारोबार किया है। इस प्रकार 2020–21 में 265.95 करोड़ रुपये की तुलना में 205 करोड़ रुपये (अनंतिम) उत्पादन मूल्य दर्ज किया गया है।

6.1.4 निगम की वास्तविक कार्यक्षमता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े

क्र.स.	वास्तविक प्रदर्शन (महत्वपूर्ण का वास्तविक प्रदर्शन)	उत्पाद (संख्या में)		बिक्री (संख्या में)	
		2020-21	**2021-22 31.12.2021** की स्थिति के अनुसार अंतिम आंकडे)	**2020-21**	**2021-22 (31.12.2021** की स्थिति के अनुसार अंतिम आंकडे)
1	ट्राईसाइकिल	57092	42794	58105	46135
2	व्हील चेयर	66259	56631	68858	57416
3	बैसाखियां	52883	52516	57393	66724
4	श्रवण यंत्र	133500	14961	97576	71746

विवरण	**2021-22 की बिक्री आंकड़े (31.12.2021 तक के अंतिम आँकड़े)**	**2020-21 की बिक्री**
जीआईए से जुटाए गए संसाधन	136.76	157.13
जीआईए के अलावा जुटाए गए संसाधन	71.66	118.74
कुल	**208.42**	**275.87**

6.1.5 एडिप शिविर

निगम ने 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को कवर करने वाले 307 शिविरों के माध्यम से एडिप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 78119 लाभार्थियों (31.12.2021 तक के अनंतिम आंकड़े) को उपकरण–वार कवर किया है.

6.1.6 एडिप–सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिविर

एडिप–सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत, वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक के अनंतिम आंकड़े) में 763 शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें 01–12 के वर्ग समूह में विशेष जरूरतों वाले 81652 बच्चों को 13 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए सेवा प्रदान की गई थी।

6.1.7 राष्ट्रीय वयोश्री योजना

देश भर के विभिन्न जिलों/स्थानों पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के निष्पादन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एलिम्को को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निगम ने देश भर के 38 जिलों में 180 वितरण शिविरों का आयोजन किया है, जिसमें निगम ने 29016 सहायक यंत्र और उपकरण (31.21.2021 तक) अनंतिम वितरित किए थे।.

6.1.8 औद्योगिक संबंध

निगम में औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा है। निगम सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करके परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से अपने प्रबंधन में सहभागिता संस्कृति को प्रोत्साहित करना जारी रखता है। किसी भी प्रकार की औद्योगिक संबंध समस्या के कारण निगम ने वर्ष के दौरान काम के घंटो का नुकसान नही किया है।

6.1.9 सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निगम द्वारा उठाए गए कदम

क. भारतीय गुणवत्ता परिषद (भारत सरकार का एक निकाय), गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सहभागिता

सहायक यंत्रो एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, निगम ने निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूसरे स्तर/चरण की गुणवत्ता जांच के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को नियुक्त किया। भारतीय गुणवत्ता परिषद स्वतंत्र रूप से अपने 16 तेजी से आगे बढ़ने वाले उत्पादों के लिए निगम में उत्पाद गुणवत्ता मूल्यांकन कर रही है और विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करती है जिसमें वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 में 100 प्रतिशत गुणवत्ता अनुपालन की सूचना दी गई है।

ख. पैकेजिंग में सुधार के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान (भारत सरकार का एक निकाय) की सहभागिता

सहायक यंत्रो और सहायक उपकरणों की पैकेजिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, निगम ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान (भारत सरकार का एक निकाय) को अपने तेजी से चलने वाले सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के लिए पैकेजिंग समाधान विकसित करने के लिए नियुक्त किया। तदनुसार, आईआईपी ने मोटरचालित ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और सीपी चेयर के लिए पैकेजिंग का बेहतर संस्करण विकसित किया।

ग. सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के परिवहन के लिए क्लोज बॉडी कंटेनरों को अपनाना

परिवहन/ट्रांसशिपमेंट, जंग निर्माण के दौरान और प्रत्यक्ष पर्यावरणीय जोखिम के कारण विभिन्न सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के नुकसान को समाप्त करने के लिए, निगम ने क्लोज बॉडी कंटेनरों का उपयोग करके परिवहन को अपनाया। वितरित माल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

6.1.10 शिविर तस्वीरों की झलक

(एडिप योजना के तहत सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए शिविर 19.01.2021 को तत्कालीन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और श्री मिलिंद मलिक, ग्रामीण विकास मंत्री, गोवा सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की दक्षिण गोवा में उनकी उपस्थिति में आयोजित किया गया था)

(एडिप योजना के तहत सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए शिविर 19.01.2021 को तत्कालीन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और श्री मिलिंद मलिक, ग्रामीण विकास मंत्री, गोवा सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की दक्षिण गोवा में उनकी उपस्थिति में आयोजित किया गया था)

(अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल 5 मार्च, 2021 को ईटानगर, अरुणांचल प्रदेश में आयोजित शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सीनियर सिटीजन को व्हीलचेयर और वॉकिंग स्टिक वितरित कर रहे हैं)

(त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री ने 26.02.2021 को अगरतला में आयोजित शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत तत्कालीन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर वितरित की)

6.1.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत गतिविधियां (विक्रय)

एलिम्को अपनी सीएसआर परियोजनाओं के हिस्से के रूप में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में कई कंपनियों के लिए सीएसआर कार्यान्वयन साझेदार के रूप में भी काम कर रहा है। निगम ने पहल की है और दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के मूल्यांकन और वितरण के लिए एलिम्को के माध्यम से अपने सीएसआर दायित्व को लेने के लिए सभी लाभ कमाने वाले सीपीएसयू से संपर्क करना शुरू कर दिया है। निगम ने ओएनजीसी लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गेल (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित कई सीपीएसयू के साथ हाथ मिलाया है। इरकॉन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, वाप्कोस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड आदि के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया है। निगम ने 37 सीएसआर शिविर आयोजित किए थे और 2021–22 में 7534 उपकरण वितरित किए हैं (31.12.2021 तक अनंतिम आंकड़ा)।

6.1.12 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

भले ही कंपनी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन एक कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते, कंपनी अन्य व्यक्तियों की सामाजिक जरूरतों को भी समझती है। इसलिए, कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति के तहत 2021–22 के दौरान 202.18 लाख रुपये के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों (31.12.2021 तक) पर 170.59 लाख रुपये खर्च किए।

6.2 नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 1997 में की गई थी। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार स्वामित्व अधीन है तथा इसकी 499.50 (चार सौ निनयानवे और पचास लाख रू. केवल) करोड़ रूपए की अधिकृत शेयर पूंजी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

6.2.1 उद्देश्य

(i) दिव्यांगजनों के लाभ /आर्थिक पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना।

(ii) ऐसी आय और/या आर्थिक मानदंडों जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हो, के अध्यधीन सहायता करना। जो आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं माध्यम से दिव्यांगजनों या दिव्यांगजनों के समूहों को ऋण और अग्रिम राशि द्वारा की जा सकती है। स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सामान्य / व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों को ऋण देना।

(iii) उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजन के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में सहायता करना।

(iv) दिव्यांगजनों के लिए समाज में समावेशन और आरामदायक जीवन जीने की सुविधा।

(v) उनकी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों के उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केंद्र और अन्य ढांचागत गतिविधियाँ स्थापित करना।

(vi) दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और पुनः वित्तपोषण करने के माध्यम से उन्हें वाणिज्यिक निधियन प्राप्त करने के माध्यम से उनके विकास के प्रबंधन करने के लिए राज्य स्तर के संगठनों की सहायता करना।

(vii) राज्य सरकारों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों, साझेदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों, जिनके द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए निधियों के चेनेलाईजिंग हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

(viii) स्व–नियोजित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह या पंजीकृत कारखानों/कंपनियों/दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों को उनके तैयार माल के विपणन में सहायता करने और कच्चे माल की खरीद में सहायता करना।

6.2.2 गतिविधियां/कार्य

(i) क्रेडिट आधारित गतिविधियां:

एनएचएफडीसी 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सहायता, ब्याज–दर और पुनर्भुगतान अवधि विस्तार का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	योजना	अधिकतम ऋण (रू. लाख में)	लाभार्थियों द्वारा देय ब्याज दर	ऋण चुकाने हेतु अधिकतम अवधि
1	दिव्यांगजन स्वाबलंबन योजना	50.00 लाख रू.	5.9: वार्षिक#	10 वर्ष
2	विषेश माइक्रोफाइनेंस योजना	प्रति पीडब्ल्यूडी 60000 रू.	12 प्रतिशत वार्षिक	3 वर्ष

दिव्यांगजनों स्वाबलम्बन योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं/ओएच के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजन को 50000/–रू. तक के स्वरोजगार ऋण में 1 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी गई है। एनएचएफडीसी द्वारा इस छूट को वहन किया जाता है।

(ii) गैर क्रेडिट आधारित गतिविधियाँ :

एनएचएफडीसी अपने जनादेश को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों के हित में धन प्रदान करता है और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। ये हैं :

(क) कौशल प्रशिक्षण :

- कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए सहायता :

  एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों को पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों और उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सक्षम और आत्म–निर्भर बनाने के लिए 18–50 वर्ष की आयु के बीच के दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल किए गए प्रशिक्षण भागीदारों/प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएफडीसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान आम मानदंडों के अनुसार स्टाईपेंड भी प्रदान करता है।

- कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यापक पात्रता मानदंड

  एनएचएफडीसी योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की आयु 15–50 वर्ष होनी चाहिए।

(ख) जागरूकता सृजन और विपणन सहायता

- जागरूकता सृजन :

  एनएचएफडीसी कान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाओं पर प्रचार। जागरूकता सृजन के लिए किए गए खर्चा की प्रतिपूर्ति करता है। यह प्रतिवर्ष 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) तक की राषि या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्श में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संवितरित राशि के 0.10: पर विचार किया जाता है।

- विपणन सहायता :

  एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करता है।

दिव्यांगजनों के नियमित रूप से विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु प्रायोजित किया जाता है। एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों की व्यावसायिक पहुंच को बढाने के लिए उनके उत्पादों के ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन की भी सुविधा प्रदान करता है।

6.2.3 प्रदर्शन और उपलब्धि

2019–20 से 2021–22 तक (31.12.2021 तक) ऋण योजनाओं के तहत एनएचएफडीसी की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र. संख्या	वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (')
1	2019-20	113.15	18170
2	2020-21	133.62	18326
3	2021-22 (31.12.2021की स्थिति के अनुसार)	73.01	10296

6.2.4 एनएचएफडीसी की पहल:

निगम ने आउटरीच बढ़ाने के लिए कुछ पहल की है। ये इस प्रकार हैं:

(i) एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र

(क) एनएचएफडीसी ने पायलट पैमाने पर ऋण आवश्यकताओं, कौशल संबंधों, सुनिश्चित व्यावसायिक संपर्क आवश्यकताओं आदि को अभिसरण करके एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (एनएसके) की अवधारणा को शुरू किया है और शुरू में देश के प्रत्येक जिले को एक एनएसके की दर से कवर करते हुए एक भव्य योजना में बदलने की आकांक्षा रखता है। प्रत्येक एनएसके की स्थापना एनएचएफडीसी से 100 प्रतिशत वित्त पोषण की मदद से दिव्यांग उद्यमियों द्वारा लगभग 12 लाख रूपये की पूंजीगत लागत से की जाती है।

(ख) हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के साथ–साथ सुनिश्चित व्यावसायिक संपर्क/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए, एनएचएफडीसी इन एनएसएक्स के माध्यम से कौशल निर्धारण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक साइट के लिए स्कोपिंग अभ्यास के आधार पर सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) गतिविधियों/खुदरा प्रारूपों/कैप्टिव उत्पादन केंद्रों जैसे मदों के लिए शुरू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। एनएसके एनएचएफडीसी योजनाओं के लिए माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग साइट्स के रूप में भी काम करेगा।

(ग) इन एनएसके का उपयोग स्थानीय रूप से प्रासंगिक और व्यवहार्य व्यवसायों पर कौशल हाथों से मिनी इनक्यूबेशन केंद्रों के रूप में किया जाएगा ताकि ग्रामीण दिव्यांगजनों को उनके इलाकों में और उसके आसपास स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके ।

(घ) निगम बागपत नोएडा, कंनौज (उत्तर प्रदेश), यमुना नगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), छिंदवाड़, इंदौर नागदा (मध्य प्रदेश), भीलवाड़ा, दौसा (राजस्थान), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) और नयागढ़ (ओडिशा) में पहले से ही 14 एनएसके स्थापित कर चुका है। उपरोक्त सभी एनएसके में दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन एनएसके में प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन, लैपटॉप/अन्य उपकरण लगे होते हैं और दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य शौचालय बनाए गए हैं ।

(ii) पीडब्ल्यूडी उद्यमियों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणन: रियायती ऋण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास की प्रक्रिया में दिव्यांग उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन में हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि दिव्यांग उद्यमी को अपनी गतिशीलता/संप्रेषण सीमाओं के साथ अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने में कुछ मुश्किल हो सकती हैं । एनएचएफडीसी ने दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और सेवाओं का एकत्रीकरण करने के माध्यम से उनके वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में उनकी सीधे सहायता करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं और मौजूदा ई–मार्केटिंग मंच का प्रयोग करते हुए इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद अब अग्रणी ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म (अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, जैम आदि)पर उपलब्ध हैं।

(iii) निगम की पहुंच को बढ़ाना : अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निगम ने नई राज्य नामित एजेंसियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौते किए। वर्ष के दौरान एनएचएफडीसी ने स्टेट हेंडिकेप फाइनस एड़ डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह के प्रयास हैं

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रो में एनएचएफडीसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी प्रणालीः एनएचएफडीसी ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित आंतरिक तंत्र तैयार किया हैः

क. ऋण का उपयोगः कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग इसके जारी होने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि के संबंध में उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होता है।

ख. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएंः एनएचएफडीसी नियमित रूप से अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ऐसे सम्मेलनों/कार्यशालाओं में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनएचएफडीसी की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों पर भी चर्चा और मूल्यांकन किया जाता है। चर्चाओं के आधार पर नीतियों को एनएचएफडीसी के उद्देश्यों के दायरे में उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है।

ग. आंतरिक समीक्षा बैठकः विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/निगरानी की जाती है और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(v) कौशल प्रशिक्षण केंद्र

क. एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण पर जोर दे रहा है और मुख्य उज्जैन (मध्य प्रदेश) स्थित अपने कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से और बागपत, नोएडा, कन्नौज (उत्तर प्रदेश), यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), छिंदवाड़ा, इंदौर, नागदा (एमपी), भीलवाड़ा (राजस्थान) और नयागढ़ (ओडिशा) में एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्रों के नाम पर माइक्रो स्किलिंग केंद्रों से अपने ईडीपी /कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रहा है। एनएचएफडीसी ने मुख्य रूप से उपर्युक्त केंद्रों के माध्यम से डीईपीडबल्यूडी की सिपडा योजना के तहत 7810 दिव्यांगों का कौशल प्रशिक्षण शुरू किया ।

ख. एनएचएफडीसी ने देश के 21 एनसीएससीडीए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न स्थानों पर अपने कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए कदम उठाए हैं। इससे दिव्यांगजनों को उनके मजदूरी रोजगार या स्वरोजगार के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देने में दोनों संगठनों की मजबूती का उपयोग सुनिश्चित होगा।

(vi) प्रदर्शनी / जागरूकता शिविर / नौकरी / मेलों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं का विवरणः

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निगम ने अपनी योजनाओं के बारे में दिव्यांगजनों /जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों / अभियान में भाग लिया;

क) प्रदर्शनियां और मेले वर्ष 2021–22 के दौरान, एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लाभ के लिए अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन और जानकारी के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यशालाओं / शिविरों / मेलों में भाग लिया। ये इस प्रकार हैंः

- 28–29 सितंबर 2021 को एनएचएफडीसी द्वारा वर्चुअल जॉब फेयर का आयोजन किया गया.
- एनएचएफडीसी ने 17/12/2021 को एनसीएससी–डीए (वीआरसीएच), कड़कड़डूमा, नई दिल्ली में दिव्यांगों के लिए रोजगार मेले में भाग लिया। रोजगार मेले का आयोजन समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड्स द्वारा एनएचएफडीसी, एनसीएससी डीए दिल्ली के सहयोग से किया गया था.
- 17–26 दिसंबर, 2021 को लखनऊ में आयोजित स्वदेशी मेला–2021 में भाग लिया.

- गाजियाबाद में 22–24 दिसंबर, 2021 तक एनएचएफडीसी द्वारा आयोजित 'राइज इन उत्तर प्रदेश' प्रदर्शनी में भाग लिया.
- 24–26 दिसंबर, 2021 को गोरखपुर में आयोजित 'उज्जवल उत्तर प्रदेश–21' प्रदर्शनी में भाग लिया.

एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (एनएसके)

एनएचएफडीसी ने नेल्लोर, एपी में 13.11.2021 को आयोजित जागरूकता शिविर में भाग लिया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने उपर्युक्त शिविर के उद्घाटन के दौरान एनएचएफडीसी के स्टॉल का दौरा किया

एनएचएफडीसी ने 20.10.2021 को झांसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित जागरूकता शिविर में भाग लिया। माननीय मंत्री, एमएसजे एंड ई ने उपरोक्त शिविर के उद्घाटन के दौरान एनएचएफडीसी के स्टॉल का दौरा किया.

सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), एमएसजेई, भारत सरकार ने सोनीपत, हरियाणा में एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र का दौरा किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, एमएसजेई, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र का दौरा किया

एमडी/सीएमडी और अन्य निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती पर आईपीएच में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित रोजगार मेले में एनएचएफडीसी की योजनाओं का प्रचार किया गया.

राष्ट्रीय संस्थान

7.1 परिचय

दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल नौ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये नौ राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित हैं:–

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा

(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई, महाराष्ट्र

(vi) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना

(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चैन्नई, तमिलनाडु

(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सिहोर, मध्य प्रदेश

7.2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), वर्ष 1975 में स्थापित हुआ था जो गतिविषयक दिव्यांगजनों जैसे पोलियोमाइलिटिस, सेरेब्रल पाल्सी, अभिघातजन्य विकृति, ब्रेन स्ट्रोक के मामले आदि के पुनर्वास के लिए समर्पित है ।

7.2.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

(i) फिजियोथैरेपिस्टों, ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट, प्रोस्थैटिक्स और आर्थोटिक्स तथा अन्य ऐसे व्यावसायिकों, जो दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, को प्रशिक्षण देना।

(ii) मानसिक मंदता वाले अथवा बिना मानसिक मंदता वाले अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य–समायोजन और इसी तरह की अन्य पुनर्वास सेवाएं, जिन्हे सोसाइटी उपयुक्त समझती है, प्रदान करना।

(iii) ऐसे सहायक यंत्रों और उपकरणों, जिनकी दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए जरूरत पड़ती है, का निर्माण और वितरण करना।

(iv) ऐसी अन्य सेवाएं जो दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं, प्रदान करना। इसमें बैठकों, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना भी शामिल है।

(v) दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिकाधिक प्रभावी तकनीकों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान करना, प्रायोजित करना और उन्हें बढ़ाना।

(vi) अनुसंधान और ऐसी अन्य गतिविधियां जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजायन किया जा सकता है, उनके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(vii) ऐसे प्रकाशनों, जिन्हें उपयुक्त समझा जाता है, को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(viii) ऐसे सभी उपाय करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एवं प्रासंगिक हैं।

प्रदत्त सेवाएं

(i) चिकित्सा उपचार और रेफरल

(ii) विशिष्ट क्लीनिकल सेवाएं

(iii) बाह्य रोगी आयुर्वेदिक क्लीनिक

(iv) अत्याधुनिक उपकरण और जिम सहित फिजियोथैरेपी

(v) व्यावसायिक थैरेपी

(vi) संवेदी अनुकूलन थैरेपी

(vii) मॉडल समेकित स्कूल

(viii) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स

(ix) वाक् एवं भाषा तैयारी

(x) मनोवैज्ञानिक उपचार

(xi) मार्गदर्शन और परामर्श

(xii) स्वतंत्र जीवन यापन प्रशिक्षण (एडीएल) इकाई

(xiii) सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण

7.2.2 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के परिसर में अपना दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र (एसआरसी), और सीमापुरी और नरेला, नई दिल्ली, नीलोखेड़ी, करनाल, हरियाणा और टोंक, राजस्थान में विस्तार केंद्र स्थापित किए हैं। संस्थान कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) लखनऊ और श्रीनगर के कामकाज को सुविधाजनक बना रहा है।

7.2.3 नई पहल और कार्यक्रमः

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली ने लॉकडाउन अवधि के दौरान और बाद में भी दिव्यांगजनों को विभिन्न पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। चूंकि आगंतुकों और रोगियों को संस्थान के मूल्यांकन क्लीनिक में व्यक्तिगत (फिजिकल) रूप में न आने की सलाह दी गई थी, इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभागों के संकायों ने नियमित रूप से कई वेबिनार प्रस्तुत किए, जिसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया ताकि घर पर भी रोगियों/आगंतुकों द्वारा उचित देखभाल की जा सके। वेबिनार के विषयों में गृह आधारित अभ्यास, बच्चों के लिए समग्र गृह आधारित चिकित्सीय रणनीतियां, शोल्डर रिहैबलेशन, लॉकडाउन के दौरान कृत्रिम अंग की देखभाल और घर में प्री प्रोस्थेटिक स्टंप केयर प्रबंधन, मधुमेह ग्रस्त पैर की स्थिति में ऑर्थोटिक प्रबंधन और उचित जूते, कॉस्मेटिक बहाली, वर्चुअल यात्राओं के माध्यम से देखभाल बढ़ाना और कई और शामिल हैं। इसके अलावा, संस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुति समारोह 2020 के आयोजन के संबंध में विभिन्न नौकरियां सौंपी गई थीं, जो 03 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया गया था। संस्थान ने सितंबर, 2021 के दौरान एक रोजगार मेले का आयोजन किया जिसमें विभिन्न संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों को नौकरियों की पेशकश की गई थी। संस्थान को मंत्रालय द्वारा 10 सितंबर, 2021 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 के विजेताओं के लिए आयोजित सम्मान कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न नौकरियां सौंपी गई थीं। इसके अलावा, लखनऊ और श्रीनगर में सीआरसी ने कोविड –19 महामारी के दौरान लाभार्थियों और रोगियों की सहायता के लिए कई वेबिनार तैयार किए।

(ii) उपरोक्त वेबिनार के अलावा, पीडीयूएनआईपीपीडी ने उपचार, प्रबंधन और सहायक यंत्रों और उपकरणों की देखभाल के बारे में यूट्यूब पर कई वीडियो अपलोड किए।

(iii) संस्थान के परिसर में 17 जून, 2021 को एक प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (क्रॉस दिव्यांगता) (ईआईसी) और तैयारी स्कूल का उद्घाटन किया गया था। इसी तरह उसी दिन सीआरसी लखनऊ में एक अन्य ईआईसी का उद्घाटन किया गया था।

7.3 स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) पिछले 45 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा करता आ रहा है। यह ओडिशा के कटक जिले (भुवनेश्वर और कटक से 29 किमी दूर) के ओलातपुर में स्थित है। इसे वर्ष 1975 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की एक सहायक इकाई के रूप में राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक संस्थान (एनआईपीओटी) के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईपीओटी को 22 फरवरी, 1984 को समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास पर जोर देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पहले कल्याण मंत्रालय), भारत सरकार के अन्तर्गत रखा गया था। तब से ही यह इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। इसका नाम 1984 में एनआईपीओटी से बदलकर एनआईआरटीएआर कर दिया गया और बाद में वर्ष 2004 में इसका नाम (एसवीएनआईआरटीएआर) कर दिया गया। यह लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले देश के शीर्ष संस्थानों में से एक है।

7.3.1 लक्ष्य और उद्देश्य :

(i) दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रास्थेटिस्टों, आर्थोटिस्टों, फीजियोथैरोपिस्टों, व्यावसायिक थैरेपिस्टों, बहुउद्देशीय पुनर्वास थैरोपिस्टों और अन्य पुनर्वास कार्मिकों को दीर्घकालीन, अल्पकालीन प्रशिक्षण देना।

(ii) सहायक यंत्रों और उपकरणों के डिजायन किए गए नमूनों का प्रचार करना, वितरण करना और निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना।

(iii) गतिशील दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा वितरण कार्यक्रमों के मॉडलों का विकास।

(iv) शारीरिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट (नियोजन) और पुनर्वास।

(v) भारत और विदेश में दिव्यांगता और पुनर्वास पर प्रलेख और प्रसार सेवा।

(vi) शोध– अस्थि रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए गतिशील सहायक उपकरणों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए बॉयो मेडिकल इंजीनियरिंग पर शोध गतिविधियों को संचालित करना और समन्वय करना अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रियाओं संबंधी शोध करना तथा नए सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए शोध एवं समन्वय करना।

(vii) विस्तार और आउटरीच सेवाएं।

(viii) भारत और विदेश में पुनर्वास के क्षेत्र में कोई अन्य कार्रवाई करना।

प्रदत्त सेवाएं

(i) सुधारात्मक सर्जरियां

(ii) डिजिटल एक्स–रे

(iii) अल्ट्रासाउंड

(iv) 100 बिस्तरों वाला अस्पताल

(v) विभिन्न प्रकार की लोकोमोटर दिव्यांगताओं वाले रोगियों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करना

(vi) सामाजिक कार्य

(vii) वाक् एवं श्रवण

(viii) स्थानीय प्रशासन/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर अनेक मूल्यांकन शिविरों और सर्जिकल शिविरों को आयोजित करना

(ix) थैरेप्यूटिक पुनर्वास सेवाएं (फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थैरेपी)

(x) प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक उपकरणों का निर्माण और फिटमेंट

(xi) कैड–कैम लैबोरेटरी

(xii) प्रारंभिक उपचार क्लीनिक

7.3.2 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः

दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए चार समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), गुवाहाटी, रांची और बलांगीर में एसवीएनआईआरटीएआर, कटक के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया है, और इंफाल, मणिपुर में सीआरसी, स्थापित करने का काम एसवीएनआईआरटीआर को सौंपा गया है। एसवीएनआईआरटीएआर ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कटक, भुवनेश्वर, ढेंकानाल और नुआपाड़ा में 04 उप केंद्र स्थापित किए हैं।

7.3.3 नई पहल और आयोजन

(i) विभिन्न विभागों की 68 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 8 लेख पत्रिका में प्रकाशित किए गए।

(ii) वर्ष के दौरान 2789 पुनर्वास सहायक यंत्रों और उपकरणों की फिटिंग प्रदान किए गए।

(iii) 2226 सुधारात्मक सर्जरी की गई।

(iv) संस्थान सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों में अधिकारियों को उन्मुख करने और देश भर में पुनर्वास और संबद्ध पेशेवरों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से लघु उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम (एसओसी), सतत् चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम, सतत् पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम, सतत ओटी शिक्षा (सीओटीई) कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित कर रहा है। इस दौरान 1016 प्रतिभागियों के लिए ऐसे 17 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

(v) सीएसआर गतिविधि के तहत, आरईसीएल ने संस्थान को ''विकृति सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र'' के रूप में स्थापित करने के लिए 15.89 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले एनेक्स भवन के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

(vi) 15.95 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भवन का निर्माण किया जा रहा है।

(vii) संस्थान शीघ्र ही अपने परिसर में एक प्रारंभिक उपचार केंद्र (क्रॉस डिसेबिलिटी) (ईआईसी) और प्रीप्रेटरी स्कूल शुरू कर रहा है ।

(दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र, इम्फाल का उद्घाटन 27 दिसंबर 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक द्वारा भारत सरकार के शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह, माननीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार, केएम अकोइजाम मीराबाई देवी, विधायक, पटसोई, इम्फाल पश्चिम, सुश्री अंजलि भावड़ा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार, डॉ प्रबोध सेठ, आईआरएस, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार और डॉ शक्ति प्रसाद दास, निदेशक, डॉ शक्ति प्रसाद दास, निदेशक, एसवीएनआईआरटीएआर, कटक की उपस्थिति में किया गया।

7.4 राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी)

तत्कालीन सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1978 में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), पहले का राष्ट्रीय अस्थिरोग ग्रस्त संस्थान (एनआईओएच), की कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी। एनआईएलडी दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने गैर–दिव्यांग मित्र समूह के साथ एक समान आधार पर पुनर्वास, प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के माध्यम से जीवन जीने के लिए अपने अधिकारों को अनुभव करने में सक्षम बनाता है।

7.4.1 लक्ष्य और उद्देष्य :

(i) समन्वय अथवा गतिशीलता की समस्या सहित अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान को संचालित/प्रायोजित समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना ।

(ii) बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में सहायक यन्त्रों के प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रिया अथवा नए सहायक उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान शुरू करना, प्रायोजित करना, समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं अथवा ऐसे अन्य कार्मिकों, जिन्हें संस्थान द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने अथवा अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझा जाता है, के प्रशिक्षण को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(iv) लोकोमोटर दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के विनिर्माण और वितरण को वितरित करने, बढ़ावा देने या सब्सिडी देने के लिए।

7.4.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) मानव संसाधन विकास (डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के 11 विभिन्न पाठ्यक्रम)

(ii) अनुसंधान और विकास

(iii) शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास

(iv) 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में ओपीडी सेवाएं और सुधारात्मक सर्जरी

(v) डायग्नोस्टिक सेवाएं –पैथालाजी, रेडियोलाजी –एक्स–रे, ईएमजी व एनसीवी

(vi) उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना

(vii) फिजियोथैरेपी

(viii) ऑक्यूपेशनल थैरेपी

(ix) प्रोस्थेसिस और आर्थोसिस फैब्रिकेशन व फिटमेंट

(x) संस्थान और शिविरों के माध्यम से एडिप योजना का कार्यान्वयन करना

(xi) सामाजिक– आर्थिक पुनर्वास

(xii) वोकेशनल काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन

(xiii) वशेष शिक्षा परामर्श

(xiv) दिव्यांगजनों को रेल रियायत प्रमाणपत्र

(xv) पुस्तकालय, प्रलेखीकरण और सूचना का प्रसार

(xvi) छात्रों का प्लेसमेंट (नियोजन)

(xvii) प्रशिक्षण भागीदारों के सहयोग से कौशल विकास

(xviii) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मानीटरिंग

(xix) जागरूकता सृजन एवं प्रदर्शनी

7.4.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः

यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड राज्य में पटना, त्रिपुरा और नाहरलागुन में अपने समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से तथा क्षेत्रीय केंद्र आइजोल और क्षेत्रीय चैप्टर देहरादून के माध्यम से दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है।

7.4.4 नई पहल और घटनाक्रम :–

(i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना एनआईएलडी, कोलकाता और सीआरसी–पटना में की गई थी, जिसका उद्घाटन 17 जून 2021 को किया गया था.

(ii) न्यूरोलॉजी में फिजियोथेरेपी के नए पाठ्यक्रम मास्टर 2021–22 सत्रों से शुरू हुए.

(iii) समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र 18/10/2021 से शुरू किया गया.

(iv) इंडिया/75, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, 01 अगस्त 2021 को "कोविड–19 महामारी में रोल ऑफ चेस्ट/ फिजियोथेरेपी " विषय पर राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया था.

(v) कोविड–19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए "पोस्ट कोविड फिजिकल थेरेपी– गाइड फॉर पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन" पर पुस्तिका प्रकाशित की गई थी.

(vi) स्वतंत्रता के इंडिया/75 वां वर्ष, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, संविधान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस (दिव्यांगजन) और यौन उत्पीड़न अधिनियम के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे.

(vii) 134 वेबिनारों का आयोजन एनआईएलडी, सीआरसी, आरसी और सीडीएस द्वारा दिव्यांगजनों, माता–पिता/अभिभावक, छात्रों, पेशेवरों और संकायों के लिए किया गया.

(viii) एनआईएलडी, कोलकाता, सीआरसी–त्रिपुरा और सीआरसी–पटना द्वारा दिव्यांग जनों के लिए विशेष कोविड –19 टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया था.

04, 07 अगस्त 2021 और 08 नवम्बर 2021 एनआईएलडी, कोलकाता में दिव्यांगजनों को विषेश कोविड 19 वैक्सीनेषन आयोजित किया गया था।

(ix) सीआरसी, त्रिपुरा के लिए भूमि– त्रिपुरा सरकार ने सीआरसी एसआरई – त्रिपुरा भवन की स्थापना के लिए मोहनपुर सब–डिवीजन में 7.0 एकड़ भूमि आवंटित की है.

(x) भारत सरकार के एसजे एंड ई के माननीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री, एसजे एंड ई, और प्रोफेसर सौगत रॉय, माननीय सांसद द्वारा नए अकादमिक भवन और लड़कियों के छात्रावास के वर्चुअल उद्घाटन 24 दिसंबर 2021 में फिजिकल रूप से उपस्थित थे.

24 दिसंबर, 2021 को भारत सरकार के एसजे एंड ई के माननीय राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री, एसजे एंड ई की उपस्थिति में एसजे एंड ई माननीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा एनआईएलडी, कोलकाता में अकादमिक भवन और लड़कियों के छात्रावास का वर्चुअल उद्घाटन।

(xi) 23 नवंबर, 2021 को टूप्रान, तेलंगाना और 21 अक्टूबर, 2021 को तमिलनाडु के उल्लीकुरुक्की में आयोजित शिविर में एसओपी को बनाए रखते हुए एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण।

24 दिसंबर, 2021 को कोलकाता के एनआईएलडी में अकादमिक भवन और बालिका छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री, एसजे एंड ई, भारत सरकार द्वारा एडिप योजना के तहत सहायक यंत्र और उपकरणों का वितरण

(xii) लोकोमोटर दिव्यांगता श्रेणी के तहत क्रिएटिव चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन) के रूप में संस्थान द्वारा नामित श्री कोरोक बिस्वास को 3 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

(xiii) लंबित संदर्भ के निपटान और फिजिकल फाइलों/दस्तावेजों की समीक्षा के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक विशेष अभियान चलाया गया था। कुल 11922 फिजिकल फ़ाइलों/दस्तावेज़ों की समीक्षा की गई और 614 फ़ाइलों को वीडआउट किया गया। फोटो

(xiv) 23 नवंबर, 2021 को टूप्रान, तेलंगाना और 21 अक्टूबर, 2021 को तमिलनाडु के उल्लीकुरुक्की में आयोजित शिविर में एसओपी को बनाए रखते हुए एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण।

23 नवंबर, 2021 को टूप्रान, तेलंगाना और 21 अक्टूबर, 2021 को तमिलनाडु के उल्लीकुरुक्की में आयोजित शिविर में एसओपी को बनाए रखते हुए एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण।

7.5 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

देहरादून में 1979 में स्थापित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) (एनआईईपीवीडी) यह दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान है जिसका प्राथमिक उद्देश्य पिछले 76 वर्षों से सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए दृष्टि बाधिता वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाना और सक्षम बनाना है।

7.5.1 लक्ष्य और उद्देश्य

संगम ज्ञापन (एमओए) में यथा उल्लिखित एनआईईपीवीडी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(i) शिक्षकों, ओ एंड एम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और प्रायोजित करना और समाज के मुख्य धारा के संस्थानों के फील्ड अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण करना।

(ii) दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के विभिन्न आयामों में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय और/या सब्सिडी देना।

(iii) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रोटोटाइप का वितरण, प्रोत्साहन अथवा विनिर्माण को सहायता देना तथा उनकी शिक्षा, पुनर्वास अथवा रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए बनाए गए किसी अथवा सभी उपकरणों का वितरण करना।

(iv) न्यूनतम मानक और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य पुनर्वास सेवाओं के मॉडल तैयार करना और विकसित करना।

7.5.2 सेवाओं की पेशकश

(i) लंबी अवधि के एचआरडी पाठ्यक्रम

(ii) लघु अवधि और सीआरई कार्यक्रम क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास के लिए

(iii) कौशल कार्यक्रम (एनसीवीटीई मान्यता प्राप्त, एनएसडीसी (एससीपीडब्ल्यूडी) मान्यता प्राप्त और अनुसंधान एवं विकास आधारित)

(iv) स्कूली शिक्षा (नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक दृष्टिहीन और निम्ना दृष्टि के लिए)

(v) विभिन्न हितधारकों के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम

(vi) अनुसंधान और विकास

(vii) नौकरियों और जॉब प्लेससमेंट की पहचान ।

(viii) ब्रेल सहायक यंत्र और उपकरणों का उत्पादन और आपूर्ति

(ix) 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन– ''किरण''

(x) अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन (ईआईसी)

(xi) नैदानिक, रेफरल और मार्गदर्शन और परामर्श

(xii) सामुदायिक / आउटरीच कार्यक्रम

(xiii) सुगम्य पठन सामग्री का उत्पादन, संवर्धन और वितरण ।

(xiv) ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो और के रूप में सुगम्यण साहित्य प्रदान करता है

(xv) सामुदायिक एफएम रेडियो (हैलो दून) ने जागरूकता कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया

7.5.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः

संस्थान का चेन्नई (तमिलनाडु) में एक क्षेत्रीय केंद्र है, सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में दो रीजनल चैपटर हैं और यह सुंदरनगर, गोरखपुर और सिक्किम में दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का समन्वय करता है।

7.5.4 नई गतिविधियां और कार्यक्रमः

(i) 12.11.2021 को हल्द्वानी में उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। माननीय कुलपति, निदेशक एनआईईपीवीडी और रजिस्ट्रार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित क्षेत्रों में अपेक्षित सहयोग पर प्रकाश डाला गया हैः i) विशेष रूप से दृष्टि बाधिता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सुगम्य पुस्तकों के साथ पुस्तकालय विकास के लिए संसाधन सहायता ii) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करना। iii) रेडियो कार्यक्रमों और प्रसारण गतिविधियों का आदान–प्रदान।

(ii) माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत द्वारा 17 जून, 2021 को 14 प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति श्री रतन लाल कटारिया, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई) थे; श्री. रामदास अठावले, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई); श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई); सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई और सुश्री तारिका रॉय, संयुक्त सचिव, एमएसजे एंड ई. बैठक में उत्तराखंड के दिव्यांगजन आयुक्त मेजर योगेंद्र यादव भी वर्चुअल रूप से देहरादून ईआईसी का प्रतिनिधित्व करते हुए शामिल हुए। डॉ. हिमांशु दास, निदेशक और संस्थान के अन्य अधिकारी भी वर्चुअल मोड में बैठक में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में संस्थान द्वारा बनाई गई वीडियो प्रस्तुति पर भी प्रकाश डाला गया।

(iii) इस अवसर पर 14 केंद्रों में संस्थान के क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्देश्य छोटे बच्चों (0–6 वर्ष के आयु वर्ग) को आवश्यक सहायता और समय पर हस्तक्षेप प्रदान करना है ताकि बाद में उनके प्रारंभिक विकास अंतराल के कारण उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

(iv) इंडिया /75 राष्ट्रीय उत्सव और पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, संस्थान ने 5 वां उत्त री पूर्वी भारत फैशन वीक (एनईआईएफडब्यूटीडी) 2021 दिव्यांगजन आंदोलन : दिनांक 24 और 25 जुलाई, 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से दिव्यांगजनों और समावेशी भारत को सशक्त बनाना" का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सुश्री प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता; श्री ए नारायणस्वामी, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव–डीईपीडब्ल्यूडी उपस्थित थी।

(v) यह कार्यक्रम दिव्यांग आबादी और पूर्वोत्तर भारत के कला और कारीगरों को लोकप्रिय बनाने के लिए उत्तर–पूर्व के हितधारक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के विभिन्न जनजातियों और जातीय समूहों के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उनका उत्थान करना और कपड़ा और शिल्प उद्योग को समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दिव्यांगजन के प्रति समावेशी दृष्टिकोण के साथ, यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत की स्वदेशी संस्कृति और कला–रूपों को बढ़ावा देने के साथ–साथ दिव्यांगजन को मुख्यधारा में लाकर मेक–इन–इंडिया मुवमेंट को समृद्ध करने का लक्ष्य रखता है। इस कार्यक्रम में 290 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

(vi) संस्थान ने समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) कार्यक्रम शुरू करने का अनुकरण किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री और सचिव डीईपीडब्ल्यूडी, संयुक्त सचिव डीईपीडब्ल्यूडी और निदेशक एनआईईपीवीडी, आईपीएच की उपस्थिति में 30 अक्टूबर, 2021 को किया गया था। इस वर्ष के दौरान सीबीआईडी कार्यक्रम (पहला बैच) शुरू किया गया था।

(vii) "ब्रेल प्रेस की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए समर्थन" की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत। दिसंबर 2021 तक, संस्थान ने 13 नई ब्रेल प्रेस स्थापित किए, 12 ब्रेल का आधुनिकीकरण किया गया और 03 ब्रेल प्रिंटिंग प्रेसों को संवर्धित किया गया।

(viii) कोविड –19 जागरूकता पर सांकेतिक भाषाओं के साथ सुगम्य, ऑडियो और वीडियो संस्थान द्वारा विकसित किए जाते हैं और संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

(ix) संस्थान ने बिक्री आउटलेट स्थापित किया जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों द्वारा विकसित नर्सरी को बेचा गया। दिव्यांकगजनों द्वारा उत्पादित उत्पादों को संस्थान के आंतरिक उपार्जन में योगदान देने वाले विभिन्न अवसरों पर आउटलेट के माध्यम से बेचा गया था। संस्थान ने अगले सत्र से एक नया कौशल विकास पाठ्यक्रम "मशरूम उत्पादक" शुरू करने के लिए फरवरी, 2021 में एक मशरूम इकाई की भी स्थापना की। पाठ्यक्रम दिव्यां ग व्यक्तियों के लिए संरेखित/अनुकूलित है और एनएसक्यूएफ के अनुरूप है।

(ix) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मशरूम की कटाई सफलतापूर्वक पूरी की गई। उन्हें एनआईईपीवीडी मुख्यालय में श्रवन बाधितो द्वारा उत्पादित उत्पादों के संस्थान के स्थायी बिक्री आउटलेट के माध्यम से आंतरिक उपार्जन में योगदान के माध्यम से बेचा गया था।

(x) ब्रेल लिपि में मुद्रित डमी बैलेट पेपर के लिये हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव; बिहार में 02 विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा में 01 विधानसभा क्षेत्र मुद्रित किए गए थे। कुल मिलाकर, ब्रेल में कुल 6,652 डमी बैले पेपर संस्थान के सेंट्रल ब्रेल प्रेस द्वारा मुद्रित किए गए थे और संस्थान ने भी राज्यों के लिए आगामी चुनाव –2022 के लिए मतदाताओं (पीडब्यू1 वीआई) और ब्रेल में मुद्रित मतदाता गाइड के लिए यूपी और उत्तराखंड में जागरूकता पैदा करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी।

डॉ थावर चंद गहलोत द्वारा 14 प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री, (एसजे एंड ई) और श्री राम दास अठावले, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई), 17 जून, 2021 को श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई) और अन्य गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया ।

डॉ वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, एसजे एंड ई और कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री, एसजे एंड ई; श्री ए. नारायणस्वामी, माननीय राज्य मंत्री, एसजे एंड ई; श्री रामदास अठावले, माननीय राज्य मंत्री, एसजे एंड ई और सुश्री अंजली भावड़ा सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा 5वां उत्तरी पूर्वी भारत फैशन वीक (एनईआईएफडब्ल्यू) 2021 का वर्चुअल उद्घाटन 24 और 25 जुलाई, 2021 को किया गया।

7.6 अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी) (डी), मुम्बई की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को मुख्य रूप से देश में वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन के पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए की गई थी। संस्थान के कोलकाता, सिकंदराबाद, जानला और नोएडा में स्थित चार क्षेत्रीय चैप्टर हैं और भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण (सीआरसी) के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र भी हैं।

वर्ष 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान (एवाईजेएनआईएसएचडी) (डी) ने 20590 नए मामलों, 40943 अनुवर्ती मामलों में सेवाएं दी और 235120 सहायक सेवाएं प्रदान की। एडिप योजना के तहत संस्थान ने श्रवण बाधा वाले 7641 व्यक्तियों को 11418 श्रवण सहायक यंत्र वितरित किए। इस योजना के तहत 517 कॉकलियर इम्प्लांटेशन सर्जरी हुई, जिनमें से 490 एडिप के अधीन थीं और 27 सीएसआर के तहत थी । सर्जरी कराने वाले सभी बच्चे अपने निवास स्थान के पास स्थित सूचीबद्ध पुनर्वास केंद्रों में पोस्ट – सीआई उपचार ले रहे हैं ।

7.6.1 उद्देश्य और लक्ष्य :

(i) शिक्षा और श्रवण बाधितों के शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय करना

(ii) सहायक यंत्रों/उपकरणों या उपयुक्त शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रियाओं या नए यंत्रों/उपकरणों के विकास के प्रभावी मूल्यांकन के लिए अनुसंधान, प्रायोजन, समन्वय करना या जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग में अनुसंधान में सहायता देना।

(iii) प्रशिक्षुओं, शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित करना या प्रायोजित करना, जिसे संस्थान द्वारा श्रवण बाधिता वाले व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देना उपयुक्त समझा जाता हो।

(iv) श्रवण बाधिता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा, पुनर्वास और चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए प्रोटोटाइप और किसी भी अथवा सभी सहायक यंत्रों/उपकरणों का वितरण करना या बढ़ावा देना या निर्माण में सहायता देना।

7.6.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) श्रवण, वाक् और भाषा दिव्यांगता का मूल्यांकन और निदान
(ii) हियरिंग एड्स और ईयर मोल्ड का चयन करना और फिट करना
(iii) मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
(iv) शैक्षिक मूल्यांकन सेवाएं
(v) मनोचिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा
(vi) अभिभावक निर्देशन और परामर्श
(vii) प्री–स्कूल तथा प्रारंभिक उपचार
(viii) एनआईओएस के माध्यम से निरंतर शिक्षा
(ix) आउटरीच और विस्तार सेवाएं
(x) अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम
(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
(xii) वाक् और भाषा थैरेपी
(xiii) कॉकलियर इंप्लांट
(xiv) टोल फ्री सूचना लाईन

7.6.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (1984), नोएडा (1986) सिकंदराबाद (1986), जानला, ओडिशा (1986) और वयस्क बधिर प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद (1986) में स्थापित किए गए हैं। भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र क्रमशः वर्ष 2006, 2011 और 2020 से एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य जनशक्ति विकास और सेवाओं के संदर्भ में स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करना है ।

7.6.4 नई पहल और आयोजन :

(i) विश्व श्रवण दिवस 2021 में एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) की भागीदारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता दी गई थी। संस्थान द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को सुनवाई पर प्रथम विश्व रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

(ii) माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चंद गहलोत, राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में: श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री रामदास अठावले ने 17 जून 2021 को देश के विभिन्न हिस्सों में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन सेंटर्स (सीडीईआईसी) का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। ईआईसी की स्थापना का विजन एक बच्चे के समग्र विकास और विकास के लिए किसी दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप है। इनमें से 14 में मुंबई में अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) मुंबई के परिसर में केंद्र और भोपाल, मध्य प्रदेश में इसका समेकित क्षेत्रीय केंद्र शामिल है। सीडीईआईसी के लिए श्री रामदास अठावले, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) को प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

(iii) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने एसएआरआरएएम फंड पर अर्जित ब्याज से पुरस्कार के लिए संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों/आरसी/सीआरसी और खेल और कला में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए। सुश्री रावली माथुर, व्याख्याता, स्पीच लैंग विभाग। पैथोलॉजी, ने कर्मचारियों के बीच सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्ताव जीता, जबकि श्री केके बनर्जी और श्री एस. डे ने छात्रों के बीच सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्ताव जीता। श्री नमन महिपाल ने कला (बधिर और सुनने में कठिन) में हाई अचीवर्स अवार्ड जीता और श्री पृथ्वी शेखर ने स्पोर्ट्स (डेफ एंड हार्ड ऑफ़ हियरिंग) में हाई अचीवर्स अवार्ड जीता।

(iv) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने माता–पिता अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की जो जीवन काल दृष्टिकोण का पालन करके दिव्यांगजन बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है.

(v) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) दिव्यांगजनों के बीच कोविड–19 को रोकने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार का आयोजन किया।

(vi) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने 5 जून, 2021 को "आशा के पौधेः नई शुरुआत" पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। श्री. रामदास अठावले, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण एवं पौधे का वितरण किया गया।

एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने 5 जून, 2021 को "आशा के पौधेः नई शुरुआत" पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले मुख्य अतिथि थे। दिव्यांगजनों को वृक्षारोपण व पौधों का वितरण किया गया

(vii) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) को सीबीआईडी कार्यक्रम शुरू करने के लिए आरसीआई से मान्यता मिली और इस वर्ष के दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली (आरसीआई) के पहले समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) पाठ्यक्रम का वर्चुअल रूप से उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (एमएसजेई) डॉ वीरेंद्र द्वारा किया गया था। कुमार ने 30 अक्टूबर, 2021 को संस्थान के निदेशक डॉ. सुनी मैथ्यू, संकायों और सीबीआईडी पाठ्यक्रम के छात्रों के साथ बातचीत की।

(viii) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने मुंबई मुख्यालय में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रायोजित अर्ली इंटरवेंशन यूनिट्स का उद्घाटन समारोह आयोजित किया।

(ix) संस्थान के संकाय ने "कोविड–19 महामारी के संदर्भ में दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए नीति उत्तरदायित्व" पर यूनेस्को के दस्तावेज़ में लिखकर योगदान दिया।

(x) इंडिया ⁄75 के अवसर पर, एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने "डीईपीडब्यूडी, एमएसजेईः एनजीओ का सशक्तिकरण" के तहत दिव्यांगजनों के लिए कल्याण योजनाओं पर एक राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में 96 से अधिक गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया।

(xi) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने 6 साल से कम उम्र के दिव्यांगजन बच्चों के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन कम प्रिपरेटरी स्कूल के लिए पाठ्यचर्या ढांचा विकसित करने के लिए प्रथम मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह भारत में अपनी तरह का पहला है।

(xii) श्रीमती अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, नई दिल्ली ने सेलिब्रेटिंग इंडिया / 75 के एक भाग के रूप में एडिप योजना के तहत कोकलियर इंप्लांकट वाले 75 बच्चों की कहानियों की पुस्तक "जर्नी इन द हियरिंग वर्ल्ड" का विमोचन किया ।

श्रीमती अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, नई दिल्ली द्वारा ने सेलिब्रेटिंग इंडिया / 75 के एक भाग के रूप में एडिप योजना के तहत कोकलियर इंप्लांट वाले 75 बच्चों की कहानियों की पुस्तक "जर्नी इन द हियरिंग वर्ल्ड" का विमोचन।

7.7 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी) सिकंदराबाद

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी, दिव्यांगजन) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में वर्ष 1984 से स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह संस्थान एक शीर्ष निकाय है जिसके देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के त्रिपक्षीय कार्य हैं। 38 वर्षों से, संस्थान बौद्धिक दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

एनआईईपीआईडी बौद्धिक दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूआईडी) के जीवन में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कामकाज के हर पहलू में उच्च मानकों पर ध्यान केंद्रित करने वाला उत्कृष्टता संस्थान बनने का प्रयास करता है जिसका समर्थन आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन द्वारा किया गया है।

7.7.1 उद्देश्य एव लक्ष्य

(i) बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु जनशक्ति का सृजन और मानव संसाधनों का विकास करना।

(ii) देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगता की पहचान करना, शोध संचालित करना और समन्वय करना।

(iii) भारतीय संस्कृति के अनुरूप बौद्धिक दिव्यांगजनों की देखभाल और पुनर्वास के उपयुक्त मॉडल विकसित करना।

(iv) बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

(v) बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रलेखीकरण और सूचना केन्द्र के रूप में सेवा करना।

(vi) ग्रामीण और कम आय वाली जरूरतमंद जनता के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं का विकास करना।

(vii) बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विस्तार और आउचरीच कार्यक्रमों का संचालन करना ।

7.7.2 एनआईईपीआईडी और आईडी वाले व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय केंद्रों में दी जाने वाली सेवाएं

(i) चिकित्सा सेवाएं

- प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं
- फिजियोथेरेपी / हड्डी रोग
- जीव रसायन
- स्पीच और ऑडियोलॉजी सेवाएं
- इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम (ईईजी)
- बहु दिव्यांगता
- पोषण
- हाईड्रोथेरेपी
- न्यूरोलॉजी / डेंटल
- होम्योपैथी

(ii) विशेष शिक्षा

- पीएमआर यूनिट
- राहत देखभाल
- ऑटिज्म

- बहु संवेदी
- कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश (सीएआई) :
  - ध सामूहिक गतिविधि
  - मोबाइल सेवाएं
  - योग
  - राहत देखभाल सेवाएं
  - पारिवारिक कुटीर सेवाएं
  - मनोवैज्ञानिक आकलन
  - व्यवहारगत संशोधन
  - माता–पिता / अभिभावक परामर्श
  - व्यावसायिक मूल्यांकन
  - व्यावसायिक मार्गदर्शन और सूचना
  - व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श
  - कार्य केंद्र (व्यावसायिक प्रशिक्षण)
  - व्यावसायिक चिकित्सा
  - सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम
  - पूर्वोत्तर गतिविधियां
  - टीएलएम का वितरण

7.7.3 दिव्यांगजों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में दी जाने वाली सेवाएं

(i) मनोवैज्ञानिक आकलन

- अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण
- फिजियोथेरेपी / सेवाएं
- पुनर्वास सेवाएं
- स्पीच और ऑडियोलॉजी सेवाएं

(ii) विशेष शिक्षा

- ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेवाएं
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- चिकित्सा सेवाएं
- अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iii) आक्यूपेशनल थेरेपी

- कौशल विकास कार्यक्रम
- जागरूकता कार्यक्रम

7.7.4 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

नई दिल्ली, नोएडा, कोलकाता और नवी मुंबई में प्रत्येक में चार क्षेत्रीय केंद्र हैं। एनआईईपीआईडी का नई दिल्ली और नोएडा में एक मॉडल विशेष शिक्षा केंद्र है। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र नेल्लोर, राजनंदगांव और देवांगेरे में स्थित हैं जो एनआईईपीआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

7.7.5 नई पहल और कार्यक्रमः

(i) माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू की सीआरसी नेल्लोर का दौरा :

माननीय श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति ने 13 नवंबर 2021 को दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी नेल्लोर) का दौरा किया । माननीय उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कौशल विकास इकाई, प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र की अन्य गतिविधियों सहित सीआरसी नेल्लोर की गतिविधियों की समीक्षा की । उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और एपी राज्य सरकार के तहत एनआईईपीआईडी, एलिम्को, एनएचएफडीसी, एनएससीएफडीसी और एनबीसीएफडीसी द्वारा स्थापित स्टालों का भी दौरा किया। माननीय उपराष्ट्रपति ने लगभग 100 लाभार्थियों को टीएलएम किट, सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए, लाभार्थियों को 32.40 लाख रुपये के ऋण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 13 नवंबर, 2021 को सीआरसी नेल्लोर का दौरा किया।

(ii) सीबीआईडी पाठ्यक्रम का उद्घाटनः

30 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव एमएसजे एंड ई और डॉ प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव एमएसजे एंड ई की उपस्थिति में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा सीबीआईडी पाठ्यक्रम का उद्घाटन।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ थावर चंद गहलोत द्वारा 17 जून 2021 को क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया

(iii) तेलंगाना के माननीय राज्यपाल और पुडुचेरी के माननीय उप राज्यपाल डॉ (श्रीमती) तमिलिसाई सुंदरराजन की अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद का दौरा :

तेलंगाना के माननीय राज्यपाल और पुडुचेरी की माननीय उपराज्यपाल डॉ (श्रीमती) तमिलिसाई सुंदरराजन ने 3 दिसंबर, 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा किया। उन्होंने एनआईईपीआईडी में प्रदान की जा रही सुविधाओं और सेवाओं की बहुत सराहना की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिव्यांगजनों की भी सराहना की। माननीय राज्यपाल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पीडब्ल्यूआईडी को पुरस्कार प्रदान किए और पहचाने गए लाभार्थियों को टीएलएम और सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए। अन्य एनआई एनआईईपीवीडी, पीडीयूएनआईपीपीडी, एवाईजेएनआईएसआईडी और एलिम्को के क्षेत्रीय केंद्रों ने स्टॉल लगाए हैं और समारोह में भाग लिया है।

(iv) वर्चुअल मोड के माध्यम से 9 जून 2021 को माननीय मंत्री डॉ थावर चंद गहलोत, एमएसजे एंड ई द्वारा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भवन (छात्रावास भवन) का उद्घाटन किया गया :

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चंद गहलोत द्वारा डॉ.बी.आर. अम्बेडकर भवन (छात्रावास भवन) का उद्घाटन 9 जून 2021 को अपराह्न 2.30 बजे, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्रियों श्री रामदास अठावले और श्री रतन लाल कटारिया, सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और श्री बी.वी.राम कुमार, निदेशक (ऑफ़जी), एनआईईपीआईडी की की गरिमामयी उपस्थिति में वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया।

वर्चुअल मोड के माध्यम से 9 जून 2021 को माननीय मंत्री डॉ थावर चंद गहलोत, एमएसजे एंड ई द्वारा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भवन (छात्रावास भवन) का उद्घाटन किया गया

(v) सचिव ने एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा किया:

सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार ने 06 सितंबर 2021, को एनआईईपीआईडी मुख्यालय सिकंदराबाद का दौरा किया और संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्ल्यूआईडी में व्यावसायिक कौशल क्षमताओं का आकलन करने के लिए व्यापक व्यावसायिक मूल्यांकन उपकरण भी जारी किया, जो एनआईईपीआईडी का एक शोध परियोजना परिणाम था, और पात्र लाभार्थियों को लैपटॉप और टीएलएम किट वितरित किए। उन्होंने एसआरसी एवाईजेएनआईएसएचडी, पीडीयूएनआईपीडी के आरसी और एनआईईपीवीडी के आरसी की गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने डीडीआरएस योजना और राष्ट्रीय न्यास की गरुड़ योजना के तहत मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले तीन गैर सरकारी संगठनों का भी दौरा किया।

डॉ.बी.आर.अम्बेडकर भवन का उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चंद गहलोत द्वारा 9 जून, 2021 को किया गया

(vi) एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम :

एनआईईपीआईडी ने 27, 29 जुलाई और 29 नवंबर, 2021 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में टीकाकरण अभियान (कोविशील्ड वैक्सीन) का आयोजन किया। टीकाकरण अभियान के दौरान कुल 356 दिव्यांग बच्चों को टीका लगाया गया।

(vii) एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में हरिता हारम कार्यक्रमः

हरिता हारम – पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए समावेशी पर्यावरण के हिस्से के रूप में पल्लवी मॉडल स्कूल के सहयोग से एनआईईपीआईडी परिसर, सिकंदराबाद में एनआईईपीआईडी परिसर में एनआईईपीआईडी के निदेशक (ओएफएफजी), एनआईईपीआईडी द्वारा शामिल किए जाने की अवधारणा के साथ बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए बागवानी और फूलों की खेती कौशल विकास इकाई का उद्घाटन। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूआईडी के माता–पिता, एनआईईपीआईडी स्टाफ और पल्लवी मॉडल स्कूल के छात्र और स्टाफ भाग ले रहे हैं।

(viii) माननीय मंत्री ए.नारायण स्वामी और डॉ प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्यूल्यडी द्वारा दिनांक 19 अगस्त), 2021 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में टीएलएम किट वितरणः

डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव और ईसी सदस्य के अध्यक्ष डॉ प्रबोध सेठ ने 22.10.2021 को एनआईईपीआईडी ऑडिटोरियम में बौद्धिक दिव्यांगजनों को टीएलएम किट वितरित की। श्री केवीएस राव, निदेशक, एनआईआईएस, श्री बी. वी. राम कुमार, निदेशक (ओएफएफजी), एनआईईपीआईडी, श्री नचिकेता राउत, निदेशक, एनआईईपीएमडी और ईसी सदस्य डॉ नंदिनी बांदीकटला और श्री सुदीप गोयल ने भी कार्यक्रम के दौरान टीएलएम किट वितरित किए।

माननीय मंत्री ए. नारायण स्वामी द्वारा 19 अगस्त , 2021 को सीआरसी देवांगेरे में टीएलएम किट का वितरण

(ix) क्षेत्रीय केंद्र भवन, नवी मुंबई का उद्घाटन और एनआईएलडी भवन का वर्चुअल रूप से उद्घाटनः

श्री रामदास अठावले, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 24.12.2021 को सेक्टर 5, खारघर, नवी मुंबई में एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र भवन का उद्घाटन किया। श्री श्रीरंग चंदू बार्ने, माननीय सांसद, मूवल निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र, श्रीमती अंजली भावड़ा, आईएएस, सचिव, भारत सरकार, डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्री बी.वी. राम कुमार निदेशक (ऑफ.) एनआईईपीआईडी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया और शोभा बढ़ाई। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, कुमारी प्रतिमा भौमिक ने एनआईईपीआईडी आरसी मुंबई और एनआईएलडी भवन के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर 24 दिसंबर 2021 को एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता का दौरा किया और माननीय मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने 24 दिसंबर 2021 को एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता द्वारा आयोजित बौद्धिक दिव्यांग सह प्रदर्शनी वाले वयस्क व्यक्तियों के क्षमता मेले का उद्घाटन किया ।

श्री रामदास अठावले माननीय राज्य् मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2021 को नवी मुंबई में क्षेत्रीय केंद्र भवन का उद्घाटन

(xi) राष्ट्रीय एकता दिवस और संविधान दिवस का मनाया जाना

राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह 31 अक्टूबर 2021 को सुबह 11.30 बजे आयोजित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को "राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस)" के रूप में मनाया गया।

इस अवसर पर एनआईईपीआईडी ने 26.11.2021 को "संविधान दिवस" मनाया। सभी स्टाफ, गेस्ट फैकल्टी, कुछ अभिभावकों और छात्रों ने भाग लिया और संविधान दिवस की प्रस्तावना को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के साथ पढ़ा गया। लाइव कार्यक्रम का प्रसारण एनआईईपीआईडी मुख्यालय के सभागार में किया गया। आरसी और सीआरसी में भारतीय संविधान दिवस (संविधान दिवस) भी मनाया गया।

(xii) नेत्र और दंत जांच शिविरः

सीआरसी नेल्लोर में 1 और 2 दिसंबर 2021 को "दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर" नेत्र और दंत जांच शिविर आयोजित किया और 196 पीडब्ल्यूडी और उनके माता–पिता को इस स्क्रीनिंग शिविर से लाभ हुआ।

सीआरसी नेल्लोर में 2 और 3 दिसंबर 2021 को "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर" नेत्र और दंत जांच शिविर आयोजित किया और 72 पीडब्ल्यूडी और उनके माता–पिता/अभिभावक को इस स्क्रीनिंग शिविर से लाभ हुआ।

(xiii) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यौन उत्पीड़न अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का सृजन करने के लिए एक वेबिनार का आयोजनः**

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने 9 दिसंबर, 2021को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की 8 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यौन उत्पीड़न अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का सृजन करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर हैदराबाद उच्च न्यायालय, तेलंगाना के वकील श्री पी. पंकज रेड्डी को स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में स्टाफ सदस्यों को अवगत कराया और यौन उत्पीड़न क्या है, शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध तंत्र, आंतरिक शिकायत समिति का गठन, जुर्माना आदि के बारे में प्रकाश डाला। एनआईईपीआईडी के क्षेत्रीय केंद्रों सहित कुल 64 स्टाफ सदस्यों ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

(xiv) बौद्धिक दिव्यांगजनों के 90 माता–पिता को स्व–समर्थित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) से अपने बौद्धिक दिव्यांगजनों की ओर से ऑनलाइन सब्सिडी वाले ऋण लागू करने की सुविधा प्रदान की गईः

7.7.6 कोविड–19 की प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाईः

- सभी नियमित कर्मचारी और गेस्ट कर्मचारी कार्यालय आदेश के अनुसार 1 जुलाई, 2021 से कार्य दिवसों पर ड्यूटी में उपस्थित हो रहे हैं।
- संस्थान ने बौद्धिक दिव्यांगता से संबंधित किसी भी क्षेत्र में टेली–कॉल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बौद्धिक दिव्यांगजनों के माता–पिता के लाभ के लिए एक टोल–फ्री नंबर बनाया है। यह उन माता–पिता के लिए बहुत लाभदायक रहा है जो विशेष रूप से महामारी की स्थिति के दौरान सेवाओं की मांग करते हैं जहां क्लाइंट लॉकडाउन के मद्देनजर सीधे पेशेवरों तक पहुंचने में असमर्थ थे। टेलीफोन के माध्यम से सभी फोलोअप सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान एनआईईपीआईडी में 25.05.2020 को एक हेल्पलाइन नंबर **18005726422** का सृजन किया गया था।
- भारत सरकार के दिशा–निर्देशों में प्रतिपादित सामाजिक दूरी के मानदंड की पद्धतियों,स्वास्थ्य और स्वच्छता की पद्धतियों का अनुपालन किया जा रहा है और नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
- प्रवेश क्षेत्र में सैनिटाइजर प्रदान किए जाते हैं और प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी स्टाफ कार्यालय परिसर में हर समय बिना किसी चूक के मास्क पहनें रखते हैं।
- वेबिनार के अलावा बैठकें और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं।
- ध संबंधित स्टाफ द्वारा संस्थान में उपस्थित जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सेवाएं, अपेक्षित मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप और दवाइयों का वितरण प्रदान किया जा रहा है।

7.7.7 एनआई/सीआरसी में कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमः

(i) सेवाएं प्राप्त करने के लिए एनआईईपीआईडी में प्रवेश करने वाले सभी क्लाइंट्स की जांच मुख्य द्वार पर सुरक्षा द्वारा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी क्लाइंट्स तथा उनके साथ आने वाले व्यक्ति उचित रुप से मास्क पहने हुए हैं, उनके तापमान की जांच की गई है तथा हाथों को उचित रुप से सैनिटाइज़ किया गया है।

(ii) सामान्य सेवाओं में भीड़ से बचने के लिए हम क्लाइंट्स के साथ केवल एक व्यक्ति को अनुमति दे रहे हैं।

(iii) सामान्य सेवाओं में सख्ती से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दरवाजों के नॉब, रेलिंग, फर्श, वॉश रूम और कुर्सियों को दिन में दो बार सैनिटाइज किया जा रहा है।

(iv) एनआईईपीआईडी पर सेवाओं के लिए आने वाले क्लाइंट्स की भीड़ से बचने के लिए क्लाइंट्स को टोकन दिए जाते हैं।

(v) भीड़ से बचने के लिए क्लाइंट्स को दी जाने वाली दवाइयां प्रतीक्षा क्षेत्र में सामान्य सेवाओं के बाहर वितरित किया जा रहा है।

(vi) पेशेवरों और क्लाइंट्स द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी चिकित्सा सामग्रियों को प्रत्येक क्लाइंट के मूल्यांकन और उपयोग के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है।

7.7.8 टीकाकरण के लिए बौद्धिक दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए उठाए गए कदमः

कोविन ऐप पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए संस्थान द्वारा पीडब्ल्यूडी को सभी सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, परिसर में दिव्यांगजनों और उनके माता–पिता के लिए विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

7.8 राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

बहु–दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में मुत्तुकाडु, चेन्नई, तमिलनाडु में राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) की स्थापना की गई थी।

7.8.1 लक्ष्य और उद्देश्यः

i. बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए प्रबंधन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास।

ii. बहु दिव्यांगता से जुड़े सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना।

iii. बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के विभिन्न समूहों की जरूरतों को पूरा करने और उनके सामाजिक पुनर्वास के लिए बहु विषयक मॉडल और कार्य–नीति विकसित करना।

iv. बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सेवाएं प्रदान करना और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।

7.8.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) चिकित्सा

- चिकित्सा उपचार और रेफरल
- सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिकल सेवाएं
  - न्यूरोलॉजी
  - न्यूरोसर्जरी
  - मनोचिकित्सा
  - नेत्र विज्ञान
  - डेंटल
  - ईएनटी
  - होम्योपैथी
- फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन
- बाह्य रोगी होम्योपैथी क्लिनिक

ii. शैक्षणिक

- विशेष स्कूल (बहु दिव्यांगता वाल व्यक्तियों के लिए मॉडल स्कूल) इसमें शामिल हैं
  - ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की यूनिट
  - सेरेब्रल पाल्सी की इकाई
  - बधिरों की इकाई
  - प्रारंभिक बाल्यावस्था की इकाई
  - गंभीर बहु दिव्यांगता की इकाई
  - ट्रांजिशन सेल की इकाई और
  - प्ले स्कूल
- ऐसे दिव्यांग बच्चों, जो मॉडल स्कूल में नहीं जा सकते, के माता पिता को परामर्श द्वारा विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करना
- अभिभावक सशक्तिकरण

iii. पुनर्वास

- प्रारंभिक उपचार सेवाएं
- फिजियाथेरेपी
- ऑक्यूपेशेनल थेरेपी
- संवेदी एकीकरण थेरेपी
- प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स
- ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन
- वाक और भाषा उपचार
- मनोवैज्ञानिक उपचार
- मार्गदर्शन और परामर्श
- वयस्क स्वतंत्र जीवन
- मोबाइल सेवाएं
- डे केयर सेंटर
- समुदाय/आउट रीच प्रोग्राम
- सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण
- परिवार कुटीर सेवाएं
- लेखन और प्रसार सेवाएं
- राहत देखभाल सेवाएं
- टोल फ्री हेल्पलाइन

iv क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

कोझिकोड, शिलांग और अंडमान निकोबार द्वीप में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र एनआईईपीएमडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।

7.8.3 नई गतिविधियाँ

क) "डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर'' पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईईपीएमडी के वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) ने आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते हुए

व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों के लिए ''डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर'' नामक एक विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह प्रशिक्षण राजपत्र में अधिसूचित 4 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजनों को तैयार करेगा। यह पाठ्यक्रम दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत कवर किया गया है और दिव्यांगजन के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अनुमोदित है। इस कोर्स में करीब 10 दिव्यांगजनों ने दाखिला लिया है।

ख) ''हाथ कढ़ाई'' पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईईपीएमडी के वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) ने 1 दिसंबर 2021 को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग वयस्क लड़कियों के लिए ''हाथ कढ़ाई'' नामक एक विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। यह प्रशिक्षण उन्हें राजपत्र में अधिसूचित 4 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का लाभ उठाने के साथ–साथ उन्हें लाभप्रद आय के साथ स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार करता है। परिधान उद्योग (अपैरल इंडस्ट्री) के विशेषज्ञों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह पाठ्यक्रम दिव्यांगजनों के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत आता है और पाठ्यक्रम को दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस कोर्स में लगभग 10 दिव्यांग वयस्क लड़कियों ने दाखिला लिया है।

9 जून 2021 को सीएसआर पहल के तहत मोबिस इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित न्यूट्रीशनल हेल्थ मिक्स

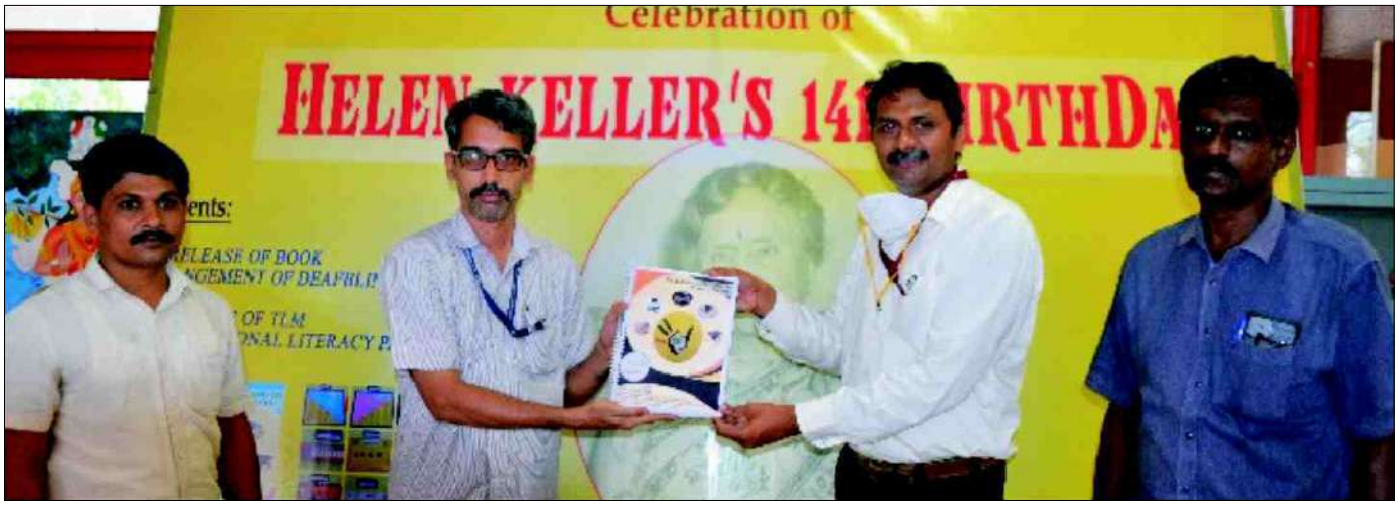

27 जून 2021 को ''बधिर–नेत्रहीन का प्रबंधन'' (हेलेन केलर का जन्म दिवस समारोह) पर पुस्तक का विमोचन

7.9 भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी)

सरकार ने सितंबर, 2015 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) को सोसायटी के रूप में स्थापित किया है।

7.9.1 उद्देश्य

केंद्र के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

(i) द्विभाषिता (यानी सांकेतिक भाषा लेखन) सहित भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) का प्रयोग, उपयोग,शिक्षण और इसमें अनुसंधान आयोजित करने के लिए जनशक्ति विकसित करना ।

(ii) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक शैक्षिक मोड के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना। यह संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों के साथ तौर–तरीकों पर काम करेगा।

(iii) भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान करना और भारतीय सांकेतिक भाषा कोश (शब्दावली) के निर्माण सहित आईएसएल के भाषा विज्ञान का रिकॉर्ड तैयार करना/विश्लेषण करना ।

(iv) भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और इसका उपयोग करने के लिए विभिन्न समूहों यानी सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, शिक्षकों, पेशेवरों, समुदाय के नेताओं और बड़े पैमाने पर जनता को इसकी ओर उन्मुख करना और इसके लिए प्रशिक्षण देना।

(v) भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में बधिर संगठनों और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना ।

(vi) विश्व के अन्य हिस्सों में उपयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, ताकि उनके इनपुट का उपयोग भारतीय सांकेतिक भाषा के उन्नयन के लिए किया जा सके।

7.9.1.1 लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईएसएलआरटीसी निम्नलिखित डोमेन में गतिविधियों का संचालन करता है:–

(i) अकादमिक गतिविधियाँ

(ii)) दुभाषिया सेवाएँ

(iii) संसाधन विकास और प्रसार

(iv) प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र

7.9.2 नई पहल और आयोजन:

(i) आईएसएलआरटीसीने कक्षा I - XII की पाठ्यपुस्तकों को आईएसएल में अनुवाद करने के उद्देश्य से 06 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। पहले चरण में, आईएसएलआरटीसी ने कक्षा I सेट के 04 विषयों का अनुवाद पूरा किया। कक्षा I - V की 20 पाठ्य पुस्तकों के कुल 310 अध्यायों को केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, एनसीईआरटीके सहयोग से ऑडियो, चित्रों और कैप्शनिंग के साथ 490 आईएसएल वीडियो में परिवर्तित किया गया है। आईएसएलआरटीसी ने 23 सितंबर 2021 को आयोजित सांकेतिक भाषा दिवस कार्यक्रम में कक्षा I - V की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की आईएसएल ई–सामग्री लॉन्च की और सामग्री को दीक्षा पोर्टल पर मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आईएसएलआरटीसी की प्लेसमेंट समिति ने 18 जून 2021, 25 जून 2021 और 30 नवंबर 2021 को आईएसएल दुभाषियों, आईएसएल प्रशिक्षकों और श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसरों के विषय पर सफलतापूर्वक तीन वेबिनार आयोजित किए। यूट्यूब पर वेबिनार की कुल व्यूअरशिप 5,486 बार देखी गई है।

(iii) आईएसएलआरटीसी ने 15 अगस्त 2021 को 75 वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री के संबोधन के लाइव प्रसारण और 14 अगस्त

2021 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के संबोधन के प्रसारण के लिए डीडी भारती चैनल के लिए इंटरप्रिटेशन सेवाएं प्रदान कीं। इसके अलावा, आईएसएलआरटीसी ने 07 सितंबर 2021 को शिक्षक पव के उद्घाटन समारोह के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए इंटरप्रिटिंग सेवा भी प्रदान की।

(iv) आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर, आईएसएलआरटीसीके कर्मचारियों और छात्रों ने भारतीय सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान रिकॉर्ड किया और rashtragaan-in पोर्टल पर वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो को आईएसएलआरटीसी के सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया था और फेसबुक पर 2 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और 2 लाख से अधिक लाइक्स हैं मिलें हैं। वीडियो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: https://www-facebook-com/islrtc/videos/786316048732183/

(v) आईएसएलआरटीसी ने 23 सितंबर 2021 को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया। इसमें माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री ए. नारायणस्वामी और सुश्री प्रतिमा भौमिक,माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे। इस कार्यक्रम में आईएसएलआरटीसी के सफर के बारे में एक वृत्तचित्र दिखाया गया।

(vi) आजादी का अमृत महोत्सव और सांकेतिक भाषा दिवस मनाने के लिए, केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर "इंडिया/75: भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का उत्सव मनाना" विषय पर चौथी आईएसएल प्रतियोगिता आयोजित की प्रतियोगिता का उद्देश्य आईएसएल में स्टोरीटेलिंग, निबंध लेखन आदि में आमंत्रित बधिर छात्रों से बधिर के कौशल का प्रदर्शन करना है। प्रविष्टियों वाले छात्र पूरे भारत में कक्षा I -XII में पढ़ रहे थे तथा डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल पाठ्यक्रमों के छात्र थे। प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा 23 सितंबर 2021 को सांकेतिक भाषा दिवस कार्यक्रम में की गई थी।

(vii) आईएसएलआरटीसी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, रायपुर एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) भोपाल, समग्र शिक्षा, असम और डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई सहित देश भर के 9 विभिन्न स्थानों पर आईएसएल पर ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित करके 27 सितंबर से 01 अक्टूबर 2021 तक बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। सत्रों मे प्रतिभागियों की कुल संख्या लगभग 650 थी और इसमें कॉलेज के छात्र, विशेष शिक्षक, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, अभिभावक शामिल थे।

(viii) आईएसएलआरटीसी ने 28 जुलाई 2021 को "कोविड–19 महामारी में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सूचना और संचार सुगम्यता" पर एक वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। वेबिनार में, केंद्र ने आईएसएल में कोविड–19 पर आईएसएलएआरटीसी द्वारा तैयार किए गए वीडियो पर प्रकाश डाला। वेबिनार के लिए लिंक था: https://youtu-be/MtOTRKIuIAA.

23 सितंबर 2021 को एनसीईआरटीसी पाठ्य पुस्तकों की आईएसएलई–सामग्री का शुभारंभ

आईएसएलआरटीसी के कर्मचारी और छात्र 10 अगस्त 2021 को भारतीय सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान का प्रदर्शन कर रहे हैं।

30 सितंबर 2021 को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के उत्सव के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एमएसजेई में आईएसएल जागरूकता सत्र का आयोजन

23 सितंबर 2021 को सांकेतिक भाषा दिवस का उत्सव

7.10 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश

बौद्धिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में एकीकृत बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बौद्धिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देने और बौद्धिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों को विकसित करने के उद्देश्य से 28 मई 2019 को मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। इस संस्थान को मध्य प्रदेश में भोपाल–सीहोर हाईवे के किनारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 25 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है।

वर्तमान में एनआईएमएचआर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पुराना जिला पंचायत भवन', सीहोर में प्रदान किए गए अस्थायी आवास से कार्य कर रहा है। यह पुनर्वास और क्लीनिकल सेवाएं प्रदान कर रहा है और सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग (सीसीसीजी मानसिक स्वास्थ्य), डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन (डीसीबीआर) और डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन–इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी (डीवीआर–आईडी) में सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाता है।

7.10.1 लक्ष्य और उद्देश्यः

(i) मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए मानक विकसित करना।

(ii) मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र के लिए मानव संसाधन का विकास।

(iii) नीति तैयार करने और अग्रिम अनुसंधान के लिए कार्य करना ।

7.10.2 सेवाए:

- बुद्धि परीक्षण जैसा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
- व्यक्तित्व मूल्यांकन
- मनोवैज्ञानिक उपचार या मनोचिकित्सा
- मनोरोग उपचार और मनोरोग नर्सिंग देखभाल
- ओक्यूपेशनल थेरेपी

7.10.3 नई पहल और आयोजन:

(i) शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए संस्थान में चल रहे निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक शुरुआतः

क) केयर गिविंग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम– मानसिक स्वास्थ्य (सीसीसीजी)

ख) व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा – बौद्धिक दिव्यांगता (डीवीआर–आईडी)

ग) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर)

(ii) 21 से 25 जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का अवलोकन तथा मानसिक और शारीरिक कल्याण पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था।

(iii) मानसिक और शारीरिक कल्याण पर योग के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 7 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम/वेबिनार का आयोजन किया।

(iv) एनआईएमएचआर द्वारा 17 जून 2021 को "अधिगम दिव्यांगता सप्ताह" के अवसर पर "घर पर अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों की पहचान और हस्तक्षेप: केयर गिवर्स का परिप्रेक्ष्य" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया था।

(v) अधिगम दिव्यांगता सप्ताह मनाते हुए सीआरसी, लखनऊ के सहयोग से अधिगम दिव्यांगता के निदान, हस्तक्षेप और प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय स्तर की सतत पुनर्वास शिक्षा और प्रशिक्षण (सीआरई) का आयोजन किया गया।

(vi) एनआईएमएचआर द्वारा 25 जून 2021 को ष्नशीली दवाओं (ड्रग्स) के उपयोग के कारण होने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं: मिथक और तथ्य" विषय पर "नशीली दवाओं (ड्रग्स) के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया गया था।

(vii) "पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जागरूकता दिवस" के अवसर पर एनआईएमएचआर द्वारा 27 जून 2021 को "कोपिंग विद ग्रीफ और एम्प्यूटेशन लॉस" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया ।

(viii) 4 जुलाई 2021 को डॉ. थावर चंद गहलोत माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री,भारत सरकार ने सीहोर में एनआईएमएचआर के स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्य और एनआईएमएचआर के शिक्षाविदों एवं सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की।

(ix) राष्ट्रीय पोषण माह (सितंबर, 2021) के अवसर पर 1 से 21 सितंबर 2021 तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन ऑफलाइन और ऑनलाइन किया गया।

(x) 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 मनाया गया।

(xi) विश्व मातृ मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एनआईएमएचआर द्वारा 6 मई 2021 को "हेल्पिंग मदर्स, हेल्पिंग बेबीस– जर्नीज़ टू रिकवरी" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया था।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021के अवसर पर प्रोग्राम फ्लायर के उद्घाटन समारोह में प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण, मध्य प्रदेश सरकार के साथ डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव और निदेशक एनआईएमएचआर के साथ–साथ मध्य प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन आयुक्त।

(xii) विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, सप्ताह और महीने के अवसर पर हमने 5 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 तक "एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य" विषय पर ऑनलाइन और इन–हाउस कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया। इस 22 ऑनलाइन वेबिनार में, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों के सहयोग से वार्ता सत्र, पैनल चर्चा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(xiii) 14 नवंबर 2021 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सीहोर में एनआईएमएचआर के स्थल का दौरा किया। उन्हों ने निर्माण कार्य और संस्थान के शिक्षाविदों और सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की।

(xiv) "सामाजिक न्याय और अधिकारिता; दिव्यांग कल्याण विभाग, सीहोर, म.प्र. सरकार" के सहयोग से एनआईएमएचआर और एएमपी पीजी कॉलेज, सीहोर में 2 और 3 दिसंबर, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2021 को ऑफ़लाइन मनाया गया। दिव्यांगजनों/बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया गया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग; दिव्यांग कल्याण विभाग, सीहोर, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2022 मनाया गया।

7.11 वर्ष 2020–21के लिए एनआई और सीआरसी द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों का विवरण अनुबंध 6 में दिया गया है।

एमएचआरएच–किरण के बारे में जागरूकता और डॉ प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और निदेशक एनआईएमएचआर द्वारा कलेक्टर सीहोर को किरण का पोस्टर दिया गया।

विभाग की योजनाएं

सिंहावलोकन

विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। योजना के उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रमुख योजनाएं हैं:

8.1 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) / दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

8.1.1 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

उद्देश्य

(i) डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना) विभाग की एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जो गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है जिसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक उनकी पहुंच बनाए रखना है।

(ii) दिव्यांगजनों के समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थ वातावरण तैयार करना।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कारवाई को प्रोत्साहित करना।

8.1.2 डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियां / घटक

(i) कर्मचारियों को मानदेय

(ii) लाभार्थियों को परिवहन

(iii) लाभार्थियों के लिए स्टाइपेंड / हॉस्टल रखरखाव

(iv) कच्चे सामग्री की लागत

(v) कार्यालय व्यय, बिजली एवं पानी शुल्क, किराए के लिए आकस्मिक राशि देना

8.1.3 डीडीआरएस के तहत अनुदान के लिए पात्रता शर्तें

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर–लाभकारी कंपनी के तहत संगठन,
- जो न्यूनतम दो साल की अवधि से अस्तित्व में है,
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत
- नीति आयोग पोर्टल, एनजीओ – दर्पण पर पंजीकृत,
- परियोजना पर कार्य करने के लिए वह एक उपयुक्त रूप से गठित एक प्रबंधन निकाय हो, उसके पास पर्याप्त सुविधाएं और अनुभव हो, न कि किसी व्यक्ति या वैयक्तिक निकाय के लाभ के लिए कार्य करता हो,

8.1.4 योजना की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रिया

(i) उस संगठन को दिए गए पिछले अनुदान के संबंध में केवल उपयोग प्रमाण पत्र होने पर ही अनुदान जारी किया गया।

(ii) संबंधित राज्य सरकारें / संघ शासित क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की मॉनीटरिंग और निरीक्षण करते हैं।

(iii) विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का समय–समय पर निरीक्षण भी करता है।

(iv) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अन्तर्गत सहायता अनुदान (जीआईए) मांगने वाले गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन मंत्रालय के ई–अनुदान पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

8.1.5 डीडीआरएस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	वित्तीय आउटले (परिव्यय)/उपलब्धियां (रू. करोड़ में)			वास्तविक उपलब्धिया	
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	सहायता प्रदत्त एनजीओ की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2018-19	70.00	70.00	70.00	543	41803
2019-20	75.00	105.00	101.66	432	38004
2020-21	130.00	85.00	77.42	340	31542
2021-22	125.00	105.00	39.35	185	16266

(31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)

8.1.6 संशोधित योजना के प्रावधान

01 अप्रैल 2018 से संशोधित दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) कार्यान्वित की जा रही है। संशोधित डीडीआरएस योजना के तहत मॉडल परियोजनाओं की सूची 18 से घटाकर 9 कर दी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

क. योजना के लागत मानदंडों को 2.5 गुना बढ़ाया गया है।

ख. पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी परियोजना अनुमोदित होने के बाद, इस संशोधित योजना के तहत निर्धारित लागत–मानदंडों के आधार पर आकलित 90% राशि की हकदार होंगी। विशेष क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानदंडों के आधार पर आकलित राशि का 100% अनुमत होगा।

विशेष क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- 8 उत्तर–पूर्वी राज्य
- हिमालय क्षेत्र राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (समय–समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) – आज की स्थिति के अनुसार 90 जिले अधिसूचित हैं, और
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले– 34 जिले

ग. शहरी क्षेत्रों में भी सहायता अनुदान की कोई टैपरिंग नहीं होगी।

घ. लाभार्थियों की संख्या:

(i) निरीक्षण की तारीख से पहले पिछले 30 दिनों में से कम से कम 15 दिनों तक संस्थान में उपस्थित रहने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए सहायता अनुदान की गणना की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण अधिकारी द्वारा ऐसे लाभार्थियों की संख्या निर्दिष्ट की जानी है।

(ii) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि पर कोई रोक नहीं है बशर्ते अवसंरचना उपलब्ध हो।

ड़. संगठन को मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) पर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरा प्रस्ताव अग्रेषित करना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रस्तुत करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा। यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेती है, तो भारत सरकार योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के लिए निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।

च. (i) प्राप्त प्रस्तावों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और स्वीकृत प्रस्तावों संख्या, (ii) डीडीआरएस के तहत जारी किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार फंड, (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार लाभार्थियों की संख्या, (iv) डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2021–22 में दिए गए सहायता–अनुदान का विवरण **अनुबंध–7 क, अनुबंध–7 ख, अनुबंध–7 ग तथा अनुबंध–7 घ** में दिया गया है ।

8.1.7 डीडीआरएस के तहत मॉडल परियोजनाएं इस प्रकार हैं:–

I. प्री–स्कूल और प्रारिम्भक तैयारी तथा प्रशिक्षण के लिए परियोजनाएं (6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए)–

6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विशेष स्कूलों में स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना और/अथवा नियमित स्कूलों में उनको जोड़ना प्रमुख उद्देश्य है। परियोजना थैरेप्यूटिक सेवाएं, दैनिक देखभाल और माता–पिता को परामर्श भी उपलब्ध कराती है।

II. दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल:

बौद्धिक दिव्यांगता, श्रवण एवं वाक् दिव्यांगता तथा दृष्टि दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल। विशेष शिक्षा प्रमुख रूप से सम्प्रेषण कौशल और अन्य संवेदीकरण क्षमताओं के विकास पर जोर देती है और अंतर्वस्तु के साथ दैनिक जीवन कौशल प्राप्त करने से लेकर एकीकरण तक सीखने के नियमित संस्थानों और सामान्य रूप से समाज में भिन्न होती है। अनुदान के तहत आवासीय सुविधाओं को भी कवर किया जा सकता है।

III. सेरेब्रल पाल्सी ग्रस्त बच्चों के लिए परियोजना:

इस परियोजना का उद्देश्य व्यक्ति की थैरेप्यूटिक जरूरतों को पूरा करने पर अधिकाधिक जोर देने के साथ विशेष स्कूलों के लिए परियोजनाओं के समान है।

IV. कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों (एलसीपी) के पुनर्वास के लिए परियोजना:

इस परियोजना का मूल उद्देश्य कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों को कौशल के साथ उन्हें सशक्त बनाना है ताकि अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो सके। इन परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई और गृह (केवल गंभीर दिव्यांगजन के लिए) शामिल किया जा सकता हैं।

V. उपचारित और नियन्त्रित मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के लिए मनो सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम :

इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों जिनकी मानसिक अस्पतालों/पागलखानों से रिहाई के बाद पुनर्वास की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना है जिनकी मानसिक रूग्णता का उपचार और उसे नियन्त्रित किया गया है। यह परियोजना ऐसे व्यक्तियों को परिवार/समाज के साथ पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनकी और उनके परिवारों की काउंसिंल प्रदान करती है। उनकी बीमारी संबंधित चिकित्सीय सलाह/उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि समय–समय पर मनोरोग संबंधित जटिलताओं पर काबू पाया जा सके।

VI. गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम/गृह प्रबंधन कार्यक्रम:

इस परियोजना के उद्देश्यों में गृह परिवेश के संदर्भ में गतिशीलता कौशल के लिए मार्गदर्शन और प्रावधान, बुनियादी संप्रेषण कौशल और दैनिक जीवन कौशल का विकास, दिव्यांग बच्चों के परिवारों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण शामिल हैं।

VII. समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना:

इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को पुनर्वासित एवं प्रशिक्षित करना ओर साथ ही उन्हें उनके समाज के साथ जोड़ना है। इसका फोकस एक ऐसे वातावरण में जहाँ दिव्यांगजनों के लिए या तो बहुत सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं या ये सेवाएं बिल्कुल नहीं हैं, आवश्यकतानुरूप एक गैर संस्थागत विन्यास में सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, दिव्यांगजन, परिवार तथा समुदाय, और स्वास्थ्य व्यावसायिकों के बीच, भागीदारी पर है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश में उपयुक्त हैं।

VIII. कम दृष्टि केंद्रों के लिए परियोजना:

ये परियोजनाएं कम दृष्टि वाले लोगों के चिकित्सीय पुनर्वास के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। ये केंद्र पहचान, आकलन, पुनर्वास और परामर्श (काउंसलिंग) सेवाएं प्रदान करते हैं तथा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और दृश्य दक्षता में सुधार के माध्यम से उन्हें उनकी अधिकतम कार्यक्षमता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

IX. मानव संसाधन विकास के लिए परियोजना:

ये परियोजनाएं दिव्यांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, संसाधन केंद्र एवं संसाधनों का नेटवर्किंग विकसित करती हैं।

8.1.8 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

8.1.8.1 डीडीआरसी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

(i) प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप।

(ii) जागरूकता सृजन।

(iii) सहायक उपकरणों की आवश्यकता/प्रावधान/फिटमेंट का आकलन।

(iv) चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपीआदि।

(v) रेफरल और सर्जिकल सुधार की व्यवस्था।

(vi) छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता।

(vii) कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण।

(viii) शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान।

(ix) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना

(x) स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था

(xi) राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना

(xii) बाधा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना।

8.1.8.2 डीडीआरसी की स्थिति

(i) डीडीआरसी की स्थापना के लिए अनुमोदित जिलों की संख्या– देश के हर जिले में एक डीडीआरसी

(ii) स्थापित डीडीआरसी की संख्या– 269

(iii) कार्यरत और नियमित अनुदान प्राप्त कर रहे डीडीआरसी की संख्या – 55–60

(iv) डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियाँ/घटकें

मदें पूर्व –	संशोधित दरें	संशोधित दर (*)
कुल मानदेय	8.10	23.40
कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय	2.10	5.25
उपकरण (स्थापना के लिए केवल पहले वर्ष के लिए)	7.00	20.00

['विशेष क्षेत्रों/राज्यों में डीडीआरसी के लिए मानदेय की 20: अधिक राशि निम्नानुसार अनुमेय है]

- 8 पूर्वोत्तर राज्य,
- हिमालयी क्षेत्र के राज्य (जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश),

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) – 106 जिले, और
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे जिले– 34 जिले।

(v) डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियां एक रेड क्रॉस सोसाइटी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का कोई भी स्वायत्त/अर्ध–स्वायत्त निकाय या एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन हो सकती हैं।

(vi) संशोधित डीडीआरसी योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैंरू–

- संशोधित डीडीआरसीयोजना 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी है ।
- इस योजना के तहत कर्मचारियों के मानदेय में 2.5 गुना वृद्धि की गई है।
- पहले वर्ष में अर्थात् डीडीआरसी की स्थापना के दौरान उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान को भी 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
- नई योजना में दो अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं।
- सहायता अनुदान को सरल बनाने की प्रक्रिया।
- डीडीआरसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किए जाने पर स्थान किराए पर ले सकता है।

(vii) डीडीआरसी के तहत अनुदान हेतु स्वीकार्य पद अनुबंध – 8 क पर, 2018–19 से 2021–22 के दौरान सहायता प्राप्त डीडीआरसी, जारी की गई राशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या अनुबंध – 8 ख पर, 2021–22 के दौरान जारी की गई सहायता अनुदान का विवरण अनुबंध – 8 ग पर है।

8.2 सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजनाः

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों/भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र/राज्य दिव्यांग विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों की अक्षमताओं के प्रभाव को घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों का प्राप्त करने में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करने की स्थिति में हो सके। दिव्यांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुधार करने और अक्षमता को रोकने तथा माध्यमिक अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहायक उपकरण दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत दिए गए साधन तथा उपकरण का विधिवत प्रमाणन होना चाहिए। योजना में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सुधारात्मक सर्जरी के आयोजन की भी परिकल्पना की गई है।

8.2.1. पात्रता मानदंडः

(i) 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(ii) सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 15000/– रू0 प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 15001/– से 20000/– रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) नए सहायक उपकरण केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 03 वर्ष के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। तथापि, 12 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए इसकी आपूर्ति 01 वर्ष बाद की जा सकती है।

(iv) अनाथालयों एवं हाफ–वे होम में रहने वाले लाभार्थियों के आय प्रमाणपत्रों को जिला कलेक्टर या संबंधित संगठन के मुखिया के प्रमाणन पर स्वीकार किया जा सकता है ।

8.2.2. सहायक यंत्र/उपकरण की अधिकतम लागत सीमारू

(i) सहायक यंत्र एवं उपकरण 10000/– रू0 से अधिक की लागत के नहीं होने चाहिए।

(ii) दिव्यांग छात्र के मामले में, IX कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी के लिए सीमा 12000/– रू0 है।

(iii) बहु दिव्यांगता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा व्यक्तिगत मद पर अलग से लागू होगी।

(iv) आय सीमा के अधीन, स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र, 20,000/– रू0 से ऊपर महंगी लागत वाली मदें, विभाग द्वारा अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। भारत सरकार लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष राशि पर या तो राज्य सरकार द्वारा या एनजीओ या अन्य किसी अन्य एजेंसी या लाभार्थी द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ योगदान दिया जाएगा।

8.2.3. गतिविधियों का प्रकार एडिप योजना के तहत धन निर्धारित किया गया है और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है:

(i) एडिप–एसएसए शिविर

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) की समग्र सर्वशिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित किए गए। एचआरडी मंत्रालय के साथ करार के अनुसार, एलिम्कों, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को एमएचआरडी मंत्रालय द्वारा व्यय का 40 प्रतिशत तथा एडिप योजना के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से विभाग द्वारा व्यय काशेष 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ii) शिविर गतिविधियों के लिए:

योजना के तहत, जिलेवार दिव्यांगता शिविरों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को शिविरों के आयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों की सिफारिश करते हुए दुर्गम और असेवित क्षेत्रों के कवरेज पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । उभरती जरूरतों के अनुसार समय–समय पर शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

जबकि कोविड–19 पूरी आबादी को प्रभावित कर रहा है, दिव्यांगजन, उनके शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक सीमाओं के कारण इस रोग के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने लाभार्थियों की पहचान तथा सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। तापमान जांच, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन आदि जैसे सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के उपायों का कड़ाई से पालन किया गया है। मास्क, दस्ताने और पीपीई किट आदि के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गयाहै।

आजादी का अमृत महोत्सव, के एक भाग के रूप में, जामनगर के माननीय सांसद श्रीमती पूनमबेन मादन की उपस्थिति और गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्र मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में दिनांक 20.06.2021 को जामनगर, गुजरात में एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया।

(iii) मुख्यालय गतिविधियों के लिए

(क) राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को अथवा उनके संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रस्ताव देने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एडिप अनुदान देता है।

(ख) कुछ प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उप–केंद्र हैं जो दिव्यांगजनों के लिए ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सुधारात्मक सर्जिकल संबंधी आप्रेशन करते हैं। बहुत से दिव्यांगजन सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के लिए अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडिप

अनुदान उनके संबंधित मुख्यालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

(ग) कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया गया है ।

(iv) कोकलियर इंप्लांट सर्जरियां

इस योजना के तहत प्रति यूनिट 6.00 लाख रू की अधिकतम सीमा के साथ प्रतिवर्ष श्रवण बाधिता वाले 500 बच्चों के लिए कोकलियर इंपलांट का प्रावधान है। इसकी परिणति 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जीवन भर राहत प्रदान करने में होगी।अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई इस मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण और अपनी वेबसाइट www.adipcochlearimplant.in में विज्ञापनों के माध्यम से भी आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई के वेबसाइट पर विज्ञापन/ब्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है। कोकलियर इंप्लांट भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर द्वारा खरीदा जाता है और नामांकित अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है। सर्जरी पैनलबद्ध अस्पतालों में कराई जाती है। कोकलियर इंपलांट सर्जरी कराने के लिए, मंत्रालय में 219 अस्पतालों (दोनों सरकारी एवं निजी) को अनुमोदित किया है।

(v) मोटरयुक्त तिपहिया तथा व्हीलचेयर का वितरण

एडिप योजना के अंतर्गत, गंभीर रूप से दिव्यांग तथा मांसपेशीय विकृति, आघात, प्रमास्तिष्क घात, अर्धांगता से ग्रस्त (क्वाड्रिपलेजिक) व्यक्ति और अन्य प्रकार की इसी तरह की स्थितियों वाले व्यक्ति जिनमें तीन/चार अंग अथवा शरीर का आधा भाग गंभीर रूप से विकृत हो, को मोटरयुक्त तिपहियां और व्हीलचेयरप्रदान करने का प्रावधान हैं। मोटरयुक्त तिपहियां और व्हीलचेयर के लिए दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। एलिम्को की मोटरयुक्त तिपहियां साइकिल की वास्तविक लागत लगभग 37,000/–रूपए है। 25,000/–रूपए से अधिक की राशि आवेदक/एमपीएलएडी निधि/एमएलएएलएडी निधि/सीएसआर निधि से पूरी होती है। यह रियायत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 10 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराई जाती है।गंभीर रूप से दिव्यांगजन जो मानसिक रूप से अक्षम हैं, वे मोटरयुक्त तिपहिया व व्हीलचेयर्स के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें इससे गंभीर दुर्घटनाओं/शारीरिक हानि का जोखिम होता है।

एलिम्को मुख्यालय, कानपुर में दिनांक 31.10.2021 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्र मंत्री की उपस्थिति में वितरण शिविर का आयोजन किया गया।

8.2.4. इस योजना के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार है:–

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बीई आबंटन	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
2018-19	**220.00**	**223.42**	**216.19**	**300865**
2019-20	**230.00**	**222.50**	**213.83**	**351629**
2020-21	**230.00**	**195.00**	**189.13**	**258749**
2021-22 (**31.12.2021** की स्थिति के अनुसार)	**220.00**	**180.00**	**121.50**	**171057**

8.2.5. एडिप योजना के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान विभिन्न गतिविधियों के तहत राज्यवार आयोजित शिविरों का विवरण उपयोग की गई निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध–9** पर है। वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान राष्ट्रीय संस्थान/एलिम्को/सीआरसी एवं गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–10** पर है। 2021–22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मांग पर आयोजित विशेष शिविरों/आयोजित शिविरों का विवरण **अनुबंध–11** पर है। विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किए गए सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–12** पर है।

8.2.6 पिछले सात वर्षों एवं चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) के अंतर्गत विशेष उपलब्धियां:

(i) एडिप योजना के तहत पिछले सात वर्षों के दौरान 1310.51 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान का उपयोग किया गया और चालू वर्ष में 11468 शिविरों के माध्यम से लगभग 21.56 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) 11468 शिविरों में से,787 मेगा शिविरों/विशेष शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए लगभग 597.25 करोड़ रुपये की लागत से 6.82 लाख दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

(iii) इन मेगा शिविरों में से ग्वालियर में एक शिविर में माननीय राष्ट्रपति ने उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई और वाराणसी, नवसारी, वडोदरा, राजकोट और प्रयागराज में पांच शिविरों में माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित थे।

(iv) देश भर के स्कूलों में एडिप–समग्र शिक्षा अभियान (एनएनए) के तहत 6732 शिविरों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले 7.26 लाख दिव्यांग बच्चों को लगभग 243.45 करोड़ रुपये की लागत वाले सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

(v) देश में 3965 (एडिप योजना के तहत 3220 और सीएसआर के तहत 745) कॉकलियर इंप्लांट सर्जरियाँ सफलतापूर्वक की गई है।

(vi) पात्र दिव्यांगजनों को 27028मोटरचालित ट्राइसाइकिल वितरित की गई हैं।

8.2.7 दस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ये इस प्रकार हैं:–

- **पहला रिकॉर्ड** – 16 सितंबर, 2016 को गुजरात के नवसारी में एक ही स्थान पर एक साथ सबसे ज्यादा तेल के दीपक जलाए गए ।
- **दूसरा रिकॉर्ड** – 17 सितंबर, 2016 को गुजरात के नवसारी में एक ही स्थान पर 8 घंटे के भीतर 600 व्यक्तियों (1200 हियरिंग एड्स) के लिए 1200 हियरिंग एड्स की फिटिंग।
- **तीसरा रिकॉर्ड** – 17 सितंबर, 2016 को गुजरात के नवसारी में 1000 दिव्यांगजन द्वारा सबसे बड़ा व्हीलचेयर लोगो/छवि बनाना, जिसने इस घटना को ऐतिहासिक बना दिया।
- **चौथा रिकॉर्ड** – 3,911 श्रवण बाधितों को 05 नवंबर, 2016 को मणिपुर शिविर में 8 घंटे में हियरिंग एड्स फिट की गई।
- **पाँचवाँ रिकॉर्ड** – हमारे राष्ट्रगान का प्रदर्शन करते हुए एक ही स्थान पर सांकेतिक भाषा के पाठ में श्रवण बाधित 1445 व्यक्तियों की अधिकतम भागीदारी से गिन्निज वर्ल्ड रिकार्ड बना। इससे पहले, ताइवान (चीन) द्वारा श्रवण बाधित 978 व्यक्तियों की भागीदारी के साथ ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया था
- **छठा रिकॉर्ड** – 29 जून, 2017 को गुजरात के राजकोट में एक ही दिन में 781 गतिविषयक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों में अधिकतम आर्थोसिस(कैलिपर्स) फिट करने की श्रेणी के लिए गिन्निस वर्ल्ड रिकार्ड बना।
- **सातवां विश्व रिकॉर्ड** ''अधिकांश लोगों को 8 घंटे (एकल स्थान) में कृत्रिम अंग लगाए गए'' यह रिकार्ड एडिप योजना के तहत दिनांक 28 फरवरी, 2019 को भरूच गुजरात में आयोजित शिविर में बनाया गया था जहां पर 260 दिव्यांग व्यक्तियों को इस तरह के कृत्रिम अंग लगाए गए थे।
- **आठवां रिकार्ड** एक घंटे में हाथ से संचालित ट्राई साइकिल (626 संख्या)का दान किया गया।
- **नौवां रिकार्ड** –29 फरवरी, 2020 को प्रयागराज में हाथ से संचालित ट्राइसाइकिल(300 संख्या) की सबसे बड़ी परेड।
- **दसवां रिकार्ड** – 29 फरवरी, 2020 को प्रयागराज में व्हील चेयर की सबसे बड़ी चलती लाइन (400 संख्यां) – 1.8 कि.मी.

8.2.8 मॉनिटरिंग तंत्र

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित तंत्र की व्यवस्था की गई है :

(i) विभाग की दिव्यांगता संबंधी योजनाओं (विशेष रूप से एडिप, डीडीआरएस और डीडीआरसी) के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(ii) यह योजना डीबीटी भारत पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

(iii) मंत्रालय की दिव्यांगता संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त संगठनों का निरीक्षण, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।

(iv) एडिप योजना के तहत, किसी विशेष कार्यान्वयन एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुदान जारी किए जाते हैं। अनुशंसित प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की 15 प्रतिशत (10 लाख रूपये तक की जीआईए के मामले में) और 10 प्रतिशत (10.00 लाख रूपये से अधिक जीआईए के मामले में) जांच/नमूना जांच का आयोजन भी करता है।

(v) संगठनों को उन्हें जारी पिछले अनुदान के संबंध में लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है ।

(vi) एडिप योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट का भी अनुरक्षण करना चाहिए और प्राप्त, उपयोग की गई अनुदानों का विवरण, उपयोग और लाभार्थियों की सूची के साथ फोटो और राशन कार्ड नंबर/वोटर आईडी नंबर/आधार कार्ड नंबर अपलोड करना चाहिए, जैसा भी मामला हो। (सरकार के निर्देशों के अनुसार, आधार नंबर हालांकि प्राप्त किया जाता है लेकिन प्रदर्शित नहीं किया जाता है)।

(vii) ई–अनुदान पोर्टल पर गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को ऑन लाइन प्रस्तुत करना और प्रोसेस करना।

(viii) नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ दर्पण)पर एनजीओ का अनिवार्य पंजीकरण

(ix) पीएफएमएस के ईएटी (व्यय अग्रिम अंतरण) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता–अनुदान का उपयोग।

(x) कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन और अनुवर्ती शिविरों के संचालन के लिए प्रशासनिक/ओवरहेड खर्चों के रूप में सहायता–अनुदान का 5 प्रतिशत उपयोग करेंगी। मेगा शिविरों के लिए जहां लाभार्थियों की संख्या 1000 और उससे अधिक है और शिविरों में कैबिनेट/राज्य मंत्री (एसजेएंडई)/मुख्यमंत्रियों द्वारा भाग लिया जाता है, इस योजना के तहत अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की अनुमति है।

8.2.9 एडिप योजना के अंतर्गत, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए समकालीन सहायक यंत्र और उपकरणों की दिव्यांगता वार सूची अधिसूचित की है जो विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध है। जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगता की संख्या 7 से बढाकर 21 कर दी गई है। विभाग सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरणों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

8.3 छात्रवृत्ति योजनाएं

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

8.3.1 सिंहावलोकन

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 (1) एवं (2) यह अधिदेशित करता है कि 6 से 18 वर्ष तक के बैंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इच्छित निकटतम विद्यालय अथवा किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जब तक दिव्यांग बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उपयुक्त वातावरण में उनकी निःशुल्क शिक्षा तक सुगम्यता सुनिश्चित करेंगे।

(ii) इस अधिदेश को पूरा करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक समग्र योजना 'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है जिसके छह घटक हैं नामतः प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क कोचिंग।

(iii) समग्र छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

(iv) 2017–18 तक, इन छह छात्रवृत्ति योजनाओं को अलग–अलग बजट वाली स्टैंड–अलोन योजनाओं के रूप में लागू किया गया था। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप 1 अप्रैल, 2012 को शुरू किया गया था। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू की गई थी। उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग 1 अप्रैल, 2017 को आरम्भ किया गया था।

(v) 1 अप्रैल, 2018 से, सभी छह छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग को एक स्कीम 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' नामक एक समग्र योजना में विलय कर दिया गया है। 2018–19 से प्रभावी योजनाओं का विलय/एकीकरण बजट आवंटन की मांग–आपूर्ति असंतुलन को दूर करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किया गया है। समग्र योजना में, यदि एक खंड में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो उस अधिशेष का उपयोग दूसरे में किया जा सकता है।

(vi) प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा में हर वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50:और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्लॉट का 30:महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तथापि, यदि योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अनुपयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जा रहा है।

8.3.2 समग्र छात्रवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

i. माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमाः माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।

ii. रखरखाव भत्ताः रु. 800/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए

रु. 500/– प्रति माह। रखरखाव भत्ता एक वर्ष में 12 महीने के लिए भुगतान किया जाता है।

iii. दिव्यांगता भत्ताः दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्तों को एक में विलय कर दिया गया है और दिव्यांगता भत्ते की सीमा रु. 2000/से रु. 4000/.प्रति वर्ष है।

iv. पुस्तक भत्ताः उपरोक्त के अलावा, रु. 1000/.प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

v. स्लॉट्स की संख्याः रु. 25,000 रिन्युअल छात्र

(ii) पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)

i. माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमाः माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।

ii. रखरखाव भत्ताः विभिन्न समूहों के लिए रखरखाव भत्ता नीचे दिया गया हैः

iii. समूह I : चिकित्सा/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्लानिंग/वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बिजनेस/ वित्त प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम। किसी भी विषय में यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1600/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 750/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

iv समूह II : फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडकिल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/ मेजबान प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्र में डिग्री/ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1100/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 700/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

iii. समूह III : स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह I तथा II के अंतर्गत नहीं आते अर्थात बीए/ बीएससी/बी.कॉम आदि । रखरखाव भत्ते की दर रु. 950/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 650/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

iv. समूह IV : समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर गैर–डिग्री पाठ्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि है। रखरखाव भत्ते की दर रु. 900/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 550/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

v. दिव्यांगता भत्ता : दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्तों को एक में विलय कर दिया गया है और दिव्यांगता भत्ते की सीमा रु. 2000/–से रु. 4000/– प्रति वर्ष है।

vi. पुस्तक भत्ता : उपरोक्त के अलावा, रू. 1500/–प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

vii. अनिवार्य गैर–वापसी योग्य शुल्कः नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, मेडिकल जाँच और इस तरह के अन्य शुल्क, जो स्कॉलर द्वारा अनिवार्य रूप से देय हैं, प्रति वर्ष अधिकतम शुल्क रू. 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है।

viii. स्लॉट्स की संख्या : 17,000 + रिन्युअल छात्र

(iii) उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृश्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)

i. माता–पिता/अभिभावक की आयः माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष है।

ii. रखरखाव भत्ताः रू. 3000/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 1500/– प्रति माह की दर से दिया जाता है।

iii. दिव्यांगता भत्ताः रू. 2000/– प्रति माह।

iv. पुस्तक एवं लेखन सामग्रीः रू. 5000/– प्रति वर्ष।

v. ट्यूशन शुल्क और गैर–वापसी योग्य शुल्क : रू. 2.00 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक स्कॉलर द्वारा संस्थान को देय है।

vi. कंप्यूटर, एक्सेसरीज़/ सहायक यंत्र और सहायक उपकरणः पूरे पाठ्यक्रम के लिए एक्सेसरीज/सहायक यंत्र रु. 30,000/– और सहायक उपकरण के साथ कंप्यूटर की खरीद के लिए रु. 30,000/–एकमुश्त अनुदान।

vii. स्लॉट्स की संख्याः 300 रिन्युअल छात्र

(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर उपाधि/पीएचडी के लिए)

i. आय सीमाः सभी स्रोतों से अधिकतम आय की सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष है।

ii. ट्यूशन शुल्कः भुगतान की गई वास्तविक ट्यूशन शुल्क।

iii. रखरखाव भत्ताः संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 15400/– अमरीकी डालर सिवाय यू.के. के जहां यह जीबीपी 9900/–प्रति वर्ष है।

iv. वार्षिक आकस्मिक भत्ताः संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 1500/– अमरीकी डालर सिवाय यू.के. के जहां यह जीबीपी 1100/–प्रति वर्ष है।

v. प्रासंगिक यात्रा भत्ता : 20/–अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समान।

vi. उपकरण भत्ताः रू. 1500/–

vii. वीज़ा शुल्क : वास्तविक वीज़ा शुल्क का भुगतान भारतीय रूपये में किया जाता है।

viii. चिकित्सा बीमा प्रीमियम : वास्तविक प्रभारित देय।

ix. वायु मार्ग की लागत : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कैरियर में इकॉनोमी क्लास में लघुतम मार्ग के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था की जाती है।

x. **स्लॉट्स की संख्या : 20 रिन्युअल छात्र**

(v) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधि/पीएचडी के लिए)।

i. माता–पिता/अभिभावक की आय : माता–पिता/अभिभावक की कोई आय सीमा नहीं है।

ii. फेलोशिप की दर :जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:

1	फेलोशिप	रू. 31,000/.प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ),रु. 35,000/.प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए (सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ)
2	मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कला/ललित कला सहित) के लिए आकस्मिकता	रू. 10,000/.प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 20,500/ प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
3	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिकता	रू. 12,000/.प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 25,000/.प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
4	विभागीय सहायता (सभी विषय)	रू. 3,000/.प्रति वर्ष प्रति छात्र मेजबान संस्थान को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए
5	एस्कॉर्ट/रीडर सहायता (सभी विषय)	रू. 2,000/. प्रतिमाह शारीरिक और दृष्टि दिव्यांग उम्मीदवारों के मामलों में

iii. मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान यूजीसी पैटर्न पर किया जाता है और उन छात्रों को देय होता है, जिन्हें हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाता है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल आवास नहीं लिया जाता है, तो छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा। उनके फेलोशिप कार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होंगे।

iv स्लॉट्स की संख्याः 200 स्लॉट्स प्रतिवर्ष। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्लॉट्स का वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांग छात्रों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित फेलोशिप की संख्या पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के

कारण पूरा उपयोग नहीं होने के मामले में, खाली स्लॉट्स राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं, जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या आवंटित स्लॉट से अधिक है।

(vi) दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए)

i. माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा : माता–पिता/अभिभावक आय की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष 6 लाख रू. है।

ii. कोचिंग शुल्क :कोचिंग शुल्क का भुगतान पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों को किया जाता है।

iii. स्टाईपेंड : स्थानीय छात्रों को 2500/– रूपये प्रति छात्र की दर से तथा बाहरी छात्रों को 5000/– रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक स्टाईपेंड प्रदान किया जायेगा।

iv. विषेश भत्ता : रीडर भत्ते, एस्कॉर्ट भत्ते, सहायक भत्ते आदि के प्रति छात्रों को 2000/– रूपये प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

v. स्लॉट्स की संख्या: 2000 प्रति वर्ष

8.3.3 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें

i. केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।

ii. 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग छात्र (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

iii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता हो।

8.3.4 कार्यान्वयन की विधिः

छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की विधि निम्नलिखित हैः

i. दिव्यांग छात्रों के लिए पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ, अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे प्रेषित किया जाता है।

ii. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप यूजीसी वेब पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। उम्मीदवारों का चयन यूजीसी द्वारा किया जाता है और चयनित उम्मीदवारों की सूची इस विभाग को भेजी जाती है। यूजीसी द्वारा पहचान किए गए लाभार्थी के बैंक खाते में फैलोशिप राशि के वितरण के लिए विभाग जिम्मेदार है। फेलोशिप राशि केनरा बैंक के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित की जाती है।

iii. दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ऑफलाइन कार्यान्वित की जा रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति आवेदनों को ऑफलाइन आमंत्रित किया जाता है। इन आवेदनों को एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट (जांच) किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों को राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जाता है। विद्यार्थी को विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिले मिलने के बाद ट्यूशन शुल्क समेत छात्रवृत्ति राशि उम्मीदवार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

iv. दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना वर्तमान में डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा ऑफलाइन कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और पीएसयू या स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों के तहत) मानित विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों सहित और पंजीकृत निजी संस्थान एनजीओ द्वारा संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। संस्थानों को चयन समिति द्वारा प्रदर्शन के उसके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन को सूचीबद्ध संस्थान में ऑफलाइन मोड़ में जमा करना होगा। संस्थानों को कोचिंग शुल्क सीधे इस विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। उम्मीदवारों को स्वीकार्य स्टाईपेंड और विशेष भत्ता सीधे पीएफएमएस पोर्टल से उम्मीदवार के बैंक खातों में भेज दिया जाता है।योजना को सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म पर रखा जा रहा है। प्रारंभिक कार्य किया जा चुका है और परीक्षण जारी है।

8.3.5 प्रचार और जागरूकता

आम जनता के बीच छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए जागरूकता पैदा करने और प्रचारित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय अखबारों (दैनिक समाचार पत्रों) में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। आकाशवाणी और एफएम चैनलों में प्रसारित कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्रसारित किया जाता है।

8.3.6 मॉनीटरिंग तंत्रः

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यान्वित योजनाओं (प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा) का मॉनीटिरिंग तंत्र निम्नलिखित हैः–

(i) उम्मीदवार एनएसपी वेब–पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसे राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा डिज़ाईन और अनुरक्षित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख कैबिनेट सचिवालय, डीबीटी मिशन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तय की जाती है।

(ii) संबंधित संस्थानों को राज्य नोडल अधिकारी को आवेदन सत्यापित करना और अग्रेषित करना होता है।

(iii) राज्य नोडल अधिकारी को संबंधित संस्थान की विधिवत सहित आवश्यक जांच करनी अपेक्षित है और राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवेदन अग्रेषित करना होगा।

(iv) अंतिम चयन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य सरकार की सिफारिशों के अन्य बातों के साथ, उस विशेष राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉट के आधार पर किया जाता है,

(v) यदि उम्मीदवार किसी राज्य का स्थायी निवासी है लेकिन किसी अन्य राज्य में पढ़ रहा है, तो उसके आवेदन को उसके गृह राज्य के स्लॉट के तहत माना जाएगा और उसके आवेदन को उस राज्य की सिफारिश की आवश्यकता है जिसका वह स्थायी निवासी है।

(vi) राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है। जूनियर रिसर्च फैलोशिप चरण में उम्मीदवार द्वारा शोध कार्य में प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन के बाद एसआरएफ/जेआरएफ प्रदान किया जाता है।

(vii) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत वार्षिक अनुरक्षण, ट्यूशन शुल्क और अन्य भत्तों को जारी करने से पहले भारतीय दूतावास/उच्चायोग के माध्यम से संबंधित कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय से छात्र की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ।

(viii) निशुल्क कोचिंग योजना के तहत पैनल के तीसरे वर्ष के अंत में कोचिंग संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा का प्रावधान है। डीईपीडब्ल्यूडी किसी भी पैनल में शामिल संस्थान का समय–समय पर औचक निरीक्षण/जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.3.7 छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में विगत सात वर्षों और चालू वर्ष के दौरान और जारी की गई राशि लाभार्थियों की संख्या अनुबंध–17क में है।

8.3.8 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दस लाख रुपये और उससे अधिक प्राप्त निजी और स्वयंसेवी संगठनों को आवर्ती/गैर–आवर्ती/एकमुश्त सहायता सहायता–अनुदान का विवरण अनुबंध 17 ख पर है ।

8.4 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

सिपडा के व्यापक रूप से निम्नलिखित घटक हैं–

i) निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगम्यता बढ़ाना। विभाग ने सार्वभौमिक सुगम्यता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अग्रणी अभियान के रूप में ''सुगम्य भारत अभियान'' की अवधारणा प्रारंभ की जो दिव्यांगजनों को समान अवसर और स्वतंत्र जीवन तथा एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के लिए पहुँच का लाभ लेने के लिए समर्थ बनाएगा। अभियान में सुगम्यता लेखा परीक्षा का संचालन और निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली तथा आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली और सार्वजनिक स्थानों/अवसंरचना पूर्ण सुगम्य बनाना शामिल होगा।

ii) दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।

iii) दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता आईडीकार्ड जारी करने हेतु शिविरों के आयोजनों में राज्य सरकारों की सहायता करना।

iv) विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए जागरूकता अभियान और सुग्राहीकरण कार्यक्रम सृजित करना। सिपडा योजना में जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के कार्यान्वयन का घटक है।

v) दिव्यांगता मुद्दों एवं काउंसिलिंग पर सूचना का प्रसार करने और सहायक सेवायें प्रदान करने हेतु संसाधन केन्द्र स्थापित करना/सहायता प्रदान करना।

vi) सुगम्य पुस्तकालयों का, भौतिक और डिजिटल दोनों, और अन्य ज्ञान केन्द्र (नॉलेज सैंटरों) का संवर्धन करना।

vii) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सिपडा योजना में दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान के कार्यान्वयन का घटक है।

viii) श्रवण बाधित नवजात शिशुओं की सहायता करने और युवा बच्चों कोनियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिये आवश्यक कौशल प्राप्त करने हेतु जिला मुख्यालयों/सरकारी चिकित्सा कालेजों वाले अन्य स्थानों पर प्रारंभिक नैदानिक और इंटर्वेंशन केन्द्र स्थापित करना।

ix) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संरचात्मक सुविधाओं हेतु राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के कार्यालयों हेतु एकबारगी सहायता अनुदान प्रदान करना।

x) जहां उपयुक्त सरकारों/स्थानीय अधिकारियों की अपनी जमीन हो वहां दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण/पार्कों का विकास और मौजूदा पार्कों और अन्य शहरी बुनियादी ढाँचों में बाधामुक्त मानक प्रदान करना।

xi) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद आयोजनों हेतु सहायता करना

xii) नई योजनाओं परियोजनाओं कोतैयार करने के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने संबंधित व्यय को पूरा करने हेतु सहायता।

xiii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण।

xiv) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन।

xv) अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऐसे अन्य कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिये विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध/कवर नहीं कराई जा रही हैं। (विभिन्न गतिविधियों के विवरण संबंधित प्रभाग द्वारा दिए जाएंगे)

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय का ब्यौराः

(रूपए करोड़ में)

क्र.	वर्ष	बीई आवंटन	आरई आबंटन	जारी की गई राशि
1.	2017-18	207.00	273.06	272.24
2.	2018-19	300.00	258.30	260.82
3.	2019-20	315.00	260.00	217.34
4.	2020-21	251.50	122.89	103.43
5.	2021-22 (upto 31.12.2021)	209.77	147.31	31.15

(xvi) वर्ष 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गतराज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–13** पर है।

(xvii) वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को सहायता अनुदान जारी की गई है बाधामुक्त वातावरण का सृजन, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान–पत्र परियोजना (यूडीआईडी), जागरूकता सृजन एवं प्रचार, केंद्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण, दिव्यांगता संबंधी प्रौद्योगिकी, उत्पाद तथा मुद्दों पर अनुसंधान, और निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना, देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता, सूचना और जन शिक्षा (मीडिया), राज्य स्पाइनल इंजुरी केंद्र के लिए योजना, ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्द्धन के लिए सहायता केंद्रीय क्षेत्रक योजना, भारतीय स्पाइनल इंजुरी केंद्र और क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटर्वेंशन सेंटर स्थापित करना,। **अनुबंध –14** पर है।

8.4.1. दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण

(i) दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूल, कालेज, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय तथा सरकारी भवन, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि में निर्मित वातावरण तक पहुंच शामिल हैं। इसमें रैंपस, रेल्स, लिफ्टस, व्हीलचेअर प्रयोगकर्त्ताओं के लिए सुगम्य शौचालय, ब्रैल संकेतक (साइनेजिज) तथा आडिटरी सिग्नल, टेक्टाइल फलोरिंग, व्हील चेअर प्रयोगकत्तओं की सुगम पहुँच हेतु, पेवमैंट पर ढलान बनाना, दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, दृष्टिहीनों अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफार्मो पर उत्कीर्णन करना तथा दिव्यांगता के उचित चिन्हों की डिवाइसिंग करना शामिल है।

(ii) भारतीय सरकारी वैबसाइट हेतु एनआईसी तथा प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार,दिव्यांगजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना, जो उनकी वेबसाइट "http://darpg.nic.in"पर उपलब्ध है।

8.4.2 सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी):

8.4.2.1 विभाग द्वारा 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी।

(i) उद्देश्य और कवरेजः

(क) यह दिशानिर्देश 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और जिनके पास इस आशय के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उनको कवर करेगा।

(ख) महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) कौशल प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, निहित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) प्रशिक्षुओं की पात्रता की शर्तें :

(क) भारतीय नागरिकता,

(ख) बेंचमार्क दिव्यांगताग्रस्त व्यक्ति जिसे 40% से अधिक दिव्यांग हो (पीडब्ल्यूडी) एवं जिनके पास इस आशय हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो,खदिव्यांगता को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) जिसे, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम; 1999 की धारा 2 (अ) और/या किसी भी प्रासंगिक कानून जो लागू हो, के साथ पढ़ा जाए, के तहत परिभाषित किया गया है।,

(ग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/बैच के शुरू के अंतिम तिथि पर आयु कम से कम 15 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(घ) आवेदक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/बैच के शुरू होने से पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हो।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण भागीदारी) की योग्यताः

इस योजना को लागू करने वाले संगठनों/ संस्थानों के द्वारा लागू किया जाएगा, जिन्हें इसके बाद से "सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों" के नाम से संदर्भित किया जाएगा। निम्न श्रेणियों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगीः

क) राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग, या

ख) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या

ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/ सीआरसी/डीडीआरसी/आरसी/आउटरीच केंद्र, या

घ) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

(ड.) संगठन के पास कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन साल का अनुभव हो।

(च) गैर–सरकारी संगठनों के मामले में, वे नीति आयोग की एनजीओ–भागीदारी (एनजीओ–पीएस) के साथ पंजीकृत होंगे और उन्हें एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होनी चाहिए। गैर–सरकारी संगठन द्वारा अनुदान के लिए आवेदन के समय विशिष्ट आईडी अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए।

(iv) आवेदन और चयन की प्रक्रियाः

चरण –I

इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा जो पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति और अन्य समान प्रासंगिक विचारों के मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे।

(क) चयन समिति का गठनः प्रशिक्षण भागीदारों का चयन करने के लिए समिति निम्न प्रकार से गठित होगीः

(ख) समिति जब कभी आवश्यक समझे, एक विशेषज्ञ को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

(ग) संगठनों, जिन्होंने प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में नामित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है, के चयन के लिए समिति समय–समय पर (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) बैठक आयोजित करेगी ।

(घ) समिति विभिन्न कौशल प्रशिक्षण के प्रस्तुत पाठ्यक्रमों को तय/ अनुमोदित करेगी और व्यक्तिगत दौरे या अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रदान किये गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करेगी।

(ङ) चयन समिति के गैर–सरकारी सदस्य भारत सरकार के निदेशक के समकक्ष अधिकारी को स्वीकृत दरों पर टीए/ डीए के हकदार होंगे।

(च) चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए संगठनों को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु तीन साल की अवधि के लिए "प्रशिक्षण भागीदारों" के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

चरण–II

जो संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध हैं, वे उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में जहां कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना प्रस्तुत है उस संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विधिवत अनुशंसित नया परियोजना विशिष्ट आवेदन (दोनों तकनीकी और वित्तीय) सौंपेंगे। आवेदनों की जाँच की जाएगी और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।

(v) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः

(क) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने दिव्यांगजनों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन किया है।

(ख) नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन्स फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रमों में एनएपी के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

(vi) निधियन मानदंडः

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–I दिनांक 15 जुलाई, 2015, समय–समय पर संशोधित रूप में, कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड के रूप में प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और आवास लागत, परिवहन/ वाहन लागत, तीसरे पक्ष के प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट सहयोग आदि सहित पूरे निधियन मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(vii) प्रशिक्षण की गुणवत्ता मॉनीटरिंगः

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के लिए एक तंत्र विकसित करेगा जो सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं पर बाध्यकारी होंगे।

(viii) अन्य शर्तें:

(क) कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात प्रशिक्षण प्रदाताओं को, सहायता अनुदान के लिए योजना में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी एक वेबसाइट रखेगा और प्राप्त सहायता अनुदान, उसके उद्देश्य, कार्यक्रमों का आयोजन और लाभार्थियों की सूची तथा उनकी नौकरी नियुक्तियों के विवरण को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(ग) विशेष ट्रेडों/ नौकरी भूमिकाओं के लिए लागत मानदंड कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई 2015, समय–समय पर संशोधित, की अनुसूची–II में निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा।

(घ) प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में चयनित एनजीओ, नीति आयोग के का.ज्ञा. सं एम–11/16(2)/2015–वीएसी दिनांक 10 सितंबर 2015 द्वारा समय–समय पर संशोधित रूप में अधिसूचित केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के क्रियान्वयन लिए सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(ix) अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण:

कौशल विकास के घटकों का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संचालित अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा, जो कौशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों का पालन करेंगे। यदि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी कौशल विकास योजनाओं को निधि देने का निर्णय करता है, तो सिपडा योजना के इस घटक को बंद कर दिया जाएगा।

सिपडा के तहत कौशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत इस विभाग द्वारा वित्तपोषित कौशल विकास का घटक बंद कर दिया जाएगा।

(x) समीक्षा और मॉनीटरिंग:

दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए एमआईएस आधारित मॉनीटरिंग तंत्र रखा जाएगा।

(xi) योजना का अधिकार क्षेत्र:

दिशानिर्देशों का अधिकार क्षेत्र दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

(xii) गलत सूचना का प्रस्तुतीकरण:

यदि किसी प्रशिक्षु या प्रशिक्षण सहयोगी ने कोई गलत सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत किया है और इसे झूठ पाया गया है, तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा और उस पर व्यय की गई राशि पर 10 प्रतिशत दंडस्वरूप ब्याज के साथ वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रशिक्षु या प्रशिक्षण संगठन को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(xiii) मुकदमा:

इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न मामलों पर किसी भी मुक़दमे पर केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।

(xiv) दिशानिर्देशों के प्रावधानों में परिवर्तन:

इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को किसी भी समय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के विवेकानुसार बदला जा सकता है।

(xv) दिशानिर्देशों की समीक्षा:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जब आवश्यक हो, अपने विवेक पर, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

8.4.2.2 राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

(i) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस): योजना के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए, एमआईएस विकसित किया गया है और अब यह कार्यात्मक है। नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल को एमआईएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मॉनिटरिंग के उद्देश्य से आधार सक्षम बायो–मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) केंद्र दिशानिर्देश: गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए केंद्रों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने हाल ही में सीसीटीवी, वीसी, आधार सक्षम बायो–मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), जॉब रोल विशिष्ट प्रयोगशालाओं, उपकरणों और प्रशिक्षित शिक्षकों, प्रशिक्षण केंद्र की अनिवार्य विशेषताओं के रूप में पहुंच के साथ केंद्र दिशानिर्देश पेश किए हैं। केन्द्र के दिशा–निर्देशों के अनुसार, किसी भी केन्द्र पर प्रशिक्षण की अनुमति देने से पहले विभाग के अधिकारियों या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा भौतिक निरीक्षण द्वारा केन्द्र की लेखा परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।

8.4.2.3 एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदार :

योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग द्वारा सूचीबद्ध गैर–सरकारी संगठनों, निजी प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के संगठनों सहित कौशल प्रशिक्षण भागीदारों के नेटवर्क द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण भागीदारों की सूचीबद्धता चयन समिति द्वारा किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। चयन समिति, ने अब तक आयोजित 22 बैठकों में 30 सरकारी संगठनों और 265 गैर–सरकारी संगठनों सहित 295 संगठनों को एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो देश भर में फैले हुए हैं। चूँकि सूचीबद्धता की वैधता तीन वर्षों की अवधि के लिए है, अब तक टीपी के रूप में नामित 295 में से 52 संगठनों (5 सरकारी और 47 गैर–सरकारी) की सूचीबद्ध होने की वैधता दिनांक 29.11.2021 तक अर्थात चयन समिति की 22 वीं बैठक तक है। इटीपी के अतिरिक्त विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन विविध संस्थानों अर्थात नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनैंस एंड डिवेलपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) एवं विभिन्न राज्यों में स्थापित उनके समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभाग दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेक्टर कौशल परिषद और राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर करके प्रशिक्षण आधार का विस्तार कर रहा है। फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशियेटिव (एफआईसीएसआई) ने पहले ही लक्ष्य दे दिया है। श्रम मंत्रालय से 21 वीआरसी का हस्तांतरण भी प्रक्रियाधीन है जो गुणवत्ता प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभाग की क्षमता को बढ़ाएगा।

8.4.2.4 एनएपी के तहत वित्तीय सहायता:

प्रशिक्षण भागीदारों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आउटकम आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड अधिसूचना संख्या एच–22011/2/2014–एसडीई–1 दिनांक 15 जुलाई, 2015 के जरिए समय–समय पर यथा संशोधित अनुसार प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और आवास लागत, परिवहन/वाहन लागत, तृतीय पक्ष प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन आदि सहित संपूर्ण निधियन मानदंडों के संबंध यथावत लागू होगा ।

(i) वर्तमान में, टीपी को वित्तीय सहायता तीन किश्तों में जारी की जाती है: पहली किस्त – प्रशिक्षण शुरू होने पर 30%,

(ii) एनएपी के तहत, प्रशिक्षण भागीदारों को विभिन्न प्रकार के दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण लागत की दर से 10 से 25 प्रतिशत अधिक और नौकरी आउटरीच गतिविधियों के लिए 5000 रुपये प्रति दिव्यांग प्रदान किए जाते हैं।

(iii) दिव्यांग प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता भी निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाता है : व्यक्तिगत सहायक उपकरण हेतु लागत : दो किश्तों में 5000 रुपये प्रति दिव्यांग प्रशिक्षु को सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुरू करते समय अर्थात 4000 रुपये और सफल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(iv) एक ही जिले के दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए मासिक 1000 रुपये और बाहरी जिले के प्रशिक्षुओं के लिए 1500 रुपये की राशि प्रशिक्षण के लिए अपने यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए भी प्रदान की जाती है।

8.4.2.5 दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी)

दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अलग क्रॉस कटिंग सेक्टर कौशल परिषद बनाया गया है जिसका निजी क्षेत्र से एक अध्यक्ष एवं एक पूर्णकालिक सीईओ है। परिषद में दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठन के स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध सदस्य हैं। विभाग, सेक्टर कौशल परिषद तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों से परामर्श से समरूप पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण तन्त्र, दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार की पहचान, अतिरिक्त प्रशिक्षण घण्टों की अपेक्षा आदि के सृजन के लिए कार्य कर रहा है।

8.4.2.6 रोजगार से जुड़ी गतिविधियाँ

विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं को रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ सीएसआर सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न निजी क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलकर उनकी सहायता भी करता है। विभाग स्वयं या एनएचएफडीसी और अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य उप–समन्वित संगठनों के माध्यम से, नियमित रूप से कार्यशालाओं, सम्मेलनों और रोजगार मेलों का आयोजन करता है। विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के इन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करता है।

8.4.2.7 2021–22 के दौरान सिपडा के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु जारी सहायता अनुदान अनुबंध–15 पर है।

8.4.3 सुगम्य भारत अभियान

8.4.3.1 निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ निर्मित पर्यावरण (भवन), परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया थाः–

(i) सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाना।

(ii) सुगम्य परिवहन प्रणाली(एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बस)), के अनुपात को बढ़ाना।

(iii) सुगम्य सरकारी वेबसाइटों, सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल, सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाना ।

उपरोक्त एआईसी के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जून, 2022 की समय सीमा 26 नवम्बर, 2020 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई थी जो दिव्यांगता क्षेत्र में निर्णय लेने वाली उच्चतम निकाय है। यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन अधिदेशित समयसीमा के अनुरूप है, जिसकी धारा 45 और 46 के तहत यह बताया गया है कि सभी सार्वजनिक केंद्रित भवनों को नियमों की अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों की समयसीमा के भीतर सुगम्य बनाया जाएगा तथा सभी सार्वजनिक केंद्रित सेवाओं को नियमों की अधिसूचना की तिथि से 2 वर्षों की समयसीमा के भीतर सुगम्य बनाया जाएगा।

विभिन्न संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा इस विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, दिनांक 31.12.2021 तक सुगम्य भारत अभियान के तहत ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(i) सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्यः

लक्ष्य 1.1: 50 शहरों में कम से कम 25–50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और उन्हें जून, 2022 तक पूरी तरह सुगम्य बनाना।

लक्ष्य 1.2: जून, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50% को पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

लक्ष्य 1.3: 50% सरकारी भवनों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और जून, 2022 तक लक्ष्य (1.1) और (1.2) के तहत शामिल न किए गए राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों में उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

स्थिति

- राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों में, ऑडिटर्स द्वारा 48 शहरों में 1662 भवनों का सुगम्यता ऑडिट पूरा किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों को 1662 सुगम्यता ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- अब तक 1484 भवनों के रेट्रोफिटिंग के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 1183 भवनों के संबंध में 503.17करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी जारी की गई है।

- इसके अलावा, 20 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, ने 577 भवनों में रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा करने की सूचना दी। 7 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि लक्ष्य / चरण (1.2) और (1.3) के लिए अपने स्वयं के धन से 2839 राज्य सरकार के भवनों को सुगम्य बनाने के लिए चयन किया गया है।

- केंद्र सरकार में, सीपीडब्ल्यूडी ने सुगम्य भारत अभियान के तहत वित्त वर्ष 2020.21में लक्षित चयनित 1100 केंद्र सरकार के भवनों में से 1030 में रेट्रोफिटिंग के पूरा होने की सूचना दी।

(ii) सुगम्य परिवहन तंत्र हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बसें), का अनुपात बढ़ाने का लक्ष्यः

(ii.क) लक्ष्य 2.1 और 2.2 – हवाई अड्डों : सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाए।

स्थिति

- सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुगम्यता सुविधाएँ (रैंप, सुगम्य शौचालय, हेल्पडेस्क तथा ब्रेल और श्रवण सूचना प्रणाली वाली लिफ्ट) प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, सूचना है कि सभी अंतरराष्ट्रीय / कस्टम हवाई अड्डों पर एरोब्रिजेज उपलब्ध कराए गए हैं।

- अधिकांश हवाई अड्डों पर स्पर्श पथ प्रदान किया गया है जबकि 41 हवाई अड्डों को एयरोब्रिज से सुसज्जित किया गया है और 12 हवाई अड्डों पर एम्बूलिफ्ट उपलब्ध हैं और अन्य हवाई अड्डों के लिए इसकी खरीद की जा रही है।

- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगजन की निर्बाध स्क्रीनिंग करने की एडवाइजरी भी जारी की है। इस संबंध में, सीआईएसएफ ने अपने एसओपी को भी संशोधित किया है, जिसमें बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया है।

- नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सुगम्यता मानकों को तैयार किया गया है जिसके लिए सीसीपीडी की टिप्पणियां शामिल की गई है और लोक परामर्श आयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है।

- एक्सेस : द फोटो डाइजेस्ट ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एयर ट्रैवल सर्विस नामक गाइडबुक की सीरीज़ के दूसरे खंड का शुभारंभ दिनांक 19.11.2021 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा संयुक्त रूप से सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के कांफ्रेंस के दौरान किया गया था। इस समारोह के दौरान माननीय नागर विमानन और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, जेनरल (डॉ.) वी.के. सिंह भी उपस्थित थे।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा दिनांक 19.11.2021 को एक्सेस के दूसरे खंडरू द फोटो डाइजेस्ट ऑन एक्सेस ऑफ एक्सेसरू द फोटो डाइजेस्ट ऑन एक्सेस ऑफ एक्सेस का शुभारंभ किया गया।

(ii.ख) लक्ष्य 3.1 और 3.2–रेलवे :ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है; सभी रेलवे स्टेशनों के 50% को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना;

स्थिति

- सभी 709, ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं अर्थात, रैंप, दिव्यांगजन के लिए दो पार्किंग स्थल, पार्किंग से स्टेशन बिल्डिंग तक फिसलन रहित पैदल पथ, साइनेज, कम से कम एक पीने का पानी का नल, एक सुगम्य शौचालय और ''क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं'' बूथ उपलब्ध कराया गया हैं।
- 603 रेलवे स्टेशनों को अतिरिक्त दो (02) दीर्घकालिक सुविधाएं नामतः एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर अंतरण तथा प्लेटफॉर्म के किनारों पर एनग्रेविंग (स्पर्श संकेतक) की सुविधा का प्रावधान दिया गया है ।
- रेल मंत्रालय ने सुगम्य भारतीय रेल, जिसमें बाधा मुक्त आईसीटी सेवाएं, स्टेशनों की इमारतें, कोच के साथ–साथ यात्रा सेवाएं शामिल हैं, के लिए दिशा–निर्देशों को तैयार कर रही है। भारतीय रेलवे में सुगम्यता प्राप्त करने के लिए रेलवे ने सुगम्यता दिशा–निर्देश जारी किया है जिसे जोनल रेलवे द्वारा लागू किया जाना है। मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सीसीपीडी) के कार्यालय द्वारा रेलवे को मानकों को अधिक व्यापक बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। विशेषज्ञों और जन साधारण से राय एकत्रित करने के लिए लोक परामर्श आयोजित करने के लिए दिशा–निर्देश लंबित है।
- रेलवे ने आने वाले महीनों में मॉडल सुगम्य रेलवे स्टेशनों के रूप में प्रदर्शित किए जाने के लिए नई दिल्ली, कानपुर और चेन्नई के 03 स्टेशनों को भी चिह्नित किया है।

(ii.ग) लक्ष्य 4.1 बसें : सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन वाहक का 25% पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है:

स्थिति

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2020–21 में 1,47,152 बसों में से, 44153 (30.01%) बसें आंशिक रूप से सुगम्य हैं और 8443 (8.73%:) बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं।
- बस बॉडी कोड को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि सभी नई सिटी बसें दिव्यांगजनों के अनुकूल हों।
- एमओआरटीएच से रोडवेज सेवाओं को पूरी तरह सुगम्य बनाने के लिए व्यापक सुगम्यता मानक तैयार करने का अनुरोध किया गया है। मसौदा दिशा–निर्देशों पर सीसीपीडी से परामर्श कर लिया गया है और लोक परामर्श प्रक्रियाधीन है।

(iii) सुगम्य सरकारी वेबसाइटों; सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल; सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाने का लक्ष्यः

(iii.क) लक्ष्य 5.1 और 5.2 – वेबसाइट : केंद्र और राज्य सरकार की कम से कम 50% वेबसाइटें सुगम्यता मानकों को पूरा करना है।

स्थिति

- विभाग ने 917 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए ईआरनेट इंडिया को 26.19 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं, जिनमें से 23.52 करोड़ रूपए संवितरित कर दिए गए हैं। कुल 603 राज्य सरकारों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है, जिसमें से 459 वेबसाइटों को लाइव बनाया गया है।
- सामग्री प्रबंधन ढांचे के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों की 95 वेबसाइटें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुगम्य बनाई गई हैं।

(iii. ख) लक्ष्य 6.1 –सांकेतिक भाषा दुभाषिया प्रशिक्षण और लक्ष्य 200 अतिरिक्त सांकेतिक भाषा दुभाषियों का विकास

स्थिति

- सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सितंबर 2015 में एक सोसायटी के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) स्थापित किया है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान के संचालन के लिए जनशक्ति विकसित करना है।
- भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) ने सूचित किया है कि आईएसएलआरटीसी के डिप्लोमा और अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 से अधिक व्यक्तियों को भारतीय में सांकेतिक भाषा प्रशिक्षित किया गया है।
- कुल 93 छात्रों ने 2016–17 से 2018–19 के दौरान तीन शैक्षणिक सत्रों में डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) कोर्स पूरा किया है। आईएसएलआरटीसी वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 2019–21 के लिए डीआईएसएलआई का एक बैच चला रहा है।
- शैक्षणिक वर्ष 2019–21 के लिए एक नया पाठ्यक्रम, डिप्लोमा (डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज) सितंबर, 2019 (20 छात्र भर्ती) से शुरू हुआ।

(iii. ग) लक्ष्य 7.1 और 7.2 टीवी देखना:

क) सार्वजनिक टेलीविजन समाचार – कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या पर राष्ट्रीय मानकों को बनाया और अपनाया जाना है;

ख) सरकारी चैनलों पर कम से कम 25% सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रम निर्धारित मानकों का पालन करना है।

स्थिति

- श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा सुगम्य टीवी देखने के लिए सुगम्यता मानक सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं जो टेलीविजन सेट, रिमोट कंट्रोल, उपकरण और इंटरनेट सामग्री के लिए सुगम्यता के साथ–साथ सब–टाइटलिंग, सांकेतिक भाषा की व्याख्या प्रदान करते हैं। इसके अलावा, एमओआईबी दृष्टि बाधितों सहित अन्य दिव्यांगताओं के लिए इसी तरह के दिशानिर्देश तैयार करेगा।
- टीवी पर सुगम्य सामग्री को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है और अब तक 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुगम्य समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर रहे हैं, 2447 समाचार बुलेटिन को सबटाईटलिंग/सांकेतिक–भाषा इंटरप्रिटेशन के साथ प्रसारित किया जा चुका है और 3686 से अधिक अनुसूचित कार्यक्रमों/ फिल्मों को सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया जो सबटाईटलिंग का उपयोग कर रहे हैं।

8.4.3.2. इसके अलावा, सुगम्य भारत अभियान के तहत संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सहयोग से इस विभाग द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं;

(i) दिव्यांगों के लिए शिक्षा तक सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) को भी साथ लिया गया है। कक्षा 1 से 12 और बीएड के पाठ्यक्रम में सुगम्यता से संबंधित सामग्री को शामिल करने और शिक्षकों/विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा डीओएसईएल ने यह भी बताया है कि 11,68,292 (71%) में से 8,33,703 स्कूलों को विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए बाधामुक्त बनाया गया है। डीईपीडब्ल्यूडी उच्च शिक्षा विभाग, यूजीसी और सीबीएसई के साथ भी काम कर रहा है ताकि संबद्धता प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों में सुगम्यता की कवरेज को और बढ़ाया जा सके ।

(ii) इसी तर्ज पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भी सुगम्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास का अनुरोध किया गया है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने भी अभियान के अधिदेशों को सक्रिय रूप से अपनाया है और अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रसाद, एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट आदि के तहत सुगम्य पर्यटक अनुभवों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई होटल और पर्यटक सुविधाएं सुगम्य सेवाएं जैसे दिव्यांगजनों के लिए कमरे, ब्रेल सूचना बुकलेट और मेनू इत्यादि भी प्रदान किए जा रहे हैं। प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों का भी इसी तर्ज पर रेट्रोफिटमेंट किया जा रहा है।

(iv) इसके अतिरिक्त 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को भी क्षेत्रक–विशिष्ट सुगम्यता दिशा–निर्देश/मानकों को तैयार करने के लिए शामिल किया गया है।

8.3.3.3. एआईसी की मॉनिटरिंग

इस अभियान की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रगति के माध्यम से, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और सचिवों की समिति के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से की जा रही है। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने स्तर पर सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। इन बैठकों के निर्देशों के आधार पर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अभियान के तहत कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **नियमित मॉनीटरिंग** : माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और संयुक्त सचिव द्वारा नियमित आधार पर मॉनिटरिंग बैठकें आयोजित की जाती हैं। अंतिम समीक्षा बैठक माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 10.12.2019 को हुई थी, इसके बाद 26.11.2020 को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा आयोजित की गई। कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में नियमित फोलो–अप पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेन्सों के माध्यम से किया गया । अंतिम वीडियो कान्फ्रेंस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नवम्बर 2021 को हुई थी और दिशा–निर्देशों को तैयार करने के लिए दिसम्बर 2021 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ हुई थी।

(ii) **सचिव समिति की बैठक**: कैबिनेट सचिव ने 27.11.2020 को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सभी सरकारी भवनोंको दी गई समय–सीमा के अंतर्गत पूरी तरह सुगम्य बनाने, अभियान की प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग और समयबद्ध तरीके से सुगम्यता मानकों का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश दिए गए थे ।

(iii) **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल**: एआईसी के तहत लक्ष्यों की प्रगति की प्रभावी और वास्तविक समय मॉनिटरिंग के उद्देश्य से, एमआईएस पोर्टल शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य निर्मित पर्यावरण, परिवहन और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में सुगम्यता से संबंधित एक केंद्रीकृत डेटा स्रोत बनाने का है। अब तक, एमआईएस पोर्टल (18 जनवरी 2022 तक) पर कुल 308 के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीपीडब्ल्यूडी की 2077 इमारतों का ब्यौरा अपलोड किया जा चुका है। विभाग ने मानकों की शुद्धता और अनुपालन की जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों का आंतरिक सत्यापन भी किया, इसके आगे सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ टिप्पणियों को भी साझा किया गया है।अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने की प्रक्रिया के लिए एमआईएस सिस्टम पर सभी डाटा को अपडेट करना अब अधिदेशित किया गया है।

8.4.3.4 नई पहल :

(i) **सुगम्य भारत ऐप–** 2 मार्च 2021 को, माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार, सुगम्य भारत ऐप – एक क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन पूर्व माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुगम्य ऐप जन–भागीदारी के हिस्से के रूप में किसी से भी, कहीं से भी, कभी भी, सार्वजनिक केंद्रित बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करते समय उनके द्वारा सामना किए जा रहे पहुंच–संबंधी मुद्दों को ध्यान में लाने में सक्षम बनाता है, जिनके लिए निवारण की आवश्यकता होती है। ऐप पर 15000 से अधिक डाउनलोड और लगभग 800 संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इन्हें राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है।

महामारी की स्थिति को देखते हुए, सुगम्य भारत ऐप में, कोविड–19 से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए केवल दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सुविधा जोड़ी गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन मुद्दों से प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

(ii) **संस्थागत साक्षरता सामग्री–** जागरूकता पैदा करने और सार्वजनिकों के साथ–साथ सुगम्यवता के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के बीच संवेदनशीलता बढ़ाने की दृष्टि से, विभाग ने निम्नलिखित पहल की –

क. इस अभियान के तहत, विभाग **सुगम्येता की 10 बुनियादी विशेषताओं** का एक आसान रेकनर, फोटो डाइजेस्ट और अन्य दस्तावेजों विकसित करने में सक्षम है जो अधिकारियों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों और जनता के लिए उनकी पहुंच की समझ को बढ़ाने के लिए गाइडबुक के रूप में काम करते हैं। इन दस्तावेजों ने सुगम्य सुविधाओं के दिशानिर्देशों के सरल और उदाहरणात्मक स्पष्टीकरण के माध्यम से मदद की है।

ख. 2 मार्च 2021 को पूर्व माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा पेशेवरों के लिए गाइडबुक की श्रृंखला का वॉल्यूम 1 शीर्षक – ऐक्सेस – द फोटो डाइजेस्ट ऑन पब्लिक सेंट्रिक बिल्डिंग्स को सुगम्य भारत ऐप के साथ लॉन्च किया गया था।

पूर्व माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा दिनांक 02.03.2021 को सुगम्य भारत ऐप के साथ–साथ ऐक्सेस द फोटो डाइजेस्ट ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट्स का शुभारंभ किया गया।

ग. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय नागर उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा संयुक्त रूप से सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में नागर उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हवाई अड्डों पर श्रृंखला का दूसरा खंड 19.11.2021 को शुभारंभ किया गयाा।

घ. स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, **24 अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से 'प्रिया: द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर' नामक एक ई–कॉमिक–कम–एक्टिविटी बुक का शुभारंभ किया गया था। ई–कॉमिक कम एक्टिविटी बुक का शुभारंभ** माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए की गई पहलों के शुभारंभ के अवसर पर और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में निपुण भारत पर कार्यशाला के अवसर पर किया गया था। ई–कॉमिक कम एक्टिविटी बुक एक पूरी तरह से संवादात्मक और सुगम्य ई–कॉमिक बुक है जिसे एनसीईआरटी के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास में विकसित किया गया है।

(iii) **सुगम्यता के क्षेत्रक विशिष्ट मानकों का निर्माण – सीओएस की सिफारिशों** के अनुसार, सुगम्यता के क्षेत्र में विशिष्ट मानकों को तैयार करने का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपा गया है ताकि इसे आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया जा सके। यह कार्य प्रक्रियाधीन है और डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ नोडल विभाग के रूप में नियमित पत्रों, वीडियो कान्फ्रेंस और मंत्रालय/विभाग की विशिष्ट चर्चाओं के माध्यम से फोलो–अप कार्रवाई की जा रही है। अब तक, आवास और शहरी कार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे, उपभोक्ता मामले, नागर विमानन, दूरसंचार मंत्रालयों ने सीसीपीडी के साथ परामर्श पूरा कर लिया है और वर्तमान में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों में संस्कृति, खेल, गृह, पर्यटन, न्याय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, उच्चतर शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और ग्रामीण विकास शामिल हैं, जो सीसीपीडी, विशेषज्ञ, सार्वजनिक परामर्श सहित निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

दिनांक 24.08.2021 को माननीय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से प्रिया: द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर का शुभारंभ किया गया।

8.4.4 ब्रेल प्रेसों की स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता संवर्धन के लिए सहायता की योजना

8.4.4.1 योजना का उद्देश्य

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2014–15 में ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता योजना की शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तक के मुफ्त वितरण के लिए इसके उत्पादन को सुविधा प्रदान करना है। वर्ष 2020–21 से ब्रेल प्रेस योजना को सिपडा के साथ उसके घटकों में से एक घटक के रूप में विलय किया गया है।

8.4.4.2. नोडल एजेंसी

इस योजना के संचालन के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून नोडल एजेंसी है। इस नोडल एजेंसी को प्रस्ताव आमंत्रित करने, जांच, निरीक्षण, मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी और सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रस्तावों को स्क्रीनिंग समिति के समय रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

8.4.4.3 कार्यान्वयन एजेंसियां

इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां पांच साल से अधिक समय से ब्रेल प्रेस चला रही राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ब्रेल प्रेस चलाने के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिष्ठान हैं।

8.4.4.4 सहायता अनुदान के घटक

नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियां को सहायता अनुदान के निम्नलिखित घटक प्रदान किए गए है–

(i) नए ब्रेल प्रेस की स्थापना, ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण और ब्रेल प्रेस की क्षमता संवर्द्धन के लिए गैर–आवर्ती सहायता अनुदान

(ii) ब्रेल में पाठ्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में आवर्ती सहायता अनुदान।

8.4.4.5 वर्तमान स्थिति

अब तक, 28 ब्रेल प्रेसों को कुल वित्तीय सहायता के रूप में 44.24 करोड़ रूपये के साथ इस योजना के तहत सहायता दी गई है।

- 13 नई ब्रेल प्रेस स्थापित किए गए हैं,
- 12 पुराने ब्रेल प्रेस की आधुनिकीकृत किया गया, और
- 3 ब्रेल प्रेस की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता दी गई।

8.4.5 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजी एंड पी स्कीम)

यह योजना, सितंबर, 2014 में शुरू की गई और वित्तीय वर्ष 2014–15 से चालू है। बेहतर और कारगर परिणामों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन का आधार व्यापक बनाने के लिए तथा इसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को सरल बनाने तथा बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में इसे संशोधित किया गया।

8.4.5.1 योजनाओं का लक्ष्य और उद्देश्य :

योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक में दिव्यांजनों के ऑनलाइन परामर्श के लिए एक हेल्प लाइन की स्थापना, सामग्री विकास, प्रकाशन और समाचार मीडिया, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय पहल में भाग लेना अथवा गैर–सरकारी संगठनों या स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन करना, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए स्वयंसेवक सेवा/आउटरीच कार्यक्रम, मनोरंजन और पर्यटन, सामुदायिक रेडियो में भागीदारी, मीडिया की गतिविधियाँ, रोजगार मेलों सहित दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए जागरूकता अभियान का समर्थन, एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाकर सार्वभौमिक सुगम्यता के बारे में जागरूकता फैलाने का समर्थन करना जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वेबसाइट और सुगम्य ऑडिट करना शामिल हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों के बीच स्पर्धाओं, जागरूकता अभियान, इत्याादि के माध्यम से उनकी प्रतिभा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद और एबिलीम्पिक क्रियाकलाप, शामिल है।

8.3.5.2 योजना के तहत उपलब्ध सहायता

(i) अल्पावधि परियोजनाएं (6 माह की अवधि तक के एक बार के कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं)य वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगाः

  (क) 75 प्रतिशत – अनुमोदन, स्वीकृति पर, आवश्यक बांड आदि के निष्पादन पर।

  (ख) 25 प्रतिशत – मदवार व्यय के साथ लेखा का लेखापरीक्षा विवरण, प्रथम किस्त के लिए अंतिम रिपोर्ट और यूसी की प्राप्ति पर।

(ii) दीर्घावधि परियोजनाएं (6 माह तथा उससे अधिक अवधि की परियोजनाएं) वितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जाता हैः

  (क) 40 प्रतिशत – परियोजना के अनुमोदन, स्वीकृति तथा बैंक गारंटी/बांड प्रस्तुत करने पर।

  (ख) 40 प्रतिशत – प्रगति समीक्षा, प्रथम किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद।

  (ग) 20 प्रतिशत– अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र, तथा मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर

  (घ) जब योजना के अंतर्गत कोई कार्य केंद्र/राज्य सरकार के अधीन संस्थानों द्वारा सीधे ही शुरू किया जाता है, निधि वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संस्वीकृत तथा जारी की जाएगी।

8.4.5.3अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

(i) स्वयं–सहायता समूह

(ii) एडवोकेसी तथा स्व–पक्षपोषण संगठन

(iii) माता–पिता एवं समाज के रवैये में परिवर्तन लाने तथा उसके संघटन हेतु कार्यरत समुदायिक संगठन

(iv) मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक सहायता सेवा

(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन

(vi) दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन जिनमें श्रम बाजार कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले, तनाव प्रबंधन और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अलगाव उन्मूलन शामिल हैं।

(vii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठन।

8.4.5.4 पात्रता मानदंड :

(i) इस योजना के 4 (क) के तहत ये संगठन न्यूनतम तीन वर्ष तक पंजीकृत संगठन हो, जिसमें सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत संगठन, अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट या चैरिटेबल एंड रिलिजियस एंडोमेंट एक्ट, 1920 अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 आदि के तहत पंजीकृत एक निगम या केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

(ii) संगठन गैर–लाभकारी होना चाहिए और लाभार्थ संगठन अथवा अपने लाभ, यदि कोई हो, या धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अपने आय का उपयोग करने वाला नहीं होना चाहिए।

(iii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत अथवा केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत निगम को दिव्यांगजन अधिनियम के तहत पंजीकरण की शर्तों से छूट दी गई है।

(iv) गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार से अनुशंसित करने की आवश्यकता है। जी ओ के पास विशिष्ट पहचानपत्र विवरण के साथ नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।

(v) संगठन को यह प्रमाणित करना होगा कि वह पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का उपयोग करेगा।

(vi) वित्तीय सहायता की मात्रा निम्नलिखित प्रकार से गठित समिति द्वारा तय की जाती है :–

- संयुक्त सचिव (जागरूकता सृजन एवं प्रचार)
- आईएफडी, डीईपीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि
- डीएवीपी के प्रतिनिधि
- दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे दिव्यांगों/प्रतिनिधि समूहों/संगठनों के बीच से विशेष आमंत्रित सदस्य
- निदेशक/डीएस (जागरूकता सृजन और प्रचार)

8.4.5.5 मॉनिटरिंग तंत्र

कार्यक्रम के लेखापरीक्षित लेखों की विवरणी, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ जैसी घटनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित आनुषंगिक दस्तावेजों के साथ बिलों/वाउचरों की जांच की जाती है। एनजीओ से अनुरोध भी किया जाता है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए संबंधित सांसद/विधायक/जिला प्रशासन अधिकारियों को सूचित करें।

8.4.5.6 आयोजित मूल्यांकन/अध्ययनों के परिणामः

हाल ही में, इस योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (टीपीई) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डिवलेपमेंट (एनआईएनआरईडी) द्वारा किया गया था तथा एजेंसी ने इस योजना की सराहना की कि यह योजना दिव्यांगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में सफल हुई है। टीपीई की रिपोर्ट के अनुसार, एजीपी योजना को जारी रखने तथा इस विभाग की सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के साथ विलय करने का प्रस्ताव किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं की प्रमुख कार्यकर्ताओं को संवेदनशील करने से संबंधित है।

8.4.5.7 एजीपी योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां:

क्र.सं.	वर्ष	नोशनल आबंटन (सिपडा योजना के अंतर्गत)			वास्तविक उपलब्धियां (कार्यक्रमों की संख्या)
		बी.ई	आर.ई.	व्यय	
1.	2018-19	3.00	2.00	1.15	15
2.	2019-20	3.00	2.00	2.12	16
3.	2020-21	2.50	1.00	1.17	11
4.	2021-22 (31.12.2021 तक)	2.50	2.50	1.44	02

8.4.5.8 वर्ष 2021 में एजीपी योजना के तहत उपलब्धियां:

(i) नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) ने एजीपी योजना के तहत 4 मार्च 2021 तक ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश में डीईपीडब्ल्यूडी के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवसरों के लिए जागरूकता के साथ–साथ दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए वार्षिक प्रदर्शनी–सह–मेले तथा दिव्यांगजनों के कल्याण के बारे में विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी / प्रचार फैलाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया।

(ii) इंडियन/75 राष्ट्रीय उत्सव' और पूर्वोत्तर भारत के लिए फ्लैगशिप क्रार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, विभाग के जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी, देहरादून) ने 24 और 25 जुलाई, 2021 को "5वां पूर्वोत्तर भारत पारंपरिक फैशन सप्ताह (एनईआईएफडब्ल्यू) 2021: दिव्यांगजन आंदोलन– एक समावेशी भारत के प्रति विशेष रूप से अक्षम को सशक्त बनाना" आयोजित किया। दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा, सुश्री प्रतिमा भौमिक और श्री ए. नारायणस्वामी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (मंत्रियों) और सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव डीईपीडब्ल्यूडी की उपस्थिति में किया गया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के विभिन्न जनजातियों और जातीय समूहों से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उनका उत्थान करना तथा वस्त्र और शिल्पकला उद्योग को एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(iii) पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी) ने 10 सितम्बर, 2021 को टोक्यो, जापान में आयोजित टोक्यो पैरालिम्पिक्स के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें व्यक्तिगत विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए थे। माननीय एसजे एंड ई केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय राज्य मंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी, श्री रामदास अठावले, सुश्री प्रतिमा भौमिक और अन्य गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 200 अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, इस फेसिलिटेशन कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित कन्वेंशन हॉल, द अशोका होटल में किया गया था।

8.4.6 दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जनवरी, 2015 में "दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान" नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की। 2021–22 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए इस योजना को जारी करने हेतु विचार करते समय, इस योजना के उद्देश्यों को पुनः दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है।

उद्देश्य

(क) दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और समर्थन करना;

(ख) दिव्यांगता के प्रसार और इसकी रोकथाम के उपायों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(ग) सुविधा और पुनर्वास को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना तथा ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं;

(घ) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए स्वदेशी उत्पादों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

वर्तमान स्थिति:

अब तक इस योजना के तहत 16 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिसके लिए कुल वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न किस्तों में 1.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, निम्नलिखित 03 संगठनों को निधियां जारी की गई हैं:

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	परियोजना का शीर्षक	31.12.2020 तक जारी अनुदान
1.	अमल ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, केरल	निचले अंग के पक्षाघात वाले लोगों के लिए रोबोट मोबिलाइज़र का विकास	रू. 2,97,000.00

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	परियोजना का शीर्षक	31.12.2020 तक जारी अनुदान
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	दिव्यांगजनों में सोमाटोटाइप, भौतिक प्रयासों और शारीरिक गतिविधि की धारणा पर अध्ययन	रू. 2,70,923.00
3.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा सिंथेटिक एनिमेशन का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का विकास।	रू. 9,66,000.00

सहायता अनुदान की अंतिम किस्त जारी करने से पहले निम्नलिखित 03 परियोजनाओं के संबंध में अंतिम रिपोर्टों के मसौदे पर विचार किया जा रहा है:

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	परियोजना का शीर्षक
1	एनआईईपीवीडी, सिकंदराबाद	इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का विकास
2	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई	सूचना एक क्लिक पर (दिव्यांगता पर ऑनलाइन सूचना पोर्टल)
3	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	माध्यमिक स्तर पर दृष्टि बाधित छात्रों और अधिगम विज्ञान में कौशल में सुधार के लिए अनुकूलित विज्ञान प्रयोगों का विकास।

8.4.7 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र कार्ड भी जारी करने के विचार से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यूडीआईडी परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के लिए एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भी विकसित कर लिया गया है और एनआईसी क्लाउड पर मई 2016 से उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर दिव्यांगता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए भी एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। यह डेटाबेस ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर से कार्यान्वयन के अनुक्रम के सभी स्तरों पर लाभ के वितरण की भौतिक और वित्तीय प्रगति का पता लगाने में मदद प्रदान करेगा। यह दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम्यता को प्रोत्साहित करेगा यह डेटाबेस व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता का विवरण (दिव्यांगता का प्रतिशत आदि) शिक्षा की स्थिति, रोजगार का विवरण, आय स्तर (बीपीएल/एपीएल, आदि, योजना संबंधित विवरण आदि का रिकार्ड रखेगा।

(ii) 2021–22 के दौरान तैयार किए गए 11.17 लाख यूडीआईडी कार्डों सहित 19.01.2022 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 737 जिलों में से 715 में 67,09,894 ई–यूडीआईडी कार्ड तैयार किए गए है। यूडीआईडी कार्ड तैयार करने के संबंध में राज्यवार स्थिति अनुबंध पर है। यह विभाग उच्चतर स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग, आवधिक पत्राचारों के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर रूप से मॉनिटरिंग करता है।

(iii) विभाग इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:–

(क) प्रचार और जागरूकता हेतु सहायता–20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.5 लाख रूपये, 10 लाख से अधिक और 20 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.0 लाख रूपये और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 1.5 लाख रूपये।

(ख) तकनीकी सहायता–आईटी अवसंरचना–एक कम्प्यूटर डेस्कटॉप, आधार प्रमाणीकरण के लिए चार बॉयोमेट्रिक सिंगल स्कैनर, स्कैनर सहित एक साधार प्रिंटर और एक वेब कैमरे जैसी आईटी अवसंरचना की खरीद के लिए प्रति जिला/चिकित्सा प्राधिकरण को 1.00 लाख रूपये तक।

(ग) जनशक्ति समर्थन–यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य समन्वयक की नियुक्ति के लिए प्रति माह 50,000 रूपये की राशि

(घ) पुराने मैनुअल प्रमाण पत्र का डिजिटलीकरण–3.61 रूपये प्रति प्रमाण पत्र 19.01.2022 के अनुसार 2021–22 के दौरान 3.20 करोड़ रूपये सहित उपरोक्त उद्देश्यों के लिए विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.59 करोड़ रूपये जारी किया है।

(iv) यूडीआईडी डेटाबेस को डेटा सुरक्षा के लिए इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर एप्लिकेशन के साथ लिंक किया गया है। रेल मंत्रालय से रेल द्वारा रियायती यात्रा के लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य हेतु यूडीआईडी परियोजना के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मान्य करने का अनुरोध किया गया है।

(v) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तुलनात्मक राज्यवार स्थिति **अनुबंध–16** में है।

8.4.8 निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ (प्रोत्साहन योजना)

डद्देश्य : निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को नियुक्तं करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की एक योजना दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी और 1 अप्रैल, 2016 को इसे संशोधित किया गया था।

8.4.8.1 इस योजना की कुछ विषेशताएं इस प्रकार हैं–

(i) इस योजना के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 10 वर्षों के लिए इपीएफ और ईएसआई में नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान करेगा।

(ii) दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए कोई वेतन सीमा नहीं होगी।

(iii) साथ ही, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के लिए देय और स्वीकार्य ग्रेच्युटी राशि का एक तिहाई वहन करेगा।

(iv) ईपीएफ/ ईएसआई अंशदान (मौजूदा दरों पर) पर लागू होने वाले प्रशासनिक शुल्क वर्तमान में नियोक्ताओं द्वारा जमा किए जाएंगे जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे।

(v) इस योजना में एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है कि यदि कोई निजी नियोक्ता किसी विशेष ट्रेड में प्रशिक्षुओं के रूप में दिव्यांगजनों की नियुक्ति करता है और उन्हें प्रशिक्षुता अवधि के पूरा होने पर रोजगार प्रदान करता है, तो प्रशिक्षु अवधि के दौरान दिव्यांगजनों को देय स्टाईपेड विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

8.4.9 केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख अधिकारियों का सेवा–प्रशिक्षण और संवेदीकरण

उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित करने वाले प्रमुख पदाधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वय के साथ आयोजित किया जाएगा। योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) राज्य / जिला / ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों के आधार पर नियमित रूप से केंद्र / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना / संवेदनशील बनाना है।

(ii) इन कार्यशालाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना है और यह भी कि वे किस प्रकार कार्यस्थल पर सभी समावेशी वातावरण आदि तैयार करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं।

(iii) यह प्रशिक्षण पंचायत स्तर / ब्लॉक स्तर और दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए है।

(iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी है।

(v) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, इस योजना के प्रावधानों के तहत सहायता अनुदान नीचे दिए गए अनुसार जारी किया गया है:

वर्ष	**व्यय ;करोड़ रूपये मेंद्ध** *05.01.2022 की स्थिति के अनुसार
2018-19	1.67
2019-20	शून्य
2020-21	शून्य
2021-22*	शून्य

(vi) हाल ही की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के दौरान, इस योजना को अम्ब्रेला योजना – सिपडा के तहत जागरूकता सृजन कार्यक्रम (एजीपी) के एक उप–घटक के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। विभाग के आधिकारिक वेबसाईट : https://disabilityaffairs.gov.in पर अनुमोदित योजना का विवरण अपलोड किया जाएगा।

8.4.10 देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना (बधिर कॉलेज योजना)

उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर सहित निम्नलिखित पांच जोनों में मौजूदा बधिर कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है:

(i) भारत के उत्तरी क्षेत्र में बधिर के लिए ग्रामीण विकास और प्रबंधन कॉलेज (आरडीएमसी);
(ii) पश्चिम क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(iii) दक्षिण क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(iv) मध्य क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(v) पूर्वी क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है–

(i) इस योजना को मूल रूप से 29.01.2015 को मंजूरी दी गई थी, और संशोधित योजना 1 अगस्त, 2018 को अधिसूचित की गई थी।

(ii) इस योजना में मौजूदा कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विस्तार, सहायता यंत्र / उपकरण, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर और फिक्सचर आदि की खरीद के लिए देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज को वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है और कॉलेज संकाय, कर्मचारियों और सांकेतिक भाषा दुभाषिए के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए कॉलेज द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता ।

(iii) यदि योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो विभाग को इस योजना के तहत जारी करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हुए एक क्षेत्र में दो बधिर कॉलेजों की पहचान करने की छूट होगी।

(iv) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत निम्नलिखित कॉलेजों को सहायता–अनुदान जारी किया गया है।

क्र.सं	वर्ष	कॉलेज का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	2018-19	राष्ट्रीय वाक् और श्रवण संस्थान (एनआईएसएच) तिरुवनन्तपुरम, केरल	1.50
2.	2019-20	-	-
3.	2020-21	-	-
4.	2021-22* * 05.01.2022 की स्थिति के अनुसार	-	-

(v) हाल के व्यय वित्त समिति के दौरान, अम्ब्रेला योजना – सिपडा के तहत एक परियोजना के रूप में जारी रखने के लिए इस योजना का संशोधित वर्जन प्रस्तुत किया गया। अनुमोदित योजना का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://disabilityaffairs.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।

8.4.11 राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए योजना (एसएसआईसी योजना)

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य देश भर में स्पाइनल इंजरी सेंटर को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्पाइनल कार्ड इंजरी (एससीआई) वाले रोगी अपनी भरपूर क्षमताओं के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हो सके। इस योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है:–

(i) 2015–16 से 'राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर' स्थापित करने पर केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की जा रही है।

(ii) सभी राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों के संबद्ध में व्यापक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना करना।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में स्पाइनल इंजुरी के उपचार, पुनर्वास और प्रबंधन हेतु समर्पित 12 बेड।

(iv) चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा/सर्जिकल यंत्रों (ओटी), पुनर्वास उपकरण (क) ओटी और पीटी (ख) ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स तथा सहायक प्रौद्योगिकी पर व्यय के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे 2.33 करोड़ रूपये तक का गैर–आवर्ती सहायता अनुदान।

(v) 12 बेड वाले समर्पित वार्ड की स्थापना के लिए 56.00 लाख रूपये तक गैर–आवर्ती सहायता अनुदान।

(vi) प्रतिदिन प्रति बेड के लिए 1000/– रूपये के दर से वार्षिक आधार पर 10 बेड के रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 36,00,000/– रूपये)। शेष 2 बेड के संबंध में आवर्ती व्यय की देयता राज्य सरकार/कार्यान्वयन अस्पताल द्वारा की जाएगी बशर्ते की शर्तो को पूरा किया गया हो।

(vii) विगत तीन वर्षों और चालू के दौरान योजना के प्रावधानों के अनुसार एसएसआईसी को जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं	वर्ष	सेंटर का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	2018-19	गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्तपताल, भोपाल	2.82
2.	2019-20	-	-
3.	2020-21	एमएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान	0.31
4.	2021-22* *05.01.2022 की स्थिति के अनुसार	-	-

(viii) हाल के व्यय वित समिति (ईएफसी) के दौरान, अम्ब्रेला योजना–सिपडा के तहत "स्पाइनल इंजुरी सेंटर को सहायता हेतु योजना (एएसआईसी योजना)" शीर्षक के तहत विभाग की भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर (आईएसआईसी), दिल्ली को सहायता हेतु योजना (आईएसआईसी योजना) के साथ विलय किए जाने के लिए योजना का संशोधित वर्जन प्रस्तुत किया गया है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://disabilityaffairs.gov.in पर अनुमोदित योजना का विवरण अपलोड किया जाएगा।

8.4.12 भारतीय स्पाइनल इंजरी केन्द्र, नई दिल्ली को वित्तीय सहायता के लिए योजना (आईएसआईसी योजना)

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर, दिल्ली को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी (एससीआई) वाले रोगी अपनी भरपूर क्षमताओं के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हो सके। इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं–

(i) यह योजना स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी वाले गरीब रोगियों के उपचार के लिए भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर (आईएसआईसी) को सहायता के लिए है।

(ii) भारतीय स्पाइनल इंजरी केन्द्र (आईएसआईसी), नई दिल्ली एक गैर–सरकारी संगठन है, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और संबंधित बीमारियों के रोगियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

(iii) इनमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, स्टेबिलाईजेशन ऑपरेशन, शारीरिक पुनर्वास, मनो–सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं के रूप में उपाय शामिल है।

(iv) भारत सरकार गरीब रोगियों के इलाज के लिए प्रति दिन 25 मुफ्त बेड उपलब्ध कराने के लिए आईएसआईसी को सहयोग करती है और आईएसआईसी भी गरीब रोगियों के इलाज के लिए प्रतिदिन 5 मुफ्त बेड प्रदान करती है।

(v) प्रतिपूर्ति की दर वास्तविक अधिभोग आधार पर प्रति दिन रु. 7000 /– है ।

(vi) विभाग भारतीय स्पाइनल इंजरी केन्द्र, वसंत कुंज, नई दिल्ली को ऑपरेशन लागत के रूप में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्पाइनल इंजरी के रोगियों के इलाज के लिए 25 बिस्तरों के रखरखाव के लिए अधिकतम 4 करोड़ रु. की सहायता प्रदान करता है।

(vii) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के प्रावधानों के अनुसार आईएसआई को जारी निधियों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	2018-19	-
2.	2019-20	-
3.	2020-21	
4.	2021-22* *05.01.2022 की स्थिति के अनुसार	-

(viii) हाल के व्यय वित समिति (ईएफसी) के दौरान, अम्ब्रेला योजना–सिपडा के तहत "स्पाइनल इंजुरी सेंटर को सहायता की योजना (एएसआईसी योजना)" शीर्षक के तरह विभाग की राज्य स्पाइनल इंजुरी सेंटर की स्थापना हेतु योजना (एसएसआईसी योजना) के साथ विलय करने के लिए इस योजना का संशोधित वर्जन प्रस्तुत किया गया। विभाग की वेबसाइट https://disabilityaffairs.gov.inij अनुमोदित योजना को अपलोड किया जाएगा।

8.5 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

- विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 86 के संदर्भ में राष्ट्रीय कोष का गठन किया है। केंद्र सरकार ने सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया है, जो उक्त निधि के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। 31.12.2021 के अनुसार राष्ट्रीय कोष के तहत निधि की स्थिति निम्नानुसार है :–
- फिक्स्ड डिपॉजिट – 351.95 करोड़ रुपये
- बचत खाता (शुद्ध राशि) – 22.88 करोड़ रु
- 2021–22 के दौरान 31.12.2021 तक व्यय – 0.34 करोड़ रु

8.5.1 निम्नलिखित घटकों के साथ राष्ट्रीय कोष के तहत, दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना : –

- दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों/ कार्यशालाओं के आयोजन,
- दिव्यांगजनों का सहयोग करने के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल या ललित कला/ संगीत /नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दिव्यांगजनों को उसी स्पर्धा के लिए निधि में से केवल एक बार सहायता दी जा सकती है।
- मामला दर मामला आधार पर राज्यों द्वारा विशिष्ट अनुशंसा पर मूल्यांकन बोर्डों द्वारा अनुशंसित उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की कुछ विशेष आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए।

8.5.2 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान संगठनों/व्यक्तियों को जारी की गई निधि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है : दिनांक 31.12.2021 के अनुसार

क्र. सं.	संगठन/ व्यक्ति का नाम	श्रेणी	उद्देश्य	जारी की गई राशि (रुपये में)
1.	पंगलाक्षी, ओडिशा	प्रदर्शनी	हस्तशिल्प प्रदर्शनी	10,00,000/-
2.	श्री नवदीप, अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट	खेल	विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2019	1,04,763/
3.	राहत केंद्र, मणिपुर	प्रदर्शनी	हस्तशिल्प प्रदर्शनी – पहली किस्त	3,74,750/-

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

9.1 सिंहावलोकन

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं/राज्यों/जिलों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और समाज में उनकी मुख्यधारा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यह पुरस्कार निम्नलिखित 14 श्रेणियों के तहत हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं :–

(i) श्रेष्ठ नियोक्ता/स्वरोजगाररत दिव्यांग;

(ii) (क) श्रेष्ठ कर्मचारी एवं (ख) श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी एवं एजेंसी;

(iii) (क) श्रेष्ठ व्यक्ति तथा (ख) दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वाला श्रेष्ठ संस्थान;

(iv) आदर्श व्यक्तित्व

(v) दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ श्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास

(vi). दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किया गया उत्कृष्ट कार्य

(vii) पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिला

(viii). नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन की श्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी

(ix) श्रेष्ठ सृजनशील वयस्क दिव्यांगजन

(x) श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चा

(xi). श्रेष्ठ ब्रेल प्रेस

(xii) सर्वोत्तम ''सुगम्य'' वैबसाइट

(xiii). दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का संवर्धन तथा सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम राज्य तथा

(xiv). सर्वोत्तम दिव्यांग खिलाड़ी

9.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दिनांक 19 अप्रैल, 2017 से प्रभाव में आने से नवीन अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गयी। तदनुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार दिशा–निर्देश, 2018 में शामिल कर लिया गया, जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में 2 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया।

9.3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2019 के लिए, सभी 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने वाले एक विज्ञापन को 25 जुलाई, 2020 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें 20 अगस्त, 2020 को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई थी। बाद में इसे बढ़ा दिया गया और 16 अक्टूबर, 2020 तक प्राप्त आवेदनों को प्राप्त किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन भेजने के साथ–साथ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों को व्यापक प्रचार देने का भी अनुरोध किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कारों की विस्तृत योजना के साथ–साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी विज्ञापन को डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर प्रदर्शित किया गया।

9.4 सभी में 1095 (997 हार्ड कॉपी. ई–मेल पर 98) आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों को इसके लिए गठित चार स्क्रीनिंग कमेटियों द्वारा मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि कोविड 19 महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक स्थागित कर दी गई ।वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों के चयन के लिए शार्ट लिस्ट किए गए आवेदनों पर विचार माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय चयन समिति द्ववारा किया गया।

सभी 59 व्यक्तियों /संस्थानों को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा वर्ष, 2010 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु सिफारिश की गई हैं।

9.5 वर्ष, 2010 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची अनुबंध–18 पर है।

विभाग की नई पहल और विशेष उपलब्धियां

10.1 दिव्यांगता खेल केंद्र

दिव्यांगता खेल केंद्रों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को विश्व में अद्यतन के समान प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे पैरालंपिक, डेफलिम्पिक्स, विशेष ओलंपिक और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें और पदक जीत सकें ।

10.1.2 **दिव्यांगता खेल केंद्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश :** मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 की बैठक में ग्वालियर में एक दिव्यांगता खेल केंद्र (मध्य प्रदेश) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 5 वर्षों में 170.99 करोड़ रुपये थी :–

(i) गैर–आवर्ती लागत (निर्माण, फर्नीचर, खेल उपकरण–151.16 करोड़)

(ii) आवर्ती लागत (वेतन और संचालन एवं रख रखाव) – 19.83 करोड़ रुपये (निर्माण के बाद 3 वर्षों के लिए)

10.1.3 खेल सुविधाओं में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और टेनिस जैसी आउटडोर खेल है तथा बैडमिंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सिटिंग वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, व्हीलचेयर फेंसिंग, व्हीलचेयर रग्बी, बोसिया, गोलबॉल, फुटबॉल 5–ए साइड, पैरा डांस स्पोर्ट, पैरा पावरलिफ्टिंग के साथ–साथ एक हॉस्टल जैसा इंडोर खेल शामिल हैं।

10.1.4 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा केंद्र के भवन और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण कार्य टर्न की आधार पर किया जा रहा है जिसे जून 2022 तक पूरे किए जाने की उम्मीद है।

10.2 **क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी):** अनुसंधान अध्ययनों का सुझाव है कि प्रारंभिक बचपन (0–6 वर्ष) उल्लेखनीय (रिमार्कबल) मस्तिष्क के विकास का समय है और यह महत्वपूर्ण अवधि है जो किसी व्यक्ति की आजीवन स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षमता तक पहुंचने की क्षमता को निर्धारित करती है। अपने जीवन की शुरुआत में गुणवत्ता वाले बचपन में हस्तक्षेप को प्रदान करने से एक स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने में सक्षम होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। डॉ. थावरचंद गहलोत, तत्कालीन माननीय मंत्री, एसजे एंड ई ने 17.06.2021 को अपने 7 राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) अर्थात् एवाईजेएनआईएसएचडी मुंबई, एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद, एनआईईपीएमडी चेन्नई, एनआईईपीवीडी देहरादून, एनआईएलडी कोलकाता, पीडीयूएनआईपीपीडी नई दिल्ली और एसवीएनआईआरटीएआर कटक में 14 सिंगल–विंडो, निकटस्थ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली

इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) और भोपाल, कोझिकोड, लखनऊ, नेल्लोर, पटना, राजनांदगांव और सुंदरनगर में 7 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) का शुभारंभ किया । ये सीडीईआईसी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कवर की गई दिव्यांगताओं की सभी 21 श्रेणियों के संबंध में जांच और हस्तक्षेप करने के लिए सुसज्जित हैं और (i) बच्चों की जांच और जोखिम वाले मामलों की पहचान के लिए सुविधाएं, (ii) स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी आदि जैसी चिकित्सीय सेवाएं, (iii) माता–पिता की काउंसलिंग और सहकर्मी परामर्श और (iv) दिव्यांग बच्चों को स्कूली तैयारी के लिए प्रारंभिक स्कूल हेतु सुविधाएं प्रदान करती हैं।

10.3 **समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी):** डॉ. थावरचंद गहलोत, तत्कालीन माननीय मंत्री, एसजे एंड ई ने 19.05.2021 को श्री कृष्ण पाल गुर्जर, तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री, एसजे एंड ई, श्री बेरी ओ फैरेल, नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त, श्री मनप्रीत वोहरा, कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त और सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार की उपस्थिति में छह माह के समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक पूल तैयार करना है जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्रॉस दिव्यांगता के मुद्दों से निपटने और समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबोर्न विश्वविद्यालय द्वारा सह–डिजाइन किया गया है ताकि इन श्रमिकों के बीच अपने कर्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए योग्यता आधारित ज्ञान और कौशल प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम का पहला बैच सितंबर, 2021 से आरसीआई द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए 16 संस्थानों में शुरू हुआ, जिसमें 6 राष्ट्रीय संस्थान, 1 समेकित क्षेत्रीय केंद्र, हरियाणा राज्य का 1 सरकारी संगठन और 8 गैर–सरकारी संगठन शामिल हैं। पहले बैच में 527 छात्रों को नामांकित किया गया है, जिसमें 38 दिव्यांग छात्र शामिल हैं। डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री, एसजे एंड ई ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 30.10.2021 को कार्यक्रम के पहले बैच के छात्रों और फैकल्टी के साथ बातचीत की।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य

भारत सरकार नियमावली के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित विषय (कार्य आवंटन), इस प्रकार हैं:–

1. निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–I के अंतर्गत – संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में आते है:

   दान में दी गई राहत वस्तुओं/आपूर्तियों के कर–मुक्त आयात हेतु भारत–यू.एस., भारत–यू.के, भारत–जर्मन, भारत–स्वीडन तथा भारत–स्वीट्जरलैंड की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

2. निम्नलिखित विषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान के संबंध में):

   'सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर''

3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–II समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं–राज्य सूची अथवा सूची–III–जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं:

   'दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु सहायता; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर''।

4. दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना:

   {टिप्पणी: दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन तथा समन्वय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।}

5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन।

8. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में चैरिटेबल और धर्मार्थ अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10. अधिनियम/विधान/नीतियां

    (i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);

    (ii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44);

    (iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)।

11. सांविधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद।

(ii) दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त।

(iii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एंव बहु–दिव्यांगताग्रस्तजनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत निकाय

(i) नैशनल हैंडिकैप्ड फाइनैंस एण्ड डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।

(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

13. राष्ट्रीय संस्थान

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली।

(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता।

(iv) राष्ट्रीय दृष्टि बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीपीडी), देहरादून।

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईएनआईएसएचडी), मुंबई

(vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडर), सिकंदराबाद।

(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगताग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीएमडी), चेन्नई।

(viii) भारतीय संकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली।

(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सिहौर (एनआईएमएचआर), मध्य प्रदेश

कोविड–19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश

1. विश्व भर में कोविड–19 के प्रकोप और उसके तेजी से फैलने के कारण महामारी की स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है, जिससे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की ओर से तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने कोविड–19 से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार स्वास्थ्य मुद्दों पर नोडल केंद्रीय मंत्रालय होने के नाते, आम जनता के साथ–साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए दिश–निर्देश जारी किए हैं। ये उनकी वेबसाइट(www.mohfw.gov.in) पर उपलब्ध हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शाामिल हैं:.

   - नागरिकों और फ्रन्टलाइन कर्मियों के लिए जागरूकता सामग्री (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में);
   - जन समारोहों और सामाजिक दूरी पर एडवाइजरी
   - रोगी की देखभाल के लिए टेलीमेडिसिन प्रथाओं सहित अस्पतालों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशा–निर्देश और प्रक्रिया;
   - सामान्य हेल्पलाइन नंबर 1075 011 23978046 9013151515
   - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

3. जबकि कोविड–19 पूरी आबादी को प्रभावित कर रहा है, दिव्यांगजनों अपनी शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक सीमाओं के कारण रोग के लिए अधिक असुरक्षित हैं। इस प्रकार, उनकी दिव्यांगता विशिष्ट आवश्यकताओं, दैनिक जीवन गतिविधियों को समझने और जोखिम की स्थितियों के दौरान उनकी सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उचित और सही समय पर उपाय करने की आवश्यकता है।

4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8 इन स्थितियों में दिव्यांगजन के लिए समान संरक्षण और सुरक्षा की गारंटी देती है। इसमें जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों में दिव्यांगजनों को शाामिल करने और उनके बारे में विधिवत जानकारी प्रदान करने के उपाय का भी अधिदेश दिया गया है। इन प्राधिकरणों को आपदा प्रबंधन के दौरान संबंधित दिव्यांगजन राज्य आयुक्त को शाामिल करना अनिवार्य है। सितंबर 2019 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआईडीआरआर) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशनिर्देश जारी किए। इसके अलावा, हाल ही में 24 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय ने विभिन्न प्राधिकरणों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं ताकि 25–3–2020 से शुरू होने वाले 21 दिनों की अवधि के लिए कोविड–19 के प्रसार को रोका जा सके।

5. जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, निम्नलिखित उपाय सुझाए जाते हैं जिन पर विभिन्न राज्य /जिला प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि कोविड–19 के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

6. सामान्य कार्रवाई बिंदु

   - कोविड–19 के बारे में सभी जानकारी, सेवाओं की पेशकश की और सावधानियों को सुगम्य प्रारूपों में सरल और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना चाहिए, अर्थात दृष्टि बाधितों के लिए ब्रेल और श्रव्य टेप में, उप–शीर्षकों के साथ वीडियो–ग्राफिक सामग्री और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया और सुगम्य वेबसाइटों के माध्यम से।

- आपातकालीन और स्वास्थ्य स्थापनाओं में काम करने वाले सांकेतिक भाषा दुभाषिए को कोविड–19 से निपटने वाले अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समान स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण दी जानी चाहिए ।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों को दिव्यांगजनों के अधिकारों और विशिष्ट बाधितों वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त समस्याओं से जुड़े जोखिमों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- दिव्यांगजनों को सहायता देने के बारे में प्रासंगिक जानकारी सभी जागरूकता अभियानों का एक हिस्सा होना चाहिए ।
- क्वारनटाइन के दौरान, आवश्यक सहायता सेवाएं, व्यक्तिगत सहायता और शारीरिक और संचार पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए जैसे दृष्टिहीन व्यक्ति, बौद्धिक/मानसिक दिव्यांग व्यक्ति (मनो–सामाजिक) केयर गिवर की सहायता पर निर्भर हैं। इसी प्रकार दिव्यांगजन अपनी व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों में त्रुटि को सुधारने के लिए सहायता मांग सकते हैं।
- दिव्यांगजनों की देखभाल करने वालों को लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों से छूट देकर या प्राथमिकता के आधार पर सरल तरीके से पास प्रदान करके दिव्यांगजनों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- न्यूनतम मानव संपर्क से दिव्यांगजनों के लिए सहायता सेवाओं को जारी रखने के लिए, देखभाल करने वालों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रचार किए जाने की आवश्यकता है।
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को दिव्यांगजनों की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि उचित सफाई प्रक्रिया का पालन करने के बाद मेयड, केयर गिवर और अन्य सहायता प्रदाताओं को उनके निवास में प्रवेश की अनुमति दी जा सके।
- दिव्यांगजनों को आवश्यक भोजन, पानी, दवा की सुविधा दी जानी चाहिए और यथा संभव ऐसी वस्तुओं को उनके निवास या स्थान पर दिया जाना चाहिए जहां उन्हें क्वारनटाइन किया गया है।
- राज्य /संघ राज्य क्षेत्र दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुपर बाजार सहित खुदरा प्रावधान स्टोरों में विशिष्ट उद्घाटन घंटे आरक्षित करने पर विचार कर सकते हैं ।
- दिव्यांगजनों के लिए क्वारनटाइन के दौरान सहायता की सुविधा के लिए सहकर्मी–सहायता नेटवर्क स्थापित किए जा सकते हैं।
- दिव्यांगजनों के लिए उनकी बाधिता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिन्हें आपात अवधि के दौरान यात्रा पास दिए जाने की आवष्यकता होती है और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी संवेदनशील किया जाना चाहिए।
- दिव्यांगजनों को इलाज में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसकी बजाय उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों और दिव्यांग महिलाओं के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में दृष्टिहीन और अन्य गंभीर दिव्यांग कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान आवश्यक 5 सेवाओं के काम से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि वे आसानी से संक्रमित हो सकते हैं।
- क्वारनटाइन अवधि से निपटने के लिए दिव्यांगजनों के साथ–साथ उनके परिवारों को तनाव मुक्त करने के लिए ऑन लाइन परामर्श तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ।
- राज्य स्तर पर 24 X 7 हेल्पलाइन नंबर विशेषा रूप से दिव्यांगजन के लिए स्थापित किया गया है जिसमें सांकेतिक भाषा व्याख्या और वीडियो कॉलिंग की सुविधा है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दुभाषिया दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए कोविड–19 पर सूचना सामग्री तैयार करने और उसके प्रसार में दिव्यांगजनों के संगठन को शाामिल करने पर विचार कर सकती है।

7. इस अवधि के दौरान दिव्यांगता विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए तंत्र

(क) दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त

- दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को राज्य नोडल प्राधिकरण के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
- संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए उन्हें समग्र प्रभारी होना चाहिए।
- वे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य लाइन विभागों के साथ–साथ जिला कलेक्टरों और दिव्यांगजनों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे।
- वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कोविड–19, सार्वजनिक प्रतिबंध योजनाओं, सेवाओं की पेशकश के बारे में सभी जानकारी सुगम्य प्रारूपों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध है।

(ख) दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण से संबंधित जिला अधिकारी

- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित जिला अधिकारी को दिव्यांगजनों के संबंध में जिला नोडल प्राधिकरण घोषित किया जाना चाहिए।
- उनके पास जिले में दिव्यांगों की एक सूची होनी चाहिए और समय–समय पर उनकी आवश्यकताओं की निगरानी करनी चाहिए और गंभीर दिव्यांगजनों की एक अलग सूची होनी चाहिए जिन्हें इलाके में उच्च समर्थन की आवश्यकता है।
- वह उपलब्ध संसाधनों के भीतर इस मुद्दे को हल करने के लिए जिम्मेदार होगा और यदि अवश्यक हो तो गैर–सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन /रेजिडेन्शियल वेलफेयर एसोसिएशनों की मदद ले सकता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्य वार जनसंख्या

क्र.स.	राज्य	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	1219785
2	अरूणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ़	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नागालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ	14,796
33	दमन और द्वीप	2,196
34	दादर और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुडुचेरी	30,189
	कुल	**2,68,14,994**

1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा

		मौजूदा अवसंरचना			संशोधित अवसंरचना		
क्र. सं.	मौजूदा योजना	स्थापना लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधि (रू.)	संशोधित योजना	स्थापना लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधि (रू.)	अपेक्षित स्टाफ
1.	दिशा (प्रारंभिक उपचार एवं स्कूल तैयारी योजना)1	1.55 लाख	5,500/-	दिश–सह–विकास योजना (40 बच्चों का बैच)	1.55 लाख	(3000/– रू. + वाहन / 500/– रू. प्रति माह पात्र लाभार्थी को) गरीबी रेखा की सीमा से नीचे वाले अधिकतम 30 पात्र लाभार्थियों तक। अनुपात की शर्तें दिशानिर्देशों के अनुसार समान होंगी।	(1) प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट / ओटी / पीटी: कोई दो (2) विशेष शिक्षक / वोकेशनल प्रशिक्षक: कोई एक (3) परामर्शदाता : एक सप्ताह में 3 बार (4) केयर गिवर : 02 (5) आया : 02
2.	विकास (10+ आयु वालों के लिए डे केयर योजना)	1.95 लाख	4,850/-				
3.	समर्थ (रेसपाइट केयर रेजिडेन्शियल स्कीम)	2.90 लाख	7,000/-	समर्थ–सह–घरौंदा (आवासीय देखभाल) योजना (30 लोगों का बैच)	1.90 लाख	5,000/– रू. गरीबी रेखा की सीमा से नीचे वाले अधिकतम 20 पात्र लाभार्थियों तक	(1) ओटी : 01 (2) पीटी : 01 (3) विशेष शिक्षक / वोकेशनल प्रशिक्षक : कोई एक (4) केयर गिवर : 03 (5) आया : 02 (6)कुक : 01
4.	घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक घर)	2.90 लाख	10,000/-				
5.	निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)				पहले के अनुसार		
6.	सहयोगी (केयरगिवर प्रशिक्षण योजना)		1.00 लाख	1)प्रशिक्षु लागत : – प्राइमरी– 4,200 रू. – एडवांस– 8,000 रू. 2) प्रशिक्षु स्टाइपेंड – प्राइमरी– 5,000 रू. – एडवांस – 10,000 रू.	50,000/-	1)प्रशिक्षु लागत : ;प्राइमरी–2000 रू. और एडवांस्ड–3,000 रूद्ध 2) प्रशिक्षु स्टाइपेंड (प्राइमरी– 3,000 रू.और एडवांस्ड– 5,000 रू.)
7.	ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)				दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सा.न्या.एवं अधि. मंत्रालय द्वारा समान योजना का कार्यान्वयन किए जाने के कारण योजना को बंद कर दिया गया है।		
8.	प्रेरणा (विपणन सहायता)				संशोधित किया जाना है		
9.	संभव (सहायक यंत्र और सहायक उपकरण)				संशोधित किया जाना है		
10.	बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक परस्पर क्रिया और नवाचार परियोजना)				एक वित्त वर्ष में प्रति आरओ को केवल 1 कार्यक्रम		

सफलता की कहानी

I. पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली

▸ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभाग, पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली

केरल के एक युवा, कृष्ण कुमार, जो लेफ्ट कॉनजेनिटल लिम्ब एनोमलि, जिसे पीएफएफडी के रूप में जाना जाता हैं, से ग्रस्त हैं, वे प्रोस्थेटिक समाधान के लिए हमारे पास आए, जो उन्हें अपने एडीएल (दैनिक जीवन की गतिविधि) को स्वतंत्र रूप से करने, लिंपिंग और ट्रंक बेनडिंग के बिना चल सकने में मदद कर सकता है। प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभाग ने व्यापक आकलन और मूल्यांकन किया था तदनुसार, एक पर्ची (प्रिसक्रिप्शसन) बनाई गई थी जिसके आधार पर उन्हें बायोमैकेनिकल रूप से डिज़ाइन किया गया प्रोस्थेटिक्स लगाया गया था। फिटमेंट के बाद, वे वह फ्री नी जॉन्ट मूवमेंट, बिना किसी भी डेविएशन (विचलन) और ट्रंक वेंडिंग के चल सकते हैं। वे प्रोस्थेटिक फिटमेंट से और पीडीयूएनआईपीपीडी में आने के अपने फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। अब वे अपनी उच्च शिक्षा जारी रख रहे हैं।

लेजर अलाइनर सिस्टम के साथ रोगी

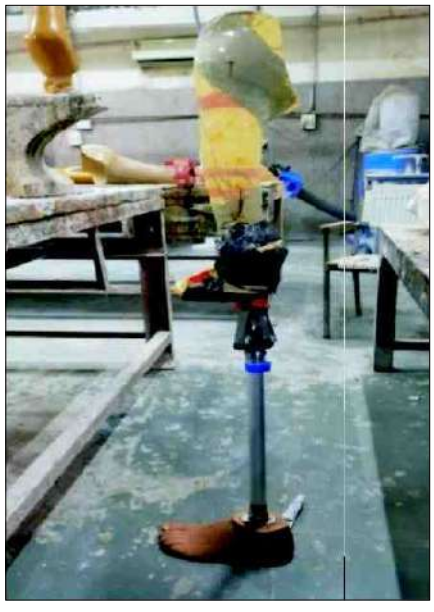

एंडोस्केलेटन घटकों के साथ प्रोस्थेटिक्स परीक्षण

एक्सटेंशन प्रोस्थेसिस के साथ अंतिम फिटमेंट

▸ आक्यूपेशेनल थैरेपी विभाग, पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली

श्रीमती एक्स, आयु 42 वर्ष ने 28/06/2021 को आक्यूपेशेनल थैरेपी के न्यूरो पुनर्वास और गतिशीलता यूनिट विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान का दौरा किया।

व्यवसाय : प्रोफेसर (भौतिकी) और एक नवजात शिशु की मां,

मुख्य शिकायतः गाढ़ा (थीक) भोजन निगलने में अक्षम, बातचीत करने में अक्षम, संवाद सही से नहीं कर पाना।

इतिहासः 01/02/2021 को श्रीमती एक्स, 42 साल की गर्भवती महिला (निदान के दौरान 24 सप्ताह की गर्भवती) पिछले 2.5 वर्षों से दर्द सहित लेफ्ट लेटरल बोर्डर टंग में ग्रोथ की शिकायत के साथ सामने आई। एमआरआई (05/02/2021) में लेफ्ट लेटरल बोर्डर ऑफ टंग सहित एक द्रव्यमान (मास) देखा गया जो बेस टंग/फ्लोर ऑफ माउथ की इनवोलमेंट के बिना फ्लोर ऑफ माउथ एण्ड जिनजिवों लिंगुअल सल्कस से सटा हुआ था। उन्होंने 15.02.2021 को वाइड लोकल एक्सिजन ऑफ लेफ्ट लेटरल बोर्डर ऑफ टंग विद लेफ्ट एक्सटेंडिड नेक डिस्सेक्शन कराया। ऐक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी प्राप्त की।

ऑक्यूपेशनल थैरेपी प्रबंधनः रोगी के प्रारंभिक मूल्यांकन में पूअर ओरो–मोटर स्ट्रेंथ, डिस्फेगिया, रिडयूस्ड फेशियल एक्सप्रेशन एण्ड रिडयूस्ड टंग, नेक एण्ड शोल्डर मूमेंट देखी गई। प्रबंधन में, हम टंग स्ट्रेंथनिंग एण्ड रेंज ऑफ मोशन

एक्सरसाइज जैसे टंग एक्सटेंशन एण्ड रिट्रेक्शन आदि, जां (जबड़ा), लिप एण्ड फेशियल एक्सप्रेशन–बेसड एक्सरसाइज शामिल करते है। डिस्फेगिया प्रबंधन में एफर्टफुल स्वैलो मसाको मेनूवर, सुपराग्लोटिक मेनूवर आदि शामिल हैं। नेक एण्ड शोल्डर एक्सरसाइज में टाइप I, II, III प्रकार की शेक एक्सरसाइज और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शामिल है। चूंकि विषय के ओक्यूपेशन में गुड कम्यूनिकेशन एण्ड ओरल आर्टिकुलेशन स्कील अपेक्षित हैं। अतः होम प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें समय सीमा के साथ अक्सर पढ़ने वाली स्लाइड शामिल की जाती है। विषय नवजात शिशु की मां से भी संबंधित था, जिसमें इसलिए अक्सर एक माता शिशु संवाद भी तैयार किया गया था जिसमें राइम सिंगिग, "(वोवल कोन्सोनेंट वोवल) फोर्मट में उच्चारण करने को शामिल किया गया था। चूंकि कोविड–19 महामारी ओपीडी का दौरा करने को प्रतिबंधित करती है, इसलिए टेली–रिहैबिलिटेशन भी प्रदान किया गया है। गहन (इन्टेनसिव) सत्रों के 4 सप्ताह के बाद, संचार कौशल के विषय में सुधार हुआ। उन्हें निगलने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। लंबे व्याख्यान लेने की सहनशक्ति में व्यापक रूप से सुधार हुआ था और परीक्षणाधीन व्यक्तियों को संवाद करते समय आत्मविश्वास महसूस होता है।

- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से ग्रस्त बच्चे की सफलता की कहानी। एक छह साल के लड़के को एएसडी (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर) के निदान के साथ पीडीयूएनआईपीपीडी में भेजा गया था। उनके सामने बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से चलने के मुद्दे के साथ–साथ सामाजिक, संवाद और व्यवहारगत महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दें थे। समस्याओं का समाधान करने और कुछ शब्दों और वाक्यांशों को दोहारने में उनकी क्षमताएं कम थी। ध्यान देने की उनकी अवधि सीमा कम होने के कारण वे शैक्षिक गतिविधियों में बैठने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने संस्थान में नियमित रूप से थैरेपी सेवाएं लीं और होम प्रोग्राम का पालन किया जिसमें प्रशिक्षण के लिए परिभाषित शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कार्याकलाप के साथ एक रूटिन शेड्यूल शामिल है। उन्होंने विभाग में समय–समय पर आयोजित सामूहिक थैरेपी कार्यक्रमों में भाग लिया। ऑक्यूपेशनल थैरेपी सेवाओं ने उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल सीखने, चलते समय भय को खत्म करने में मदद की। वे अब स्वतंत्र रूप से दौड़ और कूद सकते हैं। उनका अंग–विन्यास (पोसचर) में सुधार, शारीरिक प्रदर्शन और आत्मविश्वास उन्हें अपने दैनिक गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सुसज्जित करता है। वे अपने साथियों के साथ बातचीत करते है और बेहतर ध्यान देते है। उनकी थैरेपी अपने शैक्षिक प्रदर्शन और समस्या को सुलझाने के कौशल को और बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ जारी है।

II. एसवीएनआईआरटीएआर, कटक

ट्रांस–फेमोरल एम्पुटीः ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के श्री कामदेव माझी, पुत्र – स्वर्गीय बंसीधर माझी, आयु–68 वर्ष, पुरूष को विस्फोट से चोट लग गई थी और काफी दिनों पहले की गई ट्रांस फेमोरल एपप्यूटेशन सर्जरी के कारण उन्होंने राइट लोअर लिब गवां दिया। रोगी एक गरीब किसान है और केवल एक्सिलरी बैसाखी का उपयोग करके अपनी गतिविधियों का प्रबंधन करता है। यूटयूब से जानकारी प्राप्त करने के बाद वे 20–10–2020 को एसवीएनआईआरटीएआर ओपीडी में पुनर्वासन प्रबंधन के लिए आए। प्रबंधन। रोगी को अब एंडोस्केलेटल राइट ट्रांस फेमोरल प्रोस्थेसिस फिट किया गया है, जो हल्के वजन और एम्बुलेशन गतिविधियों में अधिकतम कार्यात्मक है।

▸ उनका एसवीएनआईआरटीएआर ओपीडी में राइट ट्रांस फेमोरल एमप्यूटेशन के रूप में निदान किया गया। रोगी दृढ़ इच्छा शक्ति और अच्छे मांसल शरीर के वृद्धावस्था वाले एमप्यूटी व्यक्ति हैं। इसलिए, रोगी को रेंजर फुट के साथ राइट ट्रांस फेमोरल प्रोस्थेसिस (मॉड्यूलर डिजाइन) फिट किया गया है और रोगी एसवीएनआईआरटीएआर के प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक लैब में चलने के ढंग (गैट) का प्रशिक्षण निरंतर कर रहें हैं और चलने की गतिविधि के पूरा होने के बाद, वह अपने पिछले प्रोफेशन में वापस आ जाएगें।

▸ **बिलो नी एम्प्यूटी** : श्री पांचू भुइयां, आयु–35 वर्ष, पुरुष, पुत्र – श्री देवेनाथ भुइयां, बंथापल्ली, पीओ–कुकुडा खांडी, ब्लॉक–कुकुडा खांडी, जिला – गंजम, राज्य – ओडिशा। वे राइट बिलो नी एमप्यूटेशन से पीड़ित थे और यहां तक की वे युवा आयु में भी काम करने में सक्षम नहीं थे। वे 16.12.2021 को पुनर्वास प्रबंधन के लिए एसवीएनआईआरटीएआर ओपीडी में आए और 24.12.2021 को एसवीएनआईआरटीएआर की पी एंड ओ प्रयोगशाला में प्रोस्थेसिस फिटमेंट सफलतापूर्वक किया गया। रोगी अच्छी संतुष्टि के साथ आराम से चल रहा है। उपरोक्त रोगी को अब रेंजर फुट और एसवीएनआईआरटीएआर के प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभाग में पेयर ऑफ शू के साथ राइट ट्रांस टिबिएल प्रोस्थेसिस (मॉड्यूलर डिजाइन) फिट किया गया है। चलने के ढंग प्रशिक्षण (गैट ट्रेनिंग) के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद; उनको शीघ्र ही हमारे संस्थान से छुट्टी दे दी जाएगी।

III. एनआईएलडी, कोलकाता

▸ **सपना स्वयं पूरा नहीं होता; इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए''**। अचिंत्य कुमार पाल की प्रेरणादायक जीवन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि, हमें "हजारों सपनें टूट जाने के बाद भी जीवन में सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपने जीवन की ऊर्जा है जो आपको उन लक्ष्यों की ओर बढ़ाते रहते हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना है। उनके दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ने सकारात्मक तरीके से उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और वे अनेक दिव्यांगजनों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं।

▸ अचिंत्य कुमार पाल पुत्र श्री सुबल चन्द्र पाल का जन्म 4 मई, 1991 को हुआ था। वे माध्यमिक उत्तीर्ण हैं। पहले अचिंत्य इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन एक भयानक घटना के बाद उसकी जीवन शैली बदल गई है। 1 जनवरी, 2016 को ट्रेन दुर्घटना के कारण, उन्हें बर्दवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया था और जहां उनकी जान बचाने के लिए घुटने के नीचे बाईं ओर एमप्यूटेशन किया गया था। उन्हें इलाज और पुनर्वास के लिए एनआईएलडी, कोलकाता रेफर किया गया था।

उनका एनआईएलडी, कोलकाता में पुनर्वास टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया था और उन्हें आवश्यक चिकित्सा इलाज, चिकित्सीय (उपचार) इंटरवेंशन दिया गया था जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एकीकरण (इन्टीग्रेशन) और करियर प्लानिंग के लिए परामर्श और मार्गदर्शन शामिल था। एडिप योजना के तहत उनके जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें दो बार घुटने से नीचे प्रोस्थेसिस दिया गया है। एडिप योजना के तहत उन्हें घर के भीतर चलने के लिए एक्सिलरी बैसाखी (क्रच) भी प्रदान की गई थी।

दिव्यांगता कभी भी अचिंत्य के लिए बाधा नहीं थी। इस स्थिति में, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पश्चिम बंगाल सरकार के बिजली विभाग से न्यू इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस परीक्षा 2020 उत्तीर्ण की। उन्होंने 2021 में सफलतापूर्वक आईटीआई पूरा (पास) किया। उसके बाद उन्होंने नगर सेवा आयोग ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी की और पहले ही प्रयास में परीक्षा और साक्षात्कार पास किया। उन्हें मार्च, 2021 में श्यामपुकुर क्षेत्र में कोलकाता नगर निगम के तहत परिबेश बंधु के रूप में नियुक्त किया गया है। अचिंत्य अब 30 साल का ऊर्जावान और सक्रिय युवक है। वे अपने काम के प्रति बनाने की इच्छा रखते है। वे निष्ठावान और समर्पित हैं एवं अपने करियर को बेहतर बनाने की इच्छा रखते है। उनको अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और समाज का पूरा समर्थन प्राप्त है।

"एक आदमी जो लगातार उत्कृष्ट बनने के लिए पसीना बहाता है, स्पष्ट रूप से (निःसंदेह) अपनी बुद्धि और शिष्टता से अनेक लोगों को प्रेरित करता है।"

IV. एनआईईपीवीडी, देहरादून

▸ श्री शिवम नेगी

गठीले बदन और वास्तव में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जीवन कहानी से प्रेरित एक लड़का, शिवम, देहरादून के दृष्टि बाधित मॉडल स्कूल में 11 वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा है। इनका जुलाई 2008 में इस स्कूल की नर्सरी कक्षा में भर्ती (एडमिशन) कराया गया था। वे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रनस्वा गांव का रहने वाला है। फिलहाल शिवम ने संस्थान में चल रहे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वीआई) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है। उनके पिता श्री तजवेर सिंह एक दुकानदार हैं और मां गृहणी हैं। इससे पहले उनके पास कुछ दृष्टि (रोशनी) थी, लेकिन जब वह कक्षा 7 में थे तो उन्होंने पूरी तरह से दृष्टि को खो दिया था। वह पढ़ाई में अच्छे हैं और जब वह कक्षा 6 वीं में थे तब ब्लाइंड क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वास्तविकता यह है कि सर्जरी के दौरान उनकी एक किडनी को निकाला गया था, लेकिन उनके खेल के प्रति उनके जुनून में कोई रूकावट/बाधा नहीं आई। उन्होंने महान पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जीवन कहानी से प्रेरणा ली, जिसको उन्होंने तब पढ़ा जब वह कक्षा 8 में थे, जिन्होंने दिल की सर्जरी के बावजूद फुटबॉल को इतनी अच्छी तरह से खेला और खेल में सर्वोत्तम ऊंचाइयों को हासिल (प्राप्त) किया। इसके तुरंत बाद शिवम ने ब्लाइंड फुटबॉल खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेल प्रशिक्षक और कोच श्री नरेश सिंह नयाल से इस खेल में (कोंफिडेंस) विश्वास हासिल किया। साथ ही उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज तक की उपलब्धियों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः 2019 में ब्लाइंड फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

▸ रवि ठाकुर एक 30 वर्षीय व्यक्ति, पैराप्लीजिक, रवि ठाकुर निवासी सुंदरनगर जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) को ऊंचाई से गिरने के वृत्तांत (हिस्ट्री) के साथ जून 2020 को आए। चोट के समय, उन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और वह अपने पैरों पर वजन नहीं डाल पा रहे थे (खड़े नहीं हो पा रहे थे)। तुरंत ही उनके अटेंडेट उन्हें सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले गए। जांच के बाद, एमआरआई स्कैन किया गया था और उन्हें कनाल स्टेनो और कॉर्ड कम्प्रेशन के साथ बर्स्ट फ्रैक्चर डी 12 पैराप्लेजिया का निदान किया गया था। कोविड महामारी अवधि के दौरान, रोगी को सिविल अस्पताल सुंदरनगर से जिला मंडी के आस्था अस्पताल में भेज (शिफ्ट कर) दिया गया था। वहां पर उनका जनरल एनेसथेसिया के तहत डीकमप्रेशन एंड फिक्सेशन मेथेड द्वारा संचालित (ऑपरेटेड) किया गया था। आराम (स्टेबिलीजेशन) के बाद, उन्हें वहां से छुट्टी दे दी गई और नवंबर 2020 में फिजिकल मेडिसन और पुनर्वास विभाग, फिजियोथेरेपी यूनिट, दिव्यांगजन समेकित क्षेत्रीय केंद्र, सीआरसी में भेजा गया और लगभग 6 महीने तक उनका इलाज किया गया। रवि व्हीलचेयर पर थे और उस समय चलने में सक्षम नहीं थे। फिजियोथेरेपी यूनिट (पीएमआर) में उनकी फिर से जांच की गई। प्रारंभिक फिजियोथेरेपी जांच के समय, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। और दोनों निचले अंगों (हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स) में जकड़न (स्टिफनेस) देखी गई थी। उन्होंने पैरों में पुनः ताकत हासिल की और ताकत प्राप्त करने के बाद, उन्हें पैरलेल बार में और लम्बर कोर्सेट का उपयोग करके चलने के ढंग (गैट) का प्रशिक्षण दिया गया। सीआरसी सुंदरनगर में गति (गैट) विश्लेषक प्रणाली का उपयोग करके गति (गैट) विश्लेषण भी किया गया था। अब, रोगी के जबरदस्त प्रयास के कारण रवि इस तरह के कठिन (दुर्गम) पहाड़ी इलाकों और प्रतिकूल जलवाय

परिस्थितियों में इनडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से चलने (घूमने) में सक्षम है। माता–पिता ने एम्बुलेशन में काफी सुधार की सूचना दी है, जिसकी वे उम्मीद नहीं कर रहे थे और वे फिजियोथेरेपी विभाग, सीआरसी सुन्दरनगर के पेशेवरों के उत्कृष्ठ प्रयासों से प्रसन्न थे। रवि ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जिला मंडी में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। सीआरसी टीम के स्वास्थ्य सद्भाव और सहयोग से न केवल उन्हें शारीरिक रूप से मदद मिली है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाने के हमारे उद्देश्यों (लक्ष्यों) को भी हासिल किया है।

V. एवाईजेएनआईएसएचडी, मुबंई

मास्टर अखिल अच्युतन एक श्रवण बाधित दिव्यांगजन हैं। उनका जन्म 01/03/2001 को हुआ था और 2.6 वर्ष की आयु में उनकी श्रवण बाधिता का पता चल गया था। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, विक्रोली, मुंबई से की। उन्होंने डॉन बॉस्को हाई स्कूल, विक्रोली और मुंबई से 9 वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी की। वर्ष 2017 में, उन्हें एनआईओएस के एसएआईईडी के माध्यम से और आगे की शिक्षा के लिए मुक्त शिक्षा पद्धति में भेज दिया गया था। विषयों के चयन में लचीलापन, अपनी गति आदि से सीखने आदि ने मास्टर अखिल को 2020 में अपनी माध्यमिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने में मदद की।

कंप्यूटर सीखने के उनके जुनून ने उन्हें एडवांस ग्राफिक्स डिजाइन और एमएस–सीआईटी में पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया। वर्तमान में, वे एनआईओएस के माध्यम से वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनका शौक फुटबॉल और क्रिकेट खेलना है। उनका सपना एक वेब डिजाइनर बनने का है। अपनी अक्षम स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने में मास्टर अखिल के दृढ़ संकल्प और आशावाद ने उन्हें शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सफल बनाया। उनका विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही वे राष्ट्र के एक योगदानकारी और उपयोगी नागरिक बन जाएंगे और अन्य दिव्यांगजन बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। पूजा सैनी का जन्म 7 जनवरी, 1991 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके माता–पिता को उसकी श्रवण बाधिता के बारे में तब पता चला जब वे 2 वर्ष की थी, जब उनकी नई दिल्ली के ईयर हॉस्पिटल, ग्रीन पार्क से बीईआरए (बेरा) श्रवण जांच करवाई गई थी। 3 वर्ष की आयु में, उनके माता–पिता उन्हें हिंदी स्पीच थेरेपी के लिए स्पीच पैथोलॉजी टीचर के पास ले गए थे। उन्होंने कुछ अन्य जांच की, जिन्होंने उनके माता–पिता को अपनी बेटी के लिए श्रवण यंत्र (हियरिंग एड्स) खरीदने का सुझाव दिया। कुछ कक्षाओं में भाग लेने के बाद, उसके शिक्षक को पता चला कि वह एक बहुत ही मेघावी छात्रा थी और पूजा को मुख्यधारा के स्कूल में भाग लेने की सलाह दी।

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा स्कूल की मुख्यधारा से की। प्राथमिक विद्यालय में, उन्हें किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और उनके निजी ट्यूटर्स ने हमेशा चुनौतियों को दूर करने के लिए उनकी सहायता की। वे प्राथमिक से आठवीं कक्षा तक की टॉपर रही। 13 वर्ष की आयु में, उसके माता–पिता ने एवाईजेएनआईएसएचडी क्षेत्रीय केंद्र (लाजपत नगर प्प), नई दिल्ली में आए और पता चला कि उन्हें द्विपक्षीय गहन संवेदी तंत्रिका बिलाटेरल प्रोफाउंड सेनसरीन्यूरल हेयरिंग लॉस है। स्कूल में, उन्होंने चित्रकला और नृत्य (पेंटिंग एंड डांसिंग) इत्यादि जैसी पाठ्येतर गतिविधियों में अपनी क्षमताओं को साबित किया और कई पुरस्कार और अवार्ड जीते। हाई स्कूल में जाने के बाद, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार और पुनर्वास पेशेवरों की सहायता से सफलतापूर्वक सामना किया।

स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन (बीसीए) में स्नातक किया। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद, वह जीजीएसआईपीयू से कंप्यूटर एप्लिकेशन (एससीए) में अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए गई। उनके कॉलेज के अध्यक्ष और सभी व्याख्याता उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बधाई दी क्योंकि वह कॉलेज के लिए इंटरकॉलेजिएट पुरस्कार में जीतने वाली पहली छात्रा थीं।

शिक्षा के सफल समापन पर, वह सैपिएंट में एक वैश्विक हेल्पडेस्क विश्लेषक के रूप में शामिल हो गई। तथापि, उन्हें नौकरी की जगह पर संवाद चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने संगठन के विकास और ग्रोथ के लिए योगदान दिया। 1.5 वर्ष तक कार्य करने के बाद, उन्हें स्वास्थ्य समस्या के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तथापि, उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। अब वह व्यक्तिगत विकास में अधिक सीख रही हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके जैसे दिव्यांगजन बाधा मुक्त वातावरण के बावजूद समाज में योगदान दे सकते हैं।

VI. एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद

▸ **भूपति रायुडु** 50 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रस्त माइल्ड बौद्धिक दिव्यांग हैं। उन्होंने सामान्य स्कूल में 5 वीं कक्षा तक की पढ़ाई की; उन्होंने ओपन स्कूल में 10वीं कक्षा पूरी की। वर्ष 2016 में, उन्हें एनआईईपीआईडी में वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) में व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए रेफर किया गया था। उन्होंने फोटो कॉपियर गतिविधि, सर्पिल बाइंडिंग, लेमिनेशन और कॉफी वेंडिंग मशीन गतिविधि में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपने सुधारों को देखकर, वह इन सभी गतिविधियों में स्वतंत्र था। वह बहुत समयबद्ध और नियमित है, उन्हें दिए गए सभी काम को वह मुस्कुराहट के साथ पूरा करते हैं, अधिक काम देने पर शिकायत नहीं करते। उनकी मां का कहना है कि ष्काम के माहौल ने उन्हें कई कौशल सिखाए हैंष्। उन्होंने आत्मविश्वास प्राप्त किया और अपने सामाजिक और संचार कौशल में सुधार किया। उसने पैसे का मूल्य सीखा। वह अब स्व–नियोजित है और लेडीज कॉर्नर और फोटोकॉपी सेंटर शुरू किया है, वह अन्य गतिविधियों में मां की मदद करते हैं। वह स्पाइरल बाइंडिंग, लेमिनेशन करने और ईमेल एवं इंटरनेट आदि से प्रिंटआउट लेने में सक्षम है; वह अच्छे खिलाड़ी हैं और क्रिकेट, बास्केट बॉल, शटल, टेबल टेनिस और कैरम खेलते हैं। वह स्वतंत्र रूप से दोपहिया (एक्टिवा) चला रहे हैं। वह मां को आने–जाने में तथा थोक दुकानों से माल की खरीद में उनकी सहायता /मदद करते हैं।

▸ **दर्शिता हुम्ने: एलडी के क्षेत्र में रोल मॉडल:** दर्शिता हुम्ने का जन्म 25 दिसंबर, 2013 को हुआ था। प्रारंभ में, उन्हें विकास में देरी होने का निदान किया गया था। प्रारंभिक चरण में, उनकी मां उनके विकास में कुछ समस्या देखी और परिवार के चिकित्सक से परामर्श किया, जिन्होंने प्ले स्कूल भेजने का सुझाव दिया। बाद में उसे अधिगम दिव्यांगता का पता चला। उन्हें अगस्त, 2020 महीने में सीआरसी, राजनांदगांव में आगे के मूल्यांकन और हस्तक्षेप के लिए भेजा गया था। वह सीआरसी, राजनांदगांव में एक साल से थेरेपी ले रही हैं। जब वह सीआरसी, राजनांदगांव में शामिल हुई, तब वह रंग, कुत्ते की तस्वीर, ट्रेन की तस्वीर, पहेली, लेखन, गिनती और पेंटिंग आदि को पहचानने में असमर्थ थी। 1 वर्ष की चिकित्सा और प्रशिक्षण के बाद, वह रंग अवधारणा, कुत्ते की तस्वीर वाली पहेली, ट्रेन की तस्वीर वाली पहेली, गिनती, पेंटिंग, लेखन सहित आकार बनाने में सक्षम थी, जो टीएलएम किट 1 और किट 2 में दिया गया था जिसने उसे अपनी मां और विशेष शिक्षक के साथ सीखने के स्तर में सुधार करने में मदद की। वर्तमान में फोलो–अप के बाद वह नम्बरों, 3 रंगों को पहचानने में सक्षम है और स्वतंत्र रूप से 1 से 5 लिखने में सक्षम है। सीआरसी, राजनांदगांव में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, उन्हें दैनिक जीवन के कौशल सिखाए गए हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा है।

VII. एनआईईपीएमडी, चेन्नई

▸ **श्री आर दिनेश** (31 वर्ष), पुरुष, अपने परिवार की पहली संतान है, जो समरक्त विवाह से पैदा हुए हैं। उन्हें बौद्धिक दिव्यांगता से 60 प्रतिशत बाधित होने का निदान किया गया था। वह अपने पिता, मां, छोटी बहन और भाई द्वारा समर्थित है। उन्होंने चेंगलपेट जिले के कनाथूर में 14 साल की उम्र तक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की, इसके बाद एनआईईपीएमडी, चेन्नई में विशेष शिक्षा प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में पढ़ाई की। वर्ष 2007 में उन्होंने एनआईईपीएमडी में दाखिला लिया तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं के साथ विशेष शिक्षा प्रशिक्षण लिया। कौशल प्रशिक्षण इकाई में, वह वयस्क स्वतंत्र रहने के कौशल, सामाजिक कौशल, कार्यस्थल पर व्यवहार कौशल, संचार कौशल, सेल्फ–एडवोकेसी कौशल आदि वाले सामान्य कौशल के लिए सशक्त हो गए हैं। वर्ष 2012–2017 के दौरान, फोटोकॉपी, स्पाइरल बाइंडिंग, पुस्तकालय अटेंडर, कार्यालय सहायक आदि जैसी ट्रेड विशिष्ट प्रशिक्षण में उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। एक प्रशिक्षित वयस्क के रूप में, दिनेश अपनी गतिविधियों में समय के पाबंद है और समय सारणी के भीतर सौंपे गए कार्य को पूरा करता है। वह अपने सहपाठियों के साथ दोस्ती की संबंध रखते थे और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (प्लेसमेंट सेल) के माध्यम से, विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में रोजगार के अवसरों का पता लगाया गया। एएमईटी विश्वविद्यालय, चेन्नई को उन्हें "लाइब्रेरी अटेंडर" के रूप में नियुक्त करने पर गर्व था। अपने उपलब्धियों में जोड़ने के लिए, उन्हें "श्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी" – पुरुष (बौद्धिक दिव्यांगता) की श्रेणी के तहत वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार कार्यक्रम 3 दिसंबर 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेएंडई, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसी तरह, वर्ष 2018 में अपनी उपलब्धियों के आधार पर तमिलनाडु सरकार के दिव्यांगजन कल्याण हेतु राज्य आयुक्तालय के कार्यालय से उन्हें ष्श्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारीष्– पुरूष (बौद्धिक दिव्यांगता) की श्रेणी के तहत राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया ।

श्री जी. गणेश कुमार, 33 वर्षीय (पुरुष) परिवार में दूसरी संतान है। उन्हें बौद्धिक दिव्यांगता (90% दिव्यांगता) के साथ सेरेब्रल पाल्सी के रूप में निदान किया गया था। उनकी सहायता मां और बड़ी बहन कर रही हैं। उन्होंने मदुरै में विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन किया। उन्होंने वर्ष 2015 में एनआईईपीएमडी में दाखिला लिया तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं में पढ़ाई की। उन्हें वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग की कौशल प्रशिक्षण इकाई में प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2016 में, उन्होंने "सब्लिमेशन प्रिंटिंग" कौशल प्रशिक्षण में दाखिला लिया। वह बुनियादी कंप्यूटर कौशल सीखने में बहुत उत्सुक थे, जैसे कि छपाई के लिए चित्रों को लोड करना, उसका आकार बदलना, उसकी पोजिशन फिक्स करना। वह अधिकांश सूचनाओं को चेहरे के भावों के माध्यम से संप्रेषित करते हैं और सहकर्मियों के प्रति बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इसके साथ ही वह रंगों के प्रति उत्साही थे, विभिन्न संयोजनों के साथ चित्रों की पृष्ठभूमि पर प्रिंट कार्य करते थे और एक उपयुक्त पृष्ठभूमि का पता लगाते थे। प्रशिक्षण के सफल समापन पर उन्होंने मां के साथ "राम्या गिफ्ट्स" नाम से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। इस पहल को लियोनार्ड चेशायर प्रोजेक्ट नागापट्टिनम और यूरोपियन यूनियन लाइवलीहुड प्रोजेक्ट द्वारा "अभिवावक बाल समर्थित रोजगार पहल" थीम के तहत समर्थित और वित्त पोषित किया गया था। उनकी उपलब्धियों की शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने 3 दिसम्बर, 2021 को दिव्यांगों के कल्याण हेतु राज्य आयुक्तालय के कार्यालय, तमिलनाडु सरकार से उनकी उपलब्धियों के आधार पर उन्होंने एक उद्यमी के रूप में **श्रेष्ठ स्व–रोजगार दिव्यांग पुरूष (बहु दिव्यांगता)** श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ष 2021 में उनकी उपलब्धियों के आधार पर एक उद्यमी के रूप में डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया।

VIII. एडिप कॉकलियर इम्प्लांट योजना – सफलता की कहानियां

(i) आराध्या सोनवणे

वर्तमान आयु: 9 वर्ष

सीआई सर्जरी करने की तिथि : 27/02/2015

आराध्या ने 3 साल की उम्र में बीवाईएल नायर चैरिटेबल अस्पताल, मुंबई से कॉकलियर इम्प्लांट करवाया था। वर्तमान में वह 9 साल की है और श्रवण बाधित बच्चों हेतु एक विशेष स्कूल – सीएसईडी स्कूल, मुंबई में तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं। इम्प्लांट के बाद आराध्या बहुत मुखर (वोकल) हो गई और उसने पाठ्यचर्या के साथ–साथ सह–पाठ्यचर्या गतिविधियों दोनों में कई प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। उन्हें श्लोक पाठ में दूसरा पुरस्कार मिला है जो उनकी उत्कृष्ट बोलने की क्षमताओं को दर्शाता है। वह फोन पर बातचीत करती है और अच्छे सामाजिक कौशल के साथ प्रस्तुत करती है। एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) और प्रेरित माता–पिता के समर्थन से आराध्या लगातार सफलता प्राप्त कर रही है।

(ii) मास्टर वैभव सूर्यवंशी

वर्तमान आयु – 11 वर्ष

सर्जरी की तिथि – 03/07/2015

▸ **वैभव सूर्यवंशी** अति गंभीर श्रवण ह्रास से ग्रसित थे जिसके कारण वह सुन और बोल नहीं सकते थे। 5 साल की उम्र में उनका भोपाल के दिव्य ईएनटी अस्पताल में एडिप सीआई योजना के तहत इम्प्लांट किया गया था। उन्होंने एडिप कॉकलियर इम्प्लांट योजना के तहत दिव्य ईएनटी अस्पताल में चिकित्सा सत्रों में नियमित रूप से भाग लिया। आज 11 वर्ष की उम्र में वे अपनी उम्र के किसी भी अन्य सामान्य सुनने वाले बच्चे की तरह बोलने में सक्षम है। वह परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ स्व–संप्रेषण करता है। उन्होंने उत्कृष्ट शैक्षणिक कौशल हासिल किया है; वे छठी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और वे सांस्कृतिक तथा सह–पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेते हैं। अपने विभिन्न कौशल में सुधार को देखते हुए उनके माता–पिता काफी खुश हैं।

राष्ट्रीय संस्थानों / समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि) का विवरण

1. पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी	4 ½ वर्ष	68
2.	बैचलर ऑफ ऑक्यूलपेशनल थेरेपी	4 ½ वर्ष	68
3.	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक	4 ½ वर्ष	39
4.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक	02 वर्ष	11

सीआरसी, लखनऊ

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधित)	2 वर्ष	35
2.	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	2 वर्ष	35

सीआरसी, श्रीनगर

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी	4 वर्ष. 6 माह का इंटरर्नशिप	25
2.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन	2 वर्ष	30
3.	पुनर्वास मनोविज्ञान में पीजी डिप्लोमा	1 अकादमिक वर्ष	25
4.	पुनर्वास चिकित्सा में डिप्लोमा	2 वर्ष. 6 माह का इंटरर्नशिप	25

एसवीएनआईआरटीएआर, कटक

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	4½वर्ष	62
2.	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4½वर्ष	62
3.	बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक	4 ½वर्ष	46
4.	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी	02 वर्ष	15
5.	मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी	02 वर्ष	15
6.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	02 वर्ष	10
7.	डीएनबी (पीएमआर) पोस्ट एमबीबीएस	03 वर्ष	04
8.	डीएनबी (पीएमआर) पोस्ट डिप्लोमा	02 वर्ष	04
9.	ओर्थोपेडिक नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा	01 वर्ष	10

एनआईएलडी, कोलकाता

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
	एनआईएलडी, कोलकाता में संचालित पाठ्यक्रम		
1.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी	4½ वर्ष	57
2.	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4½ वर्ष	56
3.	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	4½ वर्ष	37
4.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी ओर्थोपेडिक्स)	2 वर्ष	7
5.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (न्यूरोलोजी)	2 वर्ष	3
6.	मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (ओर्थोपेडिक्स)	2 वर्ष	7
7.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	2 वर्ष	7
8.	एमएससी नर्सिंग में (ओर्थोपेडिक्स और पुनर्वास नर्सिंग)	2 वर्ष	11
9.	दिव्यांगता पुनर्वास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	17
10.	डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड (पीएमआर) पोस्ट एमबीबीएस	3 वर्ष	4
11.	डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड (पीएमआर) पोस्ट एमबीबीएस, पोस्ट डिप्लोमा	2 वर्ष	4
	सीआरसी, पटना में संचालित पाठ्यक्रम		
1.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 वर्ष	30
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वीआई)	2 वर्ष	30
3.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2 वर्ष	30
	आरसी, आईजोल में संचालित पाठ्यक्रम		
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	25

एनआईईपीवीडी, देहरादून

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
	एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी –1 केंद्र	2 वर्ष	10
2.	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (वी.आई)–1 केंद्र	2 वर्ष	20
3.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (वी.आई) – 4 केंद्र	2 वर्ष	230
4.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वी.आई) –11 केंद्र	2 वर्ष	630
5.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी –1 केंद्र	1 वर्ष	15
	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट	1 वर्ष	21
2.	ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी)	1 वर्ष	16
3.	ब्रेल स्टेनोग्राफी और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1 वर्ष	15

सीआरसी, सुंदरनगर :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधित)	2 वर्ष	60
2.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	60
3.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	2 वर्ष	60
4.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (प्रमस्तिष्क घात)	2 वर्ष	60

सीआरसी, गोरखपुर :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	25

एवाईजेएनआईएसएचडी (डी), मुंबई :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	पीएचडी (एसपी और एचजी)	3 वर्ष	20
2.	पीएचडी (स्पे. एजु.)	3 वर्ष	20
3.	मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	19
4.	मास्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	1 वर्ष	23
5.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच– लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	43
6.	बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	1 वर्ष	39
7.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी	1 वर्ष	20
8.	साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स में डिप्लोमा	2 वर्ष	15
9.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए)	1 वर्ष	25

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	15
2.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
3.	बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग हैंड़ीकेप्पड)	2 वर्ष	23
4.	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन– डिस्टेंस एजुकेशन (एचआई)	2.5 वर्ष	40
5.	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31
6.	साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स में डिप्लोमा	2 वर्ष	15
7.	कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा	1 वर्ष	20

क्षेत्रीय केंद्र, सिकंदराबाद :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	मास्टर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी)	2 वर्ष	13
2	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
3	बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31
4	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31

क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	25
2.	बैचलर ऑफ एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	30
3.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	20
4.	श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	1 वर्ष	20

क्षेत्रीय केंद्र, जनला, ओडिसा :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2 वर्ष	31
2.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	30
3.	बैचलर ऑफ एजुकेशन दृ विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	30

एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	एम.फिल इन रिहैबीलिटेशन साइकलॉजी (आईडी)	2	15
2	एम.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	27
3	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन		122
4	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	33
5	डिप्लोमा इन अर्ली चाइडहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1	30
6	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	30
7	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एमआर)	1	30

क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	38
2	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2	33

क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	15
2.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन आईडी)	2	20
3.	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1	30
4.	डिप्लोमा इन वोकशनल रिहैबीलिटेशन (आईडी)	1	30

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	13
2	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	33
3	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	28
4	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबीलिटेशन (आईडी)	1	25
5	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी) दृ ओडीएल	2	40

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, नेल्लोर :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एच आई)	2	25

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, देवांगेरे :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	30
2	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (एच आई)	2	30

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, राजनंदगाँव :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	25

एनआईईपीएमडी, चेन्नई :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	एम.फिल (क्लिनिकल साइकोलॉजी)	2	12
2	एम.एड. स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2	20
3	एम.एड. स्पेशल एजुकेशन (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार)	2	20
4	बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2	20
5	बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार)	2	30
6	बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (डेफब्लाइंड)	2	30
7	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार)	2	25+2 ईडबल्यूएस
8	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2	25+2 ईडबल्यूएस
9	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (डेफब्लाइंड)	2	30+3 ईडबल्यूएस
10	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (सेरेब्रल पाल्सी)	2	25+2 ईडबल्यूएस
11	प्रारंभिक उपाय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1	15
12	फिजियोथेरेपी में स्नातक	4 ½	25+3 ईडबल्यूएस
13	बैचलर ऑफ ए ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी	4	20+2 ईडबल्यूएस
14	बैचलर ऑफ ओक्यूपेशनल थेरेपी	4 ½	25+3 ईडबल्यूएस
15	प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स में स्नातक	4 ½	20

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, कोझिकोड :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एएसडी)	2	30
2	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमडी)	2	30
3	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	30

आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 वर्ष	45
2	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल)	2 वर्ष	20

एनआईएमएचआर, सिहोर :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा – बौद्धिक दिव्यांगता (डीवीआर–आई डी)	1 वर्ष	30
2	समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर)	1 वर्ष	30
3	सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग – मानसिक स्वास्थ्य (सीसीसीजी)	10 माह	30

डीडीआरएस के तहत 2018–19 से 2021–21 के दौरान प्राप्त किए गए प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्र. सं	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	
		प्राप्त	स्वीकृत*	प्राप्त	स्वीकृत*	प्राप्त	स्वीकृत*	प्राप्त	स्वीकृत*
1	आंध्र प्रदेश	69	79	66	67	69	65	24	20
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	12	11	11	8	3	5	0	1
4	बिहार	1	4	0	1	2	0	0	1
5	छत्तीसगढ़	1	4	0	2	0	1	0	0
6	दिल्ली	10	5	0	3	7	6	0	3
7	गोवा	0	1	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	21	17	19	10	16	5	7	6
9	हरियाणा	23	16	23	12	15	9	0	4
10	हिमाचल प्रदेश	5	4	6	5	5	6	4	4
11	जम्मू और कश्मीर	4	2	0	1	0	0	0	0
12	झारखंड	0	1	0	1	0	0	0	0
13	कर्नाटक	3	5	3	2	3	3	0	1
14	केरल	40	49	43	29	38	27	0	20
15	मध्य प्रदेश	42	21	22	11	16	16	9	7
16	महाराष्ट्र	20	21	16	19	2	10	0	0
17	मणिपुर	26	39	25	28	25	22	0	11
18	मेघालय	6	6	7	4	6	4	0	1
19	मिजोरम	2	2	6	2	5	1	2	0
20	नागालैंड	1	1	0	1	2	1	2	0
21	उड़ीसा	51	49	49	49	43	42	0	36
22	पंजाब	10	7	11	4	10	4	0	1
23	राजस्थान	15	19	8	19	11	8	0	8
24	तमिलनाडु	14	20	26	17	0	11	0	6
25	त्रिपुरा	1	1	0	0	1	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	52	48	41	44	49	42	2	23
27	उत्तराखंड	8	6	4	3	1	3	0	2
28	पश्चिम बंगाल	28	31	20	20	28	13	3	11
29	तेलंगाना	54	70	50	67	44	34	0	17
30	पुदुचेरी	4	4	4	3	4	2	0	2
	कुल	**524**	**543**	**460**	**432**	**405**	**340**	**53**	**185**

* इन आंकड़ों में पिछले वर्ष के आगे बढ़ाए गए प्रस्ताव भी शामिल हैं।

2018–19 से 2021–22 के दौरान डीडीआरएस के तहत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निधियां

(रू.लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	1452.75	2663.05	1711.80	479.28
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
3	असम	90.86	124.72	62.02	21.25
4	बिहार	43.87	23.67	0.00	25.74
5	छत्तीसगढ़	40.64	49.78	1.63	0
6	दिल्ली	29.62	32.65	247.67	71.17
7	गोवा	0.59	0.00	0.00	0
8	गुजरात	97.44	131.96	23.32	42.54
9	हरियाणा	130.74	154.81	140.18	58.01
10	हिमाचल प्रदेश	55.72	71.77	55.31	18.26
11	जम्मू और कश्मीर	5.79	4.53	0.00	0
12	झारखंड	1.59	10.39	0.00	0
13	कर्नाटक	86.05	41.31	81.29	57.32
14	केरल	584.86	611.82	628.30	521.91
15	मध्य प्रदेश	162.96	155.50	214.84	95.40
16	महाराष्ट्र	202.21	342.21	154.33	0
17	मणिपुर	525.16	974.01	530.09	309.44
18	मेघालय	54.32	32.59	105.37	11.89
19	मिजोरम	19.88	33.90	11.73	0
20	नागालैंड	2.49	2.48	26.31	0
21	उड़ीसा	732.76	1001.05	742.03	642.76
22	पंजाब	45.54	133.65	98.91	13.63
23	राजस्थान	152.21	261.60	144.01	130.09
24	तमिलनाडु	272.19	191.90	208.24	54.01
25	त्रिपुरा	0.27	0.00	0.00	0
26	उत्तर प्रदेश	760.28	1018.59	1161.31	515.47
27	उत्तराखंड	28.65	84.07	29.37	27.04
28	पश्चिम बंगाल	365.88	335.46	311.65	273.99
29	तेलंगाना	1014.16	1646.76	1034.30	545.37
30	पुदुचेरी	40.42	32.61	18.48	20.22
	कुल	**6999.9**	**10166.84**	**7742.49**	**3934.79**

2018–19 से 2021–22 के दौरान डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या

क्र. सं	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	7268	6187	5620	1675
2	असम	469	603	248	49
3	बिहार	323	53	0	51
4	छत्तीसगढ़	229	187	110	0
5	दिल्ली	369	501	685	470
6	गोवा	70	0	0	0
7	गुजरात	762	864	378	411
8	हरियाणा	935	512	505	182
9	हिमाचल प्रदेश	100	302	212	98
10	जम्मू और कश्मीर	43	81	0	0
11	झारखंड	0	64	0	0
12	कर्नाटक	675	339	373	157
13	केरल	3780	2112	1656	1570
14	मध्य प्रदेश	1389	639	822	325
15	महाराष्ट्र	836	3036	2049	0
16	मणिपुर	3209	2597	1523	1114
17	मेघालय	645	443	322	27
18	मिजोरम	153	168	20	0
19	नागालैंड	30	30	47	0
20	उड़ीसा	3143	3239	5953	4556
21	पंजाब	595	588	272	21
22	राजस्थान	1780	1096	370	340
23	तमिलनाडु	1368	786	706	383
24	त्रिपुरा	70	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	4623	4105	3580	1949
26	उत्तराखंड	320	197	144	106
27	पश्चिम बंगाल	2417	3621	1935	1028
28	तेलंगाना	5968	5513	3932	1689
29	पुदुचेरी	234	141	80	65
	कुल	**41803**	**38004**	**31542**	**16266**

2021–22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा

क्र. सं.	एनजीओ का नाम और स्थान	राशि
1	आदि आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	2555010
2	आदि आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	1522023
3	चैतन्य इंस्टिट्यूट फोर दा लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	2451013
4	हेलेन केलर स्कूल फोर दा डेफ, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	728633
5	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (नेल्लोर), नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	2914627
6	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (काकीनाडा), पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	1681665
7	कला सोशल वेलफेयर सोसाइटी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	1290706
8	कल्याणी ग्रामीण पुनर्वास और शैक्षिक सोसायटी, पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	208152
9	क्रांति एजुकेशन सोसाइटी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	2349725
10	लेबेंशिल्फ़ , विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	6631070
11	महर्षि सांबामूर्ति सामाजिक विकास अध्ययन संस्थान, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	1552060
12	मानसिक विकास केंद्रम, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	396088
13	पावनी इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल हैंडीकैप्ड एंड स्पास्टिक्स, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	3375773
14	प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	3405264
15	प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	1681563
16	राष्ट्रीय सेवा समिति , चित्तूर, आंध्र प्रदेश	556890
17	एसकेआर पुपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	2665283
18	श्री विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	3173015
19	सनलाइट एजुकेशनल सोसायटी, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	2549831
20	ग्रामीण विकास सोसायटी का स्वैच्छिक संगठन, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	6239527
21	ग्रामीण विकास के उत्तर पूर्व स्वैच्छिक संघ (नेवार्ड), गुवाहाटी, असम	2125179
22	बाबा गरीब नाथ विकलांग सहजन सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार	2573617
23	अक्षय प्रतिष्ठान , दिल्ली, दिल्ली	4150626

क्र. सं.	एनजीओ का नाम और स्थान	राशि
24	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली, दिल्ली	1495706
25	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (दिल्ली), दिल्ली, दिल्ली	1470308
26	अक्षर ट्रस्ट, वडोदरा, गुजरात	1186690
27	जयश्री मारुति नंदनी किशन विकास शिक्षा ट्रस्ट, दाहोद , गुजरात	481461
28	खोदियार एजुकेशन ट्रस्ट, मेहसाणा, गुजरात	559486
29	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, वडोदरा, गुजरात	147921
30	विकलांग सर्वांगी विकास ट्रस्ट, दाहोद , गुजरात	124717
31	विकलांग सर्वांगी विकास ट्रस्ट, दाहोद , गुजरात	1753740
32	अमर ज्योति फाउंडेशन, जींद, हरियाणा	908511
33	डॉट आशा केंद्र (आर्मी वेलफेयर सोसाइटी), हिसार, हरियाणा	1237053
34	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (रोहतक), रोहतक, हरियाणा	1351817
35	मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी, सोनीपत, हरियाणा	2303640
36	चेतना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	414943
37	चेतना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	348119
38	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (कुल्लू), कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	318634
39	पैराडाइज चिल्ड्रेन केयर सेंटर, चंबा, हिमाचल प्रदेश	744328
40	विश्वधर्मः महिला मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति, धारवाड़, कर्नाटक	5731839
41	अल्फोंस सोशल सेंटर, एर्नाकुलम, केरल	2614816
42	अशनिलयम , कोट्टायम, केरल	1566143
43	अशनिलयम सामाजिक सेवा केंद्र, कोट्टायम, केरल	1570537
44	दिव्यांगों के कल्याण के लिए चैरिटेबल सोसाइटी, एर्नाकुलम, केरल	1947321
45	चावरा स्पेशल स्कूल फोर दा मेंटली रिटार्डेड, एर्नाकुलम, केरल	504103
46	एम्मॉस विला, वायनाड, केरल	3986666
47	फेथ इंडिया, एर्नाकुलम, केरल	5689473
48	करुणा चैरिटेबल सोसाइटी, कोल्लम, केरल	2350319
49	मैरियन सर्विस सोसाइटी, पलक्कड़, केरल	2133857
50	एमजीएम बेथानी सेंथी भवन, पठानमथिट्टा, केरल	3669700
51	विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रोटरी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल	5530314
52	संजोस वेलफेयर सेंटर, कोट्टायम, केरल	1302554
53	शांतिनिलयम फोर हेंडीकेप्ड चिल्ड्रेयन, कोट्टायम, केरल	3514254

क्र. सं.	एनजीओ का नाम और स्थान	राशि
54	सेवा निकेतन, कोट्टायम, केरल	722300
55	स्नेहराम चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिचुर, केरल	4426203
56	समाज कल्याण केंद्र, त्रिचूर, केरल	4748805
57	मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसायटी, कन्नूर, केरल	1647297
58	सेंट जोसेफ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल गृह, त्रिचुर, केरल	2046258
59	सेंट जोसेफ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल गृह, त्रिचुर, केरल	278369
60	सेंट जोसेफ सोशल सेंटर, अल्लापुझा, केरल	1941466
61	एहसास, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1310566
62	नव ज्योति स्पेशल स्कूल, जबलपुर, मध्य प्रदेश	1276778
63	प्रेम सागर स्पेशल स्कूल रन बाई डाउटर्स ऑफ दा सेंट थॉमस सोसायटी, उज्जैन, मध्य प्रदेश	1037134
64	राजुली विकलांग पालक अभिभावी उत्थान समिति, विदिशा , मध्य प्रदेश	1298154
65	रमन शिक्षा समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1401705
66	शालोम स्पेशल स्कूल, भोपाल, मध्य प्रदेश	1552973
67	स्नेह शिक्षण एवं मानव सेवा संस्थान, रीवा, मध्य प्रदेश	1662256
68	एचीवमेंट ऑफ राइजिंग मेडेन, इंफाल पश्चिम, मणिपुर	3663815
69	विकास गतिविधियों के लिए केंद्र, थौबल, मणिपुर	345925
70	शैक्षिक और ग्रामीण विकास संगठन, थौबल, मणिपुर, थौबल , मणिपुर	1039262
71	कांगचुप एरिया ट्रीबल वूमन सोसायटी, इंफाल, मणिपुर	721825
72	मणिपुर गाइडेंस सेंटर (एमएजीसी), बिष्णुपुर, मणिपुर	2535150
73	रीःक्रिशन निर्माण, एक स्वैच्छिक एजेंसी (मणिपुर की स्पास्टिक्स सोसायटी), इंफाल, मणिपुर	1759826
74	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, थौबल, मणिपुर, थौबल , मणिपुरी	388950
75	सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन, इंफाल, मणिपुर	1741505
76	ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए सामाजिक मानवीय कार्य, चूरचंदपुर , मणिपुर	2315250
77	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर	10449070
78	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर	5983818
79	आशा पुनर्वास केंद्र (आर्मी वेलफेयर सोसाइटी, नई दिल्ली), शिलांग, मेघालय	1188724
80	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, गंजम, उड़ीसा	2255186

क्र. सं.	एनजीओ का नाम और स्थान	राशि
81	ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सहायता के लिए संघ (आशरा), बोलंगीर, उड़ीसा	1171451
82	सामाजिक पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए एसोसिएशन, कटक, उड़ीसा	4141732
83	सामाजिक पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए एसोसिएशन, कटक, उड़ीसा	610628
84	एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड सोशल रिसर्च इन उड़ीसा, बौध, उड़ीसा	1625062
85	स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए), पुरी, उड़ीसा	2246069
86	स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए), पुरी, उड़ीसा	588919
87	स्वैच्छिक कार्य संघ (एवीए), पुरी, उड़ीसा	1344330
88	स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए), सुंदरगढ़, उड़ीसा	2288880
89	भैरबी क्लब, खुर्दा, उड़ीसा	1791797
90	भैरबी क्लब, खुर्दा, उड़ीसा	501367
91	भैरबी क्लब, खुर्दा, उड़ीसा	2362240
92	भारत ज्योति , कटक, उड़ीसा	383427
93	पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र (सीआरएसआर), भद्रक , उड़ीसा	785160
94	पुनर्वास सेवा और अनुसंधान केंद्र (सीआरएसआर), भद्रक, उड़ीसा	2777288
95	पुनर्वास सेवा और अनुसंधान केंद्र, भद्रक, उड़ीसा	2620107
96	जिला दिव्यांग स्कूल, झारसुगुडा, उड़ीसा	1828266
97	गांधीवादी तकनीकी उन्नति संस्थान (गीता), केंद्रपाड़ा , उड़ीसा	1296214
98	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कटक, उड़ीसा	2263087
99	कबि नरसिंह मठ ब्लाइंड एंड डेफ स्कूल, बकिलिकाना , गंजम, उड़ीसा	4802669
100	महाराजा कृष्ण चन्द्र गणपति स्कूल दृष्टिहीन और बधिरों के लिए, गजपति, उड़ीसा	3524655
101	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सहयोग (एनआरडीसी), सुबरनापुर, उड़ीसा	820825
102	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सहयोग (एनआरडीसी), सुबरनापुर, उड़ीसा	936813
103	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सहयोग (एनआरडीसी), सुबरनापुर, उड़ीसा	320136
104	नेहरू सेवा संघ, खुर्दा, उड़ीसा	1817174
105	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान , पुरी, उड़ीसा	8238663
106	ओपन लर्निंग सिस्टम, खोरधा, उड़ीसा	645075

क्र. सं.	एनजीओ का नाम और स्थान	राशि
107	क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, सुंदरगढ़, उड़ीसा	289864
108	क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, उड़ीसा	1012333
109	क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, उड़ीसा	662543
110	क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, सुंदरगढ़, उड़ीसा	2181143
111	ग्रामीण विकास कार्य प्रकोष्ठ (आरडीएसी), मयूरभंज, उड़ीसा	249255
112	ग्रामीण विकास कार्य प्रकोष्ठ (आरडीएसी), मयूरभंज, उड़ीसा	1118880
113	शहीद युवा संघ , नयागढ़ , उड़ीसा	1869654
114	दिव्यीगों की सहायता के लिए संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2064971
115	यूनियन फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज, खुर्दा, उड़ीसा	840285
116	सत्या स्पेशल स्कूल, पुडुचेरी , पुडुचेरी	154336
117	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, यनम, पुडुचेरी	477244
118	टेक चाँद सूद चैरिटेबल ट्रस्ट, होशियारपुर , पंजाब	1362832
119	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान , बीकानेर, राजस्थान	2082250
120	गुरुकुल स्पास्टिक सोसायटी, जयपुर , राजस्थान	781359
121	मरुधारा बाल शिक्षा संस्थान, जोधपुर, राजस्थान	1603575
122	प्रयास, विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, जयपुर, राजस्थान	1989265
123	संबल समिति, जयपुर, जयपुर , राजस्थान	2101399
124	संभव स्कूल फॉर ऑटिज्म एवम मल्टीपल डिसएबिलिटी, जयपुर, राजस्थान	1771867
125	शिखर सोसायटी फोर दा वेलफेयर ऑफ मेंटली हेंडीकेप्डट, कोटा, राजस्थान	1665078
126	तपोवन मनोविकास विद्यालय समिति, श्रीगंगानगर, राजस्थान	1014033
127	विकास शिक्षा केंद्र, तिरुवेल्लूर, तमिलनाडु	355357
128	डॉ.दथू राव मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु	737489
129	कोंगू अरिवलयम स्कूल फोर मेंटली रिटार्डेड, इरोड, तमिलनाडु	931297
130	एमएस चेल्लामुथु ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन, मदुरै, तमिलनाडु	1411841
131	सप्तगिरि पुनर्वास ट्रस्ट, विरुधनगर, तमिलनाडु, विरुधुनगर , तमिलनाडु	836973
132	युवा बधिर बच्चों के लिए स्कूल (बाला विद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु	1128006

क्र. सं.	एनजीओ का नाम और स्थान	राशि
133	देवनार फाउंडेशन फॉर दा ब्लादइंड, हैदराबाद, तेलंगाना	11239660
134	मानसिक विकास केंद्रम , विजयवाड़ा, तेलंगाना	3319739
135	पोमेनकेप, सिकंदराबाद, तेलंगाना	1936176
136	पोमेनकेप (गोदावरीखानी) , पेद्दापल्ली, तेलंगाना	2330393
137	पोमेनकेप (करीमनगर), करीमनगर, तेलंगाना	1900745
138	पावमेनकैप, हैदराबाद, तेलंगाना	6289299
139	पावमेनकैप, हैदराबाद, तेलंगाना	677903
140	पावमेनकैप, हैदराबाद, तेलंगाना	1840272
141	पीपल विथ हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना	3726446
142	साधना सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, मेडचला एंड मलकजगिरी, तेलंगाना	1351427
143	साधना सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, मेडचला एंड मलकजगिरी, तेलंगाना	3547562
144	साधना सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, यादाद्री भुवनेश्वर, तेलंगाना	271583
145	स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद, तेलंगाना	4678905
146	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फोर दा वेलफेयर ऑफ एम.एच., गुंटूर, तेलंगाना	2828030
147	स्वीयकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस, हैदराबाद , तेलंगाना	5516063
148	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फोर एम.एच., हैदराबाद, तेलंगाना	111388
149	करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी ट्रस्ट, करीमनगर, तेलंगाना	2971426
150	आदर्श मूक बधिर विद्यालय, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश	1599604
151	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	1509311
152	आनंद ट्रेनिंग चैरिटेबल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	2619787
153	आर्य सुगंध संथान (फोरमरली एज अपंग आशा जन विकास संस्थालन), बिजनौर, उत्तर प्रदेश	461691
154	बीसीजी स्कूल फोर दा डेफ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	1872999
155	बाधित बाल विकास समिति , आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	2471130
156	भारतीय चौहान समिति , आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	581816
157	चेतना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1939235
158	चेतना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2263911
159	केएसजे हाई स्कूल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	2523536

क्र. सं.	एनजीओ का नाम और स्थान	राशि
160	पवाहरी स्मृति परिषद , गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	636368
161	पवाहरी स्मृति परिषद , गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	1144994
162	राजेश्वरी सेवा संस्थान , औरैया , उत्तर प्रदेश	565425
163	राजेश्वरी सेवा संस्थान , औरैया , उत्तर प्रदेश	1983980
164	सामाजिक उत्थान समिति, बलिया , उत्तर प्रदेश	1422684
165	समर्पण संस्थान , गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	3690630
166	संचित विकास संस्थान , बस्ती , उत्तर प्रदेश	445554
167	संत रविदास समाज कल्याण शिक्षा समिति, इटावा , उत्तर प्रदेश	1916371
168	सोसायटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	2777584
169	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी अंध विद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	3657213
170	दा सोसायटी ऑफ ख्रीस्टय ज्योति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	1286247
171	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	9196151
172	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	4980387
173	श्री भारत मंदिर स्कूल सोसायटी, देहरादून, उत्तरांचल	354825
174	विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति , नैनीताल, उत्तरांचल	2349142
175	अलकेन्दु बोध निकेतन आवासीय, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	1802310
176	अलकेन्दु बोध निकेतन आवासीय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1492946
177	बिकाशयन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	70965
178	चितरंजन स्मृति प्रतिबंधी सेवा केंद्र, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल	918125
179	इंस्टीनट्यूट फोर दा हेडिकेप्ड एंड बेकवर्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	8493390
180	इंस्टीनट्यूट फोर दा हेंडिकेप्ड एंड बेकवर्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	5549961
181	चरण प्रतिबंधी कल्याण केंद्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	822616
182	नार्थ बंगाल हेंडिकेप्ड रिहेबिलिटेशन सोसायटी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	1912362
183	नार्थ बंगाल हेंडिकेप्ड रिहेबिलिटेशन सोसायटी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	4755302
184	रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज अकादमी, नरेंद्रपुर, 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल	25602
185	रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज अकादमी, नरेंद्रपुर, 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल	1555336
कुल		**393476550**

डीडीआरसी के तहत अनुदान हेतु स्वीकार्य पद

क्र.सं.	पद एवं योग्यता	2.50 के गुणन का प्रयोग करने के बाद मानदेय (रू.) (*)
1.	क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट (क्लीनिकल साइकोलॉजी में एम.फिल / मनोविज्ञान में एमए अधिमानतः दिव्यागता पुनर्वास के क्षेत्र में 2 साल के अनुभव के साथ)	20500
2.	वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (5 वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर)	20500
3.	ऑर्थोपीडिकेली हैंडिकैप्ड वरिष्ठ प्रोस्थेटिक्स/ऑर्थोटिक्स – प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक में डिग्री अधिमानतः राष्ट्रीय संस्थान से 5 वर्ष के अनुभव के साथ या 6 साल के अनुभव के साथ प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक में डिप्लोमा	20500
4.	प्रोस्थेटिक्स/ऑर्थोटिक्स तकनीशियन आईटीआई प्रशिक्षित 2/3 साल के अनुभव के साथ	14500
5.	वरिष्ठ स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियोलॉजिस्ट (संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर/बीएससी (स्पीच एंड हियरिंग)	20500
6.	हियरिंग असिसटेंट/कनिष्ठ स्पीच थेरेपिस्ट–हियरिंग सहायक यंत्र की मरम्मत/ईयर मोल्ड बनाने के ज्ञान के साथ स्पीच एवं हियरिंग में डिप्लोमा	14500
7.	मोबिलिटी इन्सट्रकटर दृमैट्रिकुलेशन. मोबिलिटी में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	14500
8.	बहु उद्देश्य पुनर्वास कार्मिक (102 के साथ सीबीआर/ एमआर डब्ल्यू पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या दो साल के अनुभव के साथ अर्ली चाइल्डहुड विशेष शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	14500
9.	अकाउंटेंट सह क्लर्क सह स्ओरकीपर (2 साल के अनुभव के साथ बी.काम/एसएएस)	14500
10.	अटेंडेंट सह पीयन सह मेसैंजर (VIII कक्षा उत्तीर्ण)	9500
11.	फील्ड एवं पब्लिसिटी असिस्टेंट (स्नातक)	14500
12.	वोकेश्नल काउन्सिलर सह कम्प्यूटर असिसटैंट (स्नातक)	14500

[*विशेष क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 20:]

2018–19 से 2021–22 के दौरान सहायता डीडीआरसी जारी की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	
		राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	7310350	1	2727336	1	3486017	2	2945237	1
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	7379578	4	6948399	4	2868072	1	2870357	1
4	बिहार	131850	1	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	2197445	2	2855307	2	2000484	2	0	0
6	हिमाचल प्रदेश	0	0	1156550	1	1388059	1	0	0
7	जम्मू एवं कश्मीर	416160	1	0	0	0	0	0	0
8	मध्य प्रदेश	12827036	14	119441	1	3346234	3	0	0
9	महाराष्ट्र	3214121	4	6350200	2	2578000	1	0	0
10	मणिपुर	580200	1	0	0	6614500	3	4992300	2
11	मेघालय	198989	1	0	0	0	0	0	0
12	ओडिशा	0	0	0	0	4712250	2	2120410	1
13	पंजाब	3602712	2	0	0	0	0	0	0
14	राजस्थान	784016	2	806761	2	657400	1	2602038	2
15	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
16	उत्तर प्रदेश	11928064	9	6059915	5	17393261	9	7393890	4
17	उत्तराखंड	415475	1	1068470	1	7331201	1	0	0
18	पश्चिम बंगाल	210460	1	2211000	2	2464669	1	0	0
19	तेलंगाना	0	0	0	0	2716250	1	0	0
20	दादर एवं नागर हवेली	1449000	1	1456583	1	0	0	0	0
21	पुद्दुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**52645456**	**45**	**31759962**	**22**	**57556397**	**28**	**22924232**	**11**

वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) डीडीआरसी को जारी किए गए सहायता अनुदान का विवरण

क्र. सं.	डीडीआरसी का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	किस्त	वर्ष के लिए	राशि
1	डीडीआरसी कुशीनगर	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	पूरी एवं अंतिम किस्त	2017.18	678240
2	डीडीआरसी पूर्व गोदावरी	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी	पूरी एवं अंतिम किस्त	2020.21	2945237
3	डीडीआरसी कछार	डब्ल्यूओडीडब्ल्यू आईसीएचईई	पूरी एवं अंतिम किस्त	2020.21	2870357
4	डीडीआरसी बिष्णुपुर	दी पायोनीर डिवेलपमेंट एसोसियेशन	पहली किस्त	2021.22	2496150
5	डीडीआरसी उखरूल	सोशियल एंड हेल्थ डिवलेपमेंट आर्गनाईसेशन	पहली किस्त	2021.22	2496150
6	डीडीआरसी बदायूं	प्रभात ग्रामुद्योग सेवा संस्थान	पूरी एवं अंतिम किस्त	2020.21	1996076
7	डीडीआरसी कुशीनगर	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	पूरी एवं अंतिम किस्त	2019.20	1679755
8	डीडीआरसी, उदयपुर	नारायण सेवा संस्थान	पूरी एवं अंतिम किस्त	2019.20	1409613
9	डीडीआरसी रामपुर	उपासना जैन कल्याण सेवा समिति	पूरी एवं अंतिम किस्त	2020.21	1673921
10	डीडीआरसी, ढेंकनाल	अरूण इंस्टिटयूट ऑफ रूरल एफेरस	पहली किस्त	2021.22	2120410
11	डीडीआरसी कानपुर देहात	प्रमिला कटियार चौरिटेबल एंड एजुकेशनल वेलफेयर	दूसरी एवं अंतिम किस्त	2019.20	451765
12	डीडीआरसी कानपुर देहात	प्रमिला कटियार चौरिटेबल एंड एजुकेशनल वेलफेयर	पहली किस्त	2020.21	914133
13	डीडीआरसी, जालोर	जिला विकलांग संस्थान	पूरी एवं अंतिम किस्त	2019.20	610874
14	डीडीआरसी, जालोर	जिला विकलांग संस्थान	पूरी एवं अंतिम किस्त	2020.21	581551
कुल					**22924232**

एडिप स्कीम के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान विभिन्न गतिविधियों के तहत आयोजित शिविरों, उपयोग की गई निधियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा ।

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22		
		शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	24	1030.66	11195	29	802.02	6331	27	1490.75	12099	37	1418.04	9119
2	बिहार	27	829.93	13554	8	208.79	5420	62	667.39	10054	14	324.47	2735
3	छत्तीसगढ़	3	18.76	324	16	561.89	7409	13	400.80	5040	3	15.37	405
4	गोवा	2	51.05	838	1	2.48	76	3	173.03	2616	1	2.62	28
5	गुजरात	28	1074.74	16835	21	1215.03	24819	48	968.29	17975	10	381.00	4001
6	हरियाणा	33	671.05	12519	31	1013.10	17617	10	306.79	2931	25	302.06	3914
7	हिमाचल प्रदेश	21	78.57	2186	5	27.10	220	15	108.76	2824	11	57.62	1393
8	जम्मू और कश्मीर	21	247.35	4456	11	213.19	2307	33	212.6	3690	35	245.04	3508
9	झारखंड	14	259.41	4882	2	102.86	216	16	162.19	2066	30	216.72	3798
10	कर्नाटक	62	687.48	9640	29	718.20	4997	22	481.01	2566	22	285.79	1974
11	केरल	82	410.40	5733	15	187.07	3833	68	300.27	3502	16	148.86	1585
12	मध्य प्रदेश	84	1241.07	15317	152	948.41	17587	83	1696.51	29936	210	1130.29	34083
13	महाराष्ट्र	127	2317.70	42305	145	2972.97	49762	122	2482.85	28272	32	2165.49	22161
14	ओडिशा	54	341.25	6374	147	723.18	9480	136	981.72	16544	35	471.48	5371
15	पंजाब	29	1835.35	11685	101	914.25	18863	43	449.65	5089	132	1006.2	17892
16	राजस्थान	41	1446.35	16874	43	1159.00	15343	49	607.96	11419	3	99.25	298
17	तमिलनाडु	72	708.02	16319	37	879.25	14557	58	557.09	8982	44	565.31	16389
18	उत्तर प्रदेश	175	3540.71	55460	185	5234.60	109239	236	3548.46	50015	192	2352.13	31550
19	उत्तराखंड	68	150.32	4222	45	178.09	4299	73	262.22	5775	15	125.33	3509
20	पश्चिम बंगाल	64	1321.46	21384	42	825.51	18047	46	713.05	14855	4	204.4	1035
21	अंडमान और निकोबार	5	33.61	948	1	6.21	114	1	5.33	166	0	6	1
22	चंडीगढ़	2	3.88	88	1	11.83	227	4	46.46	478	1	19.68	271
23	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	6	17.79	333	1	2.49	93	0	0	0
24	दमन एवं द्वीप	2	4.26	74	0	0	0	1	7.31	147	0	0	0
25	दिल्ली	24	607.66	6410	15	199.17	2991	8	187.36	958	12	141.99	908

एडिप स्कीम के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान विभिन्न गतिविधियों के तहत आयोजित शिविरों, उपयोग की गई निधियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा ।

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22		
		शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपए लाख मे)	लाभार्थियों की संख्या
26.	लक्षद्वीप	1	4.89	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	पुडुचेरी	2	40.90	681	1	30.71	720	4	28.54	572	2	50.71	672
28.	अरूणाल प्रदेश	3	46.76	881	2	17.49	309	6	32.63	366	8	16.21	186
29.	असम	10	84.20	1051	23	683.51	13000	59	303.53	13083	9	91.69	1036
30.	मणिपुर	0	42.00	7	3	56.28	145	45	71.64	1586	2	15.81	101
31.	मेघालय	7	146.58	3192	1	4.32	46	2	7.56	201	6	22.14	174
32.	मिजोरम	6	35.90	178	0	0	0	2	9.12	82	8	5.95	148
33.	नागालैंड	4	58.75	1258	2	23.52	255	2	17.8	412	1	27.52	277
34.	सिक्किम	2	19.09	377	1	51.32	321	2	12.84	169	0	0	0
35.	त्रिपुरा	15	202.07	5134	6	62.91	350	35	80.41	2241	12	28.47	292
36.	तेलंगाना	20	650.86	8383	29	519.53	2396	30	495.60	1945	25	535.45	2243
	कुल	**1134**	**20243.04**	**300865**	**1156**	**20571.58**	**351629**	**1365**	**17880.01**	**258749**	**957**	**12479.09**	**171057**

एडिप योजना के तहत वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान एनआई/एलिम्को/सीआरसी और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी किया गया सहायता अनुदान ।

जारी की गई निधियां
(रू. लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	शिविर गति विधि	मुख्यालय गतिविधि	एडिप–एस एसए	कोक लियर इंप्लांट	मिडिया और प्रचार	कुल	जिन राज्यों में शिविर गतिविधियों के लिए निधियां जारी की गयी
1.	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम,(एलिम्को), कानपुर, उत्तर प्रदेश	5230	555	805	2240		8830	पेन इंडिया
		450	0	0	0	0	450	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
2.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून, 116, रायपुर रोड़, देहरादून–248001	50	100	0	0	0	150	पेन इंडिया
3.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	453	423	0	0	0	876	पेन इंडिया
4.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान, मुंबई, के.सी. मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा, मुंबई–400050	0	218	0	500	0	718	पेन इंडिया
5.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा	139	300	0	0	0	439	पेन इंडिया
		78	0	0	0	0	78	पेन इंडिया पेन इंडिया पेन इंडिया

एडिप योजना के तहत वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान एनआई/एलिम्को/सीआरसी और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी किया गया सहायता अनुदान ।

जारी की गई निधियां
(रू. लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	शिविर गति विधि	मुख्यालय गतिविधि	एडिप–एस एसए	कोक लियर इंप्लांट	मिडिया और प्रचार		जिन राज्यों में शिविर गतिविधियों के लिए निधियां जारी की गयी
6.	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली	130	40	0	0	0	170	पेन इंडिया
		30	0	0	0	0	30	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
7.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	36	23	0	0	0	59	पेन इंडिया
8.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), अहमदाबाद	37.50	7.50				45	गुजरात
9.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), सिक्किम	33	0	0	0	0	33	पश्चिम बंगाल में शिविर गतिविधि
		10	10	0	0	0	20	सिक्किम
10.	नारायण सेवा संस्थान,उदयपुर, 483, सैक्टर 4, हिरन, मगरी उदयपुर, राजस्थान	0	250	0	0	0	250	राजस्थान
11.	डीएवीपी इम्पैनल्ड किरेटिव डिजाइन एजेंसिया	0	0	0	0	1.82	1.82	पेन इंडिया
	कुल	**6676.50**	**1926.50**	**805.00**	**2240.00**	**1.82**	**12149.82**	

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मांगों पर आयोजित विशेष शिविरों/शिविरों का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	शिविर का सीान	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	शाामिल लाभार्थियों की संख्या	वितरण का तारीख
1	आंध्र प्रदेश	नांडयाल	64.00	256	16.01.2020 & 18.01.2021
2	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	250.93	2206	06 to 10.06.2021
3	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी (एलुरु)	345.75500	15.07.2021	
4	आंध्र प्रदेश	अरकू	57.81	978	07.08.2021
5	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	403.84	2524	01.10.2021
6	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	11.47	127	05.03.2021
7	असम	बक्सा	51.85	697	24.08.2021
8	असम	कामरूप (ग्रामीण)	49.89	575	03.12.2021
9	बिहार	सिवान	23.03	261	05 to 08 01.2021
10	बिहार	नालंदा	116.60	1245	09 to 16.01.2021
11	बिहार	सरन	63.27	719	5 to 9.01. 2021
12	बिहार	कटिहार	32.45	302	19 to 20.02.2021.
13	बिहार	वाल्मीकि नगर, वेस्ट	24.62	261	24 to 25.02. 2021
14	बिहार	गया	106.37	1146	02 to 06.07.2021
15	बिहार	औरंगाबाद	169.97	1521	01 to 13.08. 2021
16	बिहार	पूर्वी चंपारण, मोतिहारी	25.62	43	03.10. 2021
17	दिल्ली	दिल्ली	7.37	58	05.12.2021
18	दिल्ली	एनसीटी ऑफ दिल्ली	26.22	200	09.12.2021
19	गोवा	गोवा	156.18	2157	18 & 19.01 2021 and 01 to 06.02.2021
20	गुजरात	जामनगर	350.85	3805	07.03.2019 & 20.06.2021.to 04.07.2021
21	हरियाणा	रोहतक	66.81	725	21.01.2021
22	हरियाणा	अंबाला	48.33	528	30.03.2021
23	हरियाणा	कैथल	43.27	440	06 to 20.07.2021
24	हरियाणा	रोहतक	15.57	192	25 &26.08.2021
25	हरियाणा	पंचकुला	15.81	186	14.09.2021
26	हिमाचल प्रदेश	ऊना	19.10	154	23 to 25 .03.2021

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मांगों पर आयोजित विशेष शिविरों/शिविरों का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	शिविर का सीान	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	शाामिल लाभार्थियों की संख्या	वितरण का तारीख
27	झारखंड	रांची	30.47	390	18 to 22.02.2021
28	झारखंड	छत्र	22.72	183	20 to 23.07. 2021
29	झारखंड	गढ़वा	14.76	157	31.08.2021 and 01.09. 2021
30	झारखंड	सरायकेला खरसावां	37.15	338	16 to 18.08. 2021
31	झारखंड	गोड्डा	84.43	917	27.09.2021
32	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूमि	20.5	244	27.11.2021
33	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	20.71	272	13 to 20.02.2021
34	जम्मू और कश्मीर	डोडा	35.24	259	22 to 25.02.2021
35	जम्मू और कश्मीर	किश्तवाड़	22.71	290	13 to 16.07. 2021
36	जम्मू और कश्मीर	रियासी	13.88	185	23.07.2021
37	जम्मू और कश्मीर	सांबा	28.00	350	24 to 27.07 2021
38	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	26.25	350	03 to 06.08.2021
39	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	13.57	181	06.08.2021
40	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	28.80	362	04 to 7.08.2021
41	जम्मू और कश्मीर	रामबन	23.92	297	10 to 13.08.2021
42	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	8.15	80	25 to 26.08.2021
43	जम्मू और कश्मीर	डोडा	20.31	230	23 to 26.08. 2021
44	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	46.23	528	17.09.2021
45	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	48.32	582	06.01.2021
46	कर्नाटक	कोप्पल	61.00	720	5 to 8.04.2021
47	कर्नाटक	कोलार	32.63	480	02.07.2021
48	मध्य प्रदेश	पन्ना	88.16	522	08.02.2021
49	मध्य प्रदेश	अशोकनगर	72.05	512	13 & 20.09.2020, 30.01 & 01 to 04.02.2021
50	मध्य प्रदेश	खंडवा	25.47	283	25.12.2020 & 01 to 15.06.2021
51	मध्य प्रदेश	मऊगंज, हनुमाना	467.03	5064	12.01.2021
52	मध्य प्रदेश	सहडोल	46.69	336	23.01.2021
53	मध्य प्रदेश	आलोट – उज्जैन	31.45	85	12.01.2021

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मांगों पर आयोजित विशेष शिविरों/शिविरों का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	शिविर का सीान	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	शाामिल लाभार्थियों की संख्या	वितरण का तारीख
54	मध्य प्रदेश	जबलपुर	153.37	1280	01.03.2021, 06.2021
55	मध्य प्रदेश	इंदौर	7.16	22	05.03.2021
56	मध्य प्रदेश	विदिशा	97.22	1095	16 to 26.09.2020 & 23 to 26.03.2021
57	मध्य प्रदेश	मंडला	14.82	119	19.03.2021
58	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	432.01	4146	31 .07.2021 to 01.09. 2021
59	मध्य प्रदेश	कटनी	49.70	381	22.11.2021
60	मध्य प्रदेश	भिंड	79.25	873	19.11.2021
61	मध्य प्रदेश	आलोट, उज्जैन	18.58	51	14.07.2021
62	मध्य प्रदेश	भोपाल	13.58	166	13-07-2021 & 09.09. 2021
63	मध्य प्रदेश	उमरिया	9.99	27	06.08.2021
64	मध्य प्रदेश	बेरसिया (भोपाल)	14.64	160	20.09.2021
65	मध्य प्रदेश	नीमच	26.54	262	20.09.2021
66	मध्य प्रदेश	छतरपुर (खजुराहो)	54.09	456	25.09.2021
67	मध्य प्रदेश	दतिया	140.04	888	25.09. to 27.09.2021
68	मध्य प्रदेश	बेतुल	48.72	116	09.10.2021
69	मध्य प्रदेश	शिवपुरी	30.19	222	25.10.2021
70	महाराष्ट्र	नांदेड़, हडगांव और किनवाटी	757.28	10540	23.01.2021 & 02.07.2021
71	महाराष्ट्र	गडचिरोली	502.92	7436	24.02.2021
72	महाराष्ट्र	नंदुरबार तालुकास	48.52	751	22 to 26.06.2021
73	महाराष्ट्र	घाटकोपर पूर्व विधानसभा	15.87	207	17.07.2021
74	महाराष्ट्र	हिंगोली	215.29	2243	19.08.2021
75	महाराष्ट्र	उमरखेड़– महागाँव	78.26	965	26.11.2021
76	महाराष्ट्र	उत्तर पूर्व मुंबई	146.5	1416	24 & 25.12.2021
77	मणिपुर	चंदेल	8.53	108	15.03.2021, 18 to 23.03. 2021

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मांगों पर आयोजित विशेष शिविरों/शिविरों का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	शिविर का सीन	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	शाामिल लाभार्थियों की संख्या	वितरण का तारीख
78	नागालैंड	तुएनसांग	21.52	276	22.10.2021
79	उड़ीसा	नुआपाड़ा	71.47	929	21.09.2020, 27 to 29 01.2021
80	उड़ीसा	बलांगीर	50.98	630	04.03.2021
81	उड़ीसा	कंधमाली	60.76	683	5 to 12.08.2021
82	उड़ीसा	कालाहारी/ कालाहांडी	17.15	172	17 to 20 .08.2021
83	पंजाब	भटिंडा	53.88	564	02.01.2021
84	पंजाब	होशियारपुर	14.06	38	29.04.2021
85	पंजाब	मनसा जिले में बरेटा	101.5	1105	03.07.2021
86	पंजाब	तरनतारन	89.88	966	23 to 26.08.2021
87	पंजाब	फाजिल्का	92.1	1075	30.09. 2021
88	पंजाब	गुरदासपुर	50.81	548	01.10.2021
89	पंजाब	अमृतसर	182.9	1803	29.10.2021
90	पंजाब	फिरोजपुर	136.07	702	09 to 15.11.2021
91	पंजाब	लुधियाना	35.73	363	30 .11 to 03.12.2021
92	पंजाब	सुनाम, संगरूरी	9.88	89	03.12.2021
93	पंजाब	सगंरूर	51.6	105	12.12.2021
94	पंजाब	कपूरथला	7.98	19	30.12.2021
95	पंजाब	रूपनगर/ रोपड़	8.72	86	31.12.2021
96	पुदुचेरी	पुडुचेरी	50.71	672	05 & 06.08. 2021
97	राजस्थान	सीकर	93.87	1019	15.01.2021, 30.03.2021, 05.04. 2021
98	राजस्थान	उदयपुर	8.15	54	07.02.2021
99	राजस्थान	सिरोही/ जालौर–सिरोही	25.46	310	28.12.2020 to 05.01.2021
100	राजस्थान	अजमेर	27.2	285	25 & 27.08.2021
101	तमिलनाडु	नागपट्टिनम	35.65	330	11.01.2021
102	तमिलनाडु	कांचीपुरम	38.68	421	02 to 04.02.2021
103	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	77.92	923	15.02. to 25.02. 2021
104	तमिलनाडु	धर्मपुरी	73.29	855	24.07.2021

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मांगों पर आयोजित विशेष शिविरों/शिविरों का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	शिविर का सीान	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	शाामिल लाभार्थियों की संख्या	वितरण का तारीख
105	तमिलनाडु	तंजावरी	162.62	1705	02.11.2021
106	तमिलनाडु	तूत्तुक्कुडी (तूतीकोरिन)	62.99	823	26.12.2021
107	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	63.01	436	10.04.2021
108	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य (टीवीसीसी) (जिलोंः वारंगल, जगतियाल, सिद्दीपेट, सिरसिला, पेडापल्ली, भूपलपल्ली, महबूबाबाद, तुआदिलाबाद, मंचेरियल, निर्मल, संगारेड्डी, करीमनगर, मेडक, जंगों, हुजुराबाद)	500.01	2000 (Motorized Tricycle)	11.04.2021, 14.04.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 26.07.2021, 27.07.2021, 15.08.2021, 14.09.2021
109	तेलंगाना	भद्राद्री कोठागुडेम	153.00	612	25.07.2021
110	त्रिपुरा	धलाई	37.41	487	22.01.2021
111	त्रिपुरा	02– पूर्वी त्रिपुरा	24.18	305	18.12.2021
112	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	149.70	1418	17.12.2020 & 26 to 27.12.2020 & 15 to 17.01.2021
113	उत्तर प्रदेश	मथुरा	6.3	72	08.01.2021
114	उत्तर प्रदेश	कैराना, शामली	15.12	153	05 to 07.01. 2021
115	उत्तर प्रदेश	बलिया	78.96	874	22 to 26.01.2021
116	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	30.49	330	18 to 21 .01.2021
117	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	117.29	300	13.01.2021 & 04.02.2021 & 16.02.2021
118	उत्तर प्रदेश	बलिया	48.70	256	03.02.2021

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान मांगों पर आयोजित विशेष शिविरों/शिविरों का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	शिविर का सीान	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	शाामिल लाभार्थियों की संख्या	वितरण का तारीख
119	उत्तर प्रदेश	गोंडा	35.47	392	03 to 05.02.2021
120	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	112.38	410	03.02.2021
121	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	21.92	203	15 to 17.02. 2021
122	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़/ लालगंज	23.08	230	19 to 21.02.2021
123	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	80.00	875	05 to 20.03. 2021
124	उत्तर प्रदेश	देवरिया (पथरदेव)	177.15	349	20 to 29.01.2020. & 1.09.2020 to 30.01. 2021
125	उत्तर प्रदेश	बदलापुर, जौनपुर	14.48	37	19.07.2021
126	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	27.51	286	26 to 29.07.2021
127	उत्तर प्रदेश	बस्ती	106.09	1160	07, 29 & 31.08. 2021, 17 & 18.11, 01 to 02. 10. 2021, 19.11.2021, 25.11.2021, 06.01.2022, 07.01.2022
128	उत्तर प्रदेश	संभल	25.49	271	26 to 28.08. 2021
129	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	110.74	990	26 to 31.08. 2021
130	उत्तर प्रदेश	बाँदा	63.43	622	25 to 29.08. 2021
131	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	5.8	59	17.09.2021
132	उत्तर प्रदेश	रामपुर	139.34	1357	17.10. 2021
133	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	33.16	241	29.10.2021, 24 & 25 .11.2021
134	उत्तर प्रदेश	भदोही	210.59	2386	16 to 26.12.2021
135	उत्तर प्रदेश	शामली	48.06	109	31.12.2021
136	उत्तर प्रदेश	फेफना (बलिया)	40.05	445	18.12 to 06.01.2022
137	उत्तर प्रदेश	एटा	82.96	749	1 to 05 .12.2021, 11.12.2021 & 07.01. 2022
138	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर	42.68	516	30.01.2021, 01.02.2021 and 03 .02. 2021
139	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	16.09	234	18.02.2021
कुल			**11234.82**	**106647**	

एडिप योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2018.19 के दौरान जारी की गई निधिया (रू. लाख में)	2019.20 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2020.21 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2021.22 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसायटी काकीनाडा द्वारा संचालित जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), (पूर्व गोदावरी जिला), डीडीआरसी, काकीनाडा–533001	0	10.50	11.00	0
		गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट, मंगलापालेम, कोठावलसा मंडल, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	0	0	10.00	0
		गुड वॉक ऑर्थोटिक्स एसोसिएषन, 74–74–6ए हेमलता नगर कल्लूर (एम) कुरनूल (जिला) पिन कोड 518003 आंध्र प्रदेश	0	0	4.00	0
2	अरूणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, पी.ओ. आर. के. मिशन, ईटानगर–791113, अरुणाचल प्रदेश	0	0	27.95	0
3	आंध्र प्रदेश	दिल्ली अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, एन–192, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली	0	0	20.0	0
4	दादर और नगर हवेली	इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, रेडक्रॉस हाउस, सिलवासा–3960230, सिलवासा, दादर और नगर हवेली	15.00	0	0	0
5	गुजरात	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, डॉ विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रापुर, अहमदाबाद	0	0	32.25	0
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), सी.एस.एस. विभाग, एस.एस.जी. अस्पताल वडोदरा	0	15.00	0	0

एडिप योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2018.19 के दौरान जारी की गई निधिया (रू. लाख में)	2019.20 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2020.21 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2021.22 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), ओ ब्लॉक, सिविल अस्पताल, सिविल अस्पताल परिसर, असरवा, अहमदाबाद, गुजरात	0	10.00	0	0
		जयश्री मारुति नंदन किसान विकास शिक्षा ट्रस्ट, सुखसर, स्वामी विवेकानंद सोसायटी, आश्रम के पास, यूनाइटेड मोटर्स के सामने, गरबाडा रोड, दाहोद	7.50	0	25.00	0
		श्री ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, पास, एसटी, स्टेंड, पाटन	30.00	0	45.00	0
		दिव्यांगजनों के लिए आशीर्वाद ट्रस्ट, सायला, पुलिस स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, सायला, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात	0	0	7.50	0
		डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया नियर श्री साईं समर्थ रेजीडेंसी, बीध्एच सरदयान स्कूल, लेकव्यू गार्डन के सामने, उमरा, सूरत	10.00	0	7.50	0
		आई श्री खोडियार एजुकेशन सेवा ट्रस्ट, पो पल्ला कोथंबटा लुनावाडाडिस्ट महिसागर, पिन–389220	0	0	5.00	0
		जीवनदीप हेल्थ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, कोडिनार, 2/12, राजनगर सोसायटी बाईपास तहसील के पास, कोडिनार, गिर सोमनाथ	0	0	10.00	0

एडिप योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2018.19 के दौरान जारी की गई निधिया (रू. लाख में)	2019.20 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2020.21 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2021.22 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)
6	हरियाणा	आरोहन वेलफेयर सोसायटी, 132, प्रोफेसर कॉलोनी, यमुना नगर, पिन कोड 135001 हरियाणा	0	0	8.99	0
7	हिमाचल प्रदेश	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, कुल्लू,	8.00	0	0	0
8	कर्नाटक	ऑल इंडिया जैन यूथ फेडेरेषन (आर), महावीर लिंब सेंटर, किम्स प्रेमिसस विद्यानगर धारवाड़ हुबली कर्नाटक	0	0	11.00	0
9	केरल	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (एनआईएसएच) श्रीकरियाम , त्रिवेंद्रम	0	0	15.00	0
10	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बालघाट के लिए दीन दयाल अंत्योदय मिशन, बालघाट, जिला निशक्त पुनर्वास केंद्र, जिला पंचायत परिसर बालाघाट	5.00	0	0	0
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), मंदसौर, जिला अस्पताल परिसर गांधी चौराहा, मंदसौर	13.44	0	0	0
		जिला निशक्त कल्याण एवं विकास समिति, मुरैना	7.50	0	0	0
		श्री गौरी शंकर अधुनिक शिक्षा प्रसार समिति, भिंड	3.75	0	0	0
11	महाराष्ट्र	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, एस.नंबर 51/2, एस.आर. पी. गेट नंबर 2 के पास, विकास नगर, वानावाड़ी गांव, पुणे	0	0	11.25	0

एडिप योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2018.19 के दौरान जारी की गई निधिया (रू. लाख में)	2019.20 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2020.21 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2021.22 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)
		महात्मा गांधी सेवा संघ नियर गवरमेंट लाइब्रेरी समर्थ नगर ओरंगाबाद	60.00	0	67.50	0
		श्री महिला बाल कल्याण और अपंग पुनर्वासन विकास, मंडले धुले, महाराष्ट्र	0.00	20.00	0	0
		पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन के फिजियोथेरेपी कॉलेज, सरकारी मिल्क डेयरी एमआईडीसी के सामने, वडगांव गुप्ता रोवड, विलाड़ घाट, अहमदनगर–414111	0.00	0.00	10.00	0
12	ओडिशा	सीआरएसआर भद्रक (पुनर्वास सेवा और अनुसंधान केंद्र, पथराडी पीओ चारमपा जिला भद्रक	0	0	45.00	00
		क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, आरआरआरसी, आर.जी.एच. पनपोश रोड के पास, राउरकेला, ओडिशा	19.84	0	40.00	0
13	पंजाब	इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा संगरूर, संगरूर	5.00	0	0	0
		भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, पीओ – विकलांग सहायता केंद्र, सी ब्लॉक, ऋषि नगर, लुधियाना।	30.00	0	50.00	0
		गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना	5.00	0	7.50	0
		इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, फरीदकोट, ब्रांच रेडक्रॉस भवन सादिक चौक फरीदकोट पंजाब 151203	0	0	15.00	0

एडिप योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2018.19 के दौरान जारी की गई निधिया (रू. लाख में)	2019.20 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2020.21 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)	2021.22 के दौरान जारी की गई निधियां (रू.लाख में)
14	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान, सेवाधाम, 483, हिरण मगरी, सेक्टर–4, उदयपुर	550.00	450.00	495.00	250.00
		ज्ञानाराम झम्मनलाल, जयपुर, 67/56 ए मंदारा बस स्टैंड के पास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान।	0	0	7.5	0
		मां गीता देवी सेवा संस्थान खेरली, पावर हाउस के पीछे, बाई पास रोड, वार्ड नंबर 18, खेरली – 321606	0	0	3.66	0
		आम्रपाली प्रशिक्षन संस्थान, करिगल मोहल्ला, वार्ड नंबर 4, टोंक, राजस्थान।	0	0	10.00	0
		तंवर शिक्षण संस्थान, प्लॉट नंबर 11, खसरा नंबर 18 रामजन जी का हट्टा बनाड रोड जोधपुर, पिन कोडः– 342015	0	0	5.00	0
15	सिक्किम	डीडीआरसी गंगटोक, एमजी मार्ग एसटीएनएम अस्पताल पूर्वी गंगटोक	0	11.25	0	0
16	त्रिपुरा	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), उत्तरी त्रिपुरा	30.00	0	0	0
17	उत्तराखंड	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, टिहरी गढ़वाल, ग्राम एवं पोस्ट रानीचौरी टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	0	0	10.00	0
18	पश्चिम बंगाल	बिकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1 बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता	0	0	9.73	0
	कुल		**800.03**	**561.75**	**982.33**	**250.00**

2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधा मुक्त वातावरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु. में)
1.	मेघालय सरकार	शिलांग में राज्य सरकार के 18 भवनों के लिए दूसरी और अंतिम किस्त	1242.61
2.	तमिलनाडु सरकार	चेन्नई और कोयंबटूर में राज्य सरकार के 10 भवनों में बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए 2 किस्तों का हिस्सा	648.69
	कुल		**1891.30**

2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधा मुक्त वातावरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु. में)
1.	एसवीएनआईआरटीएआर, ओडिशा	एसवीएनआईआरटीएआर में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भवन के निर्माण के लिए दूसरा संस्थान	375.09
2.	एनआईईपीएमडी, चेन्नई, तमिलनाडु	एनआईईपीएमडी परिसर में हाइड्रोथेरेपी पूल में रैंप का निर्माण	9.72
3.	एड़सिल (ईडीसीआईएल) (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय, कामरूप जिला, असम (एनईआर) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए पहली किस्त	16.52
	कुल		**401.33**

ख. 20201–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत दिव्यांागजनों के लिए कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
1.	संसाधन प्रबंधन और समाज कल्याण ट्रस्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	डीबीटी मोड के माध्यम से 157 दिव्यांगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	6.28
		30 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	1.14
		30 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	1.20
2.	सैफी हीलिंग टच रिसर्च ब्यूरो फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर	132 दिव्यांगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	7.21
		डीबीटी मोड के माध्यम से 124 दिव्यांागों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	4.96
3.	दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली	992 दिव्यांगों के संबंध में मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	9.92
		2626 दिव्यांगों के संबंध में मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	26.26
4.	नवज्योति ग्लोबल प्रा. लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	12.08
		डीबीटी मोड के माध्यम से 176 दिव्यांगों के लिए व्यक्तिगत सहायक सहयोगी	7.04
5.	कन्नियप्पा एजुकेशनल मेमोरियल ट्रस्ट (केईएमटी), तमिलनाडु	150 दिव्यांगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	9.67
		दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त (30%)	6.00

ख. 20201–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
6.	बांकुरा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट (बीएसएचएम), पश्चिम बंगाल	डीबीटी मोड के माध्यम से 559 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक सहायता	22.36
7.	दिव्य ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाटक	डीबीटी मोड के माध्यम से 26 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक सहायता	1.30
8.	महिला मंडल बाड़मेर, आगोर, राजस्थान	500 दिव्यांगों के लिए दूसरी किस्त	33.34
9.	सलाहकारों के लिए परामर्श शुल्क	अप्रैलए 2021 से नवंबर, 2021	5.79
	कुल		**154.49**

ग. 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
1.	मेसर्स वर्सटाइल कार्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु	क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	6.94
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	11.82
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	6.81
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	1.00
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	27.36
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	7.03
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	6.34
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	9.55
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	9.25
		क्यूआर कोडेड यूडीआईडी कार्ड का मुद्रण और वितरण	9.94
2..	राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, तमिलनाडु	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	2.40
		आवेदन पत्र का डिजिटलीकरण, मूल्यांकन रिपोर्ट और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना	13.31
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
		तमिलनाडु के 38 जिले के में बाहरी प्रचार	41.25
3.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय मामला विभाग, अरुणाचल प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
4.	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	यूडीआईडी परियोजना के यूडीआईडी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का वार्षिक रखरखाव	18.26
		एक सलाहकार के संबंध में परामर्श शुल्क का भुगतान	20.45
		यूडीआईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव के लिए भुगतान	14.66
5.	राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
6.	केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन, केरल	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
7.	दिव्यांगजन के लिए विशिष्ठ पहचान पत्र, नागालैंड	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
8.	नियामक समाज सुरक्षा यूडीआडी, गुजरात	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
9.	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखंड	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
10.	उप निदेशक, समाज कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.50
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
11.	नीतीश मोहन त्रिपाठी, दिल्ली	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	1.10
12.	महाप्रबंधक, एसआईडीआर, ओडिशा	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	4.07
13.	जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, गोवा	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	6.00
14.	उप निदेशक, दिव्यांगता डिविजन, समाज कल्याण विभाग, पुद्दुच्चेरी	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	6.00
15.	सहायक निदेशक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, आंध्र प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	6.00
16.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मिजोरम	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
17.	परियोजना समन्वयक, एनपीआरपीडी, कर्नाटक	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
18.	एसिड अटैक पीड़ितों को कॉर्पस फंड फाइनेंशियल, पंजाब	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.38
19.	दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, मेघालय	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
20.	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी), सिक्किम	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	1.88

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
22.	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) निकोबार	अंडमान और निकोबार, अंडमान और यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	2.00
23.	निदेशक, समाज कल्याण, असम	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
24.	निदेशक, सिपडा, पंजाब	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
25.	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	6.00
26.	एसआरसीडीए– विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) शिलांग, मेघालय	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में पारिश्रमिक	3.00
	कुल		**309.30**

घ. 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
1.	हैंडीकेयर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	लखनऊ में 22 भवनों के एक्सेस ऑडिट के लिए दूसरी और अंतिम किस्त (20%)	2.35
2.	आरुषि सोसाइटी, भोपाल, मध्य प्रदेश	पोर्ट ब्लेयर सिटी में 25 भवनों के एक्सेस ऑडिट के लिए पहली और अंतिम किस्त	4.89
3.	जियोस्टेट सूचना विज्ञान (भारत) प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना	सुगम्य भारत ऐप के संचालन और प्रबंधन के लिए 03 सदस्यों के लिए शुल्क।	4.25
		सुगम्य भारत ऐप के संचालन और प्रबंधन के लिए 03 सदस्यों के लिए शुल्क।	4.09
4.	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	एआईसी परियोजना के एमआईएस पोर्टल की वार्षिक तकनीकी सेवाएं और सुरक्षा लेखा परीक्षा	2.20
		एआईसी परियोजना की पीएमयू के लिए 02 सलाहकारों के संबंध में परामर्श शुल्क	43.36
	कुल		**61.14**

ड.. 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत जागरूकता पैदा करने और प्रचार के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
1.	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली	टोक्यो पैरालिंपिक, 2021 के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार का वितरण	144.00
	कुल		**144.00**

च. 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत मीडिया के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
1.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, (एनएफडीसी), नई दिल्ली	दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए कोविड–19 महामारी से संबंधित फिल्मों (5 मिनट की अवधि) या परामर्श/सर्वोत्तम अभ्यास का निर्माण	11.15
	कुल		11.15

च. 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत ब्रेल प्रेस के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
1.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), उत्तराखंड	ब्रेल पृष्ठों की छपाई	12.23
		ब्रेल पृष्ठों की छपाई	67.57
		मिनी ब्रेल प्रेस की स्थापना	7.78
		ब्रेल प्रेस मशीन और अन्य मदों की खरीद के लिए 02 कार्यान्वयन एजेंसियों को जीएसटी जीआईए	7.03
		नई ब्रेल प्रेस मशीन की स्थापना	31.89
	कुल		**126.50**

छ. 2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रु.में)
1.	अमल ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज, कनिरापल्ली, केरल	निचले अंग के पक्षाघात वाले लोगों के लिए रोबोटिक मोबिलाइज़र पर शोध परियोजना को पूरा करना	2.97
2.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा सिंथेटिक एनिमेशन का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का विकास	9.66
3.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों में सोमाटोटाइप, शारीरिक (फिजिकल) प्रयास और शारीरिक गतिविधि के संवेदन पर अध्ययन पर प्रमुख अनुसंधान पर शोध अध्ययन करना	2.71
	कुल		**15.34**

2021–22 के दौरान सिपडा योजना के तहत दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (31.12.2021 तक) (लाख रू. में)
1	दिव्यांजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली	992 दिव्यांगों के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	9.92
2	दिव्यांजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली	2626 दिव्यांगों के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	26.26
3	भारत के समाज कल्याण के लिए सैफी हीलिंग टच रिसर्च ब्यूरो, जम्मू और कश्मीर	132 प्रशिक्षुओं के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त का भुगतान	7.21
4	बांकुरा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, पश्चिम बंगाल	559 दिव्यांगों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	22.36
5	नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, हरियाणा	180 प्रशिक्षुओं के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त का भुगतान	12.08
6	दिव्य ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाटक	26 दिव्यांगों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	1.3
7	नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, हरियाणा	176 दिव्यांगों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	7.04
8	महिला मंडल बाड़मेर आगोर, राजस्थान	452 प्रशिक्षुओं के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की दूसरी किस्त का भुगतान	33.34
9	भारत के समाज कल्याण के लिए सैफी हीलिंग टच रिसर्च ब्यूरो, जम्मू और कश्मीर	124 दिव्यांगों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	4.96
10	संसाधन प्रबंधन एवं समाज कल्याण ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश	157 दिव्यांगों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	6.28
11	संसाधन प्रबंधन एवं समाज कल्याण ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश	30 प्रशिक्षुओं के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त का भुगतान	1.14
12	कनियप्पा एजुकेशन मेमोरियल ट्रस्ट, तमिलनाडु	150 प्रशिक्षुओं के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किस्त का भुगतान	9.61
13	संसाधन प्रबंधन एवं समाज कल्याण ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश	30 दिव्यांगों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	1.2
14	कनियप्पा एजुकेशन मेमोरियल ट्रस्ट, तमिलनाडु	150 दिव्यांगों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	6.00
	कुल		**148.7**

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना की स्थिति
(19.01.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या। जैसा कि सीसीपीडी द्वारा सूचित किया गया है	जिलों की कुल संख्या	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) बनाने वाले जिलों की संख्या	जारी ई–विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,604	3	3	4848
2	आंध्र प्रदेश	11,81,097	13	13	1111418
3	अरुणाचल प्रदेश	2,907	25	25	1843
4	असम	3,44,665	33	33	87287
5	बिहार	14,87,357	38	38	166834
6	चंडीगढ़	29,054	1	1	5853
7	छत्तीसगढ	2,84,464	28	28	199848
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	6,069	3	3	2024
9	दिल्ली	1,83,160	1 1	1 1	13728
10	गोवा	19,202	2	2	3273
11	गुजरात	5,51,000	33	33	281410
12	हरियाणा	3,39,190	22	22	56537
13	हिमाचल प्रदेश	95,630	12	12	51616
14	जम्मू और कश्मीर	1,76,355	20	20	42408
15	झारखंड	4,93,012	24	24	18440
16	कर्नाटक	12,29,825	30	30	398133
17	केरल	3,14,777	14	14	150092
18	लद्दाख	3,030	2	2	575
19	लक्षद्वीप	1,353	1	1	851
20	मध्य प्रदेश	6,60,313	52	52	686591

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना की स्थिति
(19.01.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या। जैसा कि सीसीपीडी द्वारा सूचित किया गया है	जिलों की कुल संख्या	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) बनाने वाले जिलों की संख्या	जारी ई–विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्डों की संख्या
21	महाराष्ट्र	17,79,545	36	36	646965
22	मणिपुर	26,450	16	16	4277
23	मेघालय	22,244	1 1	1 1	23805
24	मिजोरम	12,409	1 1	1 1	3210
25	नागालैंड	1,752	12	12	1190
26	ओडिशा	8,44,250	30	30	417953
27	पुदुचेरी	29,700	4	4	18081
28	पंजाब	3,82,081	23	23	246093
29	राजस्थान	5,66,157	33	33	406860
30	सिक्किम	5,767	4	4	2981
31	तमिलनाडु	11,79,303	38	38	447653
32	तेलंगाना	7,92,345	33	33	476093
33	त्रिपुरा	89,060	8	8	21701
34	उत्तर प्रदेश	23,95,120	75	75	686941
35	उत्तराखंड	1,28,947	13	13	22473
36	पश्चिम बंगाल	17,63,711	23	1	9
	कुल	**1,74,25,905**	**737**	**715**	**67,09,894**

पिछले सात वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि और छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:–

जारी राशि करोड़ रू. में

क्र. सं.	योजना		2014 -15	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20	2020 -21	2021 -22 31.12. 2021 की स्थिति के अनुसार
1.	प्री–मैट्रिक	राशि	0	1.60	5.52	9.07	6.50	24.57	9.82	2.03
		लाभार्थी	0	2368	7927	12593	6767	22218	12488	2259
2.	पोस्ट–मैट्रिक	राशि	0	3.21	9.82	14.92	56.39	64.98	47.29	36.04
		लाभार्थी	0	3565	6281	7657	22953	19978	12573	14231
3.	उच्च श्रेणी शिक्षा	राशि	0	0.24	0.86	0.67	1.06	3.02	4.50	1.62
		लाभार्थी	0	14	42	37	78	239	453	147
4.	नेशनल ओवरसीज	राशि	0	0	0.38	0.70	1.08	1.02	1.23	1.73
		लाभार्थी	0	0	2	1	2	0	2	3
5.	राष्ट्रीय फैलोशिप	राशि	13.25	19.97	19.26	30.24	19.86	20.98	28.69	27.08
		लाभार्थी	306	527	589	666	566	537	551	458
6.	फ्री कोचिंग	राशि	0	0	0	0.87	1.38	0	0.23	0
		लाभार्थी	0	0	0	250	0	0	0	0
	कुल	**राशि**	**13.25**	**25.02**	**35.84**	**56.47**	**86.27**	**114.57**	**91.77**	**68.50**
		लाभार्थी	**306**	**6474**	**14841**	**21204**	**30366**	**42972**	**26067**	**17098**

छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दस लाख रुपये और उससे अधिक की आवर्ती/गैर–आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त निजी और स्वैच्छिक संगठनों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	निजी और स्वैच्छिक संगठन का नाम	निजी और स्वैच्छिक संगठन का पता	स्वीकृति वर्ष/ तारीख	क्या आवर्ती/ गैर–आवर्ती/ एकमुश्त सहायता	जारी की गई राशि (लाख रु. में)	उद्देश्य
1	करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी	301/ए–37, 38,39 अंसल बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर दिल्ली–110009	**2017.18** दिनांक 14.03.2018	गैर–आवर्ती	65.00	दिव्यांगजनों को निःशुल्क कोचिंग
2	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बांदीपोरा जम्मू–कश्मीर	अस्पताल रोड, फ़ज़ीम स्कूल के पास वार्ड नंबर 5, बांदीपोरा जम्मू–कश्मीर–193502	**2017.18** दिनांक 20.03.2018	गैर–आवर्ती	22.22	दिव्यांगजनों को निःशुल्क कोचिंग
3	करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी	301/ए–37, 38,39 अंसल बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर दिल्ली–110009	**2018.19** दिनांक 09.03.2019	गैर–आवर्ती	41.60	दिव्यांगजनों को निःशुल्क कोचिंग
4	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बांदीपोरा जम्मू–कश्मीर	अस्पताल रोड, फ़ज़ीम स्कूल के पास वार्ड नंबर 5, बांदीपोरा जम्मू–कश्मीर–193502	**2018.19**	गैर–आवर्ती	25.77	दिव्यांगजनों को निःशुल्क कोचिंग
5	करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी	301/ए–37, 38,39 अंसल बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर दिल्ली–110009	**2020.21**	गैर–आवर्ती (जीएसटी राशि)	0.23	दिव्यांगजनों को निःशुल्क कोचिंग

2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान (31.12.2021 को) किसी गैर सरकारी संगठन को जारी की गई राशि।

वर्ष 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची

I. सबसे अच्छा कर्मचारी/दिव्यांगों के साथ स्वरोजगार		
क्र.सं.	**दिव्यांगता के प्रकार**	**पुरस्कार पाने वाले का नाम**
i.	गतिविषयक दिव्यांगता	a) सुश्री रेखा एन. परमार, b) डॉ पूनम अन्नासाहेब उपाध्याय, c) श्री हितेश भगवानजी वाघेला, d) श्री प्यारे लाल।
ii.	दृष्टि बाधित	a) सुश्री निकिता वसंत राउत। b) श्री एएम वेंकटकृष्णन, c) श्री एलुमलाई एस.
iii.	श्रवण बाधित	a) सुश्री रेशमी मोहन, b) मो. अबू मुचा गाज़ी, c) श्री चल्ला वेंकट हरीश।
iv.	बौद्धिक दिव्यांगता	a) श्री सचिन, b) श्री आर दिनेश।
v.	रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता (हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग)	a) श्री रवि बिपिनभाई धनानी, b) श्री संतोष लालवानी।
vi.	बहु दिव्यांगता (उपरोक्त व्यापक श्रेणियों में से किन्हीं दो या अधिक दिव्यांगताओं को शामिल करते हुए)।	a) श्री मानेकशां थंडापानी ।

ii- सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और नियोजन अधिकारी/एजेंसी के लिए पुरस्कार		
i.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, या स्वायत्त या स्थानीय सरकारी निकाय	हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, पंचकुला।
ii.	निजी या गैर–सरकारी संगठन	नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स एलएलपी।
iii.	सर्वश्रेष्ठ नियोजन अधिकारी/संस्था।	श्री चौहान अल्पेश कुमार लवजीभाई।

III. दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्थान।		
क्र.सं.	**प्रकार**	**नाम**
i.	सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति (पेशेवर)	• सुश्री सकीना संदीप बेदी, महाराष्ट्र।
ii.	सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति (गैर–पेशेवर)	• श्री के. श्रीधर आचार्य, आंध्र प्रदेश।
iii.	सर्वश्रेष्ठ संस्थान	

	(समग्र व्यापक सेवाएं)	• ग्रामीण आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।
iv.	समावेशी शिक्षा	• दिव्यांगों के कल्याण के लिए सोसायटी, पटियाला, पंजाब।
	iv. प्रेरणास्रोत (रोल मॉडल)	
i.	गतिविषयक दिव्यांगता	a. सुश्री प्रीति दिलीप्राव पोहेकर, b. सुश्री उषा रामजीभाई राठौड़, c. श्री बंकिम प्रवीणचंद्र पाठक, d. श्री देवदत्त रावसाहब माने।
ii.	दृष्टि बाधित	a. सुश्री नेहा नलिन पावस्कर, b. श्री राजेश असुदानी।
iii.	श्रवण बाधित	a. सुश्री स्वाति जांगिड़, b. श्री आकाश सिंह, c. श्री सागर राजीव बडवे।
iv.	बौद्धिक दिव्यांगता	a. सुश्री देवांशी अनिल जोशी, b. श्री प्रथनेश यशवंत दाते
v.	बहु दिव्यांगताएं (उपरोक्त 8 व्यापक श्रेणियों में से किन्हीं दो या अधिक को शामिल करते हुए एक से अधिक दिव्यांगताएं)	a. सुश्री के. ज्योति। b. श्री टी. प्रभाकरन।
	V. दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवाचार/उत्पाद विकास	
i.	सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त शोध	a श्री अभिषेक बघेल।
ii.	नए लागत प्रभावी उत्पाद का विकास	b. श्री हनी भागचंदानी।
	VI. दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य	
i.	सरकार	a पीडब्ल्यूडी , नासिक, महाराष्ट्र।
ii.	संगठन स्थानीय निकाय।	b. नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
	VII. पुनर्वास सेवा प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिला	
i.	सेलम, तमिलनाडु	
ii.	इंदौर, मध्य प्रदेश ।	
	VIII. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी	
	शून्य	

IX. उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क दिव्यांग व्यक्ति	
i.	सुश्री साथी एम.वी,
ii.	सुश्री ऐशिना वशिष्ठ ,
iii.	श्री जॉनसन एमए, केरल
iv.	श्री गोपाल सिंह सिसोदिया, नई दिल्ली ।

X. सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिव्यांग बच्चा	
i.	कुमारी रिंशा एन.
ii.	कुमारी अन्वी विजय ज़ांज़ारुकिया ,
iii.	वेंकट्य सुब्रह्मण्यम ,
iv.	कोरक विश्वास , पश्चिम बंगाल

XI. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस
ब्रेल प्रेस बिलासपुर समाज कल्याण विभाग, महानदी, नवा रायपुर, अटल नगर (1985 में स्थापित) – 524

XII. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट
• दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
• राइजिंग फ्लेम, मुंबई

XIII.	
i.	**दिव्यांगजन सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य** • तमिलनाडु
ii	**सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य** • शून्य

XIV. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी	
i.	सुश्री वैष्णवी विनायक सुतार ,
ii.	सुश्री जाफरीन शेख ,
iii.	सुश्री किरण टाक ,
iv.	सुश्री पूजा शंकर ,
v.	श्री कमल शर्मा,
vi.	श्री मोहम्मद शम्स शेख ,
vii.	श्री सूर्य प्रताप शर्मा,
viii.	श्री पुनीथ नंदकुमार ।

अभिचिन्हत पद 2013 के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

एस	बैठना
एसटी	खड़ा होना
डब्ल्यू	चलना
बीएन	झुकना
सीआरएल	रेंगना
सीएल	चढ़ना
जेयू	कूदना
एल	उठाना
केसी	नीलिंग एण्ड क्राउचिंग
आरडब्ल्यू	पढ़ना और लिखना
एमएफ	उंगलियों की सहायता से समझाना
पीपी	खींचना और गिरना
एसई	देखना
सी	बातचीत करना
एच	सुनना
ओए	एक भुजा
वीए	दोनों भुजा
ओएल	एक भुजा और एक पैर
बीएलए	दोनों पैर और भुजा
बीएलओए	दोनों पैर और एक भुजा
ओएल	एक पैर
बीएल	दोनों पैर
सीपी	प्रमिस्तष्कघात
एलसी	कुष्ठ उपचारित
ओएच	अस्थि दिव्यांग
वीएच	दृष्टिबाधित
बी	दृष्टिहीन
एलवी	कम दृष्टि
एचएच	श्रवणबाधित

दिव्यांगजनों के साथ बेहतर संवाद हेतु मार्गदर्शिका

जब आप किसी दिव्यांगजन को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप सोचते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते बल्कि यह सोचने के बजाय वह क्या कर सकते हैं। क्या दिव्यांग मनुष्य भगवान के अभागे बच्चे हैं? तो क्यों हम उन्हें भिन्न मानते हैं?

अगली बार जब आप किसी दिव्यांगजन से मिलें तो उनसे समानता का भाव रखें। इसके कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

- यदि आप नहीं जानते कि खामोशी को तोड़ कर कैसे बातचीत शुरू करें, तो शांत रहें और दिव्यांगजनों को बातचीत शुरू करने का मौका दें।
- उस व्यक्ति के बारे में सकारात्मक सोच रखें। अपने आपसी हितों का पता लगाएं। आप निश्चित रूप से एक दिलचस्प व्यक्तित्व की खोज करेंगें।
- यदि मांग की जाए तो सहायता करें, लेकिन अति उत्साही होने से बचें। उस व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है को दर्शाने के प्रति उसके अधिकार का सम्मान करें।
- व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति से उस चेयर का प्रयोग कैसे किया जाता है के बारे में पूछे बिना कभी भी उस चेयर को धक्का न दें।
- व्हील चेयर या बैसाखियों या अन्य सहायक यंत्रों को उपयोगकर्ता की पहुंच से दूर न रखें।
- दिव्यांगता विषय पर चर्चा करने से बचें लेकिन यदि यह विषय स्वाभाविक रूप से चर्चा के दौरान आ जाए तो उस पर चर्चा करें।
- उदार रहें। दिव्यांगजनों को अधिक स्थान या बोलने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है।
- वह व्यक्ति क्या कर सकता है उसकी प्रशंसा करें। याद रखें कि वह व्यक्ति दिव्यांगता से उत्पन्न कठिनाइयों से ज्यादा उन कठिनाइयों का सामना कर रहा होगा जो समाज के दृष्टिकोण और बाधाओं से उत्पन्न हो सकते हैं।
- दिव्यांगजनों से सीधे बातचीत करें। उनके साथ बातचीत करने के लिए किसी साथी को साथ न ले जाएं।
- बात करते समय दिव्यांगजनों पर अपना पूरा ध्यान दें। उनके विचारों का सम्मान करें। ऐसे व्यक्ति के साथ बात करते समय आपका रवैया सुधार करने के बजाय उत्साहजनक होना चाहिए।
- बोलने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय, ऐसे प्रश्न पूछें जिन्हें छोटे उत्तरों की आवश्यकता हो या जिसका उत्तर संकेतों में दिया जा सकता है।
- श्रवणबाधित व्यक्ति के साथ शांति से, धीरे–धीरे से और स्पष्ट रूप से बात करें।
- जब आप दिव्यांगजनों साथ भोजन कर रहें हैं तब यदि आवश्यकता हो या पूछा जाए तो खाना परोसने में मदद करें। यह अधिक आरामदायक हो सकता है यदि उस व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या वह अपनी थाली रसोईघर में ही सजाना पसंद करेगा। यदि आप किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ हैं, तो उन्हें बताएं कि मेज पर व्यंजन, बर्तन और उपयोग की वस्तुएं कहां रखी हुई हैं।

नोट

नोट

नोट

नोट

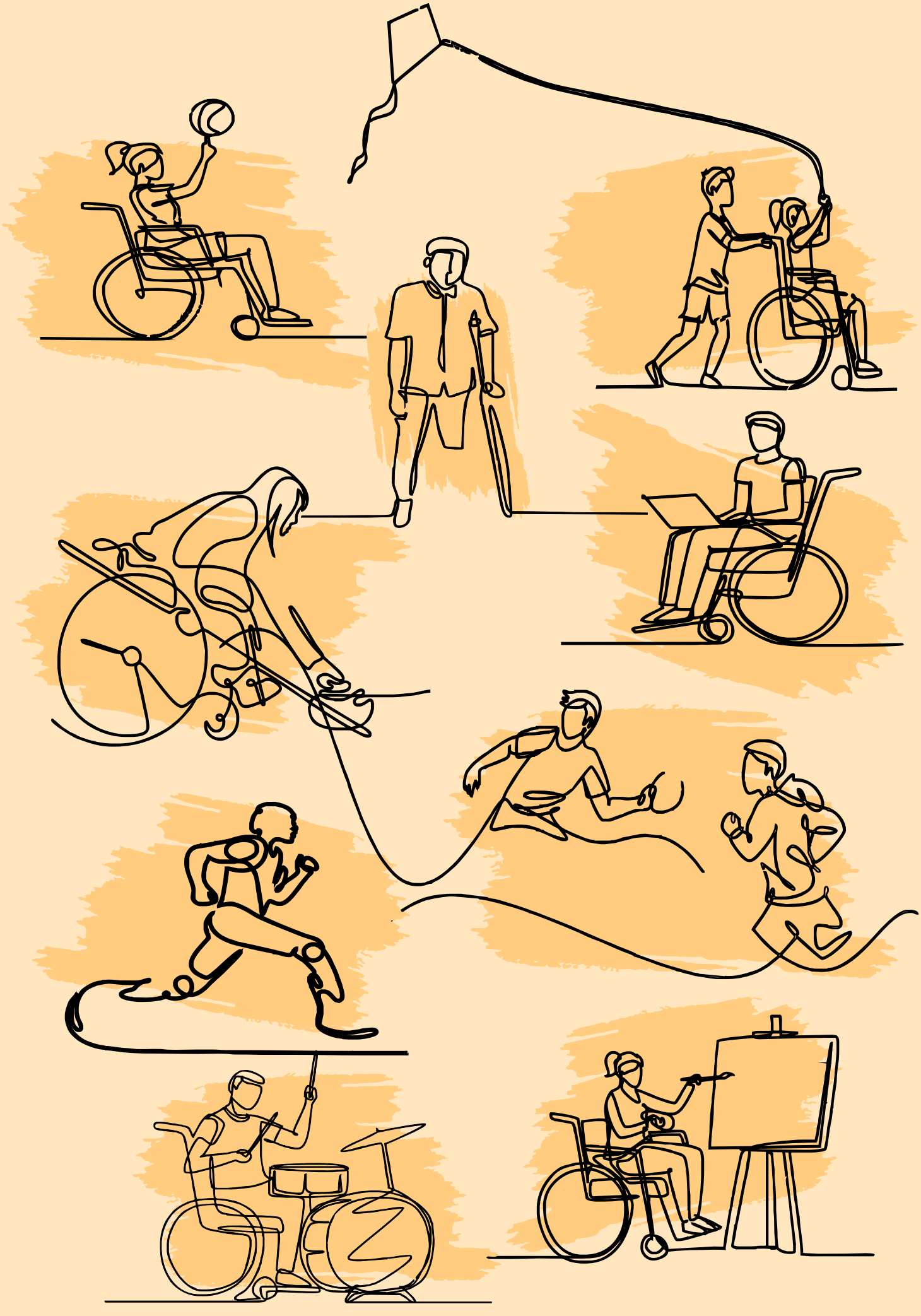

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–-110003
www.disabilityaffairs.gov.in